खण्ड-353, अंक-8
गुरूवार, 8 माघ, शक संवत् 1903
(28 जनवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	953–956
प्रश्नोत्तर	957–1026
आजमगढ़ जनपद के दोहरीघाट पम्प कैनाल में लगे पुराने ट्रासफार्मर्स के न बदले जाने से सिंचाई कार्य में बांधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1026
जनपद फैजाबाद के सहायता प्राप्त कतिपय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को वेतन वितरण न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तगत सूचना ..	1027
लखनऊ-बम्बई राष्ट्रीय मार्ग पर कानपुर और जालौन के बीच यमुना नदी पर बनाए गए पुल को यातायात के लिए न खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	1027–1028
कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी अपनी नियम 301 की सूचना को लिए जाने की मांग	1028
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1979–80 का प्रतिवेदन (सिविल) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1979–80 एवं विनियोग लेखे 1979-80 (सदन के पटल पर रखे गये)	1028
उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1028
मुजफ्फरनगर-कैराना जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1028–1029
कल दिनांक 27 जनवरी, 1982 को भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मन्त्री के पत्र को मुख्य मन्त्री द्वारा पढ़े जाने पर मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1029–1037
गढ़वाल संसदीय उप चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टलवाने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1037–1040
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	1040–1041
नववर्ष के उपलक्ष में जनपद बदायूं के पुलिस परेड ग्राउण्ड पर आयोजित कवि गोष्ठी में अराजक तत्वों द्वारा कवियों को मारने-पीटने की घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	1041–1048
19 जनवरी, 1982 के 'भारत बन्द' के सम्बन्ध में प्रदेश में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा	1048–1072
ग्राम दिवली व साढूपुर जनपद मैनपुरी में हरिजनों के कत्लेआम पर चिन्ता व्यक्त किए जाने तथा हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा विस्तृत विशेष योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (अस्वीकृत)	1072–1103
प्रश्न उपस्थित करते समय सूचना राज्य मन्त्री द्वारा विभाजन कराए जाने पर उठाई गयी आपत्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय	1104
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1104
उन्नाव शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर रैलीज के मिकल, मगरवारा के हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1105–1112
जनपद वाराणसी के थाना मुगलसराय के अन्तर्गत ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	1112–1114
नत्थियां	1115–1125

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 28 जनवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य 324

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री	कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उपेंन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या)	खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री नाम विर्देशित आंग्ल भारतीय	
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्ण वीर सिंह, श्री	बदायूं
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, श्री	एटा
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री	आगरा
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेन्दा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोवर्द्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैया, श्री	बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चरनजीत सिंह, श्री	पीलीभीत
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदी लाल, श्री	गोंडा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
जटा शंकर सिंह, श्री	बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री	बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री	फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
झग्गड़ सिंह, श्री	मेरठ
झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री	खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री	देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धरुप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई

नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उफ लाल बाबू)	बलिया
नेत्र पाल सिंह, श्री	एटा
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बारबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बलवीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृज किशोर मिश्र, डा0	देवरिया
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्म दत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव

भगवान दीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री देवरिया
भीखा लाल, श्री उन्नाव
भीम सिंह, श्री मेरठ
भूधर नारायण मिश्र, श्री कानपुर
भृगु नाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) गोण्डा
महेश चन्द्र, श्री मेरठ
महेश प्रसाद, श्री देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोण्डा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री बदायूं
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम ,श्री गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मेंहदी असगर, श्री मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोण्डा
मोहम्मद नवी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री वाराणसी

यदु नाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री मुरादाबाद

रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोण्डा
रघुवीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रतीराम, श्री बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री रायबरेली
राज किशोर राव, श्री बहराइच
राज कुमार राय, श्री आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री झांसी
राजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम करन, श्री वाराणसी
राम कुमार भार्गव, श्री सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री बलिया
राम चन्द्र, श्री वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री वाराणसी
रामजी राम, श्री फैजाबाद
राम धनी, श्री गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम प्रसाद, श्री मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री खीरी
राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
राम लाल, श्री सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री हरदोई
राम शिरोमणि, श्री जौनपुर
राम समुझावन, श्री जौनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
राम सिंह, श्री सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री बरेली
राम सिंह रावल, श्री एटा
राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री सहारनपुर

राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुरर
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुरपु
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री	एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकपति, श्री	मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विद्या भूषण, श्री	मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर	गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्यामसिंह, श्री	बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
संजय सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
सत्येन्द चन्द गुड़िया, श्री	नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सिकन्दर अली खां, श्री	शाहजहांपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती	रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री	जालौन
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरनरायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरीशंकर, श्री	हरदोई
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट—श्रम मन्त्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 28 जनवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

नावेल्टी सिनेमा लालबाग, लखनऊ में परिवर्तन व परिवर्धन की अनुमति

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता की संस्तुति सहित कोई प्रार्थना पत्र जुलाई, 1981 में उन्हें प्राप्त हुआ जिसमें शिकायत की गयी है कि लखनऊ मास्टर प्लान के भू-उद्योग संबंधी प्रस्तावों का उल्लंघन करके नावेल्टी सिनेमा लालबाग, लखनऊ के पुनर्निर्माण एवं विस्तार की अनुमति दी गयी है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)—

जी हां ।

नावेल्टी सिनेमा लालबाग लखनऊ में निर्माण संबंधी अनुमति दिये जाने में भू-उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों का उल्लंघन नहीं किया गया। प्रार्थी को केवल पूर्व निर्मित सिनेमाहाल में परिवर्तन व परिवर्धन की अनुमति दी गई है न कि भू-उपयोग में विस्तार करने की। जितने भू-क्षेत्रफल पर महायोजना लागू होने के पूर्व सिनेमा भवन मौजूद था वही अब भी है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि संबंधित सिनेमा की क्षमता पहले 7'50 सीटों की थी जो इस समय बढ़ कर 999 सीट हो गई और जो स्वीकृत भवन क्षेत्र था उसके बिल्कुल विपरीत भवन का निर्माण कराया गया है जिस को माननीय मंत्री जी ने कहा है कि परिवर्तन और परिवर्धन की अनुमति दी गयी । मान्यवर, परिवर्धन को अंग्रेजी में इनलार्जमेन्ट कहते हैं, विस्तार से इंकार किया है लेकिन इनलार्जमेन्ट की अनुमति दे दी । तो जो प्रोजेक्शन बनाया गया है उसकी नोटिस शासन की ओर से दी गयी है या नहीं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सिनेमा हाल का निरीक्षण करने के बाद सामने आया कि इसका प्रोजेक्शन निकाला गया है। 27(1) डेवलपमेन्ट की धारा के अन्तर्गत नोटिस दी गई है और कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने माना है कि परिवर्धन की अनुमति दी गई थी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अण्डर डाइरेक्शन 12 आफ यू0 पी0 रेगूलेशन बिल्डिंग प्रोजेक्शन के डाइरेक्शन, 1950 के अन्तर्गत अगर इनलार्जमेन्ट किया जाता है, जिस को मंत्री जी ने माना है, तो इसके लिये भी एक कण्ट्रोलिंग अथारिटी होती है जिसकी स्वीकृति से ही इन्लार्जमेन्ट हो सकता है तो वह अथारिटी का चेयरमैन क्या डेवलेपमेन्ट अथारिटी का ही है या कोई दूसरा और इसकी स्वीकृति किस अधिकारी द्वारा दी गई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इन्लार्जमेन्ट की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। मैंने परिवर्धन और परिवर्तन की स्वीकृति दी और जैसे हमारे ध्यान में आया कि प्रोजेक्शन निकाला गया है, तो विधिवत् कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। यह शासन की डिक्शनरी है जिसमें परिवर्धन का अंग्रेजी इन्लार्जमेन्ट लिखा है, पेज 238 पर है। तो मान्यवर, परिवर्धन या इन्लार्जमेन्ट और विस्तार की परिभाषा अलग-अलग बता दें ? इसमें कौन सा सही माना जाये? मान्यवर, मंत्री जी जवाब तो दे नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें पहले। उत्तर यह दिया गया है कि नावेल्टी सिनेमा लालबाग, लखनऊ में निर्माण संबंधी अनुमति दिये जाने में भू उपयोग संबंधी प्रस्तावों का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी को केवल पूर्व निर्मित सिनेमाहाल में परिवर्तन व परिवर्धन की अनुमति दी गई है न कि भू-उपयोग में विस्तार करने की। जितने भू-क्षेत्रफल पर महायोजना लागू होने के पूर्व सिनेमा भवन मौजूद था वही अब भी है। तो इसके अन्तिम भाग को आप देख लें। जितने भू-क्षेत्रफल पर महायोजना लागू होने के पूर्व सिनेमा भवन मौजूद था वही अब भी है, तो भू-उपयोग में विस्तार की अनुमति नहीं दी गई। जितने एरिया में पहले बना था उसमें चाहे परिवर्धन करें चाहे परिवर्तन।

श्री राम आसरे वर्मा–

लखनऊ मास्टर प्लान मान्यवर, बना, उसके अन्तर्गत हर जगह के लिये भू उपयोग सुरक्षित कर दिया गया है। लालबाग में जहां पर नावेल्टी सिनेमा बना है वहां पर भू-उपयोग सुरक्षित है कम्युनिटी इन्स्टीट्यूशन्स के लिए। सिनेमा कम्युनिटी इन्स्टीट्यूशन में नहीं आता तो जो आता नहीं उसका इन्लार्जमेन्ट के लिये शासन ने नियम बनाये हैं ....

श्री उदल–

मान्यवर, आप तो अच्छे वकील भी हैं, आप इन को समझा क्यों नहीं देते ?

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सबसे ज्यादा आप मुझे डांटते हैं . . .।

श्री अध्यक्ष–

मैं डांटता तो नहीं हूं। जब ज्यादा जोर से आप बोलते हैं तो मुझे कुछ ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है।

श्री राम आसरे वर्मा–

इसकी जांच करा दें, मान्यवर। मानचित्र के विपरीत किया गया।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जो सिनेमा बना है उसी स्थान पर बनाने की अनुमति दी गई है और अगर मानचित्र के विपरीत बना है तो विधिवत कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय मेडिकल कालेजों के आयोजनागत परिव्यय पर चल रहे चिकित्सक के पद

*2–श्री रियासत हुसैन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय मेडिकल कालेजों में आयोजनागत परिव्यय पर चले रहे चिकित्सकों के पदों को आयोजनेतर परिव्यय पर कब तक लिया जायेगा?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)–

राजकीय मेडिकल कालेजों के आयोजनागत परिव्यय पर चल रहे चिकित्सक के पदों को छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर अर्थात् 31 मार्च, 1985 के बाद आयोजनेत्तर पक्ष में ले लिया जायेगा। किन्तु परिवार कल्याण के अन्तर्गत प्रसवोत्तर कार्यक्रम (पोस्ट पार्टम प्रोग्राम) हेतु स्वीकृत चिकित्सक के पदों, जो आयोजनागत परिव्यय पर चल रहे हैं, को आगे भी आयोजनागत परिव्यय पर चलते रहने की सम्भावना है।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर तो दिया, लेकिन जो अन्तिम लफ्ज लिखा है कि चलते रहने की सम्भावना है, इसको स्पष्ट कर दें कि नानप्लान में चलते रहेंगे या नहीं चलेंगे ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

श्रीमन् अगर परिवार कल्याण कार्यक्रम प्लान आइटम में रहेगा तो प्लान में चलता रहेगा और अगर छठी योजना में नानप्लान हो गया तो नानप्लान में चलेगा।

आजमगढ़ सदर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्साधिकारी तथा स्टोर कीपर के विरुद्ध गबन का आरोप

*3–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक, के0 सी0 चक्रवर्ती, चिकित्सा अधीक्षक, क0 ए0 कार, चिकित्साधिकारी बी0 डी0 सिंह तथा स्टोर कीपर केशव सिंह को 9 या 10 मई, 1981 को 12 1/2 लाख रुपया जो 1979-80 में पीलिया रोग तथा अन्य रोगों की दवाओं के लिये दिया गया था उसको गबन करने, मानक दवाओं को न खरीदने एवं एक लाख के फर्जी भुगतान करने तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में मनमाने ढंग से खर्च करने के आरोप में सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया है और धारा 465, 468/81 व 130 बी0 और अपराध उन्मूलन की धारा 5(2) के अन्तर्गत मुकदमा भी दर्ज है ? यदि हां, तो इन लोगों को अब तक नौकरी से पृथक क्यों नहीं किया गया और इनसे वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री हरि सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित चिकित्साधिकारियों तथा स्टोर कीपर को दिनांक 10 मई, 1981 को गिरफ्तार किया गया था। डा0 के0 सी0 चक्रवर्ती तथा डा0 (क0) ए0 कार के विरुद्ध एक-एक मामले में धारा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 120 बी0 भारतीय दण्ड विधान के अधीन, डा0 बी0 डी0 सिंह के विरुद्ध दो मामलों में क्रमशः धारा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 120 बी0 भारतीय दण्ड विधान, धारा 465/468/471/477-ए/420/409/120 बी0 भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन, तथा श्री केशव सिंह, स्टोर कीपर के विरुद्ध दो मामलों में धारा 465/468/471/477-ए/420/409/120 बी0 भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश, लखनऊ, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, उन्नाव और सीतापुर जिनका मुख्यालय लखनऊ में है, के न्यायालय में दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 को दाखिल कर दिये गये हैं। न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना संभव होगा।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न को जरा देख लें । उसकी चौथी लाइन आप देखें 9 या 10 मई, 1982 को साढ़े 12 लाख रुपया जो 1979-80 में पीलिया रोग तथा अन्य रोगों की दवाओं के लिये दिया गया था, उनको गबन करने, मानक दवाओं को न खरीदने एवं एक लाख के फर्जी भुगतान करने की बात है । और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि एक या दो मामले सही हैं । अगर ये मामले सही हैं तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके खिलाफ अब तक विभागीय कार्यवाही न करने के क्या कारण है?

श्री लोकपति

श्रीमन्, मामला सही है । विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत उनको निलम्बित कर दिया गया है । सतर्कता विभाग द्वारा जांच हो रही है और उनका मामला कोर्ट में चला गया है ।

श्री ऊदल–

जांच से यह सिद्ध हो गया है कि दवायें जो खरीदी गयी हैं वे मानक के अनुसार नहीं खरीदी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि सतर्कता विभाग ने जो जांच की थी वह आजमगढ़ जिला अस्पताल के सम्बन्ध में थी तो उसकी जांच के क्या क्या बिन्दु थे तथा क्या उनकी जांच में केवल एक दो ही मामले थे या तमाम तरीके के जो वहां भ्रष्टाचार हैं, फर्जी पेमेंट्स हुए हैं, या होते हैं, दवाओं की खरीद में भ्रष्टाचार है, 1980-81 में जो अस्पताल पर व्यय करने के लिये पैसा दिया गया था, उसमें जो भ्रष्टाचार है, उन पूरे मामलों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराने की आप कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जो स्पष्ट प्रश्न था और जिस मामले से सम्बन्धित है उस सम्बन्ध में आपको उत्तर दे दिया है ।

श्री पंचानन राय–

तीन चार प्रकार के मामले हैं । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि तीन चार मामलों में मुकदमें कायम किये गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जांच केवल इस मामले में हो रही है या तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में जांच हो रही है तथा जांच की एजेंसी क्या है ?

श्री लोकपति

पीलिया रोग सम्बन्धी दवा की खरीद में जो अनियमितायें अस्पताल में की गयी उसकी जांच सतर्कता विभाग द्वारा करायी जा रही है और मामला अदालत को सौंप दिया गया है ।

कैसरबाग सब्जी मंडी की नीलामी

*4–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कैसरबाग सब्जी मंडी की नीलामी 25-3-81 को दो लाख चालीस हजार पांच सौ रुपये में की, लेकिन बाद में उसी आदमी को यह ठेका 30-3-81 को एक लाख पचास हजार रुपये में दे दिया ? जिससे शासन को करीब 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

नीलामी में 25-3-81 को 2,40,600 रु0 की उच्चतम बोली आयी थी परन्तु बोली देने वाले ने 1/4 धनराशि जमा नहीं की । अतः 30-3-81 को पुनः नीलाम किया गया जिसमें एक अन्य व्यक्ति की उच्चतम बोली 1,50,000 रु0 की आयी । इस प्रकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी के जवाब से तो स्पष्ट है कि मंत्रीजी सब कुछ एडमिट कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन की ऐसी नीति है कि प्रथम बोली बोलने वाले को यानी सबसे ऊपर बोली बोलने वाले की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद एक चौथाई जमा करना होता है और जब वह नहीं जमा करता है तब द्वितीय बोली बोलने वाले को

पैसा जमा करने का आफर दिया जाता है और जब वह भी पैसा नहीं जमा करता है तब तृतीय बोली बोलने वाले को पैसा जमा करने को कहा जाता है ।

तो माननीय मंत्री जी प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोली बोलने वालों का नाम बतायेंगे और उन्होंने कितने-कितने रुपये की धनराशि दी थी तथा यदि प्रथम ने आफर नहीं लिया तो दूसरे को दिया गया और दूसरे ने नहीं लिया तो क्या तीसरे को दिया गया?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, प्रथम बोली राम् सोनकर की थी, द्वितीय बोली श्याम सोनकर की थी, तृतीय अजय कुमार जगदीश चन्द्र की थी। प्रथम ने नहीं लिया, द्वितीय को आफर किया गया, द्वितीय ने नहीं लिया तो तृतीय को आफर किया गया, तृतीय ने नहीं लिया तो तीनों को छोड़ कर पुनः बोली बुलाई गई। इसमें पांच हजार रुपया जमा कराया गया था।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने बोली बोलने वालों के नाम बतलाये, रुपया बतलाया, अब आप के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि नगर विकास प्राधिकरण के सचिव का नाम क्या है? उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

श्री अध्यक्ष–

सचिव के नाम से क्या मतलब है? प्रश्न का उत्तर तो दे दिया है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

सचिव कौन से हैं जिनहोंने नीलाम करवाया, बोली बुलवाई, जिन्होंने दूसरे को दे दिया, वह महामना कौन से पुरुष, कौन से अधिकारी हैं, नाम बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

सचिव का नाम बता दें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सचिव का नाम है सुकदेव त्रिपाठी। उनको विकास प्राधिकरण से हटा दिया गया है और सर्तकता विभाग से उनके विरुद्ध जांच कराई जा रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रथम बोली बोलने वाले किस दिन रुपया जमा किया और किस दिन रिफ्यूज किया, द्वितीय बोली बोलने वाले को किस दिन आफर दिया गया और किस दिन उसने रिफ्यूज किया तथा तीसरे बोली बोलने वाले को कब आफर दिया गया और किस दिन उसने रिफ्यूज किया?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

तिथि तो इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। सारे प्रकरण की जांच सर्तकता विभाग से करायी जा रही है क्योंकि शासन खुद समझता है कि इसमें कुछ मामला गड़बड़ है।

(प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी...

(कई सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े हो गये) (शोर)

श्री चेतराम गंगवार–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी सूचना को सही मान कर जब प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय बोली बोलने वाले रिफ्यूज कर दिए तो क्या इस नीलाम को कैन्सल करके पुनः नीलाम करवाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह तो कह दिया।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । मंत्री जी ने सदन में यह स्वीकार किया है कि शासन इस मामले में गम्भीर बात, भ्रष्टाचार है, इस बात को महसूस करता है। जब शासन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसमें गंभीर बात है और आरोप सत्य प्रतीत होते हैं तो क्या उस अधिकारी को निलम्बित करेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सर्तकता विभाग को दे दिया गया है। रिपोर्ट आयेगी और निलम्बन के बारे में लिखा गया तो जरूर किया जायगा।

श्री भीखा लाल–

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 30-3-81 को दुबारा बोली करायी गयी उसमें जो पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय व्यक्ति थे उन्हीं में से कोई बोली बोलने वाला है? यदि नहीं है, तो उसका नाम क्या है? . . . (व्यवधान)।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

बाप का नाम भी बताइयेगा क्योंकि बोली बोलते समय बाप का नाम भी लिखा जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, आप कृपया शान्त रहें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

इस वक्त उसका नाम तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन इन तीनों में से वह नहीं है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह लखनऊ का ही प्रश्न है। इसे आप स्थगित करा दें।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, उस व्यक्ति का नाम राजेन्द्र कुमार, मनोज कुमार है और इन तीनों में से वह नहीं है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि जिसने 25 तारीख को बोली बोली और 30 तारीख को ठेका दिया गया वह उसका सगा भाई है और इस तथ्य को माननीय मंत्री जी जानबूझकर छिपा रहे हैं। राजधानी की नाक के नीचे इतना बड़ा काण्ड हो रहा है। मान्यवर, या तो आप इसका स्पष्टीकरण दिला दें या इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रश्न आपने पूछा है पहले उसका उत्तर तो आने दें। प्रश्न का उत्तर पाये बिना ही मैं कैसे इसको कैंसिल अथवा स्थगित कर दूं। यदि समुचित उत्तर नहीं आयेगा तभी उसे स्थगित किया जा सकता है। आपने प्रश्न किया है कि जो राजेन्द्र कुमार मनोज कुमार है वह पहली बोली बोलने वाले का सगा भाई है, इसका उत्तर आ जाय।

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

हमको यह तो नहीं मालूम है कि वह उसका सगा भाई है, लेकिन यह मामला सर्तकता विभाग के पास है और इस बात की भी हम उससे जांच करा लेंगे कि वह उसका सगा भाई है या नहीं।

श्री जनार्दन प्रसाद लोधा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने

जो उत्तर दिया है कि यह मामला भी सतर्कता विभाग को भेज दिया जायेगा, यह केवल मामले को लटकाने की परम्परा है। मान्यवर, दो और दो चार होते हैं। उसके बाप का नाम भी नहीं बताया गया है। इसमें 90 हजार रुपये की बंगलिंग हुई है पांच दिन के अन्दर । इस तरह से यह स्वत: सिद्ध मामला है। इस तरह से यदि स्वत: सिद्ध मामलों को भी सतर्कता विभाग को भेजे जायेंगे तो वह सिर्फ मामले को लटकाने की ही बात होगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि इस पूरे मामले की जांच करके वे एक सप्ताह के अंदर उसकी रिपोर्ट सदन के अन्दर रखेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, मामला सतर्कता विभाग को पहले ही सौंपा गया है मैंने यह नहीं कहा कि अब हम इस मामले को वहां भेजेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी इस मामले की जांच करके प्राइमाफेसी भेज दें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जीने स्वयं स्वीकार किया है कि इस मामले में गड़बड़ प्रतीत होती है और उसके लिये जांच के आदेश दिये हैं । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब उनकी गड़बड़ प्रतीत हो गई तो उससे सम्बद्ध अधिकारी को निलंबित क्यों नहीं किया गया ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, जब तक कोई केस प्राइमा-फेसी बनकर नहीं आता तब तक निलंबित कैसे कर सकते हैं । .....(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस मामले में घोटाला हुआ है और उसके कारण ही सम्बन्धित अधिकारी को वहां से हटा दिया गया है । यह स्वीकार करने के बाद शासन उनके इस कार्य-कलाप से संतुष्ट नहीं था और घोटाले के कारण उन्हें हटा दिया । जब माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार करते हैं तो उन्हें निलम्बित न करने के क्या कारण थे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, कुछ गड़बड़ी प्रतीत होती है इसीलिये उस अधिकारी को हटा दिया गया और जांच के लिए सतर्कता विभाग को दे दिया गया । जब तक प्राइमाफेसाई मामला नहीं बने तो इस तरह से कैसे किसी को निलम्बित किया जायेगा ।

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[21-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 157 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की संख्या तथा रिजर्व बैंक की ओर से कार्य करने का लाइसेंस

*6–श्री बलबीर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में जिला सहकारी बैंक जिनकी संख्या 55 है जिनमें शासन भागीदार है, के पास रिजर्व बैंक की ओर से कार्य करने का लाइसेंस, कितनों के पास हैं और कितनों के पास नहीं है और क्यों ?

श्री लोकपति–

प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों की संख्या मात्र 54 है तथा एक बैंक सहारनपुर जिले में रुड़की कोआपरेटिव बैंक लि0 के नाम से कार्यरत है जिसको सम्मिलित करते हुए जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कुल संख्या 55 है। उपरोक्त में से 5 जिला सहकारी बैंक चमोली, उत्तरकाशी, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत को भारतीय रिजर्व

बैंक से लाइसेंस प्राप्त है । शेष 49 जिला सहकारी बैंकों तथा एक सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लाइसेंस निर्गत करने सम्बन्धी विषय भारतीय रिजर्व बैंक स्तर पर विचाराधीन है ।

श्री बलवीर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो 50 जिला सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के लाइसेंस के बगैर पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं उनको कितनी अवधि हो चुकी है और कौन-कौन अधिकारी उसके लिए दोषी हैं जिसके कारण से उनको लाइसेंस के बिना कार्य करने की इजाजत दी गयी है ? क्या उनको दंडित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, प्रश्न साफ नहीं हुआ । रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी बैंकों को कार्य करने की आज्ञा दे रखी है और मामला लाइसेंस देने का रिजर्व बैंक के अन्तर्गत विचाराधीन है यह उत्तर दिया है । यह प्रक्रिया है कि रिजर्व बैंक का जो कार्य बैंक कर रहे हैं उनको यह अनुमति है कि वह काम करते रहे तो उसमें कोई अनियमितता नहीं है और इसके लिए कोई दोषी नहीं है ।

श्री बलवीर सिंह–

मान्यवर, एक छोटा सा व्यापारी बगैर लाइसेंस के काम करता है तो उसका 3/7 में चालान हो जाता है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में उसे बन्द कर दिया जाता है। यह बड़े खेद की बात है कि 55 बैंकों में से 50 बैंक बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं और 15, 20 वर्ष से काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

देवरिया नगरपालिका एल0एस0जी0ई0डी0 द्वारा पानी की टंकी का निर्माण

*7–श्री रुद्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के देवरिया नगरपालिका एल0एस0जी0ई0डी0 द्वारा पानी की टंकी बनाई गयी है ? क्या यह सही है कि संबंधित नगरपालिका उसको अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले रही है ? यदि हां, तो न लेने का क्या कारण है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां ।

टंकी में कुछ कमी आ गयी है, जिसके कारण उसका हस्तान्तरण अभी सम्भव नहीं हुआ है ।

नगरपालिका मंसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा की प्रतिदिन की यात्री कर से आय

*8–श्री जसवन्त सिंह विष्ट (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मंसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा को टोल टैक्स से यात्रियों से प्रति दिन कितनी आय है उपरोक्त नगरपालिकायें चार आने से बढ़ा कर अब दो रुपया तक यात्रियों से टोल टैक्स वसूल कर रही है ? क्या शासन उपरोक्त नगर पालिकाओं में टोल टैक्स कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

नगरपालिका मंसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा की प्रति दिन की औसत आय क्रमशः रुपया 4,291, रु0 2,719 और रु0 2,037 है । स्थिति ऐसी नहीं । नगरपालिका मंसूरी में यात्री कर की दर मोटर कार अथवा मोटर साइकिल से आने वाले यात्रियों

पर रु0 2/- और बस से आने वाले यात्रियों पर रु0 1.50 पैसे प्रतियात्री है । नैनीताल में कार द्वारा आने वाले यात्रियों पर रु0 3.00 और बस द्वारा आने वाले यात्रियों पर रु0 2.00 प्रति यात्री है तथा अल्मोड़ा में यह दर रु0 1.50 प्रति यात्री है ।

जी नहीं ।

पर्वतीय क्षेत्रों की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है । ये स्थान केवल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इनकी आय का मुख्य स्रोत यात्री कर ही है । अतः इसे कम किया जाना जनहित में नहीं होगा ।

डाक्टर बी0 के0 श्रीवास्तव, उप निदेशक, मलेरिया द्वारा लिया गया नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स

*9–श्री श्याम लाल वाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 बी0 के0 श्रीवास्तव, उप निदेशक, मलेरिया एम0 बी0 बी0 एस0 न होते हुए भी नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स लेते हैं? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अवैध रूप से लिए गए एलाउन्स को डा0 श्रीवास्तव से वापस लेगी ?

श्री हरिसिंह–

जी नहीं । यह नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स नहीं लेते हैं । अतः किसी प्रकार की वसूली का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के जी नहीं से आजिज आ गया हूं । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डा0 श्रीवास्तव ने कभी कोई ऐसा आवेदन-पत्र दिया कि उन्हें नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स मिलना चाहिए? यदि हां, तो कब और क्यों नहीं दिया गया ?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, पहले यह परम्परा थी कि इस प्रकार के कुछ लोगों को नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स दे दिया जाता रहा और उसके संदर्भ में डाक्टर श्रीवास्तव ने भी दिया था जिसको शासन ने इंकार कर दिया और इस समय इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग में नान-प्रैक्टिसिंग एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है।

जनपद बांदा, ग्राम धुरौन्डा में टी0 बी0 रोग से ग्रस्त निवासी तथा रोकथाम हेतु उपाय

*10–प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत ग्राम धुरौन्डा के निवासी शत-प्रतिशत टी0 बी0 रोग से ग्रसित हैं ? क्या शासन ने इसकी कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? क्या उक्त रोग को समाप्त करने के लिए शासन की ओर से कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह–

जी नहीं । जांच में पाया गया कि वहां तीन रोगी हैं जिनमें से दो रोगियों का उपचार जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र बांदा में हो रहा है और एक रोगी परामर्श के उपरान्त भी उपचार हेतु उपस्थित नहीं हुआ । टी0 बी0 रोग की रोकथाम हेतु बी0सी0जी0 टीका दल की व्यवस्था की गयी है जो 20 वर्ष तक की आयु के लोगों को टीका लगाता है तथा नये रोगियों का पता लगाता है । इसके अतिरिक्त बांदा में रोग के उपचार हेतु एक जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र स्थापित है ।

प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित मैं यह जानकारी चाहूंगा कि क्या समाचार

पत्रों के माध्यम से जब यह जानकारी हुई थी कि ग्राम घुरौन्डा के शतप्रतिशत लोग टी0बी0 से प्रभावित हैं, तो शासन ने उसकी कोई जांच कराई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री हरि सिंह–

इसमें बाकायदा गांव की जांच की गयी और जांच की कार्यवाही तीन बार इसमें हुई और जैसा मूल उत्तर में कहा है वहां पर केवल तीन रोगी टी0 बी0 से पीड़ित पाये गये । इसके अलावा वहां कोई इस रोग से पीड़ित नहीं है ।

प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा–

वास्तव में वहां पर 300 लोग टी0 बी0 से पीड़ित हैं तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि वह वहां पर इस संबंध में जांच के लिए एक टीम भेजेंगे और उससे जांच करा कर रोगियों का इलाज कराने की व्यवस्था करेंगे ? यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है और वहां पर सारे गरीब लोग रहते हैं, जो जिला मुख्यालय पर आकर अपना इलाज कराने में बिलकुल असमर्थ हैं, तो क्या अविलम्ब वह उनकी दवा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति–

वहां पर जांच हो चुकी है, माननीय सदस्य कह रहे हैं तो पुनः दल भेजकर जांच करा ली जायेगी ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह तो एक स्थानीय प्रश्न है, इसमें आप सब क्या पूछेंगे ?

श्री चेतराम गंगवार–

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, क्या एक्सरे मशीन उस गांव में ले जाकर जांच की गयी या ग्रामीणों को वहां लाया गया और एक्सरे हुआ? और उसकी क्या जांच रिपोर्ट है ?

श्री लोकपति–

इसमें बलगम व खून की जांच होती है, उसमें यदि पाया जायेगा कि टी0 बी0 के कीटाणु हैं तो उस रोगी को एक्सरे मशीन पर ले जाकर एक्सरे करा लिया जायेगा। इसमें ऐसी सूचना केवल 3 व्यक्तियों के बारे में मिली है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि यह तपेदिक की बीमारी बांदा जिला सहित समस्त बुन्देलखण्ड में व्यापक रूप से है और उन्होंने जो जांच कराई है वह किस अधिकारी से कराई है? और क्या वह अधिकारी बांदा जनपद का ही है?

श्री लोकपति–

श्रीमन् इसमें दो बात हो गई, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि भविष्य में टी0 बी0 के रोकथाम के लिए आवश्यक है कि सम्मानित सदस्य अपने क्षेत्र में परिवार कल्याण का प्रचार करें और परिवार कल्याण करेंगे तो क्षय रोग नहीं होगा। टी0बी0 एक्सपर्ट की बी0 सी0 जी0 टीम इस गांव में गयी थी।

श्री बिहारी लाल–

पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों में भी यह बीमारी काफी है, तो उसकी रोकथाम के लिए वहां कोई कार्यवाही क्यों नहीं कराई जा रही है, जिससे उसका पता चल सके? अल्मोड़ा टी0 बी0 सेनीटोरियम में उनको रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या मंत्री जी इस बारे में कोई विचार कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए वह कैसे बता दें, इसको आप अलग से पूछ लीजिएगा ।

स्वास्थ्य केन्द्र रुधौली के सेनेटरी इंसपेक्टर के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा कृत कार्यवाही

*11–श्री दिवाकर विक्रम सिंह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि बस्ती जनपद के स्वास्थ्य केन्द्र रुधौली के सिनेटरी इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्षेत्रीय जनता की कई शिकायतें मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती को 1-7-80 से 15-2-81 के बीच प्राप्त हुई है और उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वितीय ने कोई जांच भी की है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उप मुख्य चिकित्साधिकारी की जांच आख्या क्या है?

श्री हरि सिंह–

जी हां, प्राप्त शिकायतों की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती ने की है। शिकायतें निम्नलिखित हैं :—

(1) सम्बन्धित सेनेटरी इंसपेक्टर माहवार एवं सालाना पैसा मांगते हैं।

(2) लाइसेन्स बनाने के लिये 50/- रु0 लेते हैं किन्तु फिर भी लाइसेन्स नहीं देते ।

(3) दूध, मसाला, तेल, घी आदि दैनिक उपभोग का सामान लेकर पैसा नहीं देते और पैसा मांगने पर चालान करने की धमकी देते हैं।

जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल उनका स्थानान्तरण बस्ती जिले से गोरखपुर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें माननीय माता प्रसाद जी रुचि दिखा रहे थे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसा प्रश्न के उत्तर में आया है उसके संबंध में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जांच आख्या क्या है ? यह तो बता दिया कि जांच इन-इन बिन्दुओं पर की गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह दोषी पाए गए ? यदि पाये गये तो ट्रांसफर ही क्यों किया गया, उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया?

श्री लोकपति–

जांच में जो तथ्य आये हैं उन पर कार्यवाही आगे की जायेगी न्यायपालिका द्वारा, उनको निलम्बित कर दिया गया है।

जनपद आगरा की तहसील किरावली में पेयजल समस्या

*12–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली का पेयजल प्राय: खारी है? यदि हां, तो इस पेयजल समस्या का कोई स्थायी हल शासन निकालेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां, तहसील किरावली के लगभग 60 प्रतिशत ग्रामों का पेयजल खारी है, जिसके हल हेतु 3 चालू योजनाओं के अन्तर्गत 12 ग्राम सम्मिलित हैं। शेष के लिये 8 योजनाओं का विरचन किया जा रहा है।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि तहसील किरावली में लगभग 60 प्रतिशत ग्रामों का पेयजल खारी है। यह सूचना उनके अधिकारियों द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर आधारित है जो सही नहीं है। वहां पर 291 गांव छोटे और बड़े हैं जिनमें से 233 गांव का पानी खारा है जो 80 प्रतिशत है लेकिन मंत्री जी ने केवल

60 प्रतिशत गांवों की संख्या मानी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 3 पेयजल योजनायें चल रही हैं उनके अन्तर्गत कौन-कौन से गांव सम्मिलित हैं और शेष जो 8 योजनायें, जिनका विरचन किया जा रहा है, में कितने गांव लिये जा रहे हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मान्यवर, जाजऊ ग्राम समूह पेयजल योजना में जिनकी अनुमानित लागत 20.54 लाख रुपया है में 5 अभावग्रस्त ग्राम अक्षरश: मलिकपुर, सरसा, अबगरा, नूरपुर तथा अंधेरा एवं जाजऊ हैं। सिंगारपुर ग्राम समूह पेयजल योजना जिसकी अनुमानित लागत 6.66 लाख रुपये हैं इसमें अभावग्रस्त ग्राम पशूमाना तथा 3 अभावग्रस्त ग्राम अक्षरश: सिंगारपुर, निगवाया एवं वमनपुरा है। तीसरी साधन ग्राम समूह पेयजल योजना में, जिसकी अनुमानित लागत 8.05 लाख रुपया है, 4 अभावग्रस्त ग्राम अक्षरश: साधन, फतेहपुर, खीरी सघन तथा बसईया राजपूत है।

ये तीन पेयजल योजनायें हैं।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह नहीं बताया कि जिन 8 योजनाओं का विरचन किया जा रहा है उनमें कौन-कौन से गांव शामिल हैं?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

उन गांवों के नाम इस समय उपलब्ध नहीं हैं, जो विरचन हो रहे हैं।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, 8 योजनाओं का विरचन हो रहा है, तहसील किरावली में 80 प्रतिशत पानी खारी है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 8 योजनाओं में किन-किन गांवों को शामिल किया जा रहा है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मैंने निवेदन किया कि इन गांवों के नाम इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बदन सिंह–

माननीय मंत्री जी ने 3 योजनाओं के नाम बताये हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह जानकारी दे रहा हूं कि वे 3 नहीं 4 योजनायें हैं। एक और योजना है लेकिन अभी तक उस योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या उस योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित कराकर उसमें पड़ने वाले ग्रामों को पानी दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उस पर तुरन्त कार्यवाही कराऊंगा।

ग्राम सभा छांजन के निवासियों को ग्राम दहावा स्थित साधन सहकारी समिति की दुकान द्वारा चीनी तथा मिट्टी के तेल का वितरण

*13–श्री गजेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा छांजन, ब्लाक कसमंडा, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर की राशन की कंट्रोल की दुकान जो ग्राम दहावा में स्थित है, से पिछले कई महीनों में कोई भी सामान वहां के निवासियों को वितरित नहीं किया गया है? क्या इस संबंध में खाद्य मंत्री जी को ग्राम सभा छांजन के निवासियों का कोई पत्र सितम्बर, 1981 में मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

ग्राम सभा छांजन के निवासियों को चीनी तथा मिट्टी का तेल प्राप्त करने की

व्यवस्था ग्राम दहावा स्थित साधन सहकारी समिति की दूकन द्वारा की गई है। उक्त समिति ने गत वर्ष नौ महीनों में उक्त ग्राम सभा में चीनी वितरित की है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत दूकान के माध्यम से उक्त ग्राम सभा के निवासियों को मिट्टी का तेल भी उपलब्ध कराया गया है।

ग्राम सभा छांजन के निवासियों की ओर से कथित शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

नलकूपों के निर्माण में पी0 ग्रेविल आपूर्ति करके लाखों रुपए का फर्जी भुगतान

*14–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम के गोरखपूर व आजमगढ़ में कार्यरत यांत्रिकीय शाखाओं में वर्ष 1978-79 व 80 में नलकूपों के निर्माण में पी0 ग्रेविल के ठेकेदारों ने लालकूआं की जगह नौतनवां की सस्ती व घटिया, पी0 ग्रेविल आपूर्ति करके, लाखों रुपये का फर्जी भुगतान लिया है? यदि हां, तो वास्तविकता का पता लगाने के लिए पी0 ग्रेविल की टेक्निकल जांच कर क्वालिटी चेक करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नन्द किशोर सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि वर्ष 1978-79 व 80 में गोरखपूर व आजमगढ़ में लालकूआं की जगह नौतनवां की सस्ती व घटिया पी0 ग्रेविल आपूर्ति करके, लाखों रुपये का फर्जी भुगतान लिया है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में 'जी हां' कहा है? क्या यह सही है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मैंने 'जी नहीं' कहा है।

श्री नन्द किशोर सिंह–

मान्यवर, 3 साल में वहां पर कुएं लगवाये गये। लालकूआं की जगह नौतनवां की सस्ती व घटिया पी0 ग्रेविल आपूर्ति करके लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान लिया गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी किसी एक ट्यूबवेल की जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मैंने जैसा कि पहले भी कहा अपने उत्तर में कहा है कि मैंने 'जी नहीं ,प्रश्न नहीं उठता' पढ़ा था।

श्री नन्द किशोर सिंह–

मान्यवर, उस समय गोरखपुर के अधिकारियों में बहुत झगड़ा हो रहा था तो मेरी जानकारी को सही मानकर क्या माननीय मंत्री जी इन नलकूपों की जांच कराकर मामले को साफ करेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

माननीय सदस्य जिन नलकूपों की जांच करवाना चाहते हैं यदि वे मुझे उनके बारे में लिख कर देंगे मैं जांच करवा लूंगा।

टाउन एरिया कमेटी, गोला बाजार के सफाई मजदूरों का बकाया वेतन

*15–श्री मारकण्डेय चन्द्र (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपूर जनपद के गोला बाजार टाउन एरिया के सफाई मजदूरों का वेतन पिछले 10 महीनों से बकाया है? यदि हां, तो क्या इसे शीघ्र दिलाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

टाउन एरिया कमेटी गोला बाजार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण उसके सभी कर्मचारियों का आठ माह का वेतन बकाया है। जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर को आदेश दिये गये हैं कि वे बकाया वेतन के भुगतान को तत्परता से सुनिश्चित करायें।

साधन सहकारी समिति लि0 कबूलपुर, जनपद जौनपुर द्वारा नेहरूनगर में ग्रामीण गोदाम का निर्माण

*16–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज के अन्तर्गत ग्राम नेहरूनगर में बीज गोदाम का निर्माण कार्य गत वर्ष प्रारम्भ किया गया था और एक वर्ष के अन्दर मात्र उसकी नींव पड़ कर कार्य रुक गया? क्या यह भी सत्य है कि विभागीय कर्मचारियों के गोलमाल के कारण उक्त निर्माण कार्य रुका पड़ा है? क्या सरकार अनियमितता को दूर कर इस बीज गोदाम को शीघ्र निर्मित करायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति–

जी हां।

साधन सहकारी समिति लि0 कबूलपुर, विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज, जनपद जौनपुर द्वारा नेहरूनगर में ग्रामीण गोदाम का निर्माण माह मार्च, 1980 में प्रारम्भ किया गया था। निर्माण कार्य के प्रारम्भ होने के बाद समिति के तत्कालीन सचिव के पलायित हो जाने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया था। अब समिति में नये सचिव की नियुक्ति हो चुकी है परन्तु भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हो जाने के कारण पूर्व स्वीकृत पैंतीस हजार रुपये की लागत से गोदाम का निर्माण कराना सम्भव नहीं है।

श्री प्रभू नारायण सिंह–

इस विभाग में एक तरफ तो भ्रष्टाचार किया गया है और दूसरी तरफ समय का दुरुपयोग किया गया जिसके कारण जनता को वांछित सुविधा नहीं प्राप्त हो सकी, इसके बाद भी अधिक धन की मांग कर रहे हैं। तो क्या अधिक धन मांगने से अधिक धन का दुरुपयोग नहीं होगा? जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री लोकपति–

श्रीमन्, उन्होंने कोई घपला नहीं किया। यह बात थी कि सचिव अपने स्थान से चले गये। नींव में 11 हजार रुपये का खर्च आया। यह भारत सरकार की एक योजना है और उनसे लिखा पढ़ी चल रही है आंकलन बढ़ाने के लिये। इसमें घपले की बात नहीं है।

श्री प्रभू नारायण सिंह–

मान्यवर, बीज गोदाम बनवाने में घपले हो रहे हैं और मेरे क्षेत्र में ही 4 बीज गोदाम के बनवाने में घपले हुये और उनके निर्माण कार्य को रोक दिया गया 4 बीज गोदाम जिनके बारे में घपले की शिकायत है वे हैं – एक किलछती में, एक राजेपुर में, एक कुसिया में और एक मजनवां में। आप इनकी जांच करवा कर देख लें कि इनके निर्माण में घपले हुए हैं या नहीं? क्या इनके निर्माण का दायित्व मंत्री जी किसी दूसरे विभाग को देंगे?

श्री लोकपति–

इसकी जांच करवा लेंगे ।

जिला पूर्ति अधिकारी, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों की जांच

*17–श्री खैरुल बशर–

दिनांक 19-9-81 को विधान सभा में नियम 301 के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार और सीमेन्ट के घोटाले के गम्भीर आरोप के सन्दर्भ में क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सही है कि उसका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया था? यदि हां, तो वह अधिकारी जनपद आजमगढ़ में कैसे रुका हुआ है?

श्री वासुदेव सिंह–

माननीय सदस्य ने दिनांक 16-9-81 को नियम 301 के अन्तर्गत नोटिस दी थी न कि दिनांक 19-9-81 को। नोटिस में इंगित भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोपों की जांच करायी गयी। जांच में ऐसे तथ्य उपलब्ध नहीं हुए कि जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। जिला पूर्ति अधिकारी का स्थानान्तरण देवरिया जनपद के लिये 1-8-81 को किया गया था, किन्तु दिनांक 17-8-81 को आदेश स्थगित कर दिया गया था।

श्री खैरुल बशर–

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने जांच की और उस अधिकारी ने किन-किन लोगों के बयान लिये ?

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, अतिरिक्त जिलाधिकारी ने जांच की। उनका साक्ष्य हमारे पास यहां नहीं है, उनकी रिपोर्ट है।

श्री खैरुल बशर–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के, आजमगढ़ के सप्लाई आफीसर का ट्रान्सफर किस अधिकारी ने किया था और क्यों तथा उनको दुबारा, उनका स्थानान्तरण निरस्त करके किस अधिकारी ने उन्हें पुनः जाने की अनुमति दी?

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, ट्रान्सफर इनका हुआ था और ट्रान्सफर को रोक दिया गया था। अतिरिक्त जिलाधिकारी की रिपोर्ट है, बाद में जिलाधिकारी ने लिखा कि इनका ट्रान्सफर हो जाय, तो मैंने आदेश दे दिया कि इनका ट्रान्सफर कर दिया जाय हमीरपुर, लेकिन हमीरपुर जाने से पहले वह पद भर गया, इसलिये मैंने उनको अन्यत्र तैनात करने का प्रस्ताव भेजने का आदेश दे दिया है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिला पूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ के भ्रष्टाचार के कौन-कौन से आरोप थे और किन-किन आरोपों की जांच कराई गई थी?

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, सीमेन्ट के वितरण के संबंध में शिकायत की गयी थी और यह पाया गया कि जिला पूर्ति अधिकारी, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उसने मात्र 6 प्रार्थना-पत्रों पर सीमेन्ट दिया, शेष जिलाधिकारी के निर्देश पर दूसरे अधिकारी ने बांटा, इसलिए प्रत्यक्षतः कोई केस जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध नहीं बनता।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, आजमगढ़ जिले के सप्लाई विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन है और जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 3 महीनों में 14 हजार बोरी सीमेन्ट मऊनाथ भंजन में

बांटा गया जबकि मकान बनवाने वालों को नक्शे के साथ 5 बोरी लिंटर लगाने का दिया था और ऐसे आदमियों को 50-50 बोरियां दी गयी थीं जिनके नाम का पता नहीं है और न उनके घर का पता है । तो सप्लाई आफीसर और ए0 डी0 एम0 ये दोनों अधिकारियों ने लाखों रुपये का घपला किया है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी खुली जांच कराने का आदेश देंगे?

श्री अध्यक्ष–

ए0 डी0 एम0 के बारे में तो आपने कोई प्रश्न नहीं किया था, जिला पूर्ति अधिकारी के बारे में आपने पूछा था, वह माननीय मंत्री जी ने बता दिया।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, डी0 एस0 ओ0 आफिस से जो परमिट जारी हुआ होगा और जिस व्यक्ति ने परमिट लिया होगा, क्या उसने वास्तव में उसका उपयोग किया है कि नहीं ? इसके बारे में स्थूल जांच की गयी कि नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, यह सीमेन्ट के वितरण का मामला है। जहां तक जिला पूर्ति अधिकारी का संबंध है, मैंने निवेदन किया कि उसने और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, अब उसका हम खण्डन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास सारे तथ्य हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कुछ प्रार्थना-पत्रों पर 40 और 50 बोरी, एक प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी ने 200 बोरी नगरपालिका मऊ को दिया, शेष 40 से ज्यादा बढ़ा नहीं और जो भवन निर्माण के लिये कह रहे हैं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर 5 से लेकर 18 बोरी तक बहुत से परमिट दिये गये और 50 बोरी का परमिट नहीं दिया गया। अब जहां तक जिला पूर्ति अधिकारी के बारे में बात है, उन्होंने केवल 6 प्रार्थना-पत्रों पर, जिनमें से 2 प्रार्थना-पत्रों पर 5-5 बोरी, 2 प्रार्थना-पत्रों पर 30-30 बोरी एक प्रार्थना-पत्र पर 15 बोरी, एक प्रार्थना-पत्र पर 40 बोरी दिया। इसलिये उसके विरुद्ध कोई केस नहीं बनता।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, एक प्रश्न और करने की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं। मैंने 5 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन्स एलाउ कर दिये। अब नहीं।

मिर्जापुर कैमूर रेन्ज के विकास खण्डों की सहकारी समितियों के सचिवों को विभागीय मान्यता

*18–श्री विजय सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर कैमूर रेन्ज के दक्षिण में स्थित 4 विकास खण्डों (चोपन, दुद्धी, म्योरपुर, और बमनी) के सहकारी समितियों के सचिवों को अब तक विभागीय मान्यता नहीं दी गयी जबकि बाकी 16 विकास खंडों के सहकारी समितियों के सचिवों को 1978 में ही स्थायी मान्यता दे दी गयी थी? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त चारों विकास खण्डों के सहकारी समितियों के सचिवों को हटा कर नये सचिवों की नियुक्ति की जा रही है?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी हां।

क्योंकि उक्त क्षेत्र में दीर्घाकार बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण न्याय पंचायत स्तरीय समितियों का पुनर्गठन नहीं हुआ और पुनर्गठित समितियों के क्षेत्र में कार्यरत सचिवों के ही स्क्रीनिंग के आदेश थे।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद फैजाबाद में सीमेन्ट तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी विषयक शिकायती-पत्र

*19–**श्री मित्रसेन तथा श्री राम गोविन्द–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों की इंगित करते, आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक तथा जनता पार्टी के भू0पू0 एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का मुख्य मंत्री जी को संबोधित तथा मुख्य सचिव, उ0 प्र0 एवं जिला अधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित दिनांक 23-9-81 का रजिस्टर्ड शिकायती पत्र शासन को मिल गया है जिसमें जनपद फैजाबाद में सीमेन्ट तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी की गम्भीर शिकायतें हैं? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मित्रसेन–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी और कब तक सदन के सामने आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अगली बार आ जायेगी 15 दिन का मौका रहता है।

साधन सहकारी समिति मांझनपुर, बाराबंकी के कतिपय कर्मचारियों द्वारा सर्वश्री सरदार अहमद व मो0 आरिफ के नाम से कर्ज के रूप में निकाली गई रकम पर कृत कार्यवाही

*20–**श्री प्रदीप कुमार यादव (अनुपस्थित)–**

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि सर्वश्री सरदार अहमद व मो0 आरिफ (भट्टा मवई इंदारा) विकास खण्ड मवई तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी सदस्यगण साधन सहकारी समिति मांझनपुर, बाराबंकी व उसी समिति के बहुत से अन्य सदस्यों ने अप्रैल-जून, 1981 की अवधि में सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, बाराबंकी, जिला अधिकारी, बाराबंकी व निबंधक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 लखनऊ को शिकायती पत्र दिये कि माह जून व जुलाई, 1977 तथा जून, 1978 में उनके नाम से उस समिति के कतिपय कर्मचारियों ने जाल व षडयंत्र कर भारी रकम कर्ज के रूप में निकाल लीं और उन कर्जों से संबंधित प्रोनोटों पर उनके निशान अंगूठा हस्ताक्षर तक फर्जी बनाये गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उन मामलों को पुलिस के सुपुर्द न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[माननीय सदस्य जेल में हैं प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्रानुसार पेयजल सुविधा कराने का प्रयास

1–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्रानुसार किन-किन गांवों में उ0 प्र0 जल निगम योजना के अनुसार पेयजल सुविधा पहुंचाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रयास किया जायेगा ? क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र माह अक्तूबर, 1980 से 30-4-1981 तक शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्रानुसार निम्नलिखित पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत उ0 प्र0 जल निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा :–

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	पेयजल योजना का नाम	गांव का नाम जिसमें पेयजल का प्रयास किया जायेगा
1	2	3	4
	1–बांस गांव	भैसा बाजार ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद–गोरखपुर	1–भैसाबाजार एवं नथुवा 2–थेसरिया 3–विकभैंसा 4–उनाला 5–डरिहर भैंसा 6–देवघाट 7–महुआपार 8–मजरा
	2–चिल्लूपार	खण्डेसरी ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद–गोरखपुर	1–खण्डेसरी 2–नरहरपुर 3–चिल्लूपारा 4–कल्याणपुर 5–वसवापुर 6–सिधवापुर 7–सिश्रौली
	3–चिल्लूपार	गगहा ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद–गोरखपुर	1–अदखौरी 2–कलनेपुर 3–धोबिया 4–मेहडीहा 5–बेलही
	4–मानीराम	जंगल कौडिया ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद–गोरखपुर	1–जंगल कौड़िया 2–पलिया 3–चिनौथा 4–रायपुर 5–रासूलपुर चकिया
	5–सिसवां	निचलौल ग्राम समूह पेयजल योजना जनपद–गोरखपुर	1–निचलौल (जिगनहवा) 2–गड्डहवा 3–(बरगदहवा) 4–टिक्ल हवा 5–कपरौली 6–ओबरी।

ख–प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1981 शासन को प्राप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को मामले में समुचित निर्देश दे दिये गये हैं।

गोरखपुर जनपद के कतिपय बाजारों को मिलाकर टाउन एरिया घोषित करने पर विचार

2–श्रीमती गौरी देवी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के पिपरौली बाजार, गजपुर व भौवापार के आस-पास सटे हुए 1 कि0 मी0 के अन्दर बसे गांवों को मिलाकर उन्हें टाउन एरिया घोषित कर उनके विकास हेतु मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

निर्धारित अर्हताओं के पूरा न होने के कारण उक्त क्षेत्रों में टाउन एरिया घोषित किया जाना सम्भव नहीं है ।

3–श्रीमती गौरी देवी–

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका बिल्हौर, जनपद कानपुर में स्वीकृत अनुदान

4–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) को वर्ष 1979–80 एवं वर्ष 1980–81 में कब-कब व कितना-कितना तथा किन-किन प्रयोजनों के लिए अनुदान स्वीकृत हुआ और क्या उन अनुदानों से ठेका पद्धति पर कार्य करवाये गये ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

प्रश्नगत पालिका को वर्ष 1979–80 व वर्ष 1980–81 में स्वीकृत किये गये अनुदानों का प्रश्नानुसार विवरण निम्न तालिका में दर्शित है :–

स्वीकृत किए जाने का वर्ष	स्वीकृत किए जाने का दिनांक	स्वीकृत की गयी धनराशि रु0	अनुदान का प्रयोजन	कार्य कराने की पद्धति
1979–80	23–7–1979	30,000 (सामान्य सड़क अनुदान)	सड़कों के सामान्य अनुरक्षण, सुधार, नवीनीकरण एवं नालियों को जोड़ने हेतु।	ठेका पद्धति
1979–80	27–2–1980	1,00,000 (विशेष सड़क अनुदान)	जैसा ऊपर दर्शित है।	ठेका पद्धति
1980–81	26–9–80	30,000 (सामान्य सड़क अनुदान)	जैसा ऊपर दर्शित है।	ठेका पद्धति
1980–81	9–1–81	1,12,250 (बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु)	जैसा ऊपर दर्शित है।	ठेका पद्धति

स्वीकृत किए जाने का वर्ष	स्वीकृत किए जाने का दिनांक	स्वीकृत की गयी धनराशि रु0	अनुदान का प्रयोजन	कार्य करने की पद्धति
1980–81	28–1–81	36,000 (बाढ़ एवं अति-वृष्टि से क्षति ग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु)	सड़कों के सामान्य अनुरक्षण सुधार, नवीनीकरण एवं नालियों को जोड़ने हेतु ।	ठेका पद्धति
1980–81	16–2–81	1,00,000 (विशेष सड़क अनुदान)	जैसा ऊपर दर्शित है ।	ठेका पद्धति
1980–81	23–1–81	10,000	क्षतिग्रस्त जल सम्पूर्ति योजनाओं की मरम्मत हेतु ।	कोटेशन पद्धति
1980–81	4–3–81	10,000	जैसा ऊपर दर्शित है ।	कोटेशन पद्धति
1980–81	23–3–81	50,000	बाढ़ से प्रभावी क्षेत्र की जलोत्सारण एवं ड्रेन्स की मरम्मत हेतु ।	ठेका पद्धति

जनपद बस्ती में स्वीकृत एवं विचाराधीन योजनायें

5–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में 1978–79, 1979-80, 1980-81 व 1981-82 के वर्षों में कौन-कौन सी पेयजल योजनायें स्वीकृत हुई हैं और कौन-कौन विचाराधीन हैं ? उनमें प्रत्येक में कितना धन व्यय किया गया अथवा किया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जनपद बस्ती में 78–79, 79–80, 80–81 एवं 81–82 में स्वीकृत एवं विचाराधीन पेयजल योजनाओं तथा उनमें प्रत्येक में किया गया व्यय अथवा प्रस्तावित व्यय के विवरण नत्थी हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1115 पर ।)

जिला चिकित्सालय, हरदोई में कर्मचारियों तथा स्थानीय पत्रकारों को लोकल पर्चेज की दवा की सुविधा

6–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय हरदोई में स्थानीय पत्रकारों तथा कर्मचारियों को दवाओं के लोकल पर्चेज की सुविधा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितना बजट 1979–80, 1980–81, 1981–82 में दिया गया ? सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय पत्रकारों के नाम से उपरोक्त वर्षों में कितने रुपये की दवा का लोकल पर्चेज किया गया ?

श्री लोकपति–
सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हरदोई नगर के सौंदर्यीकरण की योजना

7–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–
क्या नगर विकास मंत्री बतलायेंगे कि हरदोई नगर के सौंदर्यीकरण के लिये शासन में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसके लिये शासन ने कितने रुपये का प्राविधान किया है ? उक्त योजना का प्रारूप क्या होगा तथा किस-किस स्थान पर सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–
जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ-कानपुर रोड स्थित सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मोहल्ला तथा सिंचाई विभाग कालोनी के मध्य स्ट्रीट लाइट तथा सड़क निर्माण संबंधी प्रार्थना-पत्र

8–श्री राम आसरे वर्मा–
क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में लखनऊ–कानपुर रोड स्थित सुभाष नगर (भोला खेड़ा), मोहल्ला तथा सिंचाई विभाग कालोनी के मध्य 13 फीट खाली जगह पर स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रश्न विचाराधीन है? यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में कब तक स्ट्रीट लाइट लग जायेगी ? इस संबंध में कितने विधायकों तथा क्षेत्रीय जनता के प्रार्थना पत्र प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को दिनांक 21–10–81 तक प्राप्त हुये हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–
लखनऊ में लखनऊ–कानपुर रोड स्थित सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मोहल्ला तथा सिंचाई विभाग कालोनी के बीच 13 फीट चौड़े भूखण्ड का स्वामित्व सिंचाई विभाग का होने के कारण वहां पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था नहीं की गई है। इस संबंध में 21-10-81 तक प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ को दो विधायकों के पत्र प्राप्त हुए थे ।

9–श्री राम आसरे वर्मा–
क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में लखनऊ-कानपूर रोड स्थित सुभाषनगर (भोला खेड़ा) मोहल्ला तथा सिंचाई विभाग कालोनी के मध्य 13 फीट खाली जगह पर सड़क बनवाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को अनेक विधायकों तथा क्षेत्रीय जनता के प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-10-81 तक प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में कब तक सड़क बन जायेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–
लखनऊ में लखनऊ-कानपुर रोड स्थित सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मोहल्ला तथा सिंचाई विभाग कालोनी के मध्य 13 फीट खाली जगह पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व होने के कारण सड़क बनाने का दायित्व नगर महापालिका का नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को दो विधायकों के पत्र अक्तूबर, 1981 में प्राप्त हुए थे।

10–श्री राम आसरे वर्मा–
[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम भोलाखेड़ा, आलमबाग, लखनऊ में श्री मंकू द्वारा बनाया गया अनधिकृत मकान व कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही

11–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित ता0 प्र0 सं0 10 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यवाही पूर्ण न किये जाने में इतने विलम्ब हेतु कौन उत्तरदायी है और सही तथ्य क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

12–श्री मोती लाल दहेलवी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बिल्हौर नगरपालिका द्वारा पुलिया व नाली का निर्माण

13–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद कानपुर स्थित रामलीला मैदान बिल्हौर नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आ गया है? यदि नहीं, तो नगरपालिका, बिल्हौर द्वारा 1980-81 में रामलीला मैदान की निर्मित कराई गई पुलिया व नाला किन नियमों के अन्तर्गत बनवाया गया तथा उस पर कितना धन खर्च किया गया?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

रामलीला मैदान नगरपालिका, बिल्हौर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आया है । जन सुविधा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत करते हुए पालिका द्वारा 1980-81 में रामलीला मैदान की उत्तरी सीमा एवं जी0 टी0 रोड की दक्षिणी सीमा के मध्य यू0 पी0 म्यूनिस्पैलटीज एक्ट, 1916 की धारा 189(1) एवं 190 के अन्तर्गत नाली एवं एक छोटी पुलिया का निर्माण कराया गया है जिसमें 7127.75 रुपये का व्यय हुआ है।

हथकरघा निगम उ0 प्र0 को अस्पतालों में पट्टी की सप्लाई हेतु दिया गया ठेका

14–श्री उदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में पट्टी की सप्लाई हेतु हथकरघा निगम उ0 प्र0 को पुनः ठेका दे दिया गया जो 24 रु0 की जगह 38 रु0 थान है ? क्या शासनादेश 193 एम0 25-1-79 के तहत यह ठेका किया गया है? यह सत्य है कि पट्टी सप्लाई की गयी और निगम खरीद कर सप्लाई करता था? यदि हां, तो पुनः ठेका देने का आधार क्या है?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

15–श्री किरनपाल सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के खाद्य व आपूर्ति अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार घोटाले की जांच कराने से संबंधित प्रश्नकर्ता का 19 दिसम्बर, 1980 का कोई पत्र उन्हें मिला था? यदि हां, तो उसमें क्या कोई जांच कराई गई? क्या जांच के तथ्यों के आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह–

प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है, अतः शेष का कोई प्रश्न नहीं उठता।

16–श्री जटाशंकर सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री शुकदेव प्रसाद पाण्डेय, ग्राम भटेरा कलां, जिला बहराइच द्वारा क्रय किया गया गेहूं व उसका भुगतान

17–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि गेहूं क्रय केन्द्र सहकारी संघ बेहड़ा, ब्लाक शिवपुर, जनपद बहराइच ने शुकदेव प्रसाद पाण्डेय, ग्राम भटेरा कलां जिला बहराइच से गेहूं क्रय किया जिसका पर्चा काश्तकार विवरण दिनांक 29-6-78 पर्चा नं0 448113 धन 1198-92 रु0 एवं दिनांक 13-2-78 पर्चा नम्बर 448117 चेक नं0 001321 धन 2887-36 रु0 कुल 4086-28 रु0 है और उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है और भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री बच्चा पाठक–

श्री शुकदेव प्रसाद पाण्डेय, ग्राम भटेरा कला, जिला बहराइच से रु0 4086.28 का गेहूं क्रय किया गया था जिसका भुगतान जिला सहकारी बैंक लि0, बहराइच के चेक संख्या 009957, दिनांक 27-7-81 द्वारा किया जा चुका है ।

बहराइच जनपद स्थित नानपारा नगर को नगरपालिका बनाये जाने की योजना

19–श्री जटा शंकर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका घोषित किये जाने हेतु समस्त अर्हताओं से युक्त बहराइच जनपद स्थित नानपुर नगर को नगरपालिका बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो घोषणा कब तक हो जायेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मामला शासन के विचाराधीन है।

जनपद बहराइच स्थित मिहीपुरवा कस्बे को टाउन एरिया घोषित किये जाने पर विचार

19–श्री जटा शंकर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 में 1ले गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0 119 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच स्थित मिहीपुरवा कस्बे को टाउन एरिया घोषित कर दिया जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मामला शासन के विचाराधीन है।

प्रा0 स्वा0 केन्द्र मोरना, मुजफ्फरनगर में नियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

20–श्री कूबेर भंडारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र मोरना, मुजफ्फरनगर, में नियुक्त प्रत्येक बी0 एच0 सी0 छिड़काव कार्यकर्ता विभागीय कर्मचारी व अधिकारी ने जुलाई, 1981 में 30 रुपये वसूल किए जिसके संबंध में उक्त कार्यकर्ताओं ने जुलाई, 81 में मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर को पत्र लिखकर सूचना दी? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री लोकपति–

एक शिकायती पत्र जिसमें किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ था। उसमें उल्लिखित शिकायतों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने जांच की। कोई शिकायत सही नहीं पाई गई।

जनपद मुजफ्फरनगर में जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा क्लोरोक्वीन की गोलियों के कम वितरण के संबंध में जांच

21–श्री कुबेर भंडारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिला मलेरिया अधिकारी (डा0 राकेश कुमार जैन) द्वारा फरवरी, 1978 में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर क्लोरोक्वीन की 2000 गोलियां कम भेजी गयीं? क्या स्वास्थ्य मंत्री उक्त काण्ड की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति–

जनपद मुजफ्फरनगर में माह फरवरी, 1978 में जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर डा0 राकेश कुमार जैन, तैनात नहीं थे। उस समय डा0 एस0 सी0 पाण्डे उप मुख्य चिकित्साधिकारी (तृतीय) इस पद का कार्य देख रहे थे। जनपद के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रश्नगत माह में क्लोरोक्वीन की गोलियां भेजी गई थीं। क्लोरोक्वीन की गोलियों के कम वितरण के संबंध में कभी कोई शिकायत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों से प्राप्त नहीं हुई।

भूमि विकास बैंक टाण्डा जिला फैजाबाद द्वारा श्री सीताराम निवासी पियारेपुर, फैजाबाद को स्वीकृत डीजल इंजन से भिन्न इंजन की आपूर्ति तथा विक्रेता फर्म के विरुद्ध कृत कार्यवाही

22–श्री रामजी राम–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, टांडा जिला फैजाबाद द्वारा 1974 में प्रमाणित अमृत डीजल इंजन 8 हार्स पावर नं0 1285 श्री सीताराम वर्मा, पियारेपुर, बरौरा, फैजाबाद को देना स्वीकृत हुआ था मगर उसे 7/8 हार्स पावर नं0 1245 दिया गया और उसे भी वापिस लेने के बाद अभी तक वह इंजन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो वह इंजन कब तक उक्त किसान को दिलाया जायेगा ?

श्री बच्चा पाठक–

भूमि विकास बैंक की शाखा टाण्डा जिला फैजाबाद द्वारा वर्ष 1974 में श्री सीताराम वर्मा निवासी पियारेपुर जिला फैजाबाद को डीजल पम्पसेट हेतु 6000/- रु0 ऋण स्वीकृत किया गया था। श्री वर्मा ने अपनी इच्छानुसार अमृत डीजल इंजन 8 हार्स पावर नं0 1285 मे0 रंजीत मशीनरी स्टोर अकबरपुर जिला फैजाबाद से प्राप्त किया। श्री सीताराम वर्मा को 7/8 हार्स पावर नं0 1245 नहीं दिया गया। श्री सीताराम वर्मा ने बिना बैंक को सूचित किए हुए उक्त अमृत डीजल पम्पसेट डीलर को स्वयं वापस करके एक पुराना किर्लोस्कर इंजन प्राप्त किया। क्योंकि डीजल पम्प सेट के मूल्य की कटौती के आदेश दिए जा चुके हैं अतः इंजन दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

23–श्री रामजी राम–

क्या उक्त काश्तकार के चेक का भुगतान नान अप्रूव्ड इंजन की सप्लाई के बावजूद भी शाखा प्रबंधक ने फर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट लगवा कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं।

24–श्री राम जी राम–

क्या उक्त काश्तकार के शिकायत पर प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 22-6-79 को विक्रेता फर्म की जमा प्रतिभूति में से 3500 रुपए सय ब्याज काट कर कृषक के खाते में जमा कर देने का आदेश किया है? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां, किन्तु यह ज्ञात होने पर कि विक्रेता फर्म की प्रतिभूति बैंक में जमा नहीं है, अमृत डीजल पम्पसेट के निर्माता फर्म मे0 एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स राजकोट की बैंक में जमा प्रतिभूति में से कटौती के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ किए गए कि श्री वर्मा द्वारा प्राप्त किया गया पुराना किर्लोस्कर इंजन मे0 एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स को फ्रेट टू पे (किराया भाड़ा देय) आधार पर वापस कर दें।

25–श्री राम जी राम–

क्या उपरोक्त आदेश में दिनांक 25 मार्च, 1981 को पुनः परिवर्तन कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या पूर्व आदेश में उपरोक्त धनराशि का मय ब्याज के समायोजन करने हेतु आदेश वगैर मामले की पूर्ण छानबीन किये ही दे दिया गया था?

श्री बच्चा पाठक–

प्रश्न 24 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में तथा यह जानकारी होने पर कि श्री सीताराम वर्मा, कृषक ने विक्रेता फर्म से आपसी समझौता द्वारा बिना बैंक को सूचित किये हुये प्राप्त पुराने किर्लोस्कर इंजन का उपयोग करते रहे हैं, यह उचित नहीं समझा गया कि इंजन निर्माता फर्म मेसर्स एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स से ब्याज की भी प्रतिपूर्ति करायी जाय और तदनुसार निर्माता फर्म से कटौती के आदेश में संशोधन किया गया।

नगरपालिका पडरौना, जिला देवरिया में कालेज के बगल से खिड़किया तक पिच सड़क का निर्माण

26–श्री हरिवंश सहाय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका पड़रौना, जिला देवरिया में वर्ष 1978-79 में कालेज के बगल से खिड़किया तक पिच सड़क का निर्माण हुआ ? इसका सत्यापन पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग ने कब किया? उक्त निर्माण के सम्बन्ध में अंतिम भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां । नगरपालिका पडरौना, जिला देवरिया में वर्ष 1978-79 में कालेज के बगल से खिड़कियां तक पिच सड़क का निर्माण हुआ । इसके सत्यापन की सूचना अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया के पत्र दिनांक 28-3-80 से प्राप्त हुई। उक्त निर्माण से संबंधित अन्तिम भुगतान दिनांक 31-3-80 को नगर पालिका पड़रौना द्वारा किया जा चुका है।

विकास खण्ड सांथा, जिला बस्ती में सीमेन्ट का आवंटन

27–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1981 से 30 जून, 1981 तक विकास खण्ड सांथा, जिला बस्ती में कुल कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों को बांटी गयी? तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुए थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे? क्या मा0 मंत्री जी संपूर्ण सूची (मय नाम पता तथा दी गयी सीमेन्ट की मात्रा एवं परमिट नं0 मय तारीख) सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

28–श्री विजय सिंह राना–

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 राज्य भण्डारागार निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

29–श्री विजय सिंह राना–

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ में वर्तमान प्रबंध निदेशक पिछले कितने साल से इसी पद पर कार्यरत हैं? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अवधि में निगम में अनेक प्रकार की अनियमिततायें हुई हैं? यदि हां, तो अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? इनका स्थानान्तरण अब तक क्यों नहीं किया गया?

श्री बच्चा पाठक–

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक 1971 से इस पद पर कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति से निगम के कार्यकलापों के सम्बन्ध में दो अंतरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निगम में हुयी कुछ अनियमितताओं का उल्लेख है। अंतरिम प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। इस निगम के प्रबन्ध निदेशक का निगम से बाहर स्थानान्तरण नियमानुसार सम्भव नहीं है।

आगरा नगर में सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत सड़कों को चौड़ा बनाने की योजना

30–श्री विजय सिंह राना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत ताज से तोरा गांव और लाल बहादुर शास्त्री चौराहे से तोरा गांव की सडकों को बीच में घेरकर जाल कर चौड़ा बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या अब इसे बजट सत्र में सम्मिलित किये जाने हेतु कोई प्रयास शासन द्वारा चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल

जी नहीं।

यह सड़कें महापालिका के अन्तर्गत नहीं हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

31–श्री विजय सिंह राना–

[6वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

32–श्री राम आसरे वर्मा–

33–श्री किरनपाल सिंह–

[21-1-82 के अता0 प्र0 सं0 134 द्वारा उत्तरित]

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

डाक्टर एम0 के0 गोयल, सर्जन, जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही

34–श्री किरन पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 19-9-81 को प्रश्नकर्ता ने जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर के मुख्य सर्जन श्री गोयल को एक जालसाजी करते हुए रंगे हाथों पकडा था तथा इस बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर ने पूरी जांच कराकर उचित व कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी नहीं। वास्तविकता यह है कि प्रश्नकर्ता ने 19-9-1981 को डा0 एम0 के0 गोयल, सर्जन, जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर के विरुदध शिकायत की थी। जांचोपरान्त यह तथ्य सामने आया कि वास्तव में मरीज श्री अशोक चौहान को भर्ती के समय गलत तरीके से सरकारी सेवक बताया गया था।

श्री मुन्नी देवी, ए0 एम0 एम0 का वेतन बैंक से आहरण करने के आदेश

35–श्री थम्मन सिंह गहलौत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डा0 आनन्द प्रकाश गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्योहारा (बिजनौर) ने मुन्नी देवी ए0 एम0 एम0 का जनवरी/फरवरी, 1981 का वेतन बैंक से आहरण करने के बाद 31 मार्च, 1981 को सरकारी कोष में जमा करने के आदेश दिये? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां। श्रीमती मुन्नी देवी जनवरी/फरवरी, 1981 का वेतन प्राप्त करने के लिये उपस्थित नहीं हुईं। इस सम्बन्ध में विशेष वाहक द्वारा भेजे गये पत्र को भी उनके द्वारा प्राप्त न करने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आहरित किये गये उनके वेतन की धनराशि को सरकारी कोष में 31-3-81 को जमा करना पड़ा। उन्हें प्रश्नगत वेतन का भुगतान दिनांक 20-1-82 को कर दिया गया है।

विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती में सीमेन्ट का वितरण

36–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1 अक्तूबर, 80 से 31 दिसम्बर, 1980 तक विकास खंड खेसरहा जनपद बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेंट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची (मय नाम पता तथा दी गयी सीमेंट की मात्रा एवं जय परमिट नम्बर मय तारीख) सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिला नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग में वरिष्ठ नियोजकों के पद का सृजन तथा उनके दौरे तथा यात्रा भत्ता का भुगतान

37–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग (मुख्यालय) में कुछ वरिष्ठ नियोजकों के पदों का सृजन कब हुआ था? क्या यह सही है कि मुख्यालय के बाहर ही उपरोक्त पदों का सृजन हुआ था? क्या यह भी सही है कि सभी वरिष्ठ नियोजकों की तैनाती अब लखनऊ में ही है? यदि हां, तो क्यों? और इन वरिष्ठ नियोजकों द्वारा वर्ष 1979-80 में प्रत्येक माह में कितने दौरे किये गये और वे कितने-कितने दिन और कहां-कहां रहे और इनके यात्रा भत्ता पर कितना व्यय किया गया?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

वरिष्ठ नियोजक के दो पदों का सृजन 14-1-1965 को तथा एक पद का सृजन दिनांक 25-11-1979 को हुआ था।

जी हां। वर्ष 1972-73 को वरिष्ठ नियोजक का एक पद कानपुर में सृजित हुआ था जो दिनांक 28-2-1979 को समाप्त हो गया।

जी हां।

कार्य के हित में तीनों वरिष्ठ नियोजकों का मुख्यालय लखनऊ में है। वरिष्ठ नियोजकों द्वारा वर्ष 1979-80 में किये गये दौरों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1116–1118 पर।)

मेसर्स विष्णु आटोमोबाइल्स, ग्वालियर रोड, झांसी का रद्द रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

38–श्री भीखालाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु आटोमोबाइल्स ग्वालियर रोड, झांसी से संबंधित सरकार बनाम वी0 पी0 दीक्षित, सुभाष बब्बर आदि के विरुद्ध अपराध संख्या 85/80 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 तथा आई0 पी0 सी0 की धारा 120 बी, 420 आदि में मुकदमा कायम किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त फर्म का लाइसेन्स रद्द किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह

मेसर्स विष्णु आटोमोबाइल्स, ग्वालियर रोड, झांसी के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित धाराओं के अपराध के आरोपों के आधार पर श्री लखपत राम शर्मा, भूतपूर्व विधायक, सिविल लाइन्स, झांसी द्वारा थाना नवाबाद, झांसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी।

फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, झांसी ने निरस्त किया था परन्तु जिलाधिकारी के उक्त आदेश के कार्यान्वियन के विरुद्ध श्री सुभाष बब्बर ने मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, झांसी के न्यायालय से 'स्थगन आदेश' लिया है। प्रश्न के अन्तिम भाग का सवाल नहीं उठता।

प्रकाश मोटर्स, राजगढ़, झांसी के लाइसेन्स का निरस्तीकरण

39–श्री भीखालाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-10-81 को प्रकाश मोटर्स राजगढ़ झांसी में संबंधित पुलिस थाना नवाबाद, जिला झांसी में सरकार बनाम प्रेम चन्द बब्बर तथा अन्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7/8/10/ तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 120बी 420/466/218 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है और अभियुक्त का लाइसेन्स कौन्सिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह

श्री प्रेम चन्द्र बब्बर 62/1 सिविल लाइन्स, झांसी और अन्य के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित धाराओं के अपराध के आरोपों के आधार पर श्री लखपत राम शर्मा, भूतपूर्व विधायक सिविल लाइन्स, झांसी द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 को थाना नवाबाद, झांसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का सारांश संलग्न है।

जहां तक लाइसेन्स निरस्तीकरण का सम्बन्ध है जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार अभी तक लाइसेन्स निरस्तीकरण हेतु पर्याप्त कारण नहीं पाया गया है।

[देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1119-1120 पर।]

डीजल की चोरबाजारी के आरोप में श्री राम कुमार की थाने में दर्ज रिपोर्ट

40–श्री भीखालाल–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थाना प्रेमनगर, जिला झांसी में प्रकाश मोटर्स राजगढ़ झांसी के सेल्समैन श्री रघुबर दयाल के विरुद्ध डीजल की चोर-बाजारी में इल्जाम नं0 164/80 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ है? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट और चार्जशीट में क्या आरोप दर्शाये गये हैं तथा लाइसेन्स कौन्सिल किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

डीजल की चोरबाजारी के आरोप में श्री रामकुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी गणेशमढ़िया, थाना कोतवाली झांसी ने मेसर्स प्रकाश मोटर्स डीजल पम्प हंसारी

(झांसी) के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रेमनगर झांसी में दर्ज की थी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट का सारांश संलग्न है।

चार्जशीट नियमानुसार जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी अनुमति हेतु विचाराधीन है। जब तक न्यायालय में वह प्रस्तुत नहीं कर दी जाती तब तक चार्जशीट के आरोप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाइसेन्स निरस्तीकरण के सम्बन्ध में, जिले से प्राप्त सूचनानुसार, यह मामला जिला स्तर पर अभी विचाराधीन है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1121 पर।)

41–श्री भीखालाल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज, जिला एटा में जेनरेटर की व्यवस्था हेतु स्वीकृति

42–श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4-5-81 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कासगंज जनपद एटा में विद्युत दोषपूर्ण आपूर्ति के कारण एक्स-रे मशीन के लिए एक जेनरेटर की व्यवस्था हेतु पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज, जिला एटा में एक जेनरेटर की व्यवस्था करने हेतु 1.19 लाख रुपये का आगणन शासन को प्राप्त हो गया है, जिसकी स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कासगंज के उच्चीकरण हेतु भवनों का निर्माण

43–श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कासगंज को उच्चीकृत करके तीस शैय्याओं के अस्पताल में बदलने की कार्यवाही अब तक नहीं की गयी जबकि उच्चीकृत करने का निर्णय जनता शासन में ही ले लिया गया था? यदि हां, तो क्यों? कब तक उच्चीकृत भवन का निर्माण कर दिया जायेगा।

श्री लोकपति–

जी हां। पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कासगंज के उच्चीकरण हेतु भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। अब पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो गयी है तथा उसे राजकीय निर्माण निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है। भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करा कर उसे शीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

साधन सहकारी समिति हनुमानगंज, सुल्तानपुर के भू0 पू0 सरपंच के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

44–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति हनुमानगंज, सुल्तानपुर के भू0 पू0 सरपंच (श्री राजकिशोर दूबे पुत्र पंचम दूबे), निवासी ग्राम बेला सदा, पो0 अम्या कलां थाना कोतवाली सुल्तानपुर के विरुद्ध अपराध संख्या 254 दफा 409, 33, 315, 48 दिनांक 28-4-72 एवं अपराध संख्या 892 दफा 409 दिनांक 4-9-74 भा0 दं0 वि0 की रपट थाना-कोतवाली सुल्तानपुर में लिखाई गई थी? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

28-4-72 को दर्ज मुकदमें के सम्बन्ध में विशेष अनुसन्धान शाखा, सहकारिता, फैजाबाद क्षेत्र द्वारा विवेचना उपरान्त 30-6-77 को आरोप पत्र प्रेषित कर दिये गये थे, जो न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के यहां विचाराधीन हैं। अपराध संख्या 892 दिनांक 4-9-74 को रिपोर्ट नहीं बल्कि 26-9-74 को दर्ज हुई थी। अब इस सम्बन्ध में विवेचना विशेष अनुसन्धान शाखा सहकारिता, फैजाबाद क्षेत्र द्वारा की गई तथा आरोप प्रमाणित न होने के कारण अन्तिम आख्या संख्या–2 दिनांक 20-6-77 को प्रेषित की गई, जो न्यायालय द्वारा 20-1-78 को स्वीकृत भी हो चुकी है।

नगर बदायूं में कार्यरत राशन एवं चीनी की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें

45–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नगर बदायूं में वर्ष 1980-81 में राशन एवं चीनी की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की कार्यरत संख्या कितनी थी और अब नगर बदायूं में वर्ष 1981-82 में सहकारिता विभाग की कितनी दूकानें स्वीकृत की गयी और किस आधार पर? क्या स्वीकृत दूकानें स्वीकृत होने के बाद कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

वर्ष 1980-81 में नगर बदायूं में निजी क्षेत्र की 43 तथा सहकारी क्षेत्र की 23 राशन एवं चीनी की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें कार्यरत थीं।

वर्ष 1981-82 में बदायूं नगर में सहकारिता विभाग को कोई नई दूकान स्वीकृत नहीं की गई। सहकारिता विभाग की वर्ष 1981-82 में स्वीकृत दूकानें प्रति 4000 यूनिट से सम्बद्ध किये जाने के उद्देश्य से स्वीकृत की गई हैं। उक्त सभी स्वीकृत दूकानें कार्यरत हैं।

नया सरदारी खेड़ा लखनऊ में स्थित देवी के मन्दिर की भूमि पर श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव द्वारा अवैध कब्जे पर कृत कार्यवाही

46–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला लखनऊ में आलमबाग क्षेत्र के अन्तर्गत नया सरदारी खेड़ा, थाना कृष्णा नगर में स्थित देवी मइया जी के मन्दिर की भूमि पर श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव ने अवैध रूप से कब्जा करके जो दूकानें बनवा ली हैं उस अवैध कब्जे को हटाने के लिये वहां के क्षेत्रीय हरिजनों सर्वश्री मुन्ना सुखलाल व बलवन्त सिंह आदि ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र सितम्बर, 1980 में श्रीमान, जिलाधिकारी, लखनऊ व प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को दिया था? यदि हां, तो सरकार ने उस अवैध कब्जे को हटाने के लिये उक्त हरिजनों के प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

47–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

जनपद जौनपुर के महिला चिकित्सालयों में महिला डाक्टरों की रिक्त पदों पर नियुक्ति

48–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर के जिला महिला चिकित्सालय में मात्र चार महिला चिकित्सक कार्यरत हैं और चार स्थान रिक्त हैं? क्या इन जनपद के शाहगंज, केराकत मछलीशहर और झूंगरा बादशाहपुर के अस्पताल भी महिला

डाक्टरों से वर्षों से खाली है? क्या सरकार इन अस्पतालों में शीघ्र महिला डाक्टरों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां, रिक्त पदों पर तैनाती शीघ्र की जायेगी।

आवश्यक वस्तु वितरण में जौनपुर जनपद में दोषी कर्मचारी

49–श्री प्रभू नारायण सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवश्यक वस्तु वितरण में अनियमितता बरतने के कारण जौनपुर जनपद के कितने कर्मचारी वर्ष 1981 में दोषी पाये गये? उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार वितरण व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की व्यवस्था करेगी?

श्री बच्चा पाठक–

आवश्यक वस्तु वितरण में जौनपुर जनपद में वर्ष 1981 में कुल 13 कर्मचारी दोषी पाये गये। इनमें 9 व्यक्तियों को निलम्बित किया गया एवं 4 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।

वितरण व्यवस्था को चुस्त व दुरुस्त करने हेतु आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम विकास खण्ड में विकास खण्ड अधिकारी द्वारा सीमेन्ट के वितरण में घपले की जांच

50–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम विकास खण्ड में जून, 81 और अगस्त, 81 माह में सीमेन्ट के वितरण में विकास खण्ड अधिकारी द्वारा घपले व कालाबाजारी की सूचना प्रश्नकर्त्ता द्वारा सितम्बर माह, 81 में जिलाधिकारी, गोरखपुर को एक शिकायती पत्र द्वारा दी गई थी? यदि हां, तो सीमेन्ट वितरण में घपला व काला बाजारी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम विकास खण्ड में जून, 81 और अगस्त, 81 माह में सीमेन्ट के वितरण में विकास खण्ड अधिकारी द्वारा घपले व कालाबाजारी की सूचना सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1981 जिलाधिकारी, गोरखपुर को 14 सितम्बर, 81 को प्राप्त हुआ था, जिस पर जिला अधिकारी गोरखपुर ने जांच करायी। जांच में सीमेन्ट वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गई। अतः उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका बदायूं की चुंगी से आय में वृद्धि

51–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में नगरपालिका, बदायूं की आक्ट्राय आय जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक एवं जनवरी, 1981 से अब तक प्रत्येक माह की सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका बदायूं की आक्ट्राय में 11-1-81 से वृद्धि की गई है? यदि हां, तो यह आक्ट्राय कितने प्रतिशत पिछली आक्ट्राय से बढ़ायी गयी है? यदि हां, तो उसके अनुकूल आक्ट्राय आय में वृद्धि हुई है? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और क्या सरकार इसकी पूर्ण जांच करके सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

विवरण संलग्न है।

जी हां।

विभिन्न वस्तुओं पर गुणावगुण के आधार पर चुंगी की दरें विधिक औपचारिकतायें पूरी करने के बाद निर्धारित की गयी हैं। चुंगी की आय में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ.....पर।)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् में सहायक अभियन्ताओं की अस्थाई रूप से नियुक्ति तथा स्वीकृत विशेष वेतन वृद्धि

52–श्री राज्जेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में कार्यालय ज्ञाप संख्या 513 प्रशा0 एक–1918 (भाग–2) अधि–1 दिनांक 18 मई, 1979 द्वारा जिन 9 सहायक अभियन्ताओं की अस्थाई रूप से नियुक्तियां की गयीं उसमें से मात्र एक को विशेष 5 वेतन वृद्धियां देने का क्या कारण है जबकि अन्य सहायक अभियन्ता उसी प्रकार का विशेष अनुभव रखते थे? क्या सरकार अनुभव रखने वाले सभी सहायक अभियन्ताओं को जो उस सूची में नियुक्त हुए विशेष वेतन वृद्धि देने पर विचार करेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

उत्तर प्रदेश आवास परिषद् के प्रश्न में उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप के द्वारा नियुक्त 9 सहायक अभियन्ताओं में से दो सहायक अभियन्ताओं ने उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् सहायक अभियन्ता सेवा विनियमावली 1973 के नियम 24 के अन्तर्गत, जिसमें केन्द्र, प्रदेश एवं स्टेट्यूरी बाडी के कार्यरत अभ्यर्थियों के वेतनमान सुरक्षित रखने का प्राविधान है, अग्रिम वेतन बृद्धि दिये जाने की प्रार्थना की थी। जिन्हें आवास परिषद् ने विचार करने के उपरान्त अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना स्वीकार कर लिया है।

फरार अभियुक्त श्री बुलबुल राम के विरुद्ध न्यायालय में भेजा गया आरोप पत्र

53–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा सत्र 1981 के 6ठे गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरार व्यक्ति (श्री बुलबुल राय) पुलिस द्वारा कब गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वासुदेव सिंह–

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त श्री बुलबुल राम (बुलबुल राय नहीं जैसा कि प्रश्न में दिया गया है) को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि मूलजिम फरार है। उसके विरुद्ध दफा 82/83 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही दिनांक 20 जनवरी, 1981 को सम्पन्न की गई है। श्री बुलबुल राम के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–45 दिनांक 10 सितम्बर, 1981 को न्यायालय में दे दिया गया है।

सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर के विरुद्ध जांच पर कृत कार्यवाही

54–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के 6ठे गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0 37 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि

दोनों शिकायती पत्रों के बारे में हो रही जांच क्या अब पूर्ण हो गयी है? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये? प्राप्त तथ्यों के संदर्भ में सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

अक्तूबर, 1980 के शिकायती पत्र की जांच में कोई आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। जनवरी, 81 में प्राप्त शिकायती पत्र की जांच में सचिव, जिला सहकारी बैंक लि0, शाहजहांपुर के विरुद्ध सहयोगी की लिपिक पद पर बिना संस्थागत सेवा मण्डल की स्वीकृति के पदोन्नति, बजट प्राविधानों से अधिक खर्च करना एवं नियमों के विपरीत स्टेशनरी क्रय करने के आरोप सिद्ध पाये गये। फलतः सचिव को कठोर चेतावनी के साथ एक प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

रामपुर जनपद में राशन कार्ड पर चीनी के आवंटन

55–श्री बलबीर सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी वितरण व्यवस्था शहरों की तरह राशन कार्ड पर यूनिटों के आधार पर है? यदि हां, तो रामपुर जनपद में 1 राशन कार्ड पर 1 किलो चीनी दी जाती है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

पर्वतीय जिलों की विशेष भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नैनीताल जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिट के आधार पर चीनी दिये जाने की व्यवस्था की गई है। रामपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य मैदानी जिलों की भांति, एक से चार तक यूनिट के कार्ड पर एक किलो चीनी, पांच से नौ यूनिट तक के कार्ड पर दो किलो चीनी तथा 9 से अधिक यूनिट वाले कार्डों पर तीन किलो चीनी दिये जाने के शासन के आदेश हैं।

उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, कोंच (जालौन) के कनिष्ठ प्राविधिक सहायक द्वारा गेहूं तथा चावल के बोरे बेचे जाने की शिकायत

56–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कोंच (जालौन) के कनिष्ठ प्राविधिक सहायक द्वारा 500 बोरे गेहूं तथा चावल के बाजार में बेचे जाने के संबंध में दिनांक 12 जून, 1981 को कोई शिकायत निगम के सतर्कता अधिकारियों को दी गयी थी, उक्त घटना जांच हेतु सुपरिन्टेन्डेन्ट, सम्बद्ध प्रधान कार्यालय तथा रीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, कानपूर अलग-अलग भेजे गये थे? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट क्या है? तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बच्चा पाठक–

उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कोंच (जालौन) के कनिष्ठ प्राविधिक सहायक द्वारा 500 बोरे गेहूं तथा चावल के बाजार में बेचे जाने के संबंध में दिनांक 12 जून, 1981 को कोई शिकायत निगम के सतर्कता अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई। अतः उपर्युक्त सन्दर्भ में जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

57–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुधौली, जनपद बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र

58–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या माह अप्रैल, 81 में प्रश्नकर्ता के दो पत्र स्वास्थ्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुधौली, जनपद बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों के आपसी लड़ाई एवं जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं के बारे में प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है।

59–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला सहकारी बैंक, लखनऊ के सचिव/सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतें

60–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, लखनऊ के सचिव/सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध शासन को 5-7-80 को कोई कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाइज यूनियन का पत्र मिला? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित मुख्य शिकायतें क्या थीं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित मुख्य शिकायतें कर्मचारियों के अनावश्यक स्थानान्तरण, फिजूल खर्ची, वसूली में रुचि न लेना तथा अनियमित पदोन्नति करना था। जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं।

आपात काल के दौरान लखनऊ के एशबाग में सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत तोड़े गये मकान तथा मुआवजे का भुगतान

61–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात काल के दौरान लखनऊ के एशबाग में नगर सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत सड़क चौड़ा करने के उद्देश्य से मकान तोड़े गये थे, उनमें से क्या श्री अवध बिहारी मिश्रा की अवधेश्वर कुटीर भी तोड़ी गयी थी? क्या नगर महापालिका, लखनऊ एवं जिलाधिकारी के कार्यालय से मुआवजा देने की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद भी अब तक उन्हें मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? मुआवजे का भुगतान अब कब तक हो जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां।

मुआवजा देने के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत श्री अवध बिहारी मिश्रा का मामला नहीं आता।

जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी/लखनऊ के सचिव/सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतों पर कृत कार्यवाही

62–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1977 से 31-12-80 तक वर्तमान सचिव, सामान्य प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी के विरुद्ध शासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां। प्रश्नगत अवधि में वर्तमान सचिव/सामान्य प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी के विरुद्ध दो परिवाद मिले, जिसकी जांच करायी गयी। जांच में इनके द्वारा बरती गयी अनियमितताओं सम्बन्धी जो तथ्य प्रकाश में आये उन पर सक्षम अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने को लिखा जा रहा है ।

63–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1980 से 10-1-81 तक जिला सहकारी बैंक, लखनऊ के सचिव/सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध शासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उस पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयीं?

श्री बच्चा पाठक–

प्रश्नगत अवधि में जिला सहकारी बैंक, लखनऊ के सचिव/सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुईं। उनकी जांच कराई गई । एक शिकायत तो निर्मूल पायी गयी। दूसरी शिकायत के सम्बन्ध में सचिव का स्पष्टीकरण मांगा गया था। उक्त सामान्य प्रबन्धक अब अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिये गये हैं।

64–श्री प्रदीप कुमार यादव–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

साधन सहकारी समिति, लाटघाट, आजमगढ़ के सचिव के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

65–श्री पंचानन राय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, लाटघाट, आजमगढ़ के सचिव के विरुद्ध श्री विजय सिंह, ग्राम पूलापार, तहसील सगड़ी का कोई शिकायती-पत्र 8-6-81 को परगनाधिकारी, सगड़ी को प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि सचिव स्टाक में मिट्टी का तेल और चीनी होने के बाद भी उसे वितरित नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या इस शिकायत की जांच करायी गयी तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच कराई गई। शिकायत अंशतः सही पाई गई, जिसके लिए संबंधित कर्मचारी को दण्डित किया गया।

गांव सभा खड़ारी, ब्लाक सुजानगंज, जिला जौनपुर के निवासियों का चीनी एवं मिट्टी के तेल के विलम्ब से वितरण संबंधी शिकायती पत्र

66–श्री ऊदल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करागे कि क्या सरकार के पास प्रधान, गांव सभा हीरालाल ने सितम्बर, 1981 में इस संबंध में शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया है कि गांव सभा खड़ारी, ब्लाक सुजानगंज, जिला जौनपुर के निवासियों को 10 महीने में सिर्फ तीन बार चीनी एवं मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

गांव सभा खड़ारी, ब्लाक सुजानपुर, जिला जौनपुर के निवासियों को 10 महीने में सिर्फ तीन बार चीनी एवं मिट्टी का तेल प्राप्त होने से संबंधित प्रधान, गांव सभा हीरालाल का शिकायती पत्र दिनांक सितम्बर, 81 प्राप्त नहीं पाया जाता है। अतएव जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला सहकारी संघ के माध्यम से जनपद मुरादाबाद में ग्रामीण गोदामों के निर्माण का कार्य

67–श्री रियासत हुसैन–

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में पंचायती अदालत के स्तर पर सोसाइटी में कितने बीज गोदाम कोआपरेटिव फेडरेशन, मुरादाबाद द्वारा बनाये गये और उनमें से कितने आधे बने पड़े हैं? उनको पूरा न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बच्चा पाठक–

जिला सहकारी संघ लि0, मुरादाबाद के माध्यम से जनपद मुरादाबाद में पंचायती अदालत के स्तर पर 39 ग्रामीण गोदामों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया जिनमें से 28 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं तथा 11 गोदाम अपूर्ण हैं। भवन निर्माण सामग्री के मल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप अपूर्ण गोदामों को पूर्ण कराना सम्भव नहीं हो सका।

साधन सहकारी समितियों के सचिवों के वेतनमान बढ़ाये जाने पर विचार

68–श्री श्यामलाल बाजपेयी–

क्या सहकारिता मंत्री प्रदेश की साधन सहकारी समितियों के सचिवों के वेतन बढ़ाये जाने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

साधन सहकारी समितियों के आर्थिक रूप से सक्षम एवं विकसित हो जाने पर ही सचिवों का वेतनमान बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

69–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[4थे गुरुवार के लिये स्थगित]

जनपद अल्मोड़ा में जल निगम की निर्माणाधीन योजनायें

70–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में वर्ष 1980-81 में जल निगम की कितनी योजनायें निर्माणाधीन थीं? क्या यह सही है कि सीमेंट के अभाव में सारी योजनाओं का निर्माण बंद पड़ा है? क्या यह भी सही है कि सूखा पड़ने से अल्मोड़ा जनपद में पेयजल का भारी अभाव है? यदि हां, तो जनता की आवश्यकता को देखते हुए सरकार जल निगम को सीमेंट दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1980-81 में जल निगम की कुल 290 योजनायें निर्माणाधीन थीं।

जी नहीं।

सीमेन्ट की स्थिति में सुधार हुआ है, अतः जल निगम को अतिरिक्त सीमेन्ट दिलाने का प्रश्न नहीं उठता है।

सहकारी संघ मिल्कीपुर में चावल, चीनी, कपड़े के वितरण में अनियमितताओं की जांच

71–श्री मित्रसेन–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संघ मिल्कीपुर आवश्यक वस्तु वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत चावल, कपड़ा और चीनी वितरण में गम्भीर अनियमितताओं के मामले को लेकर दिनांक 24-9-81 को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें मांग पत्र क्षेत्राधिकारी के समक्ष परगनाधिकारी, बीकापुर को दिया गया था और इस

मांग पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिनांक 28-9-81 को प्रस्तुत की गयी थी? यदि हां, तो उक्त मांग पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

इनायतनगर ग्राम पंचायत में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री हेतु एक दूकान खोली गयी तथा दोषी विक्रेताओं को निलम्बित करके उनके विरुद्ध जांच की जा रही है।

पुराना सीतापुर में पुनः निर्मित पेयजल योजना को वित्तीय स्वीकृति तथा सीवरेज योजना लागू करने हेतु मांग पत्र

72–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर नगर पालिका में पुराना सीतापुर नगरपालिका में पुनः निर्मित पेयजल योजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं सीवरेज योजना लागू करने हेतु प्रश्नकर्ता का कोई मांग पत्र दिनांक 10-7-81 से 18-7-81 के बीच उन्हें मिला? यदि हां, तो दोनों मांगों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां, पेयजल योजना पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

वित्तीय संसाधनों के कारण सीवरेज प्रारम्भ कराये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुधौली, जनपद बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

73–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या 1 जुलाई, 1980 से 31 मई, 1981 के बीच श्री माता प्रसाद पाण्डेय, विधायक, बस्ती का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रुधौली, जनपद बस्ती के बारे में कोई शिकायती पत्र मा0 मंत्री जी को अथवा सचिव अथवा निदेशक, स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त मामलों की कोई जांच विभाग द्वारा करायी गयी? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है और उसके अनुसार क्या कोई कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी हां। जांच हेतु शिकायतकर्ता माननीय विधायक श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी को बुलाया गया था, किन्तु वे निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती द्वारा पुनः जांच हेतु दूसरी तिथि निर्धारित की जा रही है। जांच पूरी हो जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती में सीमेन्ट का आवंटन

74–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1981 से 30 जून, 1981 तक विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती में कुल कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुए थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाये गये थे? क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेंट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील मुरादाबाद के ब्लाक भगतपुर, मूण्डा पाण्डे तथा सिटी को सीमेन्ट का आवंटन

75–श्री रियासत हुसैन–

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1981 से 30 जून, 1981 तक तहसील मुरादाबाद के ब्लाक भगतपुर मूण्डा पाण्डे तथा सिटी को कितना-कितना सीमेन्ट दिया गया है?

श्री वासुदेव सिंह–

प्रश्नगत अवधि में तहसील मुरादाबाद के ब्लाक भगतपुर मूण्डा पाण्डे तथा सिटी को दिये गये सीमेन्ट का वितरण निम्न प्रकार है :—

1–ब्लाक भगतपुर	– 700 बोरी
2–ब्लाक मूण्डा पाण्डे	– 3370 बोरी
3–ब्लाक सिटी (मुरादाबाद)	– 3890 बोरी

बाढ़ व सूखा पीड़ितों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि

76–श्री मोहन सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1980-81 में केन्द्र सरकार ने बाढ़-पीड़ितों के लिए दवाओं की खरीद हेतु कितनी धनराशि दी थी? उक्त धनराशि में से कितने की दवायें खरीदी गयीं और कितनी धनराशि एन्टी इपेडेमिक सेक्शन द्वारा वापस की गयी? इनकी वापसी के कारण क्या हैं?

श्री लोकपति–

वर्ष 1980-81 में बाढ़ एवं सूखा पीड़ितों के लिये केन्द्र सरकार से रुपये 181 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी जिससे औषधियों, वैक्सीन कीटनाशक औषधियां इत्यादि के क्रय आदेश पारित किये गये थे। उपरोक्त धनराशि में से रुपये 1,75,12,245·62 पैसे के बिलों का भुगतान कर दिया गया और शेष रुपये 5,87,754·38 पैसे की धनराशि के बिल संयुक्त निदेशकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से सत्यापित होकर समय से प्राप्त न होने के कारण उनका भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में सम्भव न हो सका। अतः इस धनराशि को समर्पित कर देना पड़ा।

यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ में कर्मचारियों की नियुक्तियां तथा पदोन्नति

77–श्री रियासत हुसैन–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 से सहकारी सेवामंडल के गठन होने के उपरान्त यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ में कितने कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति फेडरेशन द्वारा वर्ष 1973 में किया गया? क्या यह सही है कि मा0 न्यायालय द्वारा उपरोक्त नियुक्तियां अनियमित एवं अवैधानिक घोषित होने के पश्चात् भी बनी रहीं और उन लोगों को पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक–

यू0 पी कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ द्वारा 1973 में विभिन वेतनमानों में कुल 70 कर्मचारियों की नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा की गई। न्यायालय मुंसिफ साउथ, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 21-7-77 में 4 पदों से संबंधित संचालक मण्डल के प्रस्ताव को प्रभावहीन बताया गया परन्तु अपने आदेश में नियुक्तियों को अवैध घोषित नहीं किया गया और वाद खारिज कर दिया गया। अतः यह नियुक्तियां बाद में भी चलती रहीं तथा उनमें से कुछ को कार्य की आवश्यकतानुसार तदर्थ रूप से प्रोन्नत किया गया।

श्री अंसारी, नायब तहसीलदार, बिलग्राम, हरदोई द्वारा अवैध डीजल ले जाने का आरोप

78–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अंसारी, नायब तहसीलदार, बिलग्राम हरदोई द्वारा अवैध डीजल ले जाते हुए पकड़े जाने की सूचना दिनांक 19-3-80 को तार द्वारा जिलाधिकारी, हरदोई को श्री प्रताप सिंह, नि0 सदरपुर, तह0 बिलग्राम ने दी? यदि हां, तो अभी तक संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां, इस मामले में परगनाधिकारी, बिलग्राम द्वारा की गयी जांच में उक्त तार में वर्णित तथ्य सही नहीं पाये गये अत: इस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

प्रदेश के स्वैच्छिक परिवार कल्याण कर्मचारी को नकदीकरण अवकाश की सुविधा तथा स्थायीकरण किये जाने पर कार्यवाही

79–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के स्वैच्छिक परिवार कल्याण कर्मचारी लीव इनकैशमेंट से वंचित रखे जाने के साथ-साथ 8-8, 9-9 माह तक वेतन से वंचित रखे जाते हैं ? यदि हां, तो शासन इनके सिलसिले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री लोकपति–

परिवार कल्याण कार्यक्रम पर होने वाला समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और इस योजना का कार्यान्वयन भी भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है । चूंकि भारत सरकार से ऐसे निर्देश प्राप्त हुये थे कि नकदीकरण अवकाश की सुविधा सहायक अनुदान द्वारा संचालित स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी अत: ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है । उक्त निर्णय से स्वैच्छिक संस्थाओं को अवगत करा दिया गया था ।

स्वैच्छिक संस्थाओं को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिसमें कर्मचारियों के वेतन भी शामिल हैं, उन्हें सहायक अनुदान उनसे व्यय आदि के आवश्यक विवरण प्राप्त होने पर वर्ष में 3 किश्तों में मंजूर कर दिया जाता है । चूंकि उक्त कर्मचारी स्वैच्छिक संस्थाओं के कर्मचारी होते हैं अत: उनको समय से वेतन आदि का भुगतान करने का दायित्व स्वैच्छिक संस्थाओं का है ।

80–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या यह सही है कि शासन ने हाल में परिवार कल्याण कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो स्वैच्छिक परिवार कल्याण कर्मचारियों की स्थिति स्थायीकरण के बारे में क्या होगी ?

श्री लोकपति–

जी हां–इस नीति विषयक मामले में भारत सरकार से निदेश मांगा गया है क्योंकि स्वैच्छिक संस्थाओं को संचालन हेतु शत प्रतिशत अनुदान इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि यदि उनका कार्य संतोषजनक न होगा तो अनुदान बन्द किया जा सकता है ।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, डा0 आर0 के0 गुप्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार की शिकायत की जांच

81–श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर, मुजफ्फरनगर में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (डा0 आर0 के0 गुप्त) के विरुद्ध वर्ष

1977-78, 1978-79 एवं 1980-81 में भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्साधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच कराकर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

आई0 टी0 कालोनी, लखनऊ में स्थित पार्क को सुधारने हेतु माली की नियुक्ति

82–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनता शासन काल में 1979 में महापालिका, लखनऊ ने वाटरवर्क्स रोड स्थित आई0 टी0 कालोनी में स्थित पार्क को सुधारने के लिये हजारों रुपया खर्च किया और माली भी रखा गया किन्तु 1980 के विधान सभा के चुनाव के बाद माली हटा लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी नहीं ।

बिलग्राम राजकीय महिला चिकित्सालय तथा मंसूरपुर (सांडी) स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की नियुक्ति

83–श्री हरिशंकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के बिलग्राम स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय व मंसूरपुर (सांडी) स्थित आयु0 चिकित्सालय में काफी समय से चिकित्साधिकारी नहीं है ? यदि हां, तो कब तक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति–

बिलग्राम राजकीय महिला चिकित्सालय में एक महिला चिकित्सा अधिकारी पहले ही से कार्यरत है ।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी के कारण मंसूरपुर (सांडी) स्थित आयु0 चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी की व्यवस्था नहीं हो पायी है । नये चिकित्साधिकारी नियुक्त हो जाने पर इस चिकित्सालय में भी व्यवस्था कर दी जायेगी ।

छन्नी देवी महिला चिकित्सालय पुरानीशहर, जौनपुर में महिला डाक्टर की नियुक्ति

84–श्री प्रभु नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि छन्नी देवी महिला चिकित्सालय पुरानीशहर, जौनपुर में अभी तक लेडी डाक्टरों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा सकी? क्या सरकार उक्त अस्पताल की भूमि अधिग्रहीत कर उसे समस्त आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करायेगी ?

श्री लोकपति–

महिला डाक्टरों की कमी के कारण इस चिकित्सालय में अभी तक किसी महिला डाक्टर की नियुक्ति संभव नहीं हो पायी है । उक्त अस्पताल के भवन के स्वामित्व का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है । विवाद पर न्यायालय का निर्णय होने के उपरान्त ही अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ हो सकेगी तथा उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार होगा ।

जनपद बदायूं में सहकारिता विभाग द्वारा खोली गयी सरकारी गल्ला एवं चीनी की दुकानें

85–मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 में जनपद बदायूं में कितनी सरकारी गल्ला एवं चीनी की दुकानें सहकारिता विभाग द्वारा खोली गयीं और वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में कितने सचिव एवं अन्य कर्मचारी अनियमिततायें करते हुए पकड़े गये और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

कुल 234 दुकानें खोली गईं ।

वर्ष 1980-81 एवं 81-82 में 27 सचिव एवं 16 अन्य कर्मचारी अनियमितताएं करते हुए पकड़े गये ।

अनियमितताओं की गम्भीरता के अनुसार पकड़े गये कर्मचारियों के विरुद्ध सेवा समाप्ति, प्रथम सूचना रिपोर्ट, निलम्बन, प्रतिकूल प्रविष्टि अंकन आदि की कार्यवाही की गयी ।

जनपद बदायूं के सहकारी संघ की प्रापर्टी की नीलामी

86–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के सहकारी संघ की प्रापर्टी का नीलाम वर्ष 1980 में बिक्री-कर के देयों के कारण हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त नीलामी नियमानुसार हुई थी ? क्या उक्त देय अब सरकार को वसूल हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो कितनी धनराशि संघ पर शेष है और उसकी वसूली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

बिक्री कर विभाग द्वारा निर्धारित कर की धनराशि रु0 93663.92 पै0 है जो संघ को मान्य नहीं है तथा जिसके विरुद्ध संघ ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके 29-1-81 को ''स्थगन आदेश'' प्राप्त कर लिया था । माननीय उच्च न्यायालय के ''स्थगन आदेश'' के कारण वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

जिला गोरखपुर न्याय पंचायत चौपुरवा के सचिव के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही से चीनी के वितरण में विलम्ब

87–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिला के वि0 ख0 घुघली के न्याय पंचायत चौपुरवा में गत 3 माह से चीनी नहीं बंटी? यदि हां, तो क्यो?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

क्योंकि वहां पर कार्यरत सचिव के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही थी। परगनाधिकारी ने साधन सहकारी समिति भुवनी को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में सम्बद्ध किया था। उसके पास प्रारम्भ में धनाभाव था। बाद में धन की व्यवस्था कर दी गयी है और अब चीनी वितरित की जा रही है।

88–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या यह सच है कि सचिव पद पर कार्यरत व्यक्ति के खिलाफ भारी गोलमाल, भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितता की रिपोर्ट इसी माह विभाग को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

सचिव को 10 दिसम्बर, 81 को आरोप पत्र दिया गया।

तालकटोरा आवास योजनान्तर्गत भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजे का भुगतान

89–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ में सन् 1962 की ताल कटोरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने लोगों की भूमि अधिग्रहीत कर सन् 1977 तक कुल कितने मुआवजे का भुगतान किया गया था? तथा मुआवजा आंकने में किस-किस आधार पर क्या-क्या रेट लगाये गये थे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

90–श्री राम गोविन्द–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

दारूलशफा डिस्पेन्सरी, लखनऊ में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक दवाइयों पर व्यय

91–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों के लिए स्थापित दारूल-शफा एलोपैथी एवं आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी पर दवाओं पर 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक कितनी धनराशि व्यय हुई ?

श्री लोकपति–

दारूलशफा डिस्पेन्सरी लखनऊ का 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक दवाइयों का व्यय एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक का क्रमशः रु0 10,47,343-33 पैसे तथा रु0 2,54,617-50 पैसे था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुढाना, मुजफ्फरनगर में परिवार नियोजन उपकरण

92–श्री कूबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1972 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर पर लगाये गये परिवार नियोजन कैम्प में जिला मुख्यालय से सर्जरी का कुछ सामान प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो वह सामान क्या थे तथा स्टाक बुक के अनुसार अवशेष सामान की स्थिति क्या है?

श्री लोकपति–

जी हां,

सामान की सूची एवं स्टाक बुक के अनुसार स्थिति का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1123–1124 पर।)

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा आईस कैण्डी का भरा गया नमूना तथा आईस कैण्डी निर्माता के विरूद्ध कार्यवाही

93–श्री कूबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि 23 जून, 1979 को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुर, मुजफ्फरनगर द्वारा शाहपुर में स्थित आईस फैक्ट्री का नमूना भरा गया था, जोकि जनविश्लेषण प्रयोगशाला द्वारा अपमिश्रित पाया गया? यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्री सदन को अवगत करायेंगे कि उक्त आईस कैण्डी निर्माता के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

जी हां, प्रश्नगत तिथि के प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर मुजफ्फरनगर द्वारा श्री श्याम लाल पुत्र श्री आशा राम को आईस फैक्ट्री से आईस कैण्डी बोल का नमूना लिया गया था जो जन विश्लेषक द्वारा जांचोपरान्त अपमिश्रित पाया गया था किन्तु कुछ औपचारिकता के अभाव में उक्त मामले में सम्बन्धित निर्माता के विरूद्ध मुकदमा अभी दायर नहीं किया जा सका है।

श्री नागेन्द्र प्रसाद जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक, शाहपुर को चुनाव कार्य का यात्रा भत्ता तथा बकाया वेतन का भुगतान

94–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि श्री नागेन्द्र प्रसाद जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक, शाहपुर मुजफ्फरनगर की ड्यूटी विधान सभा चुनाव मई, 1980 में ग्राम सठेरी में लगाई गयी थी? लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त कर्मचारी को चुनाव कार्य का यात्रा-भत्ता प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत प्रशासनिक कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है।

95–श्री कुबेर भण्डारी–

विधान सभा के दिनांक 26 फरवरी, 1981 के अता0 प्र0 सं0 17 के उत्तर के सन्दर्भ में कि श्री नागेन्द्र प्रसाद जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक, स्याना, बुलन्दशहर का 16 अगस्त, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक का वेतन शीघ्र आहरण किया जा रहा है, क्या स्वास्थ्य मंत्री सदन को अवगत करायेंगे कि क्या उक्त कर्मचारी का 16 अगस्त, 1980 से 31 अगस्त, 1980 तक का वेतन आहरण किया जा चुका है? यदि हां, तो कब और कितना?

श्री लोकपति–

श्री नागेन्द्र प्रसाद जैन, स्वास्थ्य निरीक्षक, बुलन्दशहर का 16 अगस्त, 80 से 31 अगस्त, 80 तक का वेतन रुपया 258.70 दिनांक 15-10-81 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेज दिया गया है।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ में स्वास्थ्य निरीक्षकों को मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता

96–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के 70 स्वास्थ्य निरीक्षक, जो 10 दिसम्बर, 1980 से राज्य स्वास्थ्य संस्थान लखनऊ पर स्वच्छता निरीक्षक का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनको मकान किराया व नगर प्रतिकर भत्ता भी मिलता है? यदि हां, तो जनपद बुलन्दशहर के प्रशिक्षार्थी को उक्त देय भुगतान किया जाता है? जिसके लिए सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी ने संयुक्त निदेशक, मलेरिया एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, स्याना, बुलन्दशहर को पत्र दिनांक 30-4-81 को प्रेषित करके देय भुगतान की मांग किया है? यदि हां, तो प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ पर स्वच्छता निरीक्षक का प्रशिक्षण ले रहे स्वास्थ्य निरीक्षकों को मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है। जनपद बुलन्दशहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याना, के प्रशिक्षार्थी को उक्त भुगतान किया जा चुका है।

97–श्री कुबेर भण्डारी–

[2रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चिकित्साधिकारी, शाहपुर के विरुद्ध जनता द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच

98–श्री कुबेर भण्डरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उप मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1981 को चिकित्साधिकारी, शाहपुर के विरुद्ध जनता द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच की है? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री की गयी जांच कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

श्री लोकपति–

जी हां। उप मुख्य चिकित्साधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा चिकित्साधिकारी शाहपुर के विरुद्ध जनता द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच 14 जुलाई, 81 को की गई थी। जांच से आरोप निराधार पाये गये।

मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं उससे सम्बन्धित अस्पतालों पर व्यय की गई धनराशि

99–श्री विमल प्रसाद तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन को मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं उससे संबंधित अस्पतालों पर 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

के0 जी0 मेडिकल कालेज तथा गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ हेतु 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि में शासन द्वारा कुल रु0 3,26,43,660 की धनराशि स्वीकृत की गई थी?

केन्द्रीयित सेवा के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां

100–श्री धरमपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि सन् 1974 से अब तक केन्द्रीयित सेवा के कितने पद रिक्त हुए? उन पर कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गयीं और कितने पद विभागीय पदोन्नति से भरे गये?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सन् 1974 से अब तक पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में 1132 पद रिक्त हुए। 546 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां की गयीं और 413 पदों पर विभागीय अभ्यर्थियों की तदर्थ पदोन्नति की गई।

डुमरियागंज कस्बा, बस्ती को टाउन एरिया बनाने का निर्णय

101–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज कस्बा, बस्ती को टाउन एरिया बनाने का निर्णय शासन ने ले लिया है? यदि हां, तो कब तक इसे टाउन एरिया घोषित किया जायेगा?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

कृषक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण डुमरियागंज को टाउन एरिया घोषित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरियागंज, जनपद बस्ती के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध गबन की जांच

102–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 एच0 सी0 डुमरियागंज, जनपद बस्ती में बड़े बाबू के फरार रहने से दो माह से दफ्तर बन्द है और इस बात की संभावना है कि बीस हजार रुपए के लगभग गबन है और आफिस सील कर दी गयी है? यदि हां, तो किसी उच्च अधिकारी जिसका स्तर डिप्टी डाइरेक्टर या ज्वाइन्ट डायरेक्टर से कम न हो से सभी तथ्यों की जांच करायेंगे?

श्री लोकपति–

जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरियागंज, जनपद बस्ती का वरिष्ठ लिपिक दिनांक 5 सितम्बर, 1981 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर नरखोरिया के वरिष्ठ लिपिक को प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र, डुमरियागंज से सम्बद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार कार्य में कोई अवरोध नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुमरियागंज के कार्यालय को दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को सील किया गया था। उप मुख्य चिकित्साधिकारी (तृतीय) बस्ती से आवश्यक जांच कराई गयी। जांच करने पर कैश बाक्स में केवल 100-00 रु0 कम पाया गया।

डाक्टर तौफीक अहमद, मेडिकल आफिसर जामों, सुल्तानपुर का निलम्बन

103–श्री मुईद अहमद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल आफिसर जामों, सुल्तानपुर डा0 तौफीक अहमद को दिनांक 19 नवम्बर, 1980 को निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो 28 जनवरी, 1981 को न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किए जाने पर क्या उन्हें बहाल कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति–

जी हां। जिला सुल्तानपुर पुलिस थाना जगदीशपुर की रिपोर्ट दिनांक 8-3-81 के अनुसार विवेचना से डा0 तौफीक अहमद के विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हो पाया है। उन्हें बहाल करने का प्रश्न विचाराधीन है।

नगर बदायूं में कार्यरत सस्ते गल्ले की दूकानें

104–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के नगर बदायूं में वर्ष 1980-81 में राशन एवं चीनी की सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की कार्यरत संख्या कितनी थी और अब नगर बदायूं में वर्ष 1981-82 में सहकारिता विभाग को कितनी दुकानें स्वीकृत की गयी हैं और किस आधार पर? क्या स्वीकृत दूकानें स्वीकृत होने के फौरन बाद कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो लगभग 1 लाख जनसंख्या को किस प्रकार चीनी व अन्य वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है?

श्री वासुदेव सिंह–

वर्ष 1980-81 में नगर बदायूं में निजी क्षेत्र में 43 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत थीं। वर्ष 1980-81 के माह फरवरी, 1981 में यह कार्य सहकारी क्षेत्र को हस्तान्तरित किया गया। इस वर्ष में 20 दूकानें सहकारी क्षेत्र को नई स्वीकृत की गयीं तथा तीन सहकारी क्षेत्र की दुकानें पहले से कार्यरत थीं। इस प्रकार शासनादेशों के अनुसार 4000 यूनिट प्रति दूकान सम्बद्ध करने के उद्देश्य से कुल 23 दूकानें स्वीकृत हुईं।

वर्ष 1981-82 में बदायूं नगर में सहकारिता विभाग को कोई नई दूकान स्वीकृत नहीं की गई। सभी दूकानें कार्यरत हैं। नगर बदायूं की समस्त जनता को इन्हीं दूकानों के माध्यम से चीनी व अन्य वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है।

सरैया डिस्टलरी से गोरखपुर जिले में प्रदूषण की समस्या तथा रोकथाम

105–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरदार नगर चीनी मिल एवं सरैया डिस्टलरी से गोरखपुर जिले के एक इलाके में प्रदूषण की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है जिससे ब्रह्मपुर, सरदार नगर, खोराबार विकास क्षेत्र से होते हुए फरेन नाले में उपरोक्त मिल व डिस्टलरी का गन्दा पानी बहाया जाता है जिससे मलेरिया व इंसेफ्लाइटिस जैसे रोगों का जनता को शिकार होना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार इस गन्दे पानी को रोकने एवं प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिये क्या कदम उठाएगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां।

उक्त प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरैया डिस्टलरी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था जिसमें दिनांक 16-12-1981 को उक्त न्यायालय ने सरैया डिस्टलरी को इस आशय का आदेश दिया है कि वे अपने दूषित उत्प्रवाहों का निस्तारण राप्ती नदी में तभी करें जबकि वह अपने उत्प्रवाह के लिये शुद्धिकरण संयंत्र लगा लें।

स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर नियुक्तियां तथा बेसिक हेल्थ वर्करों को सर्वेलेन्स निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति

106—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री दामोदर शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1981 के बाद कितने स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं? क्या विभागीय कर्मचारी बेसिक हेल्थ वर्कर के निर्धारित 40 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत शासनादेश (संख्या मल0 ए0 एच0 आई0 80/19424) के अनुसार इन्टरमीडिएट विज्ञान, जीवविज्ञान शैक्षिक योग्यता रखने वाले बेसिक हेल्थ वर्करों की स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों पर कितनी नियुक्तियां की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

मार्च, 1981 के बाद कुल 11 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर की गई हैं। बेसिक हेल्थ वर्कर/गृह दर्शक को ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर सर्वेलेन्स निरीक्षक के रिक्त पदों पर वेतनमान रु0 230—385 में 50 प्रतिशत पदोन्नति दिये जाने का कोटा निर्धारित है, जो उन्हें दिया जा रहा है। बेसिक हेल्थ वर्करों को विभागीय अभ्यर्थियों के रूप में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है क्योंकि उन्हें सर्वेलेन्स निरीक्षक के पद पर 50 प्रतिशत की दर से पदोन्नति दी जा रही है।

107—श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में स्पेशल ग्रेड के पुरुष व महिला चिकित्साधिकारियों के रिक्त पद तथा आरक्षण कोटा

108—श्री माधव प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिला चिकित्सा अधिकारियों हेतु स्पेशल ग्रेड में वर्ष 1981 में कुल कितने अग्रेनीत आरक्षित व कितने सामान्य आरक्षित पद उपलब्ध थे तथा कुल कितने अधिकारी वर्ष 1981 में सम्पन्न चयन समिति द्वारा पदोन्नत किए गए तथा कितने पद रिक्त रहे?

श्री लोकपति—

वर्ष 1981 में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में स्पेशल ग्रेड के 47 पुरुष अधिकारियों एवं 14 महिला अधिकारियों के पद रिक्त थे। विभागीय चयन समिति द्वारा पुरुष अधिकारियों के 39 तथा महिला अधिकारियों के 14 पदों के लिए चयन किया गया था। पुरुष संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 7 आरक्षित पद उपलब्ध थे जिनमें से 3 पद भर लिये गये। 29 पद सामान्य अधिकारियों की प्रोन्नतियों द्वारा भरे गये। इस प्रकार 15 पद रिक्त रहे।

महिला संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण सभी 14 रिक्तियां सामान्य अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भर ली गई।

सैनिक श्री अरविन्द कुमार को नगरपालिका, तिलहर (शाहजहांपुर) की कुछ भूमि आवास स्थल बनाने हेतु पट्टे पर दिलाने संबंधी प्रार्थना-पत्र पर विचार

109–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1981 के कुछ अ0 शा0 पत्र मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन मंत्री, निदेशक, सैनिक कल्याण परिषद्, जिला अधिकारी, शाहजहांपुर को विभिन्न शासनादेशों के आधारों पर नगर-पालिका, तिलहर (शाहजहांपुर) की कुछ भूमि कार्यरत सैनिक श्री अरविन्द कुमार को आवास स्थल बनाने हेतु पट्टे पर दिलाने के सम्बन्ध में भेजे थे? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन अशा0 पत्रों एवं इस सैनिक के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करके उसे पट्टा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां, कथित पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर विचार हो रहा है।

तालकटोरा आवास योजना में कम भूमि की जगह अधिक अर्जित भूमि के नाम पर प्राप्त की गई धनराशि तथा कैसरबाग, कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट

110–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित तालकटोरा आवास योजना में बिना भूमि के या कम भूमि की जगह अधिक अर्जित भूमि के नाम पर सैकड़ों व्यक्तियों ने चार करोड़ से अधिक धनराशि सरकार को धोखा देकर प्राप्त किया जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग 1978 से कर रहा है? इस सम्बन्ध में क्या कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो उसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

111–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या यह भी सच है कि तत्कालीन जिलाधिकारी, लखनऊ ने इस सम्बन्ध में कैसरबाग कोतवाली में कोई रपट भी दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या पूरा विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका टाण्डा, जनपद फैजाबाद के लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षण संबंधी पत्र

112–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका टाण्डा, जनपद फैजाबाद के भू0पू0 लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त कर्मचारी के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी द्वारा पत्रांक 225/नं0 42/80-81, दिनांक 24 व 29-6-81 के कोई पत्रावली शासन को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो नियुक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया गया तथा निर्धारण के आधार पर शेष धनराशि का कर्मचारी को भुग-तान करा दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

नगरपालिका, टाण्डा में प्रश्नगत पद के वेतनमान के पुनरीक्षण से संबंधित प्रभारी अधिकारी का पत्र दिनांक 24 जून, 1980 प्राप्त हुआ था।

जी नहीं।

शासन द्वारा उक्त पद के वेतनमान को पुनरीक्षित करके आदेश दिनांक 26-12-81 को जारी कर दिये गये हैं। तदनुसार सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन निर्धारण एवं उसके आधार पर देय वेतन का भुगतान करने की कार्यवाही पालिका द्वारा अपेक्षित है।

113—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

114—श्री मित्रसेन—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ की तहसील मोहम्मदाबाद गोहना के सीमेन्ट स्टाकिस्टों को सीमेन्ट का आवंटन

115—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील मुहम्मदाबाद गोहना के सीमेन्ट स्टाकिस्टों को पिछले 4 क्वार्टर में कुल कितना-कितना सीमेन्ट का आवंटन किया गया था? क्या कुछ स्टाकिस्टों को कम और कुछ को अधिक मात्रा में आवंटन किया गया है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद आजमगढ़ की तहसील मुहम्मदाबाद गोहना के सीमेंट स्टाकिस्टों को पिछले चार त्रैमासों में निमनवत् आवंटन किया गया :—

त्रैमास का नाम	आवंटित मात्रा
प्रथम त्रैमास (जनवरी—मार्च, 81)	1548
द्वितीय त्रैमास (अप्रैल—जून, 81)	1197
तृतीय त्रैमास (जुलाई—सितम्बर, 81)	757
चतुर्थ त्रैमास (अक्तूबर—दिसम्बर, 81)	1086

उक्त अवधि में कुछ सीमेन्ट स्टाकिस्टों को कम और कुछ को अधिक सीमेन्ट आवंटित की गयी थी, जिसका कारण क्षेत्र की आवश्यकता एवं उस क्षेत्र में देय सीमेन्ट की मात्रा, फैक्ट्री से प्राप्त आवंटन की मात्रा, ट्रक लोड बनाये जाने की मात्रा तथा संबंधित क्षेत्र में कार्यरत लाइसेंसियों की कुल संख्या, स्टाकिस्टों को पिछली उठान की स्थिति एवं उनकी आर्थिक क्षमता एवं कार्य कुशलता रहा है उक्त व्यवस्था प्रशासनिक आधार पर किया जाना आवश्यक था।

डिप्लोमा फार्मेसिस्टों के स्थायी करने के सम्बन्ध में विचार

116—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य सचिव, उ0 प्र0 द्वारा शासनादेश सं0ई0एस0 248 कार्मिक 4/81, दिनांक 9-2-81 को 3 वर्ष से निरन्तर कार्यरत डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को स्थायी करने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किया गया? इस संबंध में डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को संघ शाखा मिर्जापुर ने अपने पत्र दिनांक 19-8-81 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर को लिखा? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

यूनानी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कार्यरत डाक्टर सैयद अहमद हुसैन पर चल रहे फौजदारी के मुकदमों पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

117–श्री रामकरन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि डा0 सैयद अहमद हुसैन जनपद बदायूं में यूनानी एण्ड आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डाक्टर के पद पर कार्यरत हैं? क्या श्री अहमद हुसैन के ऊपर दिनांक 24 जनवरी, 70 को किछौछा निवासी वासुदेव साहू के कत्ल का मुकदमा चल चुका है तथा पुनः दिनांक 10 जून, 1979 को अलाउद्दीन हसन अशरफ किछौछा, थाना बसखारी, जनपद फैजाबाद के कत्ल का मुकदमा सत्र न्यायालय में एस0 टी0 नं0 289/79 प्रथम अति0 सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के न्यायालय में विचाराधीन है तथा इन पर अभियोग लग चुका है? यदि हां, तो अब तक श्री अहमद हुसैन के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

जी हां। श्री अहमद हुसैन कौसर राजकीय यूनानी चिकित्सालय, शेखपुर, बदायूं में कार्यरत हैं व उक्त अधिकारी शासन की सेवा में वर्ष 1976 से कार्यरत हैं, अतएव वर्ष 1970 के कत्ल के संबंध में शासन स्तर पर कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। श्री अहमद हुसैन, चिकित्साधिकारी को अपराध संख्या 109/79 धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत 10-6-79 को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 17-7-79 को जमानत पर रिहा किया गया था। इनके ऊपर चल रहे फौजदारी के मुकदमें का अन्तिम निर्णय माननीय सत्र न्यायाधीश से अपेक्षित है। उक्त निर्णय के पश्चात् डा0 हुसैन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

118–श्री बलबीर सिंह–

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिलान्तर्गत टाउन एरिया भटनी, मझौली, सलेमपुर तथा लार में सीमेन्ट का वितरण

119–श्री हरिवंश सहाय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत टाउन एरिया भटनी, मझौली, सलेमपुर तथा लार में 1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच कितनी सीमेन्ट लोगों में वितरित की गयी? वितरित लोगों के नाम, मात्रा सहित क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

टाउन एरिया भाटपाररानी में सीमेन्ट का आवंटन

120–श्री हरिवंश सहाय–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत टाउन एरिया भाटपाररानी में 1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच कितनी सीमेन्ट लोगों में आवंटित की गयी? आवंटित लोगों के नाम, मात्रा सहित क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक भदनी, बनकटा, भाटपाररानी में सीमेंट का आवंटन

121–श्री हरिवंश सहाय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक भटनी, बनकटा तथा भाटपाररानी में 1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच प्रत्येक ब्लाकों में कितनी-कितनी सीमेन्ट वितरित की गयी? वितरित लोगों के नाम, पता तथा मात्रा सहित क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ब्लाक सलेमपुर लार, भागलपुर, बाहज व मलुबनी में सीमेन्ट का वितरण

122–श्री हरिवंश सहाय–

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि जिलान्तर्गत ब्लाक सलेमपुर लार, भागलपुर, बाहज व मलुबनी में 1 जुलाई, 1981 से 25 अगस्त, 1981 के बीच कितनी सीमेन्ट प्रत्येक ब्लाक में वितरित की गयी? वितरित लोगों के नाम व पता, मात्रा क्या है?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला देवरिया में सर्पों के काटने से मृत्यु तथा बचाव के लिये किये गये प्रबन्ध

123–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला देवरिया में 1 जून, 1981 से 25 अगस्त, 81 के बीच कितने लोगों को सर्पों ने काटा जिससे उनकी मृत्यु हो गयी? क्या इसके बचाव के लिये व्यापक पैमाने पर दवा का प्रबन्ध ग्रामीण क्षेत्रों में किया जायेगा?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राधेश्याम पाण्डे, सचिव, कोआपरेटिव सोसायटी, जनपद फैजाबाद द्वारा धन अपहरण एवं गोलमाल की शिकायत पर कृत कार्यवाही

124–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री राधेश्याम पाण्डे, सचिव, कोआपरेटिव सोसायटी, जुगुई, ब्लाक टाण्डा, थाना इब्राहीमपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा गबन किये जाने व अवैध रूप से धन अर्जित करने, निर्दोष व्यक्ति को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिनांक 5 जून, 1981 को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई? और लगाए गये आरोपों में कितने आरोप सही पाये गये, कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां।

जांच कराई गई। शिकायती पत्र में उल्लिखित 9 आरोपों में से 3 आरोप आंशिक रूप से सही पाये गये। फलस्वरूप श्री राधेश्याम पाण्डेय, सचिव को निलम्बित कर दिया गया और उनके विरुद्ध पुलिस में धन अपहरण एवं गोलमाल की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गयी।

नगरपालिका टाण्डा, जनपद फैजाबाद में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कर्मचारियों हेतु आवास आवंटन

125–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका टाण्डा, जनपद फैजाबाद में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति एवं कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण कराकर आवं-

टन किये जाने के सम्बन्ध में दि0 18-4-81 को कोई पत्र क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

जी हां, नगरपालिका, टांडा में श्रीमती जैन्तुल को सफाई कर्मचारी के पद पर केवल नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 18-4-81 प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण कराकर आवंटन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था।

श्रीमती जैन्तुल की दिनांक 28-4-81 को सफाई कर्मचारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति पालिका द्वारा कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता ।

126–श्री मोतीलाल दहेलवी–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

127–श्री राम आसरे वर्मा–

[4थे गुरुवार के लिये स्थगित]

डाक्टर एस0 के0 वर्मा, राजकीय टी0 बी0 क्लीनिक, जिला चिकित्सालय, हरदोई का स्वीकृत अवकाश तथा वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान

128–श्री हरिवंश सहाय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 5वें गुरु (दिनांक 18-2-81) के ता0 प्र0 सं0 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा0 एस0 के0 वर्मा, राजकीय टी0 बी0 क्लीनिक, जिला चिकित्सालय, हरदोई को आरथोपेडिक डिप्लोमा कोर्स के दौरान लिये गये अवकाश 12-4-77 से 1-7-78 तक की स्वीकृति, विशेष शैक्षिक योग्यता, वेतन का एरियर तथा वार्षिक वेतन बृद्धियां अभी तक नहीं दी गयी हैं? इनको उपरोक्त एरियर तथा वेतन वृद्धियों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लोकपति–

डा0 एस0 के0 वर्मा को अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है। डा0 वर्मा को वार्षिक वेतन वृद्धि तथा आरथोपेडिक डिप्लोमा से सम्बन्धित विशेष योग्यता वेतन आदि के एरियर के भुगतान से सम्बन्धित बिल महालेखाकार उत्तर प्रदेश को 1 जनवरी, 1982 को सम्प्रेक्षा हेतु भेजा गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भुगतान सम्भव हो पायेगा।

129–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

[दिनांक 17-9-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 143 द्वारा उत्तरित]

जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद में कर्मचारियों का स्थानान्तरण का आधार

130–श्री जीराज सिंह मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1981 के बाद जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद में कितने कर्मचारी स्थानान्तरित किये गये? क्या यह सही है कि शासन ने 31 जुलाई के बाद तबादलों पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण का आधार क्या था?

श्री बच्चा पाठक–

जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद में 31 जुलाई, 1981 के बाद 40 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

जी हां। प्रशासनिक दृष्टिकोण से होने वाले, जनहित में आवश्यक, पदोन्नति और सेवा निवृत्ति से होने वाली रिक्तियों पर आवश्यक व्यवस्था हेतु होने वाले तबादलों को छोड़कर सरकारी सेवकों के तबादलों पर रोक लगाई गयी थी।

बैंक के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं हैं। उक्त सभी कर्मचारियों के तबादले प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये गये हैं।

कानपुर के मेडिकल कालेज में ग्लूकोज बनाने के संयंत्र को बन्द करने का कारण

131—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1972 में कानपुर के अस्पतालों में दूषित ग्लूकोज से होने वाली मौतों को देखते हुए सन् 1973 में मेडिकल कालेज में दो ग्लूकोज बनाने का संयंत्र लगाया गया था, और जिसमें कम लागत पर ग्लूकोज का उत्पादन हो रहा था, उसे बन्द करने का क्या कारण है?

श्री लोकपति—

इस यूनिट द्वारा निर्मित ट्रांसफ्यूजन फल्यूड का उत्पादन इसके पर्याप्त मानक स्तर के न होने के कारण बन्द करना पड़ा।

लखनऊ नगर में राशन कार्ड की संख्या व जांच पत्र

132—श्री मोतीलाल दहेलवी—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर में इस समय कुल कितने राशन कार्ड बने हुए हैं और जिला पूर्ति कार्यालय, लखनऊ के रिकार्ड में उन राशन कार्डों से सम्बन्धित कुल कितने जांच-पत्र मौजूद हैं?

श्री वासुदेव सिंह—

इस समय (1-1-82 को) लखनऊ नगर में दो लाख पचपन हजार एक सौ चौबीस (2,55,124) राशन कार्ड बने हुए हैं, और उनसे सम्बन्धित कुल एक लाख छत्तीस हजार दो सौ सतहत्तर (1,36,277) जांच पत्र मौजूद हैं।

133—श्री हरिवंश सहाय—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती सुभद्रा वर्मा, परिवार कल्याण कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर के आश्रितों को अनिवार्य जीवन बीमा व भविष्य निधि का भुगतान

134—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सुभद्रा वर्मा, परिवार कल्याण कार्यकर्त्री (एफ0डब्लू0डब्लू0) प्रा0 स्वा0 केन्द्र राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर को दिनांक 3/4 सितम्बर, 1980 को डाकुओं ने जान से मार डाला? यदि हां, तो क्या उसके आश्रितों को अनिवार्य जीवन बीमा व भविष्य निधि राशि दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसके आश्रित अविवाहित पुत्री जो एम0 ए0, बी0 एड0 है, को सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जायेगी ?

श्री लोकपति—

जी हां।

भविष्य निधि लेखा संख्या एम0 ओ0 आर0 बी0 टी0/3 में जमा धनराशि रु0 726-00 का दिनांक 1-12-81 को भुगतान कर दिया गया है तथा भविष्य निधि लेखा संख्या जी0ए0यू0—40618 में जमा धनराशि के भुगतान के लिए महा-लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 31-8-81 को लिखा गया है जीवन

बीमा की धनराशि के भुगतान के लिये डिवीजनल मैनेजर ग्रुप लाइफ इन्सोरेन्स उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिनांक 8-5-81 को लिखा जा चुका है। मृतक की आश्रित पुत्री को सरकारी सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

देवरिया जिलान्तर्गत टाउन एरिया लार, भाटपार रानी, मझौली, सलेमपुर भटनी सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु प्राप्त व अवशेष धन का वितरण

135–श्री हरिवंश सहाय–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत टाउन एरिया लार, भाटपार रानी, मझौली, सलेमपुर, भटनी सड़कों व नालियों के निर्माण में 1 जनवरी, 1980 से 31 मई, 1981 के बीच कितना धन प्राप्त हुआ तथा उसका निर्माण कहां-कहां हुआ और कितना धन अवशेष है और उसका पूर्ण उपयोग न होने का कारण क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

प्रश्न से संबंधित सूचना निम्न तालिका में दर्शायी गई है:–

तालिका

टाउन एरिया का नाम	1–1–80 से 31–5–81 के बीच प्राप्त अनुदान की धनराशि	अवशेष अप्रयुक्त धनराशि	निर्माण कराये गये कार्य का विवरण	अनुदान के पूर्ण उपयोग न होने के कारण
1	2	3	4	5
1—लार	1,23,500	79,204	बस स्टेशन रोड को पिच करने, इसी रोड पर एक पुलिया का निर्माण कार्य तथा चौक वार्ड में खड़ंजा लगाने का कार्य चल रहा है।	तारकोल एवं रोड रोलर के उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य न हो सका।
2–भाटपाररानी	1,43,750	50,783	चुन्नी के घर से दूबर के घर तक 261 मीटर सड़क पर खड़ंजा तथा हीरा के घर से हरख के घर तक 23 मीटर सड़क की भराई का कार्य करा लिया गया है दुर्गा के घर से दक्षिण खड़ंजा मालवीय रोड पर खड़ंजा व नाली निर्माण चुनकी रोड पर पुलिया का निर्माण तथा जकरी के घर से सत्यनारायण के घर तक खड़ंजा व नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।	ईंटें उपलब्ध न होने के कारण विचाराधीन निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं कराया जा सका।
3–मझौलीराज	1,21,250	10,810	सुखलाल मल्लाह के मकान से दक्षिण 137 मी0 श्री जगदीश दुबे के मकान से बनवारी दुबे के मकान तक 100 मीटर हीरा के मकान से नगसर के मकान तक 69 मीटर वल्ली खटिक के मकान से	मात्र एक सड़क श्री श्री सुन्दर कहार के मकान से उत्तर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया

1	2	3	4	5
			एनुल के मकान तक 17.25 मीटर किला चौराहा से उत्तर 104 मीटर यादों लाल के मकान से छोटकू की दुकान तक 65·5मी0 मोती के मकान से उत्तर 154 मीटर माता-दीन के मकान से रामजी के मकान तक 166 मीटर, उसमान के मकान से मुश्ताक के मकान तक 153 मीटर मुन्सिफ के मकान से दक्षिण 39 मीटर श्री सुमेर के मकान से उत्तर पोखरा तक 125 मीटर, बैजनाथ के मकान से दक्षिण बांध तक 180मीटर, जगदीश के मकान से उत्तर 27 मीटर लम्बी सड़कों का खडंजा ईंटों द्वारा एवं साइड की नालियों का निर्माण कराया गया है ।	है । सभी पूर्ण निर्माण कार्यों का अन्तिम बिलों का सत्यापन सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग से अभी न होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है ।
4–सलेमपुर	77,500	60,616	टैक्सी स्टैंड से नगीना के घर तक 178 मीटर सड़क खड़ंजा तथा नाली का निर्माण रमाशंकर पाण्डे के मकान से 198 मीटर उत्तर सार्वजनिक निर्माण विभाग की रोड से रमा शंकर के मकान तक मिट्टी भराई का कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग सोहनाग रोड से 360 मीटर पूरब खड़ंजा तथा पुलिया का निर्माण हो रहा है।	बरसात के दिनों में ईंटें उपलब्ध न होने के कारण अवशेष धनराशि का उपयोग नहीं हो सका ।
5–भटनीबाजार	97,000	73,137	वार्ड नं0 5 व 6 में 244 मीटर खड़ंजा वार्ड नं0 11 में सरल दुसाध के मकान से टाउन एरिया सीमा तक 160 मीटर सड़क, खड़ंजा, वार्ड नं0 4 व 8 सीमा पर छेदी लाल के घर से दीप नारायण के घर तक 91 मीटर सड़क खड़ंजा, रामजीत	बरसात के दिनों में ईंट उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य रुका पड़ा था अब ईंट उपलब्ध हो गयी है और सभी अवशेष कार्य प्रारंभ हो गये हैं ।

1	2	3	4	5
			के मकान से भीम नारायण के मकान तक 80 मीटर सड़क खड़ंजा, वार्ड नं0 6 में श्री राम दूबे के घर से श्री वीर नारायण के मकान तक 124 मीटर सड़क खड़ंजा, वार्ड नं0 5 व 6 की सीमा पर राजवंश के घर से टाउन एरिया की सीमा तक 187 मीटर सड़क खड़ंजा, जगन्नाथ के घर से सहदेव गुप्त के घर तक 182 मीटर सड़क खड़ंजा का निर्माण कराया जा रहा है ।	

सी0एम0ओ0 अल्मोड़ा द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र देने हेतु ली गई फीस सरकारी कोष में जमा करने का विवरण

136–श्री हरिवंश सहाय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि सी0एम0ओ0, अल्मोड़ा ने 1980-81 में मेडिकल फिटनेस काउन्टर साइन तथा छुट्टी के प्रमाण-पत्र देने के विषय में कुल कितने रुपए फीस के रूप में विभिन्न विभागों के लोगों से लिये और उसमें से कुल कितने रुपए सरकारी कोष में जमा किये और कितने रुपए स्वयं लिए?

श्री लोकपति–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1980-81 में अल्मोड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने चिकित्सा प्रमाण-पत्र देने हेतु कुल 316 रुपए फीस के रूप में लिए । इस धनराशि में से 78 रुपए सरकारी कोष में जमा किया गया तथा कुल 237 रुपये सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा स्वयं लिया गया।

137–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तीरथराज सिंह निवासी ग्राम मझौली, आजमगढ़ के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

138–श्री पंचानन राय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमिट पर खराब तथा कम सीमेन्ट दिये जाने से सम्बन्धित श्री तीरथराज सिंह, निवासी ग्राम मझौली इब्राहीमपुर, सगड़ी, आजमगढ़ का शिकायती-पत्र दिनांक 19-9-81 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 24-9-81 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वासुदेव सिंह–

जी नहीं, माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 24-9-1981 जिलाधिकारी आजमगढ़ को नहीं प्राप्त हुआ है।

आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में सीमेन्ट का आवंटन

139–श्री पंचानन राय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले को जुलाई, 1981 से सितम्बर, 1981 तक सीमेन्ट का कुल कितना कोटा प्राप्त हुआ? इसमें से प्रत्येक तहसील को अलग-अलग कितनी--कितनी सीमेंन्ट आवंटित की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह–

आजमगढ़ जिले को जुलाई से सितम्बर 1981 की अवधि के लिए 2,900 टन सीमेन्ट का कोटा प्राप्त हुआ इसमें से अलग-अलग तहसील को निम्नवत प्रकार से आवंटित किया गया था:–

नाम तहसील	आवंटित मात्रा
1–सदर	302 मी0 टन
2–मुहम्मदाबाद	418 मी0 टन
3–घोसी	444 मी0 टन
4–फूलपुर	344 मी0 टन
5–सगड़ी	315 मी0 टन
6–लालगंज	276 मी0 टन

सहायक निबन्धक, बुलन्दशहर का स्थानान्तरण

140–श्री किरनपाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रामकुमार वर्मा, सहायक निवन्धक, बुलन्दशहर का माह सितम्बर/अक्तूबर, 1981 में बुलन्दशहर से स्थानान्तरण किसी पड़ाड़ी जिले में कुछ मा0 विधायकों की लिखित शिकायतों के आधार पर किया गया था? यदि हां, तो उक्त सहायक निबन्धक के विरुद्ध क्या शिकायतें थीं?

श्री बच्चा पाठक–

श्री रामकुमार वर्मा, सहायक निबन्धक, बुलन्दशहर का प्रशासनिक आधार पर माह सितम्बर 1981 में जनपद चमोली के लिए जो स्थानान्तरण किया गया था, वह किसी विधायक की लिखित शिकायतों पर नहीं किया गया था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला फैजाबाद साधन सहकारी समिति के सचिव के विरुद्ध जांच

141–श्री बलवीर सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि साधन सहकारी समिति देवगांवन ब्लाक खंडासा, जिला फैजाबाद के सचिव श्री समरकन्द श्रीवास्तव के विरुद्ध श्री महेश चन्द्र शर्मा, विधायक का कोई शिकायती-पत्र माह अगस्त/सितम्बर/अक्तूबर, 1981 में निबन्धक सहकारी समितियां, लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक

जी हां।

शिकायती पत्र की जांच कराने पर आरोप निराधार पाये गये।

कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक इटावा के वेतनमान पर कार्यवाही

142–श्री मोतीलाल देहलवी–

क्या सहकारिता मंत्री श्री कृष्ण स्वरूप सचान, कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, इटावा के वेतनमान से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता द्वारा संलग्नक के साथ दिनांक 29 जनवरी, 1981 को दिये गये पत्र और अपने उत्तर दिनांकित 2 फरवरी, 1981 के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री बच्चा पाठक–

श्री कृष्ण स्वरूप सचान, कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, इटावा को रु0 250–600 का वेतन मान दिये जाने विषयक प्रकरण निर्णय हेतु क्षेत्रीय संराधन अधिकारी, कानपुर के न्यायालय में यू0 पी0 बैंक कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है जो अभी लम्बित है। न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर बैंक द्वारा कार्यवाही की जायगी।

143–श्री मोतीलाल दहेलवी–

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर महिला आश्रम की डाक्टर विजय लक्ष्मी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

144–श्री कुबेर भण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर महिला आश्रम में डा0 विजय लक्ष्मी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र माह अक्तूबर, 81 में उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रश्नकर्ता द्वारा अपनी पत्नी को दवा हेतु दिखाने एवं साक्षात्कार के समय दुर्व्यवहार एवं अशिष्टता और अधिकार की अवहेलना की गयी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी हां।

मुख्य चिकित्साधिकारी को जांच करके वस्तु स्थिति बताने को कहा गया है।

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी के शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

145–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी में सन् 1980 से आज तक कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तथा उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक होगी?

श्री लोकपति–।

बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, झांसी में वर्ष 1980 से कुल 6 शैक्षिक पद रिक्त हैं।

इन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

सगड़ी तहसील में अन्य तहसीलों की अपेक्षा कम चीनी का आवंटन

146–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 4थे गुरु0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 80 में सगड़ी तहसील को आवंटित की गयी चीनी उसकी आबादी की तुलना में अन्य तहसीलों की अपेक्षा कम होने के क्या कारण है?

श्री वासुदेव सिंह–

मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी वितरण का आधार केवल यूनिटों की संख्या नहीं है बल्कि राशन कार्डों की संख्या भी एक आधार है। जनपद की सगड़ी तहसील में जनपद की अन्य तहसीलों की अपेक्षा राशन कार्डों की संख्या कम होने के कारण सगड़ी तहसील को अन्य तहसीलों की अपेक्षा कम चीनी का आवंटन किया गया था।

जल निगम में गैर तकनीकी सेवाओं में स्वीकृत पद तथा आरक्षण कोटा

147–श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में गैर तकनीकी सेवाओं के प्रत्येक वर्ग एवं संवर्ग (हर वेतनमान) के लिये स्वीकृत पदों के

विरुद्ध 1 नवम्बर, 81 तक भरे गये कुल पदों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी वर्गों के कर्मचारियों की कितनी संख्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला चमोली के सेवा निवृत्त कम्पाउन्डर की भविष्य निधि का भुगतान

148–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम सुन्दर वर्मा, सेवा मुक्त कम्पाउन्डर जुलाई, 73 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय रांऊ-लेंक, जिला चमोली से कम्पाउन्डर पद से सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो उनकी भविष्य निधि के भुगतान के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है? भुगतान कब तक हो जाने की सम्भावना है। ?

श्री लोकपति–

जी हां, उक्त कम्पाउन्डर को उसके भविष्य निधि से रु0 632 का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि के भुगतान हेतु भी महालेखाकार, इलाहाबाद को लिखा जा चुका है। महालेखाकार द्वारा भुगतानादेश प्राप्त होने पर उक्त कम्पाउन्डर को शेष धनराशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा।

149–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय अंचल के सभी जनपदों के चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विचार

150–श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0 प्र0 जिला शाखा संघ गोपेश्वर, जिला चमोली ने 5 साल से निरन्तर चले आ रहे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जनपद चमोली के अस्थाई अधिष्ठानों में तीन साल से निरन्तर सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थायीकरण हेतु दिनांक 19-7-81 को ज्ञापन दिया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति–

जी हां।

जनपद चमोली ही नहीं वरन् पर्वतीय अंचल के सभी जनपदों के चिकित्सालयों में तीन वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे अस्थाई चतुर्थ श्रेणी के पदों के स्थायीकरण के मामले पर शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

जनपद झांसी में जवाहर लाल पार्क का सुन्दरीकरण

151–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि झांसी नगर सीपरी बाजार में बने जवाहर लाल पार्क में नगरपालिका, झांसी द्वारा सुन्दरीकरण पर सन् 78 से आज तक प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

कोई व्यय नहीं किया गया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कानपुर रोड प्रसार योजना में कार्यरत अवर अभियन्ता के कार्य का वितरण

152–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में कानपुर रोड प्रसार योजना के अन्तर्गत कितने अवर अभियन्ता कार्यरत हैं तथा उनके कार्य वितरण का विवरण क्या है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में कानपुर रोड प्रसार योजना के अन्तर्गत 17 अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। उनके कार्य वितरण के विवरण निम्नानुसार है :––

अवर अभियन्ता	कार्य विवरण
1–(अ)	सेक्टर डी. में 40 ई. डब्लू. एस. दो मंजिले भवनों का निर्माण ग्रुप-111
(ब)	सेक्टर डी में 48 एल. आई. जी. दो मंजिले भवनों का निर्माण
2–(अ)	सेक्टर डी में 40 ई. डब्लू. एस. दो मंजिले भवनों का निर्माण ग्रुप-5
(ब)	सेक्टर डी में 40 एल. आई. जी दो मंजिले भवनों का निर्माण।
3–(अ)	सेक्टर डी में 22 ई. डब्लू. एस. एक मंजिले भवनों का निर्माण।
(ब)	सेक्टर डी में 24 ई. डब्लू. एस. दो मंजिले भवनों का निर्माण।
(स)	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत डिवीजनल स्टोर की देखरेख ।
4–(अ)	सेक्टर डी में 40 ई. डब्लू. एस. दो मंजिले भवनों का निर्माण ग्रुप-4 ।
(ब)	सेक्टर डी में 32 ई. डब्लू. एस. दो मंजिले भवनों का निर्माण।
5–(अ)	सेक्टर डी में 40 ई. डब्लू. एस. दो मंजिले भवनों का निर्माण ग्रुप-1 ।
(ब)	ट्रांसपोर्ट नगर के अन्तर्गत एस. डब्लू. ड्रेन का निर्माण कार्य।
6–(अ)	ट्रांसपोर्ट नगर के अन्तर्गत 18 मील चौड़ी सड़क का निर्माण।
(ब)	ट्रांसपोर्ट नगर के अन्तर्गत सेक्टर-ई में एस डब्लू ड्रेन का निर्माण कार्य ।
(स)	ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर ई में 80 फिट रोड का निर्माण कार्य।
7–(अ)	ट्रांसपोर्ट नगर में रोड के किनारे खड़ंजा लगाने का कार्य।
(ब)	ट्रांसपोर्ट नगर में 12 मील चौड़ी सड़क का निर्माण रेलवे लाइन के नजदीक ।
(स)	ट्रांसपोर्ट नगर में पैच रिपेयर का कार्य।
8–(अ)	ट्रांसपोर्ट नगर में बची हुई सड़कों का निर्माण कार्य ।
(ब)	ट्रांसपोर्ट नगर में रोड नं0–1, 2, 3, 4 व 5 का निर्माण कार्य।
(स)	वाटर मेन बिछाने का कार्य (ट्रांस नगर के अन्तर्गत) ।
(द)	ट्रांसपोर्ट नगर में ट्यूबवेल नं0-1 व 2 हेतु सर्वेन्ट क्वार्टर का निर्माण ।
(य)	दोनों ट्यूबवेल के चारों तरफ बारबेड वायर लगाने का कार्य।
(र)	ट्रांसपोर्ट नगर में सेक्टर-एफ में सोकेज टाइप सैप्टिक टैंक का निर्माण 244 साइट सर्विसेज के लिये।
9–(अ)	ट्रांसपोर्ट नगर में सेक्टर ई में विद्युतीकरण का कार्य।
(ब)	ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर एफ में विद्युतीकरण का कार्य।
10–100	आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के लिए भवनों का निर्माण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित कार्य ।

11–सेक्टर डी में बरसाती नालियों की डिजाइन एवं उनका निर्माण तथा कानपुर रोड के शेष भाग का सर्वेक्षण ।

12–कानपुर रोड योजना के अन्य सेक्टरों का सर्वेक्षण।

13–सेक्टर डी में 60 फिट रोड का निर्माण, 100 आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के लिये भवनों का निर्माण, खण्डीय स्टोर की व्यवस्था तथा सीवर लाइन बिछाने की डिजाइन तथा निर्माण ।

14–80 फिट चौड़ी रोड जिसकी लम्बाई 1.50 कि0मी0 है का निर्माण साइट कार्यालय की व्यवस्था एवं वाटर मेन की डिजाइन तथा उसका निर्माण ।

15–सेक्टर 'सी' 'डी' का सर्वेक्षण, विभागीय निर्माण इकाई के 96 एवं ठेकेदार द्वारा 100 ई.डब्लू. एस. भवनों का निर्माण। सेक्टर "डी" में 80 फिट चौड़े शेष भागों का निर्माण ।

16–60 फिट चौड़े मार्ग का निर्माण, बड़े बरसाती नाले 4 कि.मी. का निर्माण 20 एच. आई. जी भवनों का निर्माण, भूमि अर्जन एवं सम्पत्तियों का रखरखाव तथा योजना के शेष भाग का सम्पत्ति विवरण ।

17–सेक्टर "डी" के पार्कों का व्ययानुमान एवं उनका निर्माण तथा के. सी. ड्रेन की डिजाइन तथा निर्माण कार्य।

सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के कार्यालय व गोदाम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

153–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 1ले गुरुवार के लिए अता0 प्र0 सं0 110 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भवन कब तक खाली कर दिया जायेगा? वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होने के सम्बन्ध में सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ द्वारा क्या प्रयास किए गए ?

श्री वासुदेव सिंह–

मऊनाथ भंजन के सीनियर मार्केटिंग इंसपेक्टर के कार्यालय एवं गोदाम के लिए वैकल्पिक भवन देख लिया गया है किन्तु उसमें कुछ संशोधन आवश्यक है जो भवन स्वामी द्वारा कराये जा रहे हैं। प्रश्नगत भवन में संशोधन हो जाने और उसके उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ग्रामीण सहकारी बैंक के भवन को खाली कर दिया जायेगा।

154–श्री पंचानन राय–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

155–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

[पुनरावृत्ति के लिए निरस्त]

राजकीय चिकित्सालय में मैट्रन व सीनियर फिजीशियन की व्यवस्था

156–श्री बलवीर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि रामपुर राजकीय चिकित्सालय में मैट्रन व सीनियर फिजीशियन काफी समय से नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक इसकी व्यवस्था हो जायेगी?

श्री लोकपति–

जी नहीं।

व्यवस्था कर दी गयी है । राजकीय चिकित्सालय, रामपुर में मैट्रन के पद पर (श्रीमती) बी0 वाई0 दिलावर सिंह की तैनाती कर दी गई है और उन्होंने दिनांक 5-10-81 को कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है । सीनियर फिजीशियन के पद पर डा0 एन0 एन0 भटनागर की तैनाती कर दी गई है और उन्होंने दिनांक 30-7-81 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा स्थापित कम्पोस्ट प्लान्ट से लाभ तथा तैयार की गयी कुल खाद

157–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर द्वारा खाद फैक्ट्री कब से चलाई जा रही है और अब तक उक्त खाद फैक्ट्री का कुल कितने धन का लाभ हुआ है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा स्थापित कम्पोस्ट प्लान्ट 1-2-80 से चलाया जा रहा है। अभी तक इसमें कोई लाभ नहीं हुआ है।

158–श्री मोती लाल दहेलवी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित खाद फैक्ट्री को भारत सरकार ने प्रारम्भ से अब तक कुल कितना धन दिया है तथा इस फैक्ट्री में खाद बनाने के लिए प्रारम्भ से अब तक कुल कितना कच्चा माल आया और उस कच्चे माल से कुल कितनी खाद तैयार की गयी तथा कितना कच्चा माल अवशेष है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

नगर महापालिका, कानपुर द्वारा संचालित मैकेनिकल कम्पोस्ट प्लान्ट को भारत सरकार ने अब तक कुल रु0 36.58 लाख दिया है। कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा नहीं जाता है बल्कि शहरी कूड़े करकट को प्लान्ट में डम्प कर उससे कम्पोस्ट तैयार किया जाता है। अब तक कुल 1,471 टन खाद तैयार की गयी। कच्चा माल शहर के कूड़े करकट के रूप में रोज आता रहता है।

159–श्री दामोदर शर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आजमगढ़, सगड़ी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सीमेन्ट की आपूर्ति की एजेन्सी

160–श्री पंचानन राय–

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 3रे गुरुवार के लिए उत्तरित अता0 प्र0 सं0 21 के सन्दर्भ में क्या आपूर्ति मंत्री प्रश्नकर्ता की सूचना को सही मानते हुए श्री बाबूराम का विक्रय केन्द्र बाग खालिस न होकर आजमगढ़ शहर है, पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह–

जी हां।

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में पिछड़ी जाति के अधिकारियों की पदोन्नति

161–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में वर्ष 81 में सीनियर स्केल में कितने पिछड़ी जाति के चिकित्सा अधिकारी पदोन्नत किए गए हैं तथा कितने पद इस संवर्ग हेतु उपलब्ध थे ? क्या वांछित सेवा पूर्ण करने वाले सभी अधिकारियों की उक्त पदों पर पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

प्रान्तीय चिकित्सा सेवा में कलेन्डर वर्ष 1981 में सीनियर स्केल में 11 पिछड़ी जाति के साधारण ग्रेड के अधिकारियों की पदोन्नति की गई। इनमें से 8 अधिकारियों को प्रोन्नति वर्ष 1980 में हुये चयन के फलस्वरूप पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित 8 पदों पर की गई। वर्ष 1981 में आरक्षण के आधार पर 40 पद उपलब्ध थे, किन्तु पिछड़े वर्ग के लिये प्रोन्नतियों में आरक्षण की सुविधा समाप्त हो जाने के कारण केवल तीन पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की प्रोन्नति सामान्य ज्येष्ठता के आधार पर की गई।

सहकारी समिति पंचपेड़वा जनपद गोण्डा के निलम्बित सचिव के विरुद्ध गबन का आरोप

162—श्री अकबाल हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति पंचपेड़वा, जनपद गोण्डा के निलम्बित सचिव, राम बहादुर तिवारी के विरुद्ध कुल कितने रुपये का गबन करने का आरोप है और उनके विरुद्ध कुल कितने एफ0 आई0 आर0 दर्ज किए गए और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बच्चा पाठक—

सहकारी समिति पंचपडवा जनपद गोण्डा के भूतपूर्व सचिव श्री राम बहादुर तिवारी के विरुद्ध 29 अभियोग पंजीकृत हुये, जिनमें कुल रुपया 1,25,512·12 पै0 के गबन के आरोप हैं। इनमें से 22 अभियोगों में श्री राम बहादुर तिवारी आदि के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, 4 अभियोगों में अन्तिम आख्या प्रेषित हुई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई, एक अभियोग अग्रिम विवेचना में तथा 2 अभियोग विवेचनाधीन हैं। श्री राम बहादुर तिवारी दिनांक 7-10-74 को निलम्बित किये गये तथा दिनांक 22-10-80 के आदेशानुसार उनकी सेवायें निलम्बन की तिथि से समाप्त कर दी गई।

163—श्री पंचानन राय—

[दिनांक 29-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 110 द्वारा उत्तरित]

आगरा, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों में परिवार नियोजन केन्द्रों तथा कर्मचारियों हेतु भवनों का निर्माण तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिग्रहण

164—श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, मेरठ तथा सहारनपुर जिलों में परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए चार भवन तथा कर्मचारियों के लिए 18 क्वार्टर सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से 3·90 लाख रुपए की लागत से बनाए गये तथा उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवम्बर, 72 से जुलाई, 74 के मध्य अधिग्रहीत करा लिया गया? यदि हां, तो यह भवन कब तक खाली रहे तथा इनको खाली रखने के क्या कारण थे?

श्री लोकपति—

जी हां। ग्रामीण परिवार कल्याण मुख्य केन्द्र, सलेमपुर, जिला सहारनपुर का भवन जून, 1973 में उपलेहरा, जिला मेरठ का भवन, मई 1974 में तथा बावली, जिला मेरठ का भवन जुलाई, 1974 में अधिगृहीत किया गया। अछनेरा, जिला आगरा का भवन कुछ कमियों के कारण अभी तक अधिगृहीत नहीं किया गया है। सलेमपुर (सहारनपुर) का भवन अधिग्रहण के समय से ही उपयोग में है। उपलेहरा (मेरठ) का भवन मई, 1974 से अगस्त, 1979 तक खाली रहा। बावली (मेरठ) का भवन जुलाई, 1974 से सितम्बर, 1978 तक खाली रहा। भारत सरकार द्वारा भवन निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लाग् किए जाने के कारण वर्ष 1974 में भवनों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको अपूर्ण स्थिति में ही सार्वजनिक निर्माण विभाग से अधिगृहीत करना पड़ा। जिस कारण वे उपयोग में नहीं लाए जा सके।

टाउन एरिया मनकापुर, गोण्डा में शुल्क की वसूली

165—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया मनकापुर, जिला गोण्डा में बसों तथा ट्रकों का प्रतिदिन आने-जाने में कितना शुल्क लिया जाता है? 1980-81 तथा 1981-82 में कुल कितनी आय बस, ट्रक, टैक्सी से प्राप्त हुई।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

डाक्टर एम0 के0 सिंह, प्रा0 हेल्थ सेन्टर, जलालपुर, जिला जौनपुर का बकाया वेतन का भुगतान

166–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एम0 के0 सिंह, प्रा0 हेल्थ सेन्टर, जलालपुर, जिला जौनपुर का वेतन फरवरी, 74 से मई, अगस्त, 75 तक तथा फरवरी, 76 से जुलाई, 76 तक का आंशिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है जब वे प्रा0 स्वा0 केन्द्र राबर्ट्सगंज. मिर्जापुर में कार्यरत थे? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, कार्मिक, उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र संख्या ई0/2/77-78/4011, दिनांक 3-10-77 के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर को निर्देश दिया कि इनके समस्त देयों तथा नियमित अवशेषों का भुगतान कर दिया जाय और एक सप्ताह के अन्दर उत्तर भी कृत कार्यवाही का मांगा था? यदि हां, तो अब तक भुगतान न करने के कारण क्या है? क्या इस सम्बन्ध में उक्त डा0 जब दुद्दी प्रा0 हे0 से0 मिर्जापुर में थे तब 20-12-75, 27-3-76, 12-5-76, 8-8-78 व 22-9-78 को प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर को दे चुके हैं?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है।

डा0 एम0 के0 सिंह का द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में स्थानान्तरण

167–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एम0 के0 सिंह को आजमगढ़ से मार्च, 74 में ट्रान्सफर प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र राबर्टसगंज, मिर्जापुर में द्वितीय चिकित्सा अधिकारी के पद पर किया गया? क्या डा0 एम0 के0 सिंह का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आजमगढ ने भेजा? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी में आवास विकास परिषद् द्वारा खोला गया पंजीकरण तथा भवनों का निर्माण कार्य

168–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी आवास विकास परिषद् में सन 65 से अब तक भवन व प्लाट देने हेतु कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और फीस भी जमा किया है? उक्त परिषद् ने अब तक कितने आवासीय भवनों का निर्माण कराया और कितने लोगों को आवासीय भवनों का एलाटमेन्ट कराया है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

वाराणसी नगर में आवास परिषद् द्वारा पंजीकरण प्रथम बार वर्ष 1975 में **खोला गया है। तब से भवनों** हेतु 3708 व्यक्तियों ने तथा भूखण्ड हेतु 1424 व्यक्तियों ने नियमानुसार धनराशि जमा करके पंजीकरण कराया है।

आवास परिषद् द्वारा वाराणसी में 210 आवासीय भवन इस समय बनाये जा रहे हैं 246 भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है।

चूंकि उक्त शहर में अभी तक कोई भवन तैयार नहीं हुए हैं अतः किसी भवन का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है।

विकास खण्ड सांथा, जनपद बस्ती में सीमेन्ट का वितरण

169–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि 1 जुलाई, 81 से 30 सितम्बर, 81 तक विकास खण्ड सांथा, जनपद बस्ती में कुल कितनी सीमेन्ट किन-किन लोगों को

बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुए थे और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाए गये थे? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कि अगर इनमें से किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया, तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

170–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद गोरखपुर की विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण आदि में अनियमितता संबंधी शिकायती-पत्र

171–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में साधन सहकारी समिति बिशुनपुरा मटियारा, गजाईकोल, ब्रह्मपुर, चौक, लक्ष्मीपुर, एकडंगा आदि के विरुद्ध, सचिव के ऊपर चीनी, मिटटी का तेल, सस्ते कपड़े काले बाजार बेचने व जनता को कई महीने से न देने फर्जी तौर पर बिना कार्ड पर वस्तुएं चढ़ाए अपना रजिस्टर पूरा करने खादों व कर्ज में गोल माल करने के संबंध में कितनी शिकायतें माह जून, 81 से माह अक्टूबर, 81 तक स्थानीय अधिकारियों आदि को दी गई ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक–

साधन सहकारी समिति बिशुनपुर, मटियारा, गजाईकोल, ब्रह्मपुर एवं चौक के विरुद्ध आवश्यक वस्तुओं के वितरण आदि में अनियमितता संबंधी चार शिकायती-पत्र जून, 81 से अक्टूबर, 81 तक प्राप्त हुए। लक्ष्मीपुर एकडगा समिति के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अधिकांश शिकायतें जांचोंपरान्त निराधार पाई गई ।

सीमेन्ट, चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल की आपूर्ति विषयक पत्र

172–श्री पंचानन राय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट, चीनी, मिट्टी का तेल, डीजल की आपूर्ति न होने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10–11–80 जिला अधिकारी, अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वासुदेव सिंह–

जी नहीं । माननीय सदस्य का संदर्भित पत्र जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त होना नहीं पाया गया । अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला आजमगढ़, तहसील सगड़ी में अधिक मात्रा में सीमेन्ट की आपूर्ति

173–श्री पंचानन राय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित होने के कारण आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील को अधिक मात्रा में सीमेन्ट की आपूर्ति किए जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-11-80 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री एन0 बी0 जोशी, जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, जनपद मुरादाबाद द्वारा आवासीय सुविधा ग्रहण करते हुए मकान भत्ता संबंधी प्रदान की गई अनुमति

174–श्री जीराज सिंह मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन0 बी0 जोशी, जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, जनपद मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद तथा डी0 सी0 डी0 एफ0 मुरादाबाद के अतिथि गृहों में एक साथ दोनों जगह मुफ्त आवासीय सुविधा ग्रहण करते हुए एक अगस्त, 1980 से 1 सितम्बर, 1981 तक सरकारी कोष से मकान भत्ता नकदी के रूप में लेते रहे? यदि हां, तो श्री जोशी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं । श्री एन0 बी0 जोशी, जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद ने न तो जिला सहकारी बैंक लि0, मुरादाबाद के अतिथि गृह में और न डी0 सी0 डी0 एफ0 मुरादाबाद के अतिथि गृह में आवासीय सुविधा ग्रहण की है । श्री जोशी उक्त बैंक के ऊपरी भवन में, जिसमें पहले से सहायक निबन्धक निवास करते रहे हैं, 1-8-80 से निवास कर रहे हैं जिसका वे नियत किराया आदि दे रहे हैं । यह सही है कि उन्होंने 1 अगस्त, 1980 से 1 सितम्बर, 1981 तक मकान भत्ता नियमानुसार लिया है । श्री जोशी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

175–श्री जीराज सिंह मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद ने निबंधक, सहकारी समितियां उ0 प्र0 शासन के दिनांक 2-4-78 के आदेशों के विपरीत जिला सहकारी बैंक लि0 मुरादाबाद के अतिथि गृह में श्री एन0 बी0 जोशी, जिला सहायक निबंधक, मुरादाबाद को आवासीय सुविधा ग्रहण करने हेतु अनुमति प्रदान की? यदि हां, तो उसका आधार क्या था?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं । श्री एन0 बी0 जोशी, जिला सहायक निबन्धक, मुरादाबाद को जिलाधिकारी/प्रशासक, जिला सहकारी बैंक, मुरादाबाद ने जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद के अतिथि गृह में आवासीय सुविधा ग्रहण करने की कोई अनुमति नहीं दी है।

जनपद बस्ती, सदर अस्पताल के भवन के चारों ओर पानी भराव की समस्या

176–श्री मथुरा प्रसाद पांडेय–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद बस्ती के सदर अस्पताल के भवन के चारों ओर पानी भरा हुआ है? इससे रोगियों/अस्पताल के कर्मचारियों को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की गयी है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति–

सदर अस्पताल, बस्ती के भवन के चारों तरफ पानी नहीं भरा है, अतः रोगियों या कर्मचारियों को असुविधा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

पानी भराव की समस्या उठने पर ही इसके निराकरण के उपाय किये जावेंगे।

सूरजपुर साधन समिति, जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण गोदाम का निर्माण

177–श्री राजकुमार राय–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ में सूरजपुर (ब्लाक दोहरी घाट) में बीज गोदाम निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक बीज गोदाम बन जाने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत सूरजपुर साधन समिति (विकास खण्ड दोहरीघाट) जनपद आजमगढ़ का ग्रामीण गोदाम निर्माण हेतु जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां द्वारा चयन किया गया था परन्तु चालू वित्तीय वर्ष (1981-82) में उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गोदामों के निर्माण की स्वीकृति न दिए जाने के निर्णय के कारण गोदाम निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर कार्यवाही

178-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन [भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (सिविल) पर आधारित] की सिफारिश संख्या 16 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16 तथा उस पर की गयी कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।

[देखिए नत्थी (छ) आगे पृष्ठ 1125 पर ।]

विकास खण्ड खेसरहा, जनपद बस्ती में सीमेंट का वितरण

179–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1 जुलाई, 81 से 30 सितम्बर, 81 तक विकास खंड खेसरहा, जनपद बस्ती में कुल कितनी-कितनी सीमेंट किन-किन लोगों को बांटी गयी तथा उन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुये ? और तहसील के रजिस्टर में किस नम्बर पर चढ़ाए गए थे ? क्या यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि अगर इनमें किसी को प्राथमिकता के आधार पर बिना नम्बर के सीमेन्ट दिया गया तो प्राथमिकता देने का आधार क्या था ?

श्री बासुदेव सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

180-181–श्री शेर बहादुर सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डाक्टर एस0एन0एस0 गौतम केन्सलटेंट (ड्रग) का लखनऊ में कार्यकाल, उनका अन्य पदों पर स्थानान्तरण तथा कन्सलटेन्ट (ड्रग) पद हेतु योग्यता एवं अनुभव

182–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रग कन्ट्रोल विभाग में डा0 एस0 एन0 एस0 गौतम, कन्सलटेन्ट के पद पर हैं, और लखनऊ में 10 वर्षों से हैं ?

श्री लोकपति–

डा0 एस0एन0एस0 गौतम, कन्सलटेन्ट (औषधि) दिनांक 28-8-1975 से ही लगातार लखनऊ में तैनात हैं ।

183–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 78 में डा0 गौतम का ट्रान्सफर हेल्थ आफिसर बरेली के पद पर किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यें वहां नहीं गये इसका क्या कारण है ?

श्री लोकपति–

डा0 गौतम का स्थानान्तरण सन् 1979 में सहायक निदेशक (खाद्य) के पद से वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, बरेली के पद पर किया गया था। वे उक्त पद के साथ सहायक निदेशक (औषधि) के पद का कार्य भी देख रहे थे। सहायक निदेशक (औषधि) का पद योग्य अधिकारी के अभाव में रिक्त चल रहा था। अतः डा0 गौतम को बरेली के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करके सहायक निदेशक (औषधि) के पद पर जनहित में तैनात किया गया ।

184–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे की सन् 80-81 में डा0 गौतम को सी0 एम0 ओ0 बनाया गया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सी0 एम0 ओ0 के पद पर ये स्वयं नहीं गए?

श्री लोकपति–

जी नहीं ।

185–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 गौतम कन्सलटेन्ट (ड्रग) के पद पर हैं ? दवा के संबंध में क्या योग्यता इनकी है? यह भी सत्य है कि इनको परीक्षण एवं दवा निर्माण का भी अनुभव नहीं है ? यदि हां, तो इन्हें कन्ट्रोल विभाग में एक्सपर्ट कैसे बनाया गया है ?

श्री लोकपति–

डा0 गौतम, कन्सलटेन्ट (औषधि) एम0बी0बी0एस0 एवं डी0पी0एच0 की अर्हता रखते हैं। एम0 बी0 बी0 डिग्री में 2 वर्ष फार्माकोलाजी के विषय में विद्यार्थियों को औषधि के गुण के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। डी0पी0एच0 कोर्स में भी खाद्य एवं औषधि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष 1964-65 में स्टेट वैक्सीन इन्सटीट्यूट, पटवाडांगर (नैनीताल) में तैनाती के समय इन्होंने एन्टी रैबिक वैक्सीन बनाने का अनुभव प्राप्त किया । चूंकि डा0 गौतम दो वर्ष तक सहायक निदेशक (औषधि) के पद पर कार्य कर चुके हैं और उन्हें ड्रग कन्ट्रोल विभाग का अच्छा अनुभव प्राप्त है अतः उन्हें कन्सलटेन्ट (औषधि) के पद पर तैनात किया गया है ।

सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित करने का आधार

186–श्री नन्दकिशोर–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

प्रारम्भिक सहकारी समितियों की निर्वाचन तिथियां जुलाई, अगस्त, 1981 में निर्धारित की गई थीं, किन्तु अत्यधिक वर्षा के परिणामस्वरूप उक्त तिथियां अक्टूबर, नवम्बर, 1981 के लिए बढ़ा दी गई । कतिपय स्त्रोतों से यह प्रश्न उठाया गया कि उक्त निर्वाचन प्रक्रिया नये सिरे से प्रारम्भ की जाय अथवा जहां से विगत निर्वाचन की कार्यवाही छोड़ी गयी थी वहां से प्रारम्भ की जाय। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निर्वाचन की कार्यवाही नये सिरे से और नई मतदाता सूची के आधार पर की जाय । इस निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश द्वारा रोक दिया था। परिणामस्वरूप सहकारी समितियों के निर्वाचन निरस्त कर देने पड़े

187–श्री रघुबीर सिंह यादव, श्री जगदीश सिंह यादव तथा श्री बंशीधर ।

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध शिकायत

188–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, उ0 प्र0 लखनऊ को प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध पंजीकृत पत्रांक शिकायत 81-82 दिनांक 23-9-81 एवं पंजीकृत नोटिस 81-82 दिनांक 23-10-81 को अध्यक्ष, उ0 प्र0 बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसियेशन, बाराबंकी शाखा से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और अब तक उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

टाउन एरिया जियनपुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के नागरिकों को चीनी न मिलने से संबंधित शिकायती-पत्र

189–श्री पंचानन राय–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया जियनपुर तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के नागरिकों को चीनी न मिलने से संबंधित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के

पत्र दिनांक 22-11-80 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच किसी अधिकारी से कराई गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री बासुदेव सिंह–

टाउन एरिया जियनपुर तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के नागरिकों को चीनी न मिलने से संबंधित शिकायती-पत्र माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 22-11-80 के साथ जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त नहीं पाया जाता । अतएव, जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति कांसभार में ग्रामीण गोदाम की स्वीकृत

190–श्री पंचानन राय–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी कांसभार विकास क्षेत्र आजमगढ़ की बीज गोदाम के निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-7-81 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

साधन सहकारी समिति कांसभार के लिए बीज गोदाम नहीं बल्कि ग्रामीण गोदाम विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में स्वीकृत किया गया था । समिति द्वारा अभी तक उपयुक्त भूमि की व्यवस्था नहीं हो सकी है ।

191–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

गोरखपुर में टाउन हाल फव्वारे पर शहीद रवीन्द्र सिंह की मूर्ति की स्थापना

192–श्रीमती गौरी देवी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा माह अगस्त, 81 में गोरखपुर में टाउन हाल फव्वारे पर शहीद रवीन्द्र सिंह की मूर्ति की स्थापना में कोई पत्र मा0 मंत्री जी को भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

माह अगस्त, 81 में गोरखपुर में टाउन हाल फव्वारे पर शहीद रवीन्द्र सिंह की मूर्ति की स्थापना के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

193–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित ।]

जिला आजमगढ़, ग्राम पाडरकुन्डा के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण से सम्बन्धित पत्र

194–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम पाडरकुन्डा के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 80 शासन को प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह चिकित्सालय कब स्वीकृत हुआ था और इसके भवन का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़, ग्राम बरडीहा में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने संबंधी पत्र

195–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम बरडीहा में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र 10-9-80 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ से निर्धारित मानक के अनुसार प्रस्ताव मांगे गये हैं । यदि निर्धारित मानक के अनुसार ग्राम में चिकित्सालय खोलने का औचित्य पाया गया तो चिकित्सालय खोलने पर यथा समय विचार कर लिया जायगा।

सगड़ी तहसील, ग्राम हैदराबाद में चिकित्सालय खोलने का विचार

196–श्री पंचानन राय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम हैदराबाद के प्रधान श्री पुरुषोत्तम मिश्र का उक्त गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने से संबंधित पत्र 21 जुलाई, 80 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 2-8-80 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति–

जी हां ।

निर्धारित मानक के अनुसार इस ग्राम में चिकित्सालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया ।

गाजियाबाद में ग्रामीण गोदामों के निर्माण में अनियमितताओं की जांच

197–श्री जीराज सिंह मौर्य–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन0 बी0 जोशी, जिला सहायक निबंधक, मुरादाबाद को वर्ष 1978-79 में गाजियाबाद में ग्रामीण गोदामों के निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितताओं के कारण जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर तत्कालीन उप निबंधक सहकारी समितियां, मेरठ मंडल तथा निबंधक महोदय, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 द्वारा निलंबित करने तथा पदावनत करने की शासन को संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री बच्चा पाठक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्ष 1980 में किसानों से धान की खरीद एवं चावल निकलवाने पर हुआ व्यय

198–श्री जयदीप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1980 में किसानों से सीधी खरीद द्वारा कुल कितना धान खरीदा गया और इस धान से कुल कितना चावल सरकार ने मिलों से कुटवाकर प्राप्त किया है ? धान की खरीद पर चावल निकलवाने पर क्रमशः कितना व्यय हुआ है ?

श्री वासुदेव सिंह–

विगत खरीफ खरीद वर्ष 1980-81 में शासन ने खाद्य विभाग को मार्केटिंग शाखा तथा अपनी तीन अन्य क्रय एजेन्सियों द्वारा किसानों से कुल 5,90,360 मी0 टन धान की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर की है । उपर्युक्त धान में से अभी तक निजी मिलों से कस्टम हलिंग द्वारा 3,66,970 मी0 टन चावल तैयार कराया जा सका है ।

2. उपर्युक्त धान की खरीद पर कुल रु0 64,10,83,227·75 व्यय हुआ है तथा उक्त धान से निजी मिलों से कस्टम हलिंग द्वारा चावल बनवाने पर अभी तक रु0 1,22,27,028·80 व्यय हुआ है ।

3. उपर्युक्त आंकड़े अन्तिम नहीं हैं ।

199–श्री विजय सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद का दूद्धी टाउन एरिया कब घोषित हुआ है और अब तक दूद्धी टाउन एरिया के लिए सरकार कितनी धनराशि स्वीकृत कर चुकी है ? उस धनराशि का किन-किन मदों में खर्च हुआ है ? क्या सरकार व्यय हुए धनराशि का ब्यौरेवार विवरण देगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल–

मिर्जापुर जनपद का दूद्धी टाउन एरिया दिनांक 7 फरवरी, 1978 को घोषित किया गया । अब तक शासन द्वारा इस टाउन एरिया को 70,000 रुपया (सत्तर हजार रुपया) स्वीकृत किया जा चुका है, जिसमें 10,000 रुपये की धनराशि टाउन एरिया के अन्तर्गत गली बनवाने में खर्च की गयी । शेष 60,000 रुपये मेन रोड पर दोनों तरफ 70 फीट लम्बी पक्की नाली बनाने में व्यय किये जायेंगे, जिसका कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

200-201–श्री उदल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट पम्प कैनाल में लगे पुराने ट्रांसफार्मर्स के न बदले जाने से सिंचाई कार्य में बाधा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[11 बजकर 53 मिनट]

*श्री राज कुमार राय–

मान्यवर, आजमगढ़ जनपद में दोहरी घाट की पम्प कैनाल एशिया महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ी पम्पिंग नहर है । जिसमें आजमगढ़ के साथ-साथ बलिया जनपद के लगभग आधे कृषि क्षेत्र की सिंचाई होती है। किन्तु वह नहर जहां अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवहेलना की पात्र है वहीं पर विद्युत विभाग का कार्य तो और भी कोढ़ में खाज की तरह उपेक्षापूर्ण है । अधिक लाभ की आशा में और धीरे मरम्मत के नाम पर सारा फण्ड खा जाने के कुत्सित उद्देश्य से वहां पर अक्षम ट्रांसफार्मर्स बदले नहीं जा रहे हैं। तीन अदद ट्रांसफारमरों में से कोई भी 6–6 के0वी0ए0 लोड लेने में सक्षम नहीं है जिसके कारण चार पम्पों के बजाय केवल दो ही पम्प चलाये जाते हैं। जहां तक कि पुराने जर्जर मशीनों को रिपेयर्स भी नहीं किया जा रहा है । बिजली वोल्टेज को ट्रिपिंग, उतार-चढ़ाव इतना अनावश्यक एवं अधिक कम है कि मशीनों को खामख्वाह बन्द कर देना पड़ता है । अन्यथा करोड़ों की मशीनें जो यों ही पुरानी एवं जर्जर होने वाली हैं, खराब हो जायेंगी और इस प्रकार पिछड़े इलाके के हजारों हैक्टेयर उपजाऊ जमीन सिंचाई के अभाव में बेकार पड़ी है । जो राज्य के हरित क्रांति एवं प्रधान मंत्री जी के इस वर्ष के उत्पादन वर्ष के सपने को विफल कर रहे हैं।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय सूचना को आपके माध्यम से तुरन्त सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि दोहरीघाट नहर पर प्रयुक्त अक्षम ट्रान्सफारमर्स को तुरन्त बदला जाये तथा एक अतिरिक्त ट्रान्सफारमर और लगाया जाये एवं खराब मशीनों की मरम्मत के बजाय उन्हें रिप्लेस किया जाये। बोल्टेज्ज वैरियेशन एवं बिजली की आवश्यक ट्रिमिंग करके सिंचाई के लिए सर्वदा की भान्ति अत्याधिक विद्युत आपूर्ति शीर्षस्थ प्राथमिकता के आधार पर की जाये और अब तक की त्रुटियों की छानबीन करके उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद फैजाबाद के सहायता प्राप्त कतिपय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को वेतन वितरण न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा–

आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद में सहायता प्राप्त (वेतन अधिनियम 1978–उ0प्र0 अधिनियम 5–1979) की ओर आकर्षित करते हुए कहना है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जनियर हाई स्कूल से सम्बन्धित 14 विद्यालयों के अध्यापकों को माह अगस्त, 1981 से आज तक वेतन वितरण नहीं किया गया उक्त 14 विद्यालय के अध्यापकों का वेतन लगभग 80 हजार रुपया प्रतिमाह होता है, सम्पूर्ण बकाया वेतन 4 लाख 80 हजार रुपया अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद् की लापरवाही एवं तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण बकाया पड़ा हुआ है। जबकि वेतन वितरण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक माह के देय वेतनादि का बिल उसी माह 16 से 20 तारीख के बीच मांगे जायें तथा 28 तारीख तक बिल पारित करके प्रबन्ध तंत्र को वापस कर दिया जाय यह आगामी माह की पहली तारीख को देय होगा परन्तु अभी तक इन नियमों के विपरीत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से कार्यवाही होने से जनपद के 14 विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन न मिलने के कारण अपनी रोटीरोजी चला पाने में कठिनाईयां महसूस कर रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा बार-बार आवेदन पत्र दिया गया कि निश्चित तिथि पर वेतन भुगतान किया जाय तथा 4 लाख 80 हजार रुपया बकाया वेतन भुगतान कराया जाय परन्तु अभी तक उपरोक्त सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से नहीं हो सकी।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि जनपद फैजाबाद में वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत 14 जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का बकाया वेतन 4 लाख 80 हजार रुपया अविलम्ब भुगतान कराया जाय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराकर उचित कार्यवाही की जाय।

लखनऊ बम्बई राष्ट्रीय मार्ग पर कानपुर और जालौन के बीच यमुना नदी पर बनाये गये पुल को यातायात के लिए न खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री शंकर सिंह–**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त लोक महत्व के विषय को सदन तथा सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

लखनऊ से बम्बई जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर कानपुर और जनपद जालौन के बीच यमुना नदी पर काल्पी नगर के किनारे बनने वाला सड़क का पुल 3 माह से पूर्व बन कर तैयार है। परन्तु उसको यातायात के लिये नहीं खोला गया है। अधिकारियों का कहना है कि पुल के उद्घाटन के लिए उसके अनुरूप किसी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का कार्य-क्रम नहीं मिल पा रहा है। इसलिये पुल यातायात के लिए नहीं खोला जा सकता है।

एक ओर तो करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले पुल के उद्घाटन के लिये अति महत्वपूर्ण व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण उसको यातायात के लिए नहीं खोला जा रहा है दूसरी ओर राष्ट्रीय मार्ग पर चलने वाली जनता तथा यातायात को भारी असुविधा उठानी पड़ रही है। रेल के पुल से अभी यातायात निकलने की सुविधा जनता को थी परन्तु वह एक मार्ग होने के कारण वह बहुत असुविधाजनक है। साथ ही नये पुल बन जाने से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उसकी मरम्मत कराना भी बंद कर दिया जिसके कारण पुल पर सड़क बरी तरह उखड़ गयी है तथा पटरे भी उखड़ रहे हैं। किसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर सिंह]
भी समय भारी दुर्घटना हो सकती है । उक्त स्थिति में जनता ने फैसला किया है कि कालपी पर यमुना पुल को यदि तुरन्त यातायात के लिये नहीं खोला जाता तो दिनांक 7-2-82 को जालौन तथा कानपुर जनपदों की जनता स्वयं पुल का उद्घाटन कर देगी । यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी शासन की होगी।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण पुल को तुरन्त यातायात के लिये खोला जाय ।

(व्यवधान)

कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी अपनी नियम 301 की सूचना को लिये जाने की मांग

श्री गौरी शंकर भैय्या–

बलिया जनपद की महत्वपूर्ण सूचना दिया था कि वहां बिहार के डाकू आते हैं और लूटकर चले जाते हैं (व्यवधान) । (व्यवधान में श्री धनी राम वर्मा के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं । आपका कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री खैरुल बशर–

मान्यवर, आप मेरी सूचना को एलाउ नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैंने जिसको उचित समझा था उनको स्वीकार किया है, इसलिये आप बैठ जायं (माननीय सदस्य के न बैठने पर) आप कृपया बैठ जायं। आप कृपया बैठ जायं क्योंकि आपकी सूचना स्वीकार नहीं हुई है जिसके सम्बन्ध में मैंने कक्ष में बता दिया है । कोर्ट के मामले को यहां 301 में आप कहलाना चाहते हैं । इसलिये आप कृपया बैठ जायं ।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन (सिविल) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1979-80 एवं विनियोग लेखे 1979-80†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन (सिविल) तथा उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1979-80 एवं विनियोग लेखे 1979-80 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मैं आपकी आज्ञा से सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2829/उन्तालिस (4) 81-2(3)-79, दिनांक 5 सितम्बर, 1981 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1981 को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपलोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मुजफ्फरनगर–कैराना जांच आयोग की रिपोर्ट†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं मुजफ्फरनगर-कैराना जांच आयोग की रिपोर्ट विलम्ब के कारण व ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, हम लोगों को इसकी कोई प्रति न पीजन होल में मिली है और न यहां मिली है और न सदन के पटल पर रखी गयी है।

श्री हुकम सिंह–

पीजन होल में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

सदन के पटल पर रख दी गयी है। पीजन होल में रखी जा रही है।

श्री मोहन सिंह–

कल की विफलता को छिपाने के लिये इन्होंने पेश कर दिया है जो कि अभी तक नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष–

मिल रही है।

श्री मोहन सिंह–

आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं।

कल दिनांक 27 जनवरी, 1982 को भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री के पत्र को मुख्य मंत्री द्वारा पढ़े जाने पर मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मैं आइटम के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है।

श्रीमन्, मैंने कल माननीय सदन के अन्दर जो माननीय मुख्य मंत्री ने एक पत्र पढ़ा था जिसके संबंध में विवाद हुआ था उस सम्बन्ध में मझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यहां परा प्रयास किया गधे को घोड़ा बनाने का। आपके विवेक और आपकी सूझबूझ से माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें सफल नहीं हो सके और आपने अपनी रूलिंग दी कि उसकी मूल या फोटो स्टेट कापी ही यहां आनी चाहिये। मान्यवर, चूंकि बहुत स्पष्ट मामला है, माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझकर पूरा प्रयास किया सदन को और आपको गुमराह करने का।

(शोर)

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)–

मान्यवर, एक अनुरोध है माननीय सदस्य से आपके माध्यम से, उन्होंने कहा कि गधे को घोड़ा बनाने का प्रयास किया है तो उसका भी विश्लेषण कर दें कि कौन गधा था जिसको घोड़ा बनाया जा रहा था।

श्री रियासत हुसैन–

यह सब जानते हैं, सबको मालूम है इसके संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। तो मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानबूझकर अपने सारे सहयोगियों की मदद से यह किया और उसमें वह असफल रहे। दूसरी बात यह है कि जो कमीशन आफ इन्क्वायरी रिपोर्ट है तो जो लेटर टाइप करके भेजा है कल तक वह गोपनीय था। आज सदन के पटल पर आया है तो आज के बाद वह पब्लिक डाकूमेंट हो गया। लेकिन उसमें से टाइप करके आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है तो जिस गोपनीयता की शपथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने खायी है उसको भंग किया है। तो इससे माननीय सदन की जो मान मर्यादा है, जो सम्मान होना चाहिये उसको ठेस माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहुंचायी है। उसका अपमान किया है। सारे सदन के सम्मुख यह चीजें हुयीं हैं इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विशेषाधिकार की सूचना को स्वीकार करें और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]
माननीय सदन अपने अधिकार के मुताबिक उस पर विचार करे और दंड देने का पूरा अधिकार है। मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी क्षमा याचना कर लें कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा तो बहुत आसानी से मामला निपट जायगा।

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रियासत हुसैन साहब ने यह आरोप लगाया कि मैंने जानबूझकर के सदन को गुमराह करने का प्रयास किया। मान्यवर, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करता हूं कि जानबूझकर के गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि उस पत्र की प्रमाणिकता आपने स्वयं घोषित की कल । एक प्रमाणिक चीज को सदन के सामने रखना गुमराह नहीं करना होता और जानबूझकर गुमराह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मान्यवर, जहां तक गोपनीय रिपोर्ट का प्रश्न है तो मान्यवर, कल ही मैं अनुरोध कर रहा था कि कोई पत्र किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बन गया है, इक्जिबिट बन गया है तो उसको उपलब्ध करने में समय लग सकता है उसके लिये मैं क्षमा याचना कर रहा था लेकिन जो आपने आदेश दिया कि सिटिंग उठने के पहले उसकी फोटो स्टेट कापी आ जाय या वह पत्र आ जाय तो अवश्य जो साक्ष्य था जिससे साबित हो सकता था जिससे आपको विश्वास हुआ और जिसकी सूचना कार्यालय को पहुंचायी जा चुकी है, उसको प्रस्तुत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसकी प्रमाणिकता को सबने, आपने भी स्वीकार किया और वह सामने आयी। आज आपके सामने एक पत्र की फोटो स्टेट कापी जिसमें चौधरी चरण सिंह के दस्तखत है जो उन्होंने ब्रह्म प्रकाश शर्मा को प्रेषित किया था उसको मैं आपके सामने रखता हूं।

(शोर)

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है जो अध्याय कल समाप्त हो चुका है और जिस भाषण का पूरा अंश कल पढ़ा जा चुका है, क्या आप उसकी इजाजत देंगे, क्या उसको नये सिरे से प्रारम्भ करेंगे और उसको इस भाषण का हिस्सा मानेंगे ।

(शोर)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, हमारे व्यवस्था के प्रश्न पर थोड़ा समय और दे दें।

श्री लोकपति–

श्रीमन्, जहां तक वह पत्र की फिर से यहां पर लाने की बात है, वह हमारी ओर से पहले नहीं लाया गया, पर रियासत साहब ने बात उठायी, तब आया और जहां तक गोपनीयता को भंग करने का प्रश्न आया वह श्रीमन्, उस पत्र की गोपनीयता हमारी ओर से भंग नहीं की गयी। जब इस बात का जिक्र आया और मा0 अध्यक्ष के आदेश हुए कि सिटिंग के उठने से पूर्व वह पत्र यहां आ जाए या उसकी फोटो स्टेट कापी आ जाये तो श्रीमन्, उन्हीं के आदेशों के पालन में यह पत्र यहां आया और यह पत्र तत्कालीन सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह के द्वारा भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव को लिखा गया था मुजफ्फरनगर के काण्ड के सिलसिले में। इसलिए श्रीमन्, वह भेजने का उल्लेख तत्कालीन सरकार द्वारा हुआ था। इसलिए श्रीमन्, बेहतर यही होगा अब इस प्रश्न पर अधिक वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें हमारी ओर से किसी प्रकार के गुमराह किये जाने का प्रश्न अर्न्तग्रस्त नहीं है, खत्म किया जाए। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कल दिनांक 27 जनवरी, 1982 को भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मन्त्री के पत्र को मुख्य मन्त्री द्वारा 1031 पढ़े जाने पर मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह–

कल जिस पेपर का जिक्र मा0 मुख्य मंत्री जी ने किया था और जिसकी फोटो स्टेट कापी यह यहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाये, उसको आज यह पुनः कहीं से यहां ले आये हैं (शोर) मैं फाइल को देखूंगा, बहुत लम्बा मामला है। और दूसरी बात जो माननीय लोकपति जी ने कही कि इसकी गोपनीयता इनकी सरकार द्वारा भंग न होकर तत्कालीन सरकार द्वारा भंग की गयी थी, यह बिल्कुल गलत है, इसका फैसला आज हो जाना चाहिये। इस पर इन्क्वायरी सेटअप की जाय। मुजफ्फरनगर में जो काण्ड इन लोगों की साजिश से हुआ था और वहां के डी0 एम0, श्री बृजेश को बचाने के लिए सत्तापक्ष क्योंकि इमरजेंसी के जमाने का यह मामला है, उस समय वहां पर मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। बृजेश उस समय मुजफ्फरनगर का डी0 एम0 था, उसको बचाने के लिए यह लोग प्रयास कर रहे थे, चौधरी साहब ने उस समय पत्र श्री राम नरेश यादव को लिखा था यह लोग प्रीजुडिस होकर मामले को पलटने और वहां के डी0 एम0 को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फाइल को देखूंगा कि वह पत्र यहां कैसे आ गया और श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न सही है। आज तो आपके पास वह पत्र होना चाहिये। ओरीजनल फाइल को मंगाकर देख लें। उसकी गोपनीयता भंग की आपने और आपकी सरकार के जमाने में यह हुआ, बृजेश को बचाने के लिए।

(शेम-शेम की आवाजें)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मेरा ख्याल है कि जो ग्राह्यता के ऊपर आप बोल रहे थे तो दूसरी बात होने लगी। माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रश्न उठाया है विशेषाधिकार का, उस सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। उन्होंने जिस आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसमें एक तो यह कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने गोपनीयता भंग की, वह रिपोर्ट जब तक हाउस में ले नहीं हुई थी, उससे पहले उसे पढ़कर गोपनीयता को भंग किया और उन्हें इस बात का अधिकार नहीं था कि वे उस खत को सदन के सामने पेश कर सकें और इस बात से सदन को जानबूझकर गुमराह किया। यह दो मुद्दे हैं जिन पर विशेषाधिकार की नोटिस दी है। आखिर में जानबूझकर सदन को गुमराह करने की बात पर ज्यादा जोर दिया गया है।

जहां तक किसी डाक्यूमेंट के पेश करने का सवाल है, मैं आपका ध्यान "प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंन्ट" कौल और शकधर दूसरे एडीशन के पृष्ठ 833 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि ––

मेम्बर्स राइट टू कोट फ्राम सेक्रेट डाकूमेन्ट्स ए मेम्बर कैन आर्डिनरली कोट फ्राम ए डाकूमेन्ट दैट इज ट्रीटेड बाई गवर्नमेन्ट एज सेक्रेट कान्फीडेन्सल एण्ड ह्विच दि गवर्नमेन्ट हैब नाट डिसक्लोज्ड इन पब्लिक इन्टरेस्ट। दयेर इज ए पासिबिलिटी फार सच ए डाकूमेन्ट टू बी आबटेण्ड थ्रो लीकेज आर स्टील्थ आर इन एन इरेंगुलर मैनर, एण्ड दयेर इज नो कम्पल्सन आफ दि मेम्बर टू डिस्क्लोज दि सोर्स फ्राम ह्विच ए कापी दयेरआफ हैज बीन आबटेन्ड बाई हिम।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

लेकिन आप तो सरकार हैं, सिर्फ मेम्बर ही नहीं हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

आप सुन तो लें। यह एक मेम्बर के लिए बात कही गयी है, जो इस सदन का मेम्बर है उसके लिए, चाहे वह इस सरकार में हो या मिनिस्टर हो या वह केवल इस हाउस का मेम्बर हो।

[श्री अम्मार रिजवी]

(व्यवधान)

अगर आप आगे देखें तो पृष्ठ 834 पर उन्होंने लिखा है:—

"ह्वेन ए मेम्बर रीड्स ए पार्ट आफ कान्फीडेन्सल डाकूमेंट दैट पोर्सन एण्ड एनी अदर रेलवेन्ट पोर्सन टू मेक इट अंडरस्टूड इज लेड आन दि टेबिल : दि इन्टायर डाकूमेंट नीड नाट बी लेड ।"

कोई भी मेम्बर किसी खत को, किसी डाक्यूमेन्ट को पेश कर सकता है और यह उसके ऊपर मजबूरी नहीं है कि वह उसका सोर्स भी बताये । एक मेम्बर के लिए यह बात कही गयी है ।

श्री रियासत हुसैन—

लेकिन यह सरकार के लिए नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी—

सरकार की भी बात आयेगी, सरकार थोड़ा सा धैर्य रखें ।

श्री ऊदल—

अगर सरकार के लिए भी कौल और शकधर ने कुछ लिखा है तो उसे भी बता दें ।

श्री अध्यक्ष—

कह तो लेने दीजिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कौल और शकधर ने भी अपनी किताब में इनकी बात नहीं टाली है ।

पृष्ठ 234 पर उन्होंने लिखा है:—

"इफ एनी स्टेटमेन्ट इज मेड आन दि फ्लोर आफ दि हाउस बाई ए मेम्बर आर मिनिस्टर ह्विच एन अदर मेम्बर विलीव्स टू बी अनटू, इनकम्प्लीट आर इनकरेक्ट, इट डज नाट कन्स्टीच्यूट ए ब्रीच आफ प्रिविलेज ।"

कोई ऐसी बात जिसे कोई मंत्री कहता है और दूसरा मेम्बर समझता है, गलत है तो विशेषाधिकार नहीं बनता है ।

"इफ एन इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट इज मेड, देयर आर अदर रेमेडीज बाई ह्विच दि इशू कैन बी डिसाइडेड."

अर्थात् दूसरे तरीके हैं उसको तय करने के । वे आगे कहते हैं—

"इन आर्डर टू कान्स्टीच्यूट ए ब्रीच आफ प्रिविलेज आर कन्टेम्ट आफ दि हाउस, इट हैज टू बी प्रूव्ड दैट दि स्टेटमेन्ट वाज नाट ओनली रांग आर मिसलीडिंग बट इट वाज मेड डेलीबरेटली टू मिसलीड दि हाउस. ए ब्रीच आफ प्रिविलेज कैन एराइज ओनली ह्वेन दि मेम्बर आर दि मिनिस्टर मेक्स ए फाल्स स्टेटमेन्ट आर एन इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट विलफुल्ली, डेलीबरेटली एण्ड नोइंगली."

ब्रीच आफ प्रिविलेज मान्यवर उस वक्त होता है जिस वक्त एक कोई सदस्य जो सरकार का हो वह ऐसा वक्तव्य देता है जो कि सही नहीं है । जहां तक वक्तव्य के प्रमाणिकता का सवाल है, जहां तक इसके सत्य होने का सवाल है, इसकी रूलिंग हो चुकी है । यह बात जो है उसे "मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस" जिसे सारी दुनिया अथारिटी मानती है उन्होंने कहा है सिटिंग डाकूमेन्ट्स नाट बिफोर दि हाउस.

माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा है कि वह रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गयी थी । मान्यवर, इस संबंध में भी "मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस" के पेज 431 पर लिखा हुआ है—

"एन अदर रूल आर प्रिंसिपिल आफ डिबेट में बी हियर एडेड, ए मिनिस्टर आफ दि क्राउन इज नाट एट लिबर्टी टू रीड आर कोट फ्राम ए डिसपैच आर अदर स्टेट

कल दिनांक 27 जनवरी, 1982 को भूतपूर्व केन्द्रीय गृह मन्त्री के पत्र को मुख्य मन्त्री द्वारा पढ़े जाने पर मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

पेपर नाट बिफोर दि हाउस, अनलेस ही बी प्रीपियेर्ड टू ले इट अपान दि टेबिल. दिस रेस्ट्रेन्ट इज सिमिलर टू दि रूल आफ इवीडेन्स इन कोर्ट्स आफ ला, ह्विच प्रिवेन्ट्स काउन्सिल फ्राम सिटिंग डाकूमेन्टस ह्विच हैव नाट बीन प्रोड्यूस्ड इन इवीडेन्स दि प्रिंसिपिल इज सो रिजनेबिल दैट इज नाट बीन कन्टेस्टेड'' जो मान्यवर यह पूरा सारा का सारा सबूत आपके सामने है ।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र पढ़ा । उसकी प्रमाणिकता में जो कुछ उन्होंने कहा उसे सबने सुना और उस पर आपने भी कहा था कि इसके जेन्यूइन होने में कोई सन्देह नहीं है । मान्यवर, आपकी इस पीठ से उस पर रूलिंग हो चुकी है जिस पर पूरे सदन का विश्वास है । सरकार का कोई सदस्य डाकूमेन्ट से कोट कर सकता है । जहां तक कल उस पत्र के पढ़ने का सवाल है तो मुख्य मंत्री को पूरा अधिकार था कि वह पत्र को पढ़ते । वह किसी भी रूल या पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस चाहे यहां की हो या ब्रिटेन की हो जिसका हवाला हमारे मोहन सिंह जी बहुत दिया करते हैं, नहीं लिखा है कि वह डाकूमेन्ट को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय रियासत हुसैन साहेब ने जो गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश की है, वह कहां तक कामयाब रहे हैं। इसका निश्चय माननीय सदन को करना है ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, लगता है कि भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ी मेहनत की है । मुझे भी आप थोड़ा सा मौका दे दें । मैंने रिजवी साहेब की वकालत को बड़े गौर से सुना जो बातें यहां पर उन्होंने कही है और मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस का हवाला दिया है, यह सब मैं 1962 से देखता चला आ रहा हूं । जो बात उन्होंने कही वह पूरे सदन के माननीय सदस्यों का प्रीविलेज है । जो सूचना यहां प्रोड्यूस की गयी है, वह सूचना यह कहां से लाते हैं यह बात यह नहीं कह सकते हैं कि यह सूचना हम कहां से लाये हैं । यह शासन दल के लिए नहीं बल्कि इस माननीय सदन के सभी सदस्यों के लिए यह बात है । यह केवल शासक दल के लिए ही नहीं मैं कह रहा हूं।

दूसरी चीज जो माननीय मुख्य मंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने जान-बूझकर एसा नहीं किया । तो क्या मैं एसा समझूं कि कल सदन का घंटा डेढ़ घंटा जो बरबाद हुआ वह मुख्य मंत्री जी के बचपने के कारण या फिर उनकी नासमझी के कारण या फिर नाबालिगी के कारण हुआ ? यह तो बचकानेपन वाली बात हो गयी कि एसा जान-बूझकर नहीं किया, बस हो गया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

नासमझी नहीं बल्कि मर्दानगी के कारण किया।

श्री रियासत हुसैन–

कल कोई कसर उठा नहीं रखी मुख्य मंत्री ने उस पत्र को प्रमाणित करने के लिये, उस पत्र को प्रस्तुत करने के संबंध में अन्तिम रूप से जो आपकी व्यवस्था हुई वही हमने स्वीकार किया। और मान्यवर, तीसरी चीज कही कि खत भिजवा दिया आपके पास, आपका अधिकार है लेकिन खत तो खत, नकल भी नहीं भेजी आपके पास । जब आपने कहा तब कमीशन की रिपोर्ट मंगवा कर आपके पास भिजवा दी। मान्यवर, 27 तारीख तक यह सदन के पटल पर रिपोर्ट नहीं आ सकी। अगर 27 तारीख तक वह रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जाती तो गोपनीय नहीं रहती। इसलिये वह गोपनीय थी।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, रिजवी साहब ने जो उद्धरण पेश किये हैं उन्हीं के सन्दर्भ में मुझे कहना है कि यह एक विशेषाधिकार का सुनिश्चित प्रश्न है। गोपनीयता को भंग करने का, सदन को गुमराह करने का इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं मिल सकता। कल मेरे प्रश्न पर आपने आश्वासन दिया था कि सन्दर्भ प्रस्तुत किया जा सकता है। मूल रूप से वह पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। गोपनीयता का प्रश्न तब उठता है कि इस सरकार ने मुजफ्फरनगर के मैजिस्ट्रेट को फाइल दी। वहीं गोपनीयता भंग हुई है। मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि जो पत्रावलियां हैं, फाइलें हैं जिसमें गोपनीय पत्र हैं, इस मुख्य मंत्री या किसी मुख्य मंत्री द्वारा किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया जा सकता है। इस प्रकार कल तक यह डाकूमेन्ट कमीशन की रिपोर्ट थी, सरकारी थी और पब्लिक की नहीं थी। और मुख्य मंत्री जी ने उसकी गोपनीयता भंग की है जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया। आपने जो निर्देश दिया मुख्य मंत्री जी को . . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

एक मिनट सुन लें, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इनको समाप्त कर लेने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

न वह पत्र था न नकल थी, दैट वाज ए पीस आफ पेपर। सम्भवत: आपने भी यही समझ लिया कि वह पत्र नहीं है, उसकी प्रतिलिपि नहीं है, फोटो स्टेट कापी नहीं है तभी आपने निर्देश दिया और इस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया और गोपनीयता को भंग किया कल भी और आज भी भंग किया है। इसलिए यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न इस आधार पर उठाया कि जो अध्याय कल समाप्त हो गया . . .

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य सुन लें। आप कृपया सुन लें। मा0 मोहन सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

श्री हरदेव–

मान्यवर, एक मिनट मुझको भी सुन लें। मैं भी सदस्य हूं।

आई एम ए एम0 एल0 ए0 आल्सो।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं। कृपया शान्त हो जायं। कृपया शान्त हो जायं। कृपया बैठ जायं। माननीय रियासत हुसैन ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। उस विशेषाधिकार के प्रश्न पर उन्होंने कुछ कहा उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री ने उसका कुछ उत्तर दिया और उत्तर देने के साथ ही साथ एक पत्र की फोटोस्टेट कापी दी। उस कापी को देने के बाद माननीय मोहन सिंह ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपको यह जानना चाहिए कि व्यवस्था का प्रश्न हो तो उस बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठेगा। कृपया आप बैठ जायं। जब इनका समाप्त होगा तब आप बोलिएगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न यह उठाया था कि जब एक अध्याय समाप्त हो गया और माननीय मुख्य मंत्री. . . .

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने और बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन सिंह–

आप शान्ति से बैठ जायं। अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं तो यह सदन नहीं चलेगा। हम आपसे ज्यादा तेज बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायं। शान्त हो जाइये।

श्री मोहन सिंह–

यह जानबूझकर व्यवधान किया जा रहा है।

श्री हरदेव–

मान्यवर, आप व्यवस्था दे सकते हैं। यह कौन होते हैं व्यवस्था देने वाले और बैठने के लिये कहने वाले?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं। माननीय सदस्यगण कृपया शांत हो जायं और शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि जो अध्याय कल समाप्त हो गया क्या उसको कल का जो मुख्य मंत्री का भाषण था उसका एक हिस्सा आज जोड़ने का काम कर सकते हैं नियमानुसार क्योंकि जो नियम है किसी भी दस्तावेज को कोड करना और उसका एक हिस्सा सदन के सामने रखना। अगर उन्होंने उसका हिस्सा कहीं से क्वोट किया होता तो बहुत आपत्तिजनक बात नहीं थी हालांकि वह आपत्तिजनक है जैसा कि रियासत हुसैन साहब ने कहा है। उनको वह दस्तावेज पहले से आपको देना चाहिए था। ऐसी बात किसी सदस्य द्वारा कही गई होती तो उचित होता लेकिन माननीय सदस्यों के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। जो सदस्यों के अधिकार हैं वह सारे अधिकार मंत्रि मण्डल के सदस्यों के भी नहीं हो सकते हैं। यह मंत्रि मण्डल के सदस्यों के अधिकारों के विरुद्ध हैं, उसके प्रतिकूल हैं, उसके विपरीत है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी का यह आचरण कदाचार का आचरण था। मंत्रि-परिषद् की गोपनीयता और उसकी शपथ के विपरीत था। जहां तक दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण का मामला है, वह कोई भी दस्तावेज या उसका एक हिस्सा, उस दस्तावेज की मूल प्रति अथवा उसकी फोटो स्टेट कापी हो, वह पहले से आपको मिलनी चाहिए थी और उस पर मान्यवर आपने निर्णय भी दे दिया था। इनके पास फोटो स्टेट कापी थी नहीं, ओरिजिनल कापी थी नहीं और चूंकि यह उपवेशन के पूर्व दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाये इसलिये क्या आप उसको आज उसमें जोड़ने की अनुमति देंगे? दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में एक बात और भी है जो उसका मूल दस्तावेज है उसका एक हिस्सा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। जब तक कि पूरा दस्तावेज आपके संज्ञान में न हो। जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसका एक हिस्सा, कल तक यह सदन के सामने नहीं था इस लिये उसके किसी एक हिस्से

[श्री मोहन सिंह]

को सदन के सामने प्रस्तुत करने का इनको अधिकार नहीं था। चूंकि यह अध्याय कल समाप्त हो गया था तो फिर वही दस्तावेज माननीय मुख्य मंत्री अपने पुराने कल के भाषण में यह जो जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं क्या इसकी आप नियमानुसार इजाजत देंगे? दूसरा प्रश्न यह है कि . . .

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

यह दो प्रश्न एक साथ कैसे कर सकते हैं? यह व्यवस्था और विशेषाधिकार का प्रश्न दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं?

श्री मोहन सिंह—

जब माननीय मुख्य मंत्री ने पत्र को पढ़ने की कोशिश की तभी हमने उस पर आपत्ति उठाई थी और उस पर आपने यह निर्णय दिया था कि यह कार्यवाही का अंग नहीं माना जायेगा तो इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें, उसके बाद समूचे विशेषाधिकार के प्रश्न पर जिसको माननीय रियासत हुसैन ने उठाया था उस पर चर्चा की अनुमति दें।

*श्री हरदेव—

मान्यवर, मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आप माननीय अध्यक्ष हैं। आप हमें डांट सकते हैं लेकिन मोहन सिंह जी डांटने वाले कौन होते हैं। उनको क्या अधिकार है? यह तो उन्होंने अपने अधिकार का उल्लंघन किये हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया है, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। हरिजन समझकर इन्होंने ऐसा किया है। इसके लिए कुछ होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि पत्र सही है या नहीं? यह राजनैतिक अधिकार का दुरुपयोग किया गया है। यह दो प्रश्न हैं। इनको मुझसे माफी तो मांगनी ही चाहिए।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह किस चीज पर बहस हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब कृपया आप शान्त हो जायं। मैं देख रहा हूं कि सदस्य सदन के गौरव की बात करते हैं मगर सदन को जिस तरह से चलाना चाहिए और जिस तरह से उसके गौरव को बचाना चाहिए, उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब मैं माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वे अपने दल के लोगों के लिये नेता सदन और नेता विरोधी दल के उस स्थान का पूरा उपयोग करके सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाने में हमें सहयोग दें। माननीय रियासत हुसैन साहब ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है। मैं सर्व प्रथम वह प्रश्न आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं। इसको आप ध्यानपूर्वक सुन लें। और सबसे बड़ी गौरव की बात यह होगी कि कम से कम मेरी तरफ से जो पढ़ा जाय उसको आप जरूर ध्यानपूर्वक सुन लें और सुन कर इसका उत्तर या प्रयुत्तर देने का प्रयास करें।

"कल दिनांक 27-1-82 को सदन में मुख्य मंत्री ने एक तथाकथित पत्र भूतपूर्व गृह मंत्री श्री चरण सिंह का जो उन्होंने दिनांक 18 जुलाई, 1978 को श्री राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के नाम लिखा था, सदन में पढ़ कर सुनाया, इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। इसलिये माननीय सदस्यों ने उसको पढ़े जाने पर आपत्ति उठायी। माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था उपरान्त मुख्य मंत्री को निर्देश दिया कि उपवेशन की समाप्ति से पूर्व इस पत्र की मूल प्रति या इसकी फोटो स्टेट कापी अध्यक्ष के पास भेजी जाय। नहीं तो यह पत्र आज की कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री ने इस बात का सदन को स्पष्ट आश्वासन दिया कि उपवेशन की समाप्ति के पूर्व ही वह इस मूल पत्र या उसकी फोटो स्टेट कापी माननीय अध्यक्ष के पास भेज देंगे। अपने स्पष्ट आश्वासन के बावजूद भी माननीय अध्यक्ष द्वारा बार-बार मूल प्रति या उसकी फोटो स्टेट कापी मांगे जाने पर भी मुख्य मंत्री ने अध्यक्ष के निर्देश का पालन नहीं किया और मुजफ्फरनगर फायरिंग पर जो कमीशन नियुक्त किया हुआ था उसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष के पास भी पहुंचायी और सदन में भी पढ़ कर सुनायी। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री ने जानबूझ कर माननीय सदन को गुमराह किया और माननीय अध्यक्ष के निर्देश का पालन भी नहीं किया। साथ ही साथ चूंकि जस्टिस रामआसरे कमीशन की वह रिपोर्ट जो मुजफ्फरनगर फायरिंग की है, जांच रिपोर्ट दिनांक 27-1-82 तक सदन में प्रस्तुत नहीं हुई है। और इसलिये गोपनीय दस्तावेज है, उसको भी सदन में प्रस्तुत करके गोपनीयता भंग की है।

अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध नियम 63 के अन्तर्गत सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं''

दो बातें इसमें स्पष्ट की गयी है। एक यह कि जानबूझ कर माननीय मुख्य मंत्री ने एक ऐसा पत्र सदन में पढ़ा जिस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। जब इस पर आपत्ति हुई कि यह प्रमाणित नहीं है, तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए उनको आदेश हुआ कि वे उसकी फोटो स्टेट कापी या मूल प्रति दे दें। उनको यह आदेश हुआ कि यह उपवेशन उठने तक मूल प्रति या फोटो स्टेट कापी देंगे तभी उनके द्वारा पढ़ा गया पत्र इस कार्यवाही का अंग रहेगा अन्यथा वह इस कार्यवाही का अंग नहीं रहेगा। इस स्थिति में उन्होंने दूसरे कागजात जो कमीशन की रिपोर्ट से उद्धरण के रूप में तथ्यों को बतलाया उसी के फलस्वरूप वह पत्र उस कार्यवाही का अंग नहीं बन सका। आज उन्होंने वे सारे कागजात जो रिपोर्ट में शामिल हैं, प्रामाणिकता के आधार पर दिये हैं, लेकिन चूंकि आदेश हो गया था, निर्देश हो गया था, वह उसका अंग नहीं बना, यह कल की बात है जो यहीं पर समाप्त हो गयी।

अब जो प्रश्न विशेषाधिकार का उठाया गया है उसमें वह पत्र भी शामिल कर दिया गया है जो कल यहां पढ़ कर सुनाया गया था। कल के प्रकरण में उस पत्र को भी शामिल कर लिया गया है और वह पत्र अब आपके सामने है जिसमें रियासत हुसैन साहब ने यह आरोप लगाया है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने के लिये एक पत्र की बात की और इस तरह से सदन को गुमराह किया और एक गोपनीय कार्यवाही को उद्धृत किया। कल का प्रकरण समाप्त होने पर कल की कार्यवाही गोपनीय नहीं है। यह पत्र उन्होंने अपने समर्थन में कि उन्होंने कल कोई ऐसी बात नहीं कही जो अनर्गल है, दिया है। कल की कार्यवाही आज गोपनीय नहीं है इसलिये इस संदर्भ में उस का आधार हो सकता है और चूंकि इस की प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है इसलिये जानबूझ कर गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रियासत हुसैन–

मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं तो कल तक ही सीमित था।

गढ़वाल संसदीय उप चुनाव को अनिश्चित काल के लिये टलवाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(12 बजकर 48 मिनट)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव की तिथि चुनाव आयोग द्वारा 22 नवम्बर, 1981 तय की गई थी। इस हेतु प्रदेश सरकार से आवश्यक व्यवस्था अपेक्षित थी और प्रदेश सरकार का कर्तव्य था कि हर स्थिति से चुनाव आयोग को समय-समय पर अवगत कराया जाये जिससे उनसे पथ-प्रदर्शन और निर्देशन प्राप्त होता रहे।

[श्री ब्रह्म दत्त]

2—इस उप-चुनाव के सन्दर्भ में क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, गढ़वाल विश्व-विद्यालय में परीक्षाओं का दिनांक 9 नवम्बर, 1981 से प्रारम्भ होना एवं चुनाव प्रचार से परीक्षार्थियों का अध्ययन प्रभावित होने की सम्भावना, परीक्षाओं के कारण शिक्षण संस्थाओं से चुनाव कार्य के लिये कर्मचारियों की उपलब्धि का प्रश्न और स्थानीय राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्थानीय-निकायों से सम्बन्धित चुनाव की मतदाता सूची बनाये जाने की स्थिति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया गया था और उसकी प्रतिलिपि चुनाव आयोग को भेजी गई थी। तत्पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उस समय जल विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल से सृजित स्थिति एवं विभिन्न कर्मचारी संगठनों से प्राप्त हड़तालों की नोटिसों आदि के बारे में भी सूचना दी गई थी और उसकी प्रतिलिपि चुनाव आयोग को भेजी गई थी। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न था यह भी सूचना दी गई थी कि दस्यु-उन्मूलन अभियान तथा शान्ति व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में किस प्रकार प्रदेश में भारी मात्रा में कर्मी लगे हुए हैं। यह सभी सूचना तथ्यों पर आधारित थी।

3—मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को इस बात से भी अवगत किया गया था कि संसदीय उप-चुनाव के संदर्भ में कितने कर्मी लगायें जाने की आवश्यकता हो सकती है। पूरी स्थिति से मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव आयोग को अवगत कराते हुए उनसे आदेश तथा पथ-प्रदर्शन का निवेदन किया गया था और यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी आदेश चुनाव आयोग देंगे उनका अनुपालन प्रदेश सरकार करेगी।

4—चुनाव आयोग ने अपने आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 1981 द्वारा उप-निर्वाचन की तिथि निरस्त कर दी। यह कहना बिल्कुल गलत है कि आयोग पर किसी प्रकार का प्रभाव डाला गया। इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसमें बहुत बातें हैं। मान्यवर, इन्होंने जितने पत्र लिखे थे चुनाव आयोग को उनको इन्होंने रखा है (व्यवधान) इस में विवाद करा दीजिए बहुत बातें हैं...

श्री अध्यक्ष—

ऐसे वक्तव्यों में क्या स्पष्टीकरण होता है?

श्री मोहन सिंह—

स्पष्टीकरण नहीं, चर्चा की मांग कर रहा हूं, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, इसके पीछे आधार क्या है...

श्री अध्यक्ष—

ऐसे वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता आप अवगत हैं। जहां तक इस सम्बन्ध में चर्चा की बात है उसके लिये अलग से चर्चा की सूचना देंगे....

श्री मोहन सिंह—

चर्चा के बारे में ही सुन लीजिए...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप तीन लोग खड़े हैं, मैं किसका इजाजत दूं?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं गढ़वाल चुनाव के स्थान पर विशेष निवेदन कर रहा हूं जब यह प्रश्न उठा था उस समय मैंने कहा था कि यदि शासन की ओर से हमें यह आश्वस्त कर दिया जाय कि शासन ने कोई असमर्थता प्रकट नहीं की थी गढ़वाल के उप चुनाव

कराने में, तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस ले लूंगा। उसी बात पर आपकी कृपा से शासन को यह निर्देश हुआ था कि इस विषय पर एक वक्तव्य शासन की ओर से आ जाय। मान्यवर, आज जो वक्तव्य शासन की ओर से आया है उसे आप देखें कि वह कितना भ्रामक है। इसमें आप अवश्य चाहेंगे कि मुख्य मंत्री स्पष्टीकरण दें। मान्यवर, इन्होंने लिखा है कि "जहां तक व्यवस्था का प्रश्न था" यह भी सूचना दी गई थी कि "दस्यु-उन्मूलन अभियान तथा शान्ति-व्यवस्था से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों में किस प्रकार प्रदेश में भारी मात्रा में कर्मी लगे हुये हैं। यह सभी सूचना तथ्यों पर आधारित थी।" मान्यवर, इसमें तथ्यों को छिपाया गया है। कहीं आपने यह नहीं लिखा है कि शासन के पास कितने पुलिस कर्मी हैं और कितने पुलिस कर्मी हमारे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था में लगे हुए हैं और कितना वैलेंस कर्मियों का सुरक्षित है। इसमें आगे आपने लिखा है कि "मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग को इस बात से भी अवगत किया गया था कि संसदीय उप-चुनाव के संदर्भ में कितने कर्मी लगाये जाने की आवश्यकता हो सकती है।" यदि 100 कर्मी हमारे प्रदेश में हैं और 20 कर्मियों की चुनाव में आवश्यकता है परन्तु यदि शासन यह कहेगा कि 99 कर्मी खाली नहीं हैं तो चुनाव आयोग कैसे चुनाव करा सकता है।

मान्यवर, इसी आधार पर टालने के लिए पहले अपनी असमर्थता व्यक्त की थी और आज सदन में कह रहे हैं कि हमने चुनाव कराने में कोई असमर्थता व्यक्त नहीं की थी। यह एक भ्रामक वक्तव्य दिया गया है और मुख्य रूप से मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा की मांग करता हूं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपका ध्यान आकर्षित किया था कि जब शासन ने अपनी असमर्थता व्यक्त की तभी तो चुनाव टाला गया है यदि इसका अधिकार शासन को मिल गया। इस प्रकार से यदि शासन को इंटेलीजेन्स की रिपोर्ट विपरीत प्राप्त होगी तो चुनाव सत्तादल कभी नहीं करायेगा। जून में आपने इसी आधार पर चुनाव स्थगित कराया। आज पुनः भ्रामक वक्तव्य के आधार पर मुख्य मंत्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है और असमर्थता व्यक्त की है, तथा तथ्यों को छिपाया है, इस कारण मैं आपसे चर्चा की मांग करता हूं।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म में बोलूंगा। किन-किन तारीखों में चुनाव आयोग को पत्र लिखे गये। पत्रों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने महारथ हासिल कर लिया है। उनका पराक्रम हम इसमें भी देखना चाहते हैं कि वे यह बतायें कि उन्होंने किन-किन तारीखों में चुनाव आयेग को पत्र लिखे हैं उनको वे कृपया सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे? उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 9 नवम्बर, से गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षायें होने वाली थीं। मान्यवर, चुनाव एक बार पहले हो चुका था और जब वह स्थगित हो गया तो केवल चुनाव की तिथि दुबारा तय करनी थी। इसलिये चुनाव आयोग ने 22 नवम्बर, की तारीख चुनाव के लिये तय की। उस समय शासन पक्ष की ओर से उनका प्रतिनिधि आयोग के सामने गया था और उनको यह जानकारी थी कि 9 नवम्बर से गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होने वाली हैं। यह पक्ष भी शासन ने चुनाव आयोग के समक्ष अक्तूबर में ही अधिकारियों की मुलाकात के समय रख दिया होगा।

तीसरी बात आप कहते हैं कि यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई कि चुनाव के लिये कितने कर्मियों की आवश्यकता होगी। गढ़वाल का चुनाव एक बार जून में हो चुका था। शासन के संज्ञान में यह बात मुकम्मिल तौर पर थी कि जब जून में चुनाव हुआ उस समय कितने कर्मी उस चुनाव को आयोजित करने में लगे थे। इन सब तथ्यों के उपरान्त और कोई कारण आपके पास बच नहीं सका सिवाय इसके कि आप इस चुनाव को भी किसी न किसी तरह से टालना चाहते थे। मान्यवर, इस विषय पर आप अवश्य चर्चा करायें। यदि इस पर चर्चा नहीं होगी तो सारे तथ्य अनिर्णीत रह जायेंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी जो बयान माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से यहां आया है उसके संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा। मान्यवर, 22 नवम्बर, के चुनाव के स्थगन के सम्बन्ध में स्वयं शकधर ने जो कहा उसकी दो/एक पंक्ति में आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। वह लिखते हैं कि ही इज सेटिसफायड दैट दि स्टेट गवर्नमेन्ट विल नाट बी इन ए पोजीशन टू होल्ड आर्डरली एंड पीसफूल रिपोल इन नवम्बर 22, 1981 इन दि गढ़वाल पार्लियामेंट्री कान्स्टीच्यूएंसी, दयेरफोर, ही पोस्टपोन्स दि रिपोल फार इन्डेफिनिट पीरिएड।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष–

इसका हिन्दी भी कर दीजिये।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

उनका कहना है "श्री शकधर साहब का कि वह इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार गढ़वाल में किसी भी प्रकार से शान्तिपूर्ण और ठीक ढंग से चुनाव कराने में सक्षम नहीं है इसलिये मैं इस चुनाव को अनिश्चित काल के लिये रोकने के आदेश देता हूं।" इस संदर्भ में मुझे यह कहना है कि जितने भी पत्र-व्यवहार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हुए हैं इस सम्बन्ध में मुझे आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना है कि गढ़वाल में कोई ला-एण्ड आर्डर की सिचुएशन नहीं थी और आज भी नहीं है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मोहन सिंह जी आप पार्लियामेन्टेरियन हैं। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह चुनाव का विषय इलैक्सन कमीशन के मातहत है। इलैक्सन कमीशन ने क्या लिखा और क्या कहा इसकी चर्चा इस सदन में कैसे हो सकती है? जो भी सरकार से सम्बन्धित आरोप हैं वह लगा सकते हैं हम उसे सुनेंगे और जबाब देंगे लेकिन इलैक्सन कमीशन की कोई चर्चा जहां तक मैं समझता हूं हमारी परिधि के परे है।

श्री अध्यक्ष–

एक वक्तव्य दिया गया जो कार्यस्थगन का प्रस्ताव आया था उसके विषय पर एक वक्तव्य देने का निर्देश हुआ था और इस प्रकार के वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण था और महत्वपूर्ण व्यक्ति कहना चाहते थे इसलिये महत्वपूर्ण समझकर आपकी बातें सुनी। इस पर चर्चा कराने की जो बात है उसके लिए आप जो नियमावली का नियम है उसके अन्तर्गत उस अंश को जो राज्य सरकार से सम्बन्धित है चर्चा कराने के लिये प्रस्ताव लायेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं इस संबंध में लिखित नोटिस दे दूंगा।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 5 सूचनायें प्राप्त हुई। एक सूचना पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री मेंती लाल दहेलवी, श्री राजमंगल पाण्डेय, श्री राम आसरे वर्मा, श्री भीखा लाल, श्री हुकम सिंह, श्री रियासत हुसैन, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, इन सभी के हस्ताक्षर हैं यह दिनांक 1 जनवरी, 1982 को नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद बदायूं के पुलिस परेड ग्राउण्ड पर आयोजित कवि गोष्ठी में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कवियों को मारने पीटने के संबंध में है . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहन सिंह–

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री गोयल द्वारा भी पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष–

जब स्वीकार होगा उस वक्त पूरा पढ़ा जायेगा।

दूसरी श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री खैरुल बशर श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल की आगरा में रेल दुर्घटना से सैकड़ों लोगों के मरने एवं घायल होने पर भी राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों में लापरवाही के संबंध में है। तीसरी श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह की भी इसी रेल दुर्घटना के संबंध में है और चौथी भी श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री बदन सिंह की इसी रेल दुर्घटना के संबंध में है और पांचवीं श्री राम सागर और श्री जमुना प्रसाद की जनपद बाराबंकी के थाना असन्दरा के अन्तर्गत ग्राम विलकपूरवा में 21/22 जनवरी, की रात को दयाराम कुर्मी के घर में डाका पड़ने तथा 10 वर्षीय पुत्र की हत्या तथा 50 हजार के सामान की लूट के संबंध में है। जहां तक पांचवें प्रश्न का संबंध है इस विषय पर नियम 301 में भी सूचना आई थी उसे मैंने स्वीकार किया था मगर माननीय सदस्य यहां मौजूद नहीं थे, इसलिए पढ़ नहीं सके, मैं कार्य स्थगन रूप में इसको अस्वीकार करता हूं। श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री हरिवंश सहाय और श्री हरगोविन्द वर्मा वाली रेल दुर्घटना से संबंधित है और यह केन्द्रीय विभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है, इसलिए इस पर कार्य स्थगन उठाने की इजाजत नहीं है और मैं इसे भी अस्वीकार करता हूं। एक प्रस्ताव, जिसमें सभी दलों के नेताओं के दस्तखत हैं, जो बदायूं पुलिस परेड ग्राउण्ड पर कवियों को मारने पीटने के सम्बन्ध में है, इस पर आप ग्राह्यता के विषय में संक्षेप में जो कहना चाहते हों, कह दें उसके बाद मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा। इतना निवेदन मैं अवश्य करूंगा कि आप अत्यन्त थोड़े में कहें।

नववर्ष के उपलक्ष्य में जनपद बदायूं के पुलिस परेड ग्राउन्ड पर आयोजित कवि गोष्ठी में अराजक तत्वों द्वारा कवियों को मारने पीटने की घटना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, एक जनवरी के दिन बदायूं के अन्दर पद्मश्री गोपाल प्रसाद जी व्यास की अध्यक्षता में परेड ग्राउण्ड पर एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा था। उसमें श्री निर्भय हाथरसी, जो बहुत बड़े कवि हैं, ने जब अपनी प्रसिद्ध कविता "छोटी दे या मोटी दे, इन्दिरा मैय्या रोटी दे" पढ़ी तो उस पर अत्यन्त क्रुद्ध होकर स्वायत्त शासन मंत्री श्री गोयल जी अपने तमाम गुंडों को लेकर उस मंच पर चढ़ गये और उन लोगों ने मंच पर व्यास जी सहित जितने भी कवि उपस्थित थे, सभी को लातों, जूतों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया, माईक छीन कर फेंक दिया। उसके बाद इस घटना के सम्बन्ध में श्री गोयल जी ने एक वक्तव्य भी दिया, जिसे पढ़कर मैं सुनाए देता हूं– बदायूं में आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों की कथित पिटाई के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि "वहां कवियों ने अपनी कविताओं में जिस भाषा का प्रयोग किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बदायूं के कवि सम्मेलन में भवन को शराबखाना बताया गया। देश के राष्ट्रीय नेताओं की तुलना डाकू और लुटेरों से की गयी। श्रीमती गांधी का नाम लेकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे कोई भी स्वाभिमानी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता।" यह स्वायत्त शासन मंत्री का खुद का बयान है। अपनी बात कहने का कवियों को पूरा अधिकार है।

यदि सम्मेलन की सारी विवेचना करें तो उसमें राजनारायण स्त्रोत भी पढ़ा गया और चौधरी साहब के बारे में भी कविताएं पढ़ी गईं। हमारे संविधान और विधान में वाणी की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और इस बात की दी गई है कि जो सत्ता में

[श्री मोहन सिंह]

बैठे हुए लोग हैं, वह सहिष्णु बनें, लेकिन जब इस प्रकार की असहिष्णुता मंत्रियों में पैदा हो गई होगी और जब मुख्य अतिथि जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठकर अपने दायित्वों का पालन न करके यह कवियों पर हमला करेंगे तो एक अस्वस्थ परम्परा पैदा होगी। जो इस सरकार का रवैया है वाणी स्वतंत्रता खत्म करने का, उसी की दिशा में जाता हुआ यह कदम है। इस प्रकार का व्यवहार जब मंत्री करेंगे और उसमें गुण्डों का सहारा लेंगे तो इस देश और प्रदेश में नियम, कानून व आजादी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए इस पर आप अवश्य चर्चा करा दें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उदल–

मोहन सिंह जी भ्रम में हैं–एक सिनेमा निकला है– 'मेरी आवाज सुनो', जिसे इस सरकार ने बन्द कर दिया था, लेकिन महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने उसे चला दिया। तो यह स्वतंत्रता छीन ही रहे हैं . . (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, एक जनवरी को बदायूं में जो घटना घटित हुई है, शासन के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा जो यह आचरण वहां किया गया है उस पर चर्चा अवश्य होनी ही चाहिए। जिन लोगों के सहारे से यह काण्ड किया गया है, उनको बदायूं की पुलिस पकड़ना चाहती थी। ऐसे तत्वों को लेकर मंत्री जी मंच पर चढ़ गये और कवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों को मां-बहिन की गालियां दीं और लातों, जूतों तथा तमाचों से मारते हुए जो दृश्य उपस्थित किया है, वह चर्चा का विषय बन गया है। ऐसी हालत में शासन से लोकतन्त्र की मर्यादा की रक्षा होना सम्भव नहीं रहेगा। यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, किसी भी लेखक या कवि को लिखने या बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने सीधे साधे उस अधिकार पर आघात पहुंचाया है। कवियों और प्रदेश के समस्त बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों का वहां पर अपमान किया गया है। इससे तो यह प्रश्न भी खड़ा हो गया कि आगे क्या यह सरकार हमारी संवैधानिक स्वतंत्रता को जिन्दा रखना चाहती है या नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रश्न को कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, यह तो कवियों का हाल हुआ, कवियित्रियों का क्या हस्र हुआ, उसे भी सुन लीजिए?

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, इस विषय में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि माननीय काशी नाथ मिश्र, सूचना मंत्री जी, यहां पर बैठे हुए हैं। मामला तो केवल फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम आफ राइट का है उसके आधार पर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें मुशायरा और कवि सम्मेलन भी एक पार्ट होता है। उसके लिए सरकार अनुदान और प्रोत्साहन तक देती है और जगह-जगह पर इनका आयोजन होता है। इसी प्रकार से 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे है या स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त है, उस पर खास तौर से आफिशियल प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें मुशायरा और कवि सम्मेलन भी शामिल किया जाता है। उसमें यह बन्धन नहीं होता कि कवि या शायर उसमें क्या कहें, उसकी कोई प्रि-स्क्रूटिनी नहीं होती है।

माननीय काशीनाथ जी के हर जिले में सूचना अधिकारी हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि उनकी वे "येस" या "नो" कर दें, ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हम सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कल्चरल प्रोग्राम्स को भी स्वीकृत करते हैं। वहां पर जो पहली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनवरी को मुशायरा हुआ। मुशायरे में कवियों के या शायरों के खयालात में, विचारों में बहुत चीजें निकलती हैं। वहां पर उस समय शासन के एक मेम्बर बराहेरास्त थे। वे उस जिले के रहने वाले हैं जो कि डकैतों से एफैक्टेड जिलों में से एक है। जब वहां पर शासक दल का एक मंत्री खुद अराजक तत्वों की मदद से कार्यवाही करेगा तो प्रदेश में वे अराजक तत्व क्या नहीं करेंगे। इसलिए इस विषय पर मेरी प्रार्थना है कि किसी रूप में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें।

(श्री जियाराम शुक्ल के खड़े होने पर)

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)–

मान्यवर, जो बातें कहीं गयी, माननीय शुक्ल जी वहां पर थे, उनकी भी आप सुन लें?

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैंने चर्चा स्वीकार नहीं की है। केवल कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के औचित्य पर बोलने की उन माननीय सदस्यों को कहा है जिनके प्रस्ताव हैं।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कुछ तथ्य रखे गये हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। सम्मेलन में जनता की जो भावनायें चौधरी चरण सिंह के बारे में, माननीय राज नारायण जी के सम्बन्ध में जो भावनायें हैं, उनको वहां पर पढ़ा गया था। प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विषय में जो था वह पढ़ा गया और इसीलिये यह कवि सम्मेलनों और मुशायरों का कार्यक्रम रखा जाता है जिसमें कवि लोग जनता की भावनाओं को व्यक्त किया करते हैं। एक माननीय मंत्री ने वहां पर गुण्डों के बल पर जिस तरह से कवियों की बेइज्जती की है और कवयित्रियों तक की बेइज्जती की है उससे जनमानस में बड़ा ही क्षोभ व्याप्त है और इस पर इसलिये आप चर्चा करा दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा–

मान्यवर, इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार कर इस पर चर्चा करा दें। इसकी ग्राह्यता के विषय में दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि यह मंत्रि-मंडल इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। जब कोई मंत्रि मंडल का सदस्य समाज में ऐसा आचरण करें जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में एक क्षोभ फैल जाये, तो ऐसे समय में उस पर बहस होना नितान्त आवश्यक है। इस मामले में उनका इतना रद्दी आचरण हुआ है जिसके कारण सारी जनता में असन्तोष व्याप्त है। सारे कवियों विद्वानों और कवयित्रियों के साथ बड़ा अश्लील व्यवहार हुआ है। यह माननीय श्रीकृष्ण गोयल, एक मंत्री की वजह से हुआ। इसलिए इस पर तुरन्त बहस करायी जानी चाहिए। इसको आप कार्य स्थगन के रूप में स्वीकार करें। ऐसा और कोई अवसर नहीं है जब कि हम इस पर चर्चा कर सकें।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

]× × ×[

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय विष्ट जी, मैंने आपको नहीं बुलाया है। आप कृपया बैठ जायें। इनका कुछ भी अंश लिखा नहीं जायेगा। (श्री विष्ट के न बैठने पर तथा बोलते रहने पर) आप

नोट:– [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष–]
कृपया बैठें, वरना मुझे मजबूर होकर आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। माननीय विष्ट जी, आप कृपया बैठें।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट बैठ गये।)

श्री हुकम सिंह–

मान्यवर, इस कवि सम्मेलन का संचालन राष्ट्रीय कवि माननीय वृजेश अवस्थी जी कर रहे थे और माननीय श्रीकृष्ण गोयल साहब, जो मंत्री हैं, यह वहां करीब पौने दो बजे पहुंचे थे। उस समय तक कार्यक्रम ठीक तरह से चलता रहा। जब माननीय गोयल साहब वहां पहुंचे उस समय उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या रही होगी (व्यवधान) उसका पता इसी से चलता है कि उनके पहुंचने के बाद ही सारा व्यवधान पैदा हुआ। मान्यवर, जितने भी साहित्यकार वहां बैठे थे सबको पीटा गया, धक्का दे दे कर उनको उतार दिया गया नीचे। वहां पर मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध कवियित्री श्रीमती इन्दिरा 'भन्द' भी थीं उनके साथ भी अशोभनीय व्यवहार हुआ। उनकी कविता की दो पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं–

''बदनाम क्यों भिन्ड मुरैना रहे, जब देश में राज्य हो डाकुओं का।'' वहां पर विकल साहब भी मौजूद थे जिनको पहले तो माला पहनायी गयी, फिर उनके साथ भी वही व्यवहार हुआ। (व्यवधान) इसलिये इस विषय पर आप चर्चा कराने का अवसर दें। (व्यवधान)

*श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, इस कार्यस्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता इसलिये बढ़ गयी है क्योंकि इस कवि सम्मेलन में जो घटना घटी वह एक माननीय मंत्री जी द्वारा गुण्डों के जरिये करवायी गयी है। (व्यवधान) पत्रकार, कवि, साहित्यकार और शायरों ने इस देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उन्होंने ही जनता में आजादी की जान फूंकी थी। जन चेतना को उन्होंने ही जगाया था। आज कभी पत्रकार पीटा जा रहा है, उनके कैमरे छीने जा रहे हैं, कहीं पर कवि और शायरों को पीटा जा रहा है, इससे प्रदेश में एक अजीब स्थिति पैदा हो गयी है और इस पर चर्चा होना आवश्यक हो गया है। इस कवि सम्मेलन में एक माननीय मंत्री, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री भी मुख्य अतिथि थे। इसमें एस0 पी0, बदायूं भी थे। मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री स्वयं गिल्टी कान्सस हैं, इसीलिए जानबूझकर यहां पर नहीं बैठे। उनको यहां पर रहना था। मान्यवर, मंत्री जी ने कई कवियों के माल्यार्पण किया। मंत्री जी का स्वागत कवियों ने किया। मान्यवर, विख्यात कवि इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित व्यास जी। मान्यवर, इस पत्र में क्या कहा कि शराबखोरी हो रही थी। मान्यवर, जो मंत्री यह कहे कि शराबखोरी हो रही थी, मान्यवर, यह कितनी गंभीर बात हुई? मान्यवर, यह माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि 2 बजे मंत्री जी पधारे जब कि मंत्री जी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। मान्यवर, जितने देश के कवि हैं, इस घटना से क्षुब्ध हैं। पत्रकार क्षुब्ध हैं, लेखक क्षुब्ध हैं। मान्यवर, इस कवि सम्मेलन में संविधान की हत्या कैबिनेट स्तर के मंत्री ने किया है। आज जो कोशिश हो रही है, वाणी स्वतंत्रता के अपहरण का संविधान के साथ मान्यवर बलात्कार हो रहा है। तो मान्यवर, इसमें मैं कह रहा हूं कि यह चर्चा का विषय है। मैं आपसे आग्रह करूंगा मान्यवर, इस पर चर्चा करायें।

*श्री जियाराम शुक्ल विकल ''साकेती''–

मान्यवर, यह जो कार्यस्थगन प्रस्ताव आया है, यह मेरी समझ से ग्राह्य नहीं है। उनके संबंध में जो खास मुद्दे हैं, उन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। यह कवि सम्मेलन पहली जनवरी को बदायूं पुलिस ग्राउण्ड में हुआ था। वहां के श्री वृजेन्द्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवस्थी ने माननीय गोयल साहब को आमंत्रित किया था। माननीय गोयल साहब उस दिन दिल्ली में गये थे और बड़ी मुश्किल से 2 बजे वह भाग कर वहां पर आये थे। उस कवि-सम्मेलन में मध्य प्रदेश के माननीय विधायक श्री सत्य नारायण सत्यन और मैं इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मेरा और उनका अभिनंदन था। मान्यवर, जैसे संसदीय भाषा होती और कुछ असंसदीय भाषा होती है और कार्यवाही से आप उन असंसदीय भाषाओं को निकाल देते हैं। लेकिन आजकल कवि सम्मेलनों में ऐसी असंसदीय भाषाएं होती हैं, मान्यवर, जैसे ही पहले एक कवि ने पढ़ा . . .

श्री अध्यक्ष–

अगर असंसदीय है, तो काहे को पढ़ियेगा। अगर असंसदीय हो, तो मत पढ़िये।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, उसका निर्णय तो आप करेंगे कि वह संसदीय है या असंसदीय।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सुन लिया, तभी कहा।

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'–

मान्यवर, मेरा उद्धरण देने का मतलब यह था क्योंकि माननीय हुकुम सिंह ने अभी यह पढ़कर सुनाया कि–

"बदनाम क्यों भिण्ड मुरैना रहे,
जब देश में राज्य हो डाकुओं का।"

मान्यवर, इसके बाद जब माननीय मंत्री जी मंच पर आये, तो श्री सत्यन जी विधायक, मध्य प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, उन्होंने इसी बीच में यह कहा कि माननीय मंत्री जी इस प्रकार से उपस्थित हो गये जैसे सीता के दरबार में रावण आ जाय।

(व्यवधान)

इसके बाद भी मंत्री जी ने जो अभिनंदन का कार्यक्रम था उसमें श्री सत्येन का अभिनन्दन किया फूलों से और जो देना था वह दिया और फिर मुझे मिला। फिर कविता होती रहीं। उसके बाद नीरज आये और उन्होंने लक्षणा और व्यंजना में कहा जिसकी कोई बात नहीं है। उसके बाद निर्भय हाथरसी आये और उन्होंने कहा कि "इन्दिरा मैय्या रोटी दे, छोटी दे या मोटी दे।" अन्य कविताओं को नहीं पढ़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि जनता सड़क पर आ जायेगी। इस पर मंत्री जी ने कहा कि यह कवि सम्मेलन नहीं है, राजनैतिक मंच हो गया है। मा0 शिवराज सिंह, दूसरे मंत्री वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि यह राजनैतिक मंच हो गया है इसलिये मैं यहां नहीं बैठ सकता हूं। मैंने कहा कि आप जायं और मुझे तो बैठना है। मंत्री जी उठकर चले गये और कहा यह सारी बातें राजनैतिक हो रही हैं और इसका जवाब दिया जा सकता है। इसके बाद मंत्री जी नीचे गये और फिर कुछ लोग मंच पर आ गये और उन्होंने कहा कि ऐसी कविताएं क्यों पढ़ रहे हैं और धक्का मुक्की हुई लेकिन मारपीट नहीं हुई।

(व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह–

मंत्री जी ने कहा था कि बत्तमीजों की जुबानें खींच ली जायं। मंत्री जी ने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल किया। क्या यह उनका कर्तव्य था (व्यवधान) गुण्डों ने महिलाओं की बेइज्जती किया। क्या यह उनका कर्तव्य था ? (व्यवधान)

श्री काशी नाथ मिश्र–

इन्दिरा गांधी के खिलाफ कवितायें पढ़ेंगे तो जूता चप्पल नहीं खायेंगे तो क्या खायेंगे। (व्यवधान)

श्री मोती लाल दहेलवी–

(व्यवधान) मान्यवर, मंत्री जी ने अभी कहा है कि इन्दिरा गांधी के खिलाफ कोई बोलेगा तो जूता चप्पल नहीं खायेगा तो क्या खायेगा . . .

श्री काशी नाथ मिश्र–

जनता के लोगों के लिये हमने कहा है। (व्यवधान)

श्री खैरुल बशर–

तानाशाही का यहां खतरा है जिसको रोकने के लिए काम रोको प्रस्ताव आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव सुनकर या बिना सुने अस्वीकार हो सकते हैं। कार्य-स्थगन प्रस्तावों को देखने पर असल में हमारे, आपके और शासन के विचार में जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं, वह किसी न किसी प्रक्रिया में, किसी न किसी रूप में चाहे शासन का हो या विपक्ष का हो महत्वपूर्ण विषय को कोई न कोई अवसर सदन में मिल जाता है। कार्य-स्थगन के प्रस्ताव अक्सर स्वीकार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कार्य-स्थगन में ऐसे प्रस्ताव आते हैं जो कार्य-स्थगन में आने लायक नहीं होते हैं और न यहां उठाने लायक ही होते हैं लेकिन वह आते हैं परन्तु कुछ महत्वपूर्ण भी होते हैं। इसलिये इन सब को देखते हुए मैं समझता हूं कि इसका प्रयास हो कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हों वह तुरन्त कह दिया जाय कि अस्वीकार कर दिया गया तो वह उचित नहीं है। इसलिये माननीय सदस्यों के विचारों को कुछ सुनकर निर्णय दिया जाय। और प्रक्रिया प्रारम्भ हुई उसमें कुछ अपने विचार व्यक्त किये और कुछ दूसरों ने व्यक्त किये लेकिन हर प्रस्ताव को चर्चा बनाकर भाषण देना प्रारम्भ हो और जिसने वह प्रस्ताव न दिया हो वह भी कहने लगे कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो ऐसा न करें। इससे सदन के समय का नुकसान होता है। इसका अगले कार्य पर प्रभाव पड़ता है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी कोई इच्छा इस पर बोलने की नहीं थी काफी सदस्य इस पर बोल चुके हैं। उधर के माननीय सदस्य जो वहां खुद थे वह अपने सामने की बात कह रहे थे कि मेरे सामने यह हुआ। मान्यवर, मैं मानता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे कोई माननीय सदस्य सदन में किसी बात को कहते हैं तो उस पर विश्वास होना चाहिये। तो जो वह कह रहे थे वह सही है यह मान लेना चाहिये लेकिन बीच में काशी नाथ जी ने एक बात क्रियेट कर दी। जहां व्यवस्था की बात होती है हमेशा उन्होंने अव्यवस्था करने की कोशिश की। जब तक वह माननीय सदस्य थे तब तक अधिकार था। आशा यह की जाती थी कि मंत्रि मण्डल में आने के बाद वह कुछ अपने आपको संयत करेंगे। लेकिन औमन्, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और इस प्रश्न को उलझा दिया। माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां पर धक्कम-धक्का हुआ, मारपीट नहीं हुई। लेकिन काशीनाथ जी ने कहा कि अगर कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलेगा तो जूता चप्पल चलेगा, यह उन्होंने जरूर कहा कि जनता का।

श्री काशीनाथ मिश्र–

जनता का चला। मैंने यह नहीं कहा कि चलेगा। मान्यवर, मुझे भी दो मिनट समय दे दीजियेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अब प्रश्न आता है कि वहां कवि सम्मेलन में जूता चप्पल चला, जनता ने चलाया क्योंकि इंदिरा जी के खिलाफ बोला गया यह आपका कहना है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री जी वहां पर नाराज होकर गये और कहा कि इसका बदला तो लिया जा सकता है तो इससे अहरियत इस प्रश्न की बढ़ गयी। यह बात सत्ता पक्ष से तय हो चुकी है कि माननीय मंत्री जी मंच से हटे और नीचे जाकर उन्होंने कहा कि इसका बदला लिया जा सकता है। मिश्रा जी ने कहा कि जूता चला तो सही लेकिन जनता ने चलाया। तो जनता ने चलाया या मंत्री जी नें कह करके अपने कुछ गुंडों से चलवाया लेकिन यह बात अब साफ हो गयी और मिश्रा जी ने इसको अहम बना दिया। इसलिये आप इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, मुझे दो मिनट का समय दे दीजिये।

एक सदस्य–

मान्यवर, 'विकल साकेती' पर क्या बीती यह तो पूछ लीजिये, मान्यवर।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि माननीय मिश्रा जी बराबर अव्यवस्था पैदा करते हैं। मान्यवर, इसको मैं इतना बुरा नहीं समझता, आपको कहने का हक है लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नेता विरोधी दल से कहना चाहता हूं कि मंत्रि परिषद् में किसी के रहने से उसका जो संसदीय अधिकार है वह खत्म नहीं होता है। मैंने जो कुछ कहा, वहां पर जो घटना घटी उसके बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां मारपीट और जूतम लत्ता हुआ। माननीय सदस्य ने कहा कि जब इंदिरा गांधी का विरोध करने लगे तो जनता के लोग मंच पर चढ़ आये। हमारे मंत्री जी ने कुछ कहा, तो जब प्रधान मंत्री का विरोध करेंगे तो वह इतनी गर्व प्रिय है कि जूता, लात, चप्पल तो चलेगा ही। इसकी जिम्मेदारी आप पर है और उन कवियों पर है जो ऐसी कविता पढ़ते हैं। शासन इसमें कहां आता है?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे केवल दो तीन शब्द कहने हैं। मान्यवर, साहित्यकार हमेशा समाज का दर्पण करने में अगुवाई करता है। चाहे कोई कवि किसी दरबार का कवि रहा हो या दरबार के बाहर का स्वतंत्र रूप में हमेशा समाज की हरकतों पर व्यंग करता रहा है, इसके लिये इतिहास साक्षी है और इस जमाने के कवि काका हाथरसी व अन्य सभी इस समय के समाज के नगीना हैं, इन्होंने हमेशा व्यंग से काम लिया और इसी के जरिये बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह कर समाज को सीख दी है, लेकिन इस प्रदेश में हमारे ऐसे साहित्यकारों को कोई दर्जा हमारे मंत्रीगण नहीं देते हैं और दें भी कैसे इनको पता ही नहीं रहता कि इसमें क्या बात कही जा रही है, इसका इन्हें ज्ञान ही नहीं रहता और यह छोड़िए इनको यह भी पता नहीं रहता कि कौन साहित्यकार है, तो उनके सम्मान का प्रश्न तो बहुत दूर की बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीगण इस ओर कृपया ध्यान दें और अपने प्रदेश व देश के साहित्यकारों को सम्मान का दर्जा दें। (शोर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, हमारे यहां जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो कविगण सम्मिलित थे, श्री 'साकेती' जी, उन पर वहां जो बीती वहां पर वह स्वयं हम लोगों से निवेदन कर रहे थे..... (शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें । मैंने इस विषय पर सभी को सुना, इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के संबंध में माननीय सदस्यों को भी सुना और वह भी सुना जो नहीं भी सुनना चाहिए था, इसलिये अब मेरी भी सुने, जो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग किसी के बारे में कुछ भी बोलें, कैसे ही शब्दों का इस्तेमाल भी कर डालें, इन सब से जिसके संबंध में कहा जा रहा है, उस पर तो कुछ किसी का ख्याल नहीं जाता है, लेकिन उसके बारे में जो कुछ कह रहा है, उसकी स्थिति का, उसके ज्ञान और व्यवहार का पता जरूर चल जाता है । यह एक ऐसा विषय है, जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये लेकिन 'विकल साकेती' जी जो इस मामले से सम्बन्धित हैं, उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ बातें बताईं कि दो बजे माननीय गोयल साहब वहां आये और फिर जो कुछ कहा, वहां पर मारपीट हुयी, धक्का मुक्की हुयी और माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक राजनीतिक मंच सा बन गया है, इसका भी जवाब दिया जायेगा, इसके बाद फिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और इसमें क्या सत्य है और क्या सत्य से परे है । अगर सरकार इस संबंध में जो समझती है कि वहां पर यह नहीं, यह हुआ है तो उसके संबंध में अपना एक वक्तव्य दे दे और जब वक्तव्य देना चाहे तो उसका समय निश्चित कर दे ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)–

इस पर वक्तव्य क्या श्रीमन्, लेकिन जब आपने निश्चित कर दिया है तो 2 फरवरी को दे देंगे वक्तव्य ।

श्री राम सागर–

मान्यवर, मेरी भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर सूचना थी, मुझे भी अवसर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार तो की गयी थी परन्तु आप स्वयं ही उस समय पढ़ने के लिये मौजूद नहीं थे ।

19 जनवरी, 1982 के 'भारत बन्द' के संबंध में प्रदेश में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

[1 बज कर 35 मिनट]

श्री अध्यक्ष–

अब मद संख्या 10 लेंगे–'19-1-1982 के "भारत बन्द" के संबंध में प्रदेश में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।'

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, 19 तारीख को जो कुछ भी हुआ, वह घृणित, जघन्य और निर्मम था। माननीय लोकपति जी तो उठकर जा रहे हैं, मैं बनारस की घटनाओं से ही शुरू करना चाहता था। ये प्रतिनिधि जरूर मिर्जापुर से हैं लेकिन पूरा बनारस उस दिन बन्द था। बन्द के दिन जो समाचार वहां का 'इण्डियन एक्सप्रेस' में छपा है, उसका कुछ अंश मैं पढ़ रहा हूं–

"दि कमिश्नर आफ वाराणसी डिवीजन, मिस्टर एस0 मुखर्जी, आन वेडनेसडे थ्रीटेन्ड टू अरेस्ट दि चीफ प्राक्टर आफ दि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी, मिस्टर वाई0 डी0 उपाध्याय अन्डर दि नेशनल सेक्योरिटी एक्ट (एन0एस0ए0) फार नाट बिइंग स्टर्न इन डीलिंग विद दि स्टूडेन्ट्स । ही आल्सो चार्ज्ड हिम विद नाट कोआपरटिंग विद दि डिस्ट्रिक्ट आथारिटीज इन हैन्डलिंग सिचुएशन आन दि कैम्पस एराइजिंग आउट आफ दि आल इन्डिया स्ट्राइक आन जनवरी 19 ह्विच लेड टू दि क्लोजर आफ यूनिवर्सिटी।"

यह कहते हैं कि बनारस डिवीजन के कमिश्नर ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के चीफ प्राक्टर को इस बात की धमकी दी कि जब 19 तारीख की हड़ताल हो रही थी, उस समय उन्होंने सहयोग नहीं दिया, इसलिये उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है।

इसके बाद यह पत्र लिखता है कि–

"मिस्टर मुखर्जी आल्सो मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेन्स्ट दि वाइस चान्सलर, मिस्टर इकबाल नरायन, ह्वाइल ब्रीफिंग पुलिस आफीसर्स एण्ड काल्ड अपान दि आफिसर्स आन ड्यूटी टू बी 'टफ' विद दि वाइस चान्सलर।"

पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने सख्ती से कदम उठाने के लिये कहा और श्री इकबाल नारायण, जो उस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया।

हमारी जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय को स्वायत्तता मिली हुई है, लेकिन इससे तो स्पष्ट है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अपहरण हुआ।

बनारस के "दैनिक जागरण" ने लिखा है कि––

"काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति डाक्टर इकबाल नारायण ने कहा है कि मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर और उसके बाहर छात्रों पर पुलिस ज्यादती के सम्बन्ध में मैंने उच्चाधिकारियों से शिकायत की है।

उन्होंने बताया कि छात्रावासों के अन्दर घुसकर छात्रों की पिटाई के आरोप के बारे में अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और यदि ऐसा हुआ है तो यह पुलिस की गलती है।

(इस समय 1 बजकर 39 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

उपद्रव के दिन सायंकाल लगभग पांच बजे चीफ प्राक्टर कार्यालय में और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस के एक अधिकारी के नेतृत्व में पी0ए0सी0 के महिला महाविद्यालय तक में घुसने के बारे में जब उनसे पूछा गया कि क्या पुलिस ने इसके लिए आपसे अनुमति ली थी? डाक्टर इकबाल नारायण ने कहा कि उस समय तक तो ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि पुलिस बुलानी पड़ती। मैंने उसे अनुमति नहीं दी थी।"

उत्तर प्रदेश की पुलिस 19 तारीख को इतनी अन्धी हो गयी थी कि विश्वविद्यालय में बिना कुलपति की इजाजत के घुसी और महिला छात्रावास तक भी पहुंची। इसको अन्य समाचार-पत्रों ने भी कहा है।

मुझको काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष का पत्र मिला है, उन्होंने मुझको लिखा है कि आज स्थिति यह है कि शिव कुमार सिंह, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय यूनियन को इस बात की धमकी दी गयी है कि यदि वह दिखलाई पड़े और पुलिस से उनका साक्षात्कार हुआ तो उनको लाठियों से पीटा जा सकता है। और उनकी फर्जी मुठभेड़ करके पुलिस कत्ल भी कर सकती है। यह काशी विश्वविद्यालय जैसे छात्र संघ की स्थिति है। मान्यवर, 19 तारीख को पुलिस जैसे पागल हो गयी थी, यह सरकार उस दिन कोई भी काम करने के लिये तैयार थी। पुलिस ने कानपुर में निहत्थे छात्रों के ऊपर तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जबरदस्ती लाठी चार्ज किया। जब समाचार-पत्र "दैनिक जागरण" के संवाददाता ने फोटो लेना चाहा तो उनके कैमरे की रील खींच ली गयी, उनका कैमरा छीन लिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत की परन्तु आज उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कि इस पर एक जुडीशियल इन्क्वायरी बैठाई जानी चाहिये जो कि पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार उस दिन किया गया है। पुलिस ने निहत्थों को मारा दुकानों को लूटा। कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने जो दुकानों को लूटा है इसके लिये एक जुडीशियल इन्क्वायरी की जानी चाहिये जिसने कि कानून और व्यवस्था का इतनी निर्दयता से उल्लंघन किया है।

[श्री मोहन सिंह]

देवरिया में गौरीबाजार के अन्तर्गत राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को पकड़ कर हथकड़ी लगा दी गयीं और उनको सड़कों पर घुमाया। उनकी नगर घुमेया की गयी मान्यवर, पूर उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह की वारदातें उस दिन हुई हैं जिसे सुन कर शर्म से माथा झुक जाता है।

19 जनवरी को "बन्द" कराने में कोई विरोधी पक्ष का राजनैतिक मन्तव्य नहीं था इसके पीछे । मुख्य मंत्री ने यहां वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि इसके पीछे राजनैतिक उद्देश्य था जिसे हमने विफल कर दिया। हमने पहले भी इस बात को कहा है यहां सदन में कि इसके पीछे विरोधी पक्ष का कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं था। यह केवल मजदूरों के अधिकारों को दिलाने के लिये किया गया था। इस सरकार के फासिस्टी राज्य के लिये अधिनियम लागू करके उनको जनतंत्र के मूल्यों के अनुसार उनकी ट्रेड यूनियन के जो नियम हैं, उनका पालन किया जाय । यह सरकार जो ट्रेड यूनियन को खत्म कर रही है उसको खत्म करने के लिये इण्डस्ट्रियल स्ट्राइक को काल दिया था, यह कोई राजनैतिक उद्देश्य इसके अन्दर नहीं था मान्यवर।

मैं पूछना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अलीबाबा विशम्भर नाथ पाण्डेय ने पुलिस को कहा कि जिनकी दूकानें बन्द होंगी उनको हम पुलिस का प्रोटक्शन दे कर खुलवायेंगे । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब मजदूरों ने भी अपनी दूकानें बन्द रखी थीं। जब कांग्रेस कार्यकर्त्ता बन्द दूकानों को खुलवाने गये तो उन्होंने दूकानों को लूटा।

हमारे फर्रुखाबाद जिले में शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चार्ज किया गया। गोरखपुर में जिनकी दूकानें बन्द थीं उनको जबरदस्ती खुलवा-खुलवा कर लूटा गया। मान्यवर, इस तरह का बन्द कभी नहीं हुआ।

एक सदस्य–

देवरिया में तो नहीं लूटी गयीं?

श्री मोहन सिंह–

श्रीमन्, दुर्भाग्य से आपने वहां किसी को मंत्री नहीं बनाया नहीं तो मंत्री पद पा कर इसका उत्तर तो देते ही। देवरिया में दूकानों को खुलवाने कोई नहीं गया। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह दरवाजे-दरवाजे घूम रहे थे दूकानों को खुलवाने के लिये। निर्मल खत्री भी जिले में दरवाजे-दरवाजे घूम रहे थे दूकानों को खुलवाने के लिये । चौधरी नौनिहाल सिंह जी इलाहाबाद में पूरे जिले में घूमे और दूकानदारों के यहां गये। पूरे जिले की चहारदीवारी में घूमे लेकिन एक भी दूकान इलाहाबाद शहर में नहीं खुली । श्री विद्याभूषण की एक फैक्ट्री रेनबो स्टील की है, स्वयं विद्याभूषण जी की फैक्ट्री बन्द रही, कोई काम नहीं हुआ . . .

(व्यवधान)

इस सरकार के मंत्रियों का अब नैतिक कोई असर उत्तर प्रदेश की जनता पर नहीं है और 19 तारीख को उत्तर प्रदेश की जनता ने बन्द करके उसके आवाहन को सफल बना कर जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी आपकी, उसको समाप्त कर दिया है। इस सरकार के प्रति अब उत्तर प्रदेश की जनता ने अविश्वास प्रकट दिया है। यह 'बन्द' बन्द नहीं था बल्कि वह चेतावनी थी इस रूप में कि अगर किसानों, मजदूरों, नौजवानों और विद्यार्थियों के अधिकारों का अपहरण किया गया तो वह मुंह तोड़ उत्तर देगी।

(एक सदस्य के बार-बार खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं कहता हूं आप बैठ जायें।

एक सदस्य–

मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। माननीय नेता, विरोधी दल, आप देखें, आपके ही पक्ष से लोग बोल रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

(माननीय श्रम मंत्री के खड़े होने पर)

माननीय श्रम मंत्री जी आप बैठें। चूंकि मैंने श्रीवास्तव जी को बुला लिया है इसलिये उसके बाद आप बोलें। (व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

19 तारीख के बन्द का आवाहन जिस ट्रेड यूनियन की तरफ से किया गया था उस आवाहन को विफल बनाने के लिये जिस प्रकार से माननीय प्रधान मंत्री ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया वो बेमिसाल है। इसी कारण ---------- (व्यवधान

सत्ता दल के प्रदेश के मंत्रियों ने और उसी तरह से हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हड़ताल को विफल बनाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। मान्यवर, 19 तारीख के पहले के समाचार पत्रों को आप देखें, प्रत्येक जिले में मंत्रियों विधायकों की नियुक्तियां की गईं और उन पर इस प्रदेश के कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष ने और मुख्य मंत्री ने यह दायित्व छोड़ा कि हर कीमत पर यह हड़ताल विफल होनी चाहिए। परिणामस्वरूप हर जिले के जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 पर भी यह जिम्मेदारी डाली गयी कि हड़ताल विफल होनी है और उसी के फलस्वरूप जिलाधिकारी की तरफ से निर्देश दिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर मीसा के अन्तर्गत भी लोगों को बन्द किया जायेगा। जब ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ और यह देखा गया कि मजदूरों की मांग करने वाले, मजदूरों का समर्थन करने वालों का इस तरह से दमन हो रहा है तो व्यक्तिगत रूप से राजनीति में कार्य करने वाले लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये और उनमें से आप देखें कि 18 तारीख के 'दैनिक जागरण', कानपुर में मेरा एक बयान छपा है स्वेच्छा से काम या दुकान बन्द करें यदि आप अनुभव करते हैं कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, असुरक्षा बढ़ी है यदि आप अनुभव करते हैं कि विरोध पक्ष गलत कहता है तो दुकानें खोले रखें। 18 तारीख को ही विरोध पक्ष के कार्यकर्त्ताओं को बन्द कर दिया। मेरी चुनौती है, कानपुर के मंत्रियों को, वह बतायें कि कानपुर में क्या पान की दुकान भी खुली। केन्द्र के उप मंत्री जी जिन्होंने 2-3 दिन पहले ही शपथ ली थी कानपुर के प्रसारण से बार-बार कह रहे थे कि पूरा कानपुर खुला है और सब काम हो रहा है।

मान्यवर, वहां की जनता ने इसको ठुकरा दिया और ऐसा ऐतिहासिक 'बन्द' कभी नहीं हुआ। जो इन्होंने उद्योगों में सफलता प्राप्त की उसकी भी कहानी सुन लीजिए। शासन द्वारा संचालित टेक्सटाइल मिलों में एक दिन पहले निर्देश दिया गया कि जो लोग 19 तारीख को आने वाले हैं, वह लोग 18 तारीख की रात को मिल में आ जायेंगे तो उन्हें प्रवेश दिया जायेगा, भोजन दिया जायेगा और एक दिन की तनख्वाह दी जायेगी ताकि 19 तारीख को उनकी हाजिरी भर दी जाय और स्पष्ट रूप से यह भी बता दिया गया था कि आप बैठे रहें, आप काम न करें लेकिन प्रबन्धक आपकी हाजिरी दिखाना चाहते हैं नहीं तो हमारी नौकरी चली जायेगी। इस तरह से यह बड़ी मुश्किल से 50 परसेंट आदमियों को कैद करके रख पाये।

श्री अधिष्ठाता–

श्रीवास्तव जी, आप अपना भाषण बहुत सीमित रखिए क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

जी हां, मैं अभी थोड़ी देर में अपनी बात समाप्त करता हूं। कानपुर में 'दैनिक जागरण' के पत्रकार राजकुमार जी नवीन मार्केट में फोटो खींच रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। एक साहित्यकार थे, रिजर्व बैंक के कर्मचारी उनके भी चोटें आईं। वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति विरोध पक्ष की ओर से उपस्थित नहीं था

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव]

जो यह कह सके कि दूकानें बन्द करो। मान्यवर, केवल कांग्रेस के लोग, अपने को बहुत बड़ा जिम्मेदार कहने वाले लोग, सारे विधायक एक-एक स्थान पर जा रहे थे और दुकानें खोलने को कह रहे थे। परन्तु जनता ने उनकी बात को ठूकरा दिया। मान्यवर, आपके आने से पहले मैंने मा0 अध्यक्ष को एक फोटो श्रीमती अंजना प्रकाश की दी थी, जो कि पिछले सदन के सदस्य श्री शतरुद्र प्रकाश की पत्नी हैं, बनारस यूनिवर्सिटी में पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज करके उनको भी जख्मी कर दिया जिसका फोटो आपके पास भेज चुका हूं। उसकी दूसरी कापी मेरे पास है। सत्ता पार्टी की ओर से बन्द को विफल कराने का अथक प्रयास किया गया जो विफल हुआ। हमने तो केवल ये अपील की थी कि अगर जनता कष्ट अनुभव करती है तो दूकानें बन्द रखें नहीं तो खुली रखें। इस प्रकार दूकानें बन्द रखकर जनता ने मंत्रियों के प्रति अपना विरोध अवश्य व्यक्त कर दिया है। अब इनकी कोई भी नैतिकता नहीं है कि ये शासन में बने रहें।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)—

मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। मैं तो इस सदन के सामने स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि 'भारत बन्द' का नारा एक राजनीतिक षड़यंत्र था। देश की व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने की साजिश थी इन्हीं कुछ लोगों ने पोलैंड में कहा है कि हड़ताल बैन कर दिया जाय और भारत में कहते हैं कि भारत को बन्द कर दिया जाय। इन्हीं लोगों ने, बंगाल की सरकार के मंत्रियों ने 'भारत बन्द' का नारा लगाया और हिन्दुस्तान के लाखों कर्मचारियों ने कन्याकुमारी से कश्मीर एवं बंगाल सभी जगहों पर कर्मचारियों ने काम किया। उन्होंने जब यह समझा कि यह एक राजनैतिक साजिश है तो उन्होंने हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिये आगे बढ़कर उत्पादन बढ़ाया। आज हिन्दुस्तान में ये स्वीकार करते हैं कि हम सरकार बना नहीं सकते हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं, हम इनके योग्य नहीं हैं। 'भारत बन्द' का नारा देने से यदि सारे देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाय, तो यह कोई शोभनीय बात नहीं होती बल्कि उनको यह सोचना चाहिये कि 'भारत बन्द' नारे के पीछे एक साजिश और षड़यंत्र है।

जब मजदूरों ने देखा कि ये लोग पिछले 77 में बहुमत में शासन में आये और ढाई साल के अन्दर ये कुछ नहीं कर सके और चलते बने। मजदूरों ने और जनता ने इस बात को महसूस किया कि इस नारे के पीछे वे तत्व हैं जो किसी भी तरह से जनता ने इस बात को नहीं चाहते हैं। आज यहां का मजदूर इस बात को समझ गया है कि ऐसा कोई कारण कांग्रेस में मौजूद नहीं है जिससे कांग्रेस पार्टी का शासन 5 वर्ष से पहले चला जाय। वे समझते हैं कि अगर कांग्रेस चली गयी तो और किसी से हमारे लिये कुछ होने वाला नहीं है। अतः इनके नारे में कोई जान नहीं है। 30 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों में कहीं कुछ नहीं हुआ और रेल के अन्दर भी उन्होंने उत्पादन बढ़ाने का ही फैसला किया। उन्होंने श्रीमती गांधी के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वर्ष को स्वीकार किया और उत्पादन बढ़ाना मुनासिब समझा उन्होंने हर क्षेत्र में हर जगह प्रोडक्शन को बढ़ाया है।

मान्यवर, मैं और कहीं की बात नहीं कहना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश को ही लें, कहीं भी किसी बड़े कारखाने में हड़ताल नहीं हुई। एकाध जगह कोई छोटी सी हड़ताल भले ही हो गयी हो लेकिन यहां के 200 बड़े कारखानों में अधिकांश हड़ताल नहीं हुई। अगर आप मांगेंगे तो मैं उनके फीगर्स भी दे सकता हूं कि 19 तारीख को चाहे बिजली हो, चाहे परिवहन हो, चाहे कोई और कारखाने हों, उनमें उस दिन और दिनों से ज्यादा ही उत्पादन हुआ। अभी हमारे साथियों ने जो कुछ कहा है उससे साबित होता है कि जो साजिश की कार्यवाही थी वह सफल नहीं हो सकी। जब लोगों ने देखा कि देश और प्रदेश में अव्यवस्था पैदा होने वाली

है, शांति व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने वाली है, सारा कारोबार ठप्प होने वाला है तो अधिकारियों से कह दिया गया कि आप लोग मजबूती के साथ इसका सामना करने के लिये तैयार रहें और जन जीवन की रक्षा के लिये सुव्यवस्था को कायम रखने के लिये हर तरह की तैयारी करें।

इस प्रदेश की 11 करोड़ जनता में से सिर्फ 2099 लोग उस दिन गिरफ्तार हुए और उसमें से भी बहुत से छोड़ दिये गये। शायद ही कोई रह गया हो। इस बात को कम से कम इन्हें आपको स्वीकार करना चाहिये कि आगे आने वाला जो बाकी समय 5 साल में रह गया है उसमें शान्ति से घर में बैठें। जनता की दुहाई देने से कुछ नहीं होगा। हमें शान्ति से काम करने दें और स्वयं कंस्ट्रक्टिव वर्क करें यदि ये कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करेंगे तो आगे इतिहास लिखने वाला आपको केवल नारा देने वाला व्यक्ति ही कहेगा। मजदूर जैसा पहले कहता था फिर यही कहेगा 'आधी रोटी खायेंगे, इन्दिरा वापस लायेंगे। इन्दिरा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।' आप आन्दोलन करने में श्रीमती गांधी की नकल करना चाहते हैं लेकिन आप में उस तरह के आन्दोलन करने की क्षमता नहीं है कि उस तरह के आन्दोलन को चला सकें। इसलिये मेरा आग्रह है कि आने वाले समय को देखते हुए आप देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में प्रदेश की सुरक्षा को कायम रखने में हमें सहयोग दें। जो परिस्थितियां राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय उत्पन्न हो गई हैं उनको देखते हुए उत्पादन की आवश्यकता है। अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन इस देश और प्रान्त का हमारे लिए बड़ा अहम हो जायगा। मैं यही निवेदन करूंगा कि ये समय को पहचाने और उसके मुताबिक कार्य करें। जल्दीबाजी में ये यह न सोचें कि बहुत जल्दी इधर आ जायेंगे। उसमें समय बहुत लगेगा।

एक बात और कहना चाहूंगा। सन् 62 की चीनी हमले से सबक मिला, 65 और 71 की लड़ाई से आपने देखा, क्या हुआ और जो 77 में कांग्रेस पार्टी को सबक मिला अब दुबारा सबक लेने वाले नहीं हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय . . .

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि माननीय सदस्य काफी तादाद में बोलना चाहते हैं अतः प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी बात पांच मिनट में कह लें।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने और बोलने पर)

पांच मिनट बाद आपको समय मिलेगा . . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की 11 करोड़ जनता को खास कर इनक्लाबी मजदूरों, नव जवानों को, बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने 19 तारीख को पुरजोर अपने हक के लिए अपने अधिकार के लिए, और तानाशाही तलवार को नाकामयाब बनाने के लिए जो इकट्ठे हो करके अपनी सोलिडेरिटी का इजहार किया। उनको बार-बार बधाई देना चाहता हूं। इस हिजड़ी सरकार को चुनौती देना चाहता हूं। हिजड़ी सरकार, नपुंसक सरकार को . . . (शोर) . . .

श्री काशीनाथ मिश्र–

ये तो दो-तीन साल में ही इम्पोटेन्ट हो गये . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

इनका मेडिकल करवा लें . . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह सरकार नपुंसक है, यह सरकार इम्पोटेन्ट है। मेरा चैलेन्ज है। क्या कारण है कि 19 तारीख को गोरखपुर में दुकानें नहीं खुलीं? क्या यह सही नहीं

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
है कि दफा 144 लगने के बाद भी ट्रकों में लोग भर-भर कर लाये गये और इन्दिरा गांधी के नारे लगाये गये। एक दूकान नहीं खुली, क्या यह सच नहीं है? और क्या यह सच नहीं है कि कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों को पीटा? इसकी पृष्ठ भूमि क्या है? 'भारत बन्द' का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया। 'भारत बन्द' का नारा इनके रेडियो ने दिया, इनके इन्दिरा मुगों ने दिया। हम लोग सोलिडेरिटी का इजहार किये थे मजदूरों के साथ। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून काला कानून नहीं है, क्या यह आवश्यक सेवा का कानून काला कानून नहीं है? अधिष्ठाता जी आप भी पत्रकार रहे हैं, क्या यह काला कानून नहीं है, हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन करने की साजिश नहीं है? देश के मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा, उनका जो राष्ट्रीय हथियार सत्याग्रह आन्दोलन और हड़ताल का है उस पर कुठाराघात होगा और राष्ट्रीय कार्यकर्ता और राष्ट्रीय दल चुपचाप बैठा सोया रहेगा, नपुंसक रहेगा तो मान्यवर, यह सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए यह हमारा इन्सानी फर्ज था कि हम प्रजातंत्र में और जम्हूरियत में पूरा विश्वास और भरोसा रखने के नाते इन हजारों और लाखों मजदूरों की सोलिडेरिटी के साथ अपने को सन्निद्ध करें। इस प्रदेश की जनता आज जानना चाहती है कि इस नौकरशाही और हिजड़ी सरकार की संयुक्त ताकत को नाकामयाब बनाने में हम कहां तक एक हो सकते हैं। आप नारा लगाते हैं कि आधी रोटी खायेंगे, इन्दिरा गांधी को लायेंगे। जब मुंह में डण्डा पड़ेगा तो बाप-बाप चिल्लायेंगे। . . . (व्यवधान) आप में हिम्मत नहीं है कि आप आगे मजदूरों के सामने जा सकें, जनता के सामने जा सकें। आज आपने जनतंत्र के सारे उसूलों को खतम कर दिया है. . . (व्यवधान। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री काशीनाथ मिश्र–
माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मोहन सिंह जी के व्याख्यान का जवाब देने के पहले मैं अपने पुराने दोस्तों . . .

(श्री गौरी शंकर भैय्या के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता–
माननीय गौरी शंकर भैय्या, आप कृपया बैठें।

श्री काशीनाथ मिश्र–
अधिष्ठाता महोदय, मैं भारत बन्द के विषय में कुछ कहने से पहले अपने सम्मानित सदस्य और दोस्त श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी को जनता सरकार की हिजड़ापंथी का ज्ञान कराना चाहता हूं। आप यह समझ लें कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के अकेले के पीछे आपके सारे दलों के नेता, राज नारायण, जार्ज फर्नांडीज, मधुलिमये, चौधरी चरण सिंह. . .

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री मोहन सिंह–
मंत्री जी का भाषण किस विषय पर हो रहा है?

श्री काशीनाथ मिश्र–
कितने आप हिजड़े थे जनता सरकार कितनी हिजड़ी थी, उसके विषय में बोल रहा हूं और उसी को साबित कर रहा हूं। आपके दलों के इतने बड़े-बड़े महारथी लोग मिलकर, एक प्रबल जन-समर्थन लेकर इन्दिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए, शाह कमीशन पर हजारों लाखों रुपया खर्च कर दिया, इन्दिरा गांधी को मुख्य धारा

से काटना चाहते थे जिसका नतीजा यह हुआ कि आप 5 वर्ष के बजाय तीन वर्ष में ही उलट गये। यह है आपकी नपुंसकता, निष्क्रियता तथा हिजड़ापंथी की मिसाल जो कि जनता सरकार में लोगों को देखने को मिली और आप हमारे लिये कहते हैं। मैं माननीय मोहन सिंह जी से पूछना चाहता हूं, वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्नातक रह चुके हैं, आप बतायें कि 'भारत बन्द' का क्या अर्थ है। इसे आप 'शासन बन्द' कह सकते थे 'सरकार बन्द' कह सकते थे लेकिन 'भारत बन्द' कैसे कह रहे हैं...

(व्यवधान)

मान्यवर, मुझे कह लेने दें। मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूं। यह एक विशाल देश है। कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक और ...(व्यवधान)। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थन से न कभी यह देश बन्द होगा और न कभी हुआ है। सन् 42 में कुछ दिनों के लिये मुल्क बन्द हुआ था लेकिन इतिहास साक्षी है कि घटनाचक्र के पुंज प्रभाव से ऐसा हुआ था, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव से नहीं हुआ। 1942 के बाद में मोहन सिंह जी को 100 वर्ष का इतिहास कहना चाहता हूं कि सन् 78 में देश बंद के कगार पर जा रहा था जब माननीय जयप्रकाश नारायण जिंदा थे और जसलोक अस्पताल में थे तो मोरारजी की सरकार ने उनको मृत घोषित कर दिया और सारा मुल्क अंगड़ाई लेने लगा। बंद उसे कहते हैं जब लोगों के मन उखड़ जायें कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से खंभात। केवल आपकी एक घटना से मुल्क बन्द नहीं होता। 1978 में एक घटना घटी थी श्री जयप्रकाश नारायण जिंदा थे और उनको मृत घोषित कर दिया और फिर इन्दिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव जीत कर आईं तो आपने उनको जेल भेज दिया। यह दो घटनायें 1978 में घटी और उससे हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के मन उखड़ गये जिसका नतीजा यह हुआ कि आप 5 वर्ष के बजाय 3 वर्ष में ही बोरा बिस्तर बांध लिये। यह बंद का इतिहास है। यह बंद नहीं हुआ करता कि कहीं पर कुछ दूकानें बंद हो गयीं और आपने उसे भारत बन्द कह दिया। आपने क्यों बन्द का नारा दिया उसके पीछे क्या इतिहास है। जब मुल्क की पैदावार बढ़ रही हो, मुद्रास्फीति पर काबू पाते जा रहे हों, कारखानों में उत्पादन बढ़ रहा हो, पिछले दो वर्षों का इतिहास पढ़ लीजिये। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन संभालते समय 22 प्रतिशत इनफ्लेशन था और मैं कहना चाहता हूं यह मेरा कहना नहीं है यह रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक कहता है कि पिछले दो वर्षों में और 81 के खत्म होते-होते मुद्रास्फीति की दर 7 फीसदी रह गयी है।

जब इन्दिरा गांधी जी ने शासन संभाला था उस समय अनाज का उत्पादन 5 करोड़ 40 लाख टन था और आज 13 करोड़ 60 लाख टन है। पिछले दो सालों में 55 फीसदी तेल और उर्वरक में वृद्धि हुई है। दो साल पहले यूरिया 22 लाख टन पैदा हुआ और सन् 81 में 26 लाख टन गया है। कच्चा तेल 93 लाख मीट्रिक टन से 1 करोड़ 55 लाख मी0 टन गया है। तो जब मुल्क की पैदावार बढ़ रही हो और हमारा निर्यात 25 सैकड़ा बढ़ा हो तो फिर कैसा बंद है। ट्रेड बैलेंस जो आपके जमाने में डिसफेवर में हो गया था आज हमारे फेवर में है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है जिसका प्रमाण 5 अरब डालर का वर्ल्ड बैंक का ऋण है। जब हमारी साख वर्ल्ड बैंक के सामने बढ़ रही है, हमारी प्रधान मंत्री का रुतवा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ रहा है उस वक्त आप बंद का नारा देते हैं तो यह देश द्रोह नहीं तो और क्या है?

श्री मोहन सिंह–

मिश्रा जी, क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष के सामने बोल रहे हैं या 19 ता0 के बंद पर बोल रहे हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र–

बंद तब होता है जब देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही हो, जब देश प्रगति कर रहा हो, कारखानों का उत्पादन बढ़ रहा हो तो बंद कैसे होगा। पिछले दो सालों में 25 सैकड़ा अधिक इण्डस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर हुए हैं। ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि मजदूरों का भला करने वाले जो हैं इनके शासन काल में सैकड़ों मजदूर सूती मिल कानपुर में मारे गये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप खतम करिये।

श्री काशी नाथ मिश्र–

पिछले साल आप जानते हैं कि इन लोगों के व्यवधान से दो लाख मैन डेज का लास हुआ लेकिन फिर भी औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। इनके तमाम षड़यंत्रों के बावजूद मुल्क प्रगति की तरफ जा रहा है। जब देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो उस वक्त कारखानों को बंद करने का प्रयास करना देश द्रोह की संज्ञा में आता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र–

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं हमारे कम्युनिस्ट भाइयों से वह पोलैण्ड के मजदूरों से कहते हैं हड़ताल मत करिये, उनकी राष्ट्रीय भावना हिन्दुस्तान से कम है और पोलैण्ड और रूस से ज्यादा है। रूस और पोलैण्ड के मजदूरों से यह कहेंगे कि हड़ताल मत करो और भारतवर्ष के मजदूरों से कहेंगे कि हड़ताल करो। मजदूर अब इनकी कोई सुनने वाले नहीं हैं और इसी कारण कानपुर की सारी फैक्टरियां उस दिन चलती रहीं। हर जगह हमारा कारोबार जोरों से चला। यही नहीं विद्युत का उत्पादन 19 तारीख को सबसे ज्यादा हुआ है। फिर भी आप बन्द कराते हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं शासन में जब यह लोग रहे तो बेलछी और नारायण-पुर काण्ड हुए सामन्तों के साथ मिलकर . .. 'व्यवधान' आज फिर यह वही अराजकता पैदा कर रहे हैं। कुर्सी पाने के लिए यह लालायित हैं। शासन में किस प्रकार चले आवें। मैं कहना चाहता हूं, अब मैं यहां पर मोहन सिंह जी को फ्रांस के दगाल साहब का एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं, जो उन्होंने जब रिफार्म अपने देश में इन्ट्रोड्यूज किया था और विपक्ष ने उसका विरोध किया था, उस समय कहा था–

"गवर्नमेण्ट वोटेड टू पावर वाई विल आफ मेजोरिटी एण्ड इन्टरेस्टेड विथ सर्टेन रिस्पान्सबिलिटीज मस्ट पोसेस सब्स्टेन्सियल पावर्स टू डील विथ हूलिगन्स एण्ड नेफेरिअस एलीमेण्ट्स डेस्टेन्ड टू क्रियेट हर्डिल्स इन दि इकोनामिक प्रोग्राम आफ दि कन्ट्री" उसने कहा है कि देश के जो हूलिजस है उनको दबाने के लिए शासन के पास पर्याप्त शक्ति रहनी चाहिए, अधिक से अधिक शक्ति रहनी चाहिए ताकि जो आतंकवादी हैं उनको दबाया जा सके जो देश के विकास के मार्ग में रोड़े पैदा करते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

अभी मैं जेल से छूटकर चला आ रहा हूं, हमको बोलने का मौका दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस बहस में हिस्सा लेने वाले तमाम सदस्यों से चाहूंगा कि वह समय के अन्दर अपनी बात कहें। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

(व्यवधान)

उस दिन कांग्रेस आई के कुकर्मों का पूरी तरह पता चला है । आज कांग्रेस आई के शासन में यह देश और प्रदेश ऐसा लग रहा है, जैसा कि यह देश गांधी का न हो, यह देश सरदार पटेल का देश न हो, स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलनकारियों की पीढ़ियों का देश न हो । उस दिन छात्रों पर जिस तरह से बर्बर जुल्म ढाए गये उसकी कोई सीमा नहीं है, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर छात्रों को निकालकर शाम को पांच बजे बूरी तरह से मारा गया। यहां तक कि भू0 पू0 उपाध्यक्ष अंजना प्रकाश की बांह तोड़ दी गई। कितने ही विधायकों को जेल में रखा गया। उस छात्र नेता, अध्यक्ष के घर की कुर्की हुई और कुर्की में रोटी तक इनकी जालिम पुलिस उठा ले गई और यहां तक कि गूंथा हुआ आटा भी उठा ले गई । श्री शिवकुमार सिंह, बी0 एच0 यू0 प्रेसीडेन्ट को एन-काउन्टर करने की धमकी दी गई । यह हिन्दुस्तान का माना हुआ जो विश्वविद्यालय है उसकी स्वायत्तता पर कुठाराघात करने वाली यह सरकार निकम्मी सरकार है जो दुनियां के किसी हिस्से में नहीं होगी । बनारस में ही बबूरी में सुबह साढ़े सात बजे गोलियां चली, 3 हजार जनता के लोगों को उसमें बुरी तरह से पुलिस ने घायल कर डाला . . . 'व्यवधान'

एक सदस्य–

मैं जानना चाहता हूं कि यह किस अपराध में जेल गये थे और किसमें सजा हुई है?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

उसमें पुलिस ने बुरी तरह से लोगों को मारा, कितने लोग मार दिये गये, दो भाई एक साथ मार दिये गये। (व्यवधान) जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें 22 लोग कबीरचौरा बनारस में रोके गये । साथ ही 3 हजार लोगों को खोजा जा रहा है । वहां पर 2 भाई मारे गये ।उ नकी लाश को लावारिस घोषित कर दिया गया । उसके विरोध में बनारस में एक मौन जुलूस निकला, पत्रकारों को कानपुर में मारा गया, मजदूरों को एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में बंद किया गया। 98 प्रतिशत हड़ताल रही। चौधरी चरण सिंह और माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जनता पार्टी की नीतियों से एक कदम आगे बढ़कर जनता ने प्रदेश में सारी दुकानें बन्द रहीं। इस प्रकार से भारत बंद की सफलता यहां पर रही। जेल में 98 प्रतिशत व्यक्तियों को अदालत में भेजने का काम नहीं किया ।

मान्यवर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक बहुत ही विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है जिसमें माननीय राजेन्द्र प्रसाद व लाल बहादुर सरीखे लोगों ने विद्या अर्जित की । आज वहां के वाइस चान्सलर और प्रोक्टर को आपकी पुलिस सिक्योरिटी एक्ट में बन्द करने की बात कहती है। उनकी हैसियत आपके डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर से बहुत बड़ी है लेकिन आपकी नौकरशाही, आपका शासन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बन्द करने की बात कहते हैं, यह कितनी लज्जा की बात है ? माननीय काशी नाथ मिश्र जी डाक्टर लोहिया का नाम रटते रहे हैं लेकिन जहां दब्बू होते हैं वहां पर जालिम पैदा होते हैं । डाक्टर लोहिया को भुलाकर आज हमारे काशी नाथ जी और ब्रह्म दत्त जी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में जनतंत्र में मजदूरों, किसानों और श्रमिकों को दबाना चाहते हैं । मेरी मांग है कि बनारस और बबूरी में जो कांड हुए हैं, उनकी जूडिशियल इंक्वायरी करायी जाय ।

(श्री कैलाश टंडन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम कुमार भार्गव–

मान्यवर, आपसे एक अनुरोध है कि आप बोलने के लिए बराबर के व्यक्तियों को मौका दीजिए । यदि यदुनाथ सिंह जी उधर से बोले हैं तो इधर से हरदेव सिंह जी को भी बोलने का अवसर दीजिए ।

*श्री कैलाश टण्डन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि जो प्रस्ताव सदन में आया है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैंने इस अवसर पर एक बात देखी है कि 'भारत बंद' का जो नारा दिया गया उसके बाद विरोध पक्ष को इस देश और प्रदेश के मजदूरों से बहुत मुहब्बत हो गयी है । उस समय जब कि पंत नगर और जैपुरिया मिल में कांड हुए तो उधर से कुछ नहीं कहा गया । मैं बनारस का रहने वाला हूं । भारत बंद से बनारस विश्वविद्यालय का कोई सम्बन्ध नहीं था । जगह-जगह पर उर्दू और हिन्दी के मसले पर मीटिंग्स हुयी । उसमें उदय प्रताप डिग्री कालेज के छात्र आ गये । हकीकत यह थी कि पुलिस वाले फल वालों को लूट रहे थे । पुलिस ने वहां पर गोली चलायी । मैं उस समय सर्किट हाउस में ठहरा था और साथ में हमारे कृषि मंत्री जी भी थे । मेरी मांग थी कि जिन लोगों ने गोली चलायी उन लोगों को जेल भेजा जाय लेकिन उनको केवल मुअत्तल कर दिया गया। (शोर-व्यवधान) मगर उनको छोड़ दिया गया। 16 तारीख को जुलूस निकलता है.....

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह गलत बयानी कर रहे हैं ...

(शोर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया शान्त रहें । उन्हें अपनी बात कहने दें ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश टंडन–

मैं यह कह रहा था कि 16 तारीख को लड़कों का मौन जुलूस निकल रहा है, मगर पुलिस ने वहां के छात्रों पर जो जुल्म किये उनको कहा नहीं जा सकता है। उसके कारण आज वहां के छात्र नाराज हैं। उनमें कांग्रेस वाले भी हैं। सभी राजनैतिक लोग भी नाराज हैं । 19 तारीख को जो भारत बन्द की बात कही जाती है, उस दिन वह सफल नहीं हुआ, पर बहुत सी दुकानें लूट ली गयीं ...

(शोर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्ति से सुनें ।

श्री कैलाश टंडन–

पुलिस ने बर्बरता पूर्वक छात्रों को पीटा । उस दिन बन्द सफल नहीं हुआ, वाटर वर्क्स और बिजली कम्पनी पूरी तरह से काम कर रही थीं । चौक बाजार की दुकानें खुली हुई थीं, सभी बाजार खुले हुए थे, पर पुलिस ने छात्रों के साथ जुल्म किया। जो कुछ बनारस में छात्रों के साथ पुलिस ने किया वह बरदाश्त नहीं किया जा सकता । (व्यवधान) उदयप्रताप कालिज के दो मासूम बच्चों को पुलिस ने गोली से भून डाला । जब एक बाप की हैसियत से हम लोग उन बच्चों को देखने के लिये अस्पताल में गये तो हमारा दिल रो पड़ा। मैं कहता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिये कि पुलिस ने किसके हुकम से उन मासूम बच्चों के ऊपर गोली चलायी । (व्यवधान) पुलिस वालों ने ही स्वयं एक मजार को तोड़ा और छात्रों पर यह इल्जाम पुलिस लगा रही है कि छात्र मजार को तोड़ रहे थे । पुलिस ने ही उसको तोड़ा और हिन्दू-मुसलमान की भावना को पैदा किया। आखिर पुलिस ने बिना हुकुम के गोली कैसे चलायी ? इसकी जांच होनी चाहिये । जिन दो बच्चों को मार कर गंगा नदी में फेंक दिया है वे आज तक घर वापस नहीं आये हैं । बन्द का मसला अलग था, इन छात्रों का मसला अलग था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिष्ठाता महोदय, हम लोग हिन्दी और उर्दू के विरोधी नहीं हैं । प्रसिद्ध कवि पंडित रूपनारायण त्रिपाठी ने कहा है–'हिन्दी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक फिकरों की शहजादी है, एक शब्दों की राजकुमारी है ।'' उर्दू भी हमारी भाषा है और हिन्दी भी हमारी भाषा है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर, जो कांड हुआ वह नहीं होना चाहिये था । वहां शान्ति स्थापित होना चाहिये और जिन पुलिस अधिकारियों ने बर्बरता पूर्वक निर्दोष बच्चों को पीटा है, गोली से भूना है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये । एक ओर पुलिस बेकसूर छात्रों के खिलाफ, छात्र संघ के अध्यक्षों के खिलाफ कुर्की और वारन्ट निकाल रही है, दूसरी ओर जो डकैत हैं, पन्नालाल कपूर के यहां डाका डालने वाले जो मुल्जिम हैं, डाकू हैं, उनको पकड़ नहीं रही है । (शोर-व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, मेरे बारे में यह कहा गया कि मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लगातार चुनाव लड़ता रहा और कभी जीता नहीं। मैं सन् 1954 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी रहा और सन् 1957 में यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर रहा हूं । मान्यवर, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाय, तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं या तो इस तरह की गलतबयानी माननीय सदस्य न किया करें।

***श्री मुख्तार अनीस–**

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के हजारों मजदूरों को, किसानों को, श्रमिक मजदूरों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 19 तारीख में हिन्दुस्तान बन्द को सफल बनाने का काम किया है और केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह के ऊपर करारा तमाचा मारा है, जो श्रमिक विरोधी, छात्र विरोधी अध्यादेशों के जरिये से गला घोंटना चाहा कि वह बंद विफल हो जाय, लेकिन हिन्दुस्तान के और उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में पूरा बंद सफल रहा है। बड़े-बड़े शहरों तथा छोटे-छोटे कस्बे और गांव जो कभी बंद नहीं हुआ करते थे, वह भी बन्द रहे । जो झलनी वाले, जो छोटे-छोटे श्रमिक हैं, उन्होंने इस बन्द का पूरे तरीके से समर्थन किया है । इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । इन श्रमिकों का दमन करने के लिए, छात्रों को दबाने के लिए राजा साहब की निरंकुश पुलिस ने राजीव गांधी और प्रधान मंत्री के इशारे पर यह जो गृह मंत्री यहां पर बैठी हुई हैं, इन्होंने पूरे दमन चलाने का काम किया है । वाराणसी में क्या हुआ मान्यवर, ? वाराणसी के अन्दर कभी भी जो घटना नहीं हुई थी, वह इस सरकार ने किया है। 1942 में जब महात्मा गांधी ने पूरे देश के अन्दर क्रांति का बिगुल बजाया, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अगर इस विश्वविद्यालय के अन्दर पुलिस ने प्रवेश किया तो मैं बीमार होते हुए भी, उसके आगे जाकर लेट जाऊंगा, मेरे शरीर के ऊपर पुलिस आयेगी। लेकिन आज उन बातों का उल्लंघन करते हुए राजा साहब की पुलिस ने दबाव डाला और प्रवेश करवाया और छात्रों को मारने का काम किया । वहां पर जो चीफ काउण्टर आफिस के अन्दर जो सिपाही थे, उन लोगों को पीटने का काम किया । जब छात्रों का जुलूस अस्सी के पास पहुंचा, जो वहां का द्वितीय कोतवाल था, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, जो बिल्कुल खामोशी के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज का काम आपकी पुलिस ने किया । आंसू गैस डाली गयी और उन लोगों को भगाने का काम किया । डेढ़ सौ लोगों को तथा अंजना प्रकाश को महिला होने के बावजूद भी, माननीया स्वरूप कुमारी तो महिला हैं, लेकिन वह तो लड़की है, पुलिस के लोगों ने उसे मारने का काम किया है । वह यहां पर आई हुई है । उसकी शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं शेष है, जहां पर उसे चोटें न आई हों । तो आज उस विश्वविद्यालय की भोली भाली लड़की को, छात्रों को, इनकी पुलिस ने मारने का काम किया है और यहां पर बैठकर नपुंसक राजा यहां के शासन को चला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस]

रहा है । भारतवर्ष के अन्दर क्या हो रहा है ? जिलों-जिलों के अन्दर कांग्रेस पार्टी के लोग पुलिस को लेकर दुकानों को खुलवाने का काम कर रहे थे । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस और पी0 ए0 सी0 इसीलिये होती है कि राजनीतिक दल उसका अपने फायदे के लिये इस्तेमाल करें । उनके द्वारा दुकानों को खुलवाने का काम किया गया । 15 तारीख को ही श्रीमन् हम लोगों को बन्द कर दिया गया . . .

(व्यवधान)

राजनारायण, मुख्तार अनीस, प्रदीप कुमार यादव को बन्द कर दिया गया कि बाहर रहकर भारत बन्द का काम करेंगे . . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुख्तार अनीस–

हम लोगों को बन्द कर दिया गया लेकिन सीतापुर, कानपुर और बनारस में भारत बन्द . . . . .

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बहुत देर में पीछे देखा और मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिये आपका शुक्रगुजार हूं ।

भारत बन्द के अवसर पर विरोध पक्ष जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है । मैं कहना चाहता हूं सन् 77 में मान्यवर, जैसे बरसात के दिनों में ककुरमुत्ता निकल आता है वैसे ही सन् 1977 में एक बरसात आयी थी जिसमें हमारी धरती पर ककुरमुत्ता दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक निकल आये लेकिन इन ककुरमुत्तों का हश्र क्या हुआ। मान्यवर, कांग्रेस सरकार ने जो इस वर्ष विकलांग वर्ष मनाया, उसमें हमारे विरोधी लोगों को जो वैशाखी लगाये बैठे है, को शामिल नहीं किया गया इसीलिये ये रो रहे हैं। मान्यवर, मैं इनसे कहना चाहता हूं पन्त नगर और कानपुर में जो खून श्रमिकों का बहा है, उन श्रमिकों का जिन पर गोलियां चलाई गईं उन श्रमिकों के खून के धब्बे आज भी इनके दामन पर लगें हैं। शायद वही खून का धब्बा ये वैशाखी के सहारे धोने के लिये निकले हैं लेकिन जो धब्बा लगा है मान्यवर, वह इस तरह धुलने वाला नहीं है । हिन्दुस्तान का मजदूर जानता है कि हिन्दुस्तान में कांग्रेस पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी श्रमिकों के लिए जो कार्य किये हैं जो दर्द उनके दिल में है वह आपके पास नहीं है । आप जैसे आये हैं और वैसे ही चले गये हैं कुछ पता नहीं चला है । मान्यवर, आज विरोधी दल पुनः उसी प्रकार एक होना चाहते हैं। जैसे बिहारी ने कहा था–

"कहलानी एकत बसत, अहि मयूर व वाघ,
जगत तपो बंशो भयो दोरध दाग निदाघ।

आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के मजबूत तमाम जनहित कार्यों को देख कर उसकी गरमी से भयभीत होकर पुनः 1977 की तरह एक होना चाहते हैं । लेकिन हिन्दुस्तान की श्रमिक जनता समझती है उसे मालूम है इस देश से गरीबी तब तक दूर नहीं होगी जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रमिकों को जो श्रम एवं जयते का नारा दिया है और आज देश कदम से कदम मिलाकर गरीबी को दूर करने के लिए लड़ाई लड़कर उत्पादन को श्रम के जरिये बढ़ाना चाहता है । आज जो श्रमिक श्रम करके देश की गरीबी से लड़ना चाहता है उस समय हमारे माननीय सदस्य विरोधी दल के भारत बन्द का नारा दिये थे । मैं कहना चाहता हूं कि आज आपकी अक्ल बन्द हो गयी है । उस अक्ल बन्द को भारत बन्द का नारा देकर गुमराह करना चाहते हैं । हिन्दुस्तान को आवाम ने एक बार भारत के राजनैतिक रंगमंच में देखा । हिन्दुस्तान

में कलयुग के हनुमान और राम खड़े हो गये । लेकिन देर न लगी जब हनुमान राम को चोर कहने लगे और राम हनुमान को चोर कहने लगे । मान्यवर, हिन्दुस्तान की जनता जानती है कि इनके दिल में जनता के लिए कोई दर्द नहीं है कोई मोहब्बत नहीं है ।

हिन्दुस्तान की श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार इस देश के उत्थान और अखंडता में जो बाधा डालेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराने में कोई हिचक नहीं रखेगी । चाहे वह सरहद पर या देश के अन्दर हों अमन और शांति के लिए देश के उत्पादन के लिये जनता ने जिम्मेदारी कांग्रेस और इंदिरा गांधी पर डाली है । देश की अखंडता की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी पर व उनकी सरकार पर है और वह उसका निर्वाह करेंगी और इसमें जो अवरोध पैदा करेगा उसका मुकाबला हम करेंगे । इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के श्रमिक ने आपके बंद को बंद कर दिया और देश के अन्दर दूना उत्पादन किया और उद्योग, कल-कारखाने, दूकानें, मिलें, हाट और बाजार सब चले और उस दिन श्रमिक ने नारा लगाया श्रमएवजयते।

श्री बलवीर सिंह–

मान्यवर, आपने बोलने का मुझे मौका दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं । आज स्वर्गीय महात्मा गांधी की आत्मा आपको धिक्कार रही है कि लोकतंत्र के अधिकारों का आज कत्ल हो रहा है। आप भूल गये हैं, आजादी से पूर्व जिन बुजुर्गों ने इस आजादी के लिये और लोकतंत्र के लिये अपनी आहुतियां दीं, सारी उम्र जेलों में रहे उनको भूल कर केवल आज इंदिरा गांधी के जय जय के नारे लगाये जा रहे हैं, लानत है ऐसे लोकतंत्र के चुने हुए नुमाइन्दों को । आज इस लोकतंत्र में जनता को अपना रोष प्रकट करने का अधिकार है । लानत है ऐसी सरकार को जिसने उनको आजाद भारत बंद करने से रोका, आल इंडिया रेडियो, लखनऊ रेडियो, मंत्री गण और अन्य जितने भी कांग्रेसी नेता थे वह भारत बंद को असफल करने में लगे थे, इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए। महात्मा गांधी की आत्मा धिक्कार रही है और कह रही है कि तुम लोकतंत्र के अधिकारों का कत्ल कर रहे हो, खून और हनन कर रहे हो ।

श्री अधिष्ठाता–

आप हमारी तरफ मुखातिब होकर अपनी बात कहें ।

*श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, आपके माध्यम से ही मैं अपनी बात कह रहा हूं । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इन कांग्रेसी नुमाइन्दों को उनके फर्ज की दोहाई दे रहा हूं, लोकतंत्र की दोहाई दे रहा हूं और इस पर भी इंदिरा गांधी के जय जयकार के नारे लगाकर भारत बंद की असफल कोशिश करने का प्रयास किया। मान्यवर, निहत्थे छात्रों को पीटा गया । आज आपके किसी नुमाइन्दे ने स्व0 महात्मा गांधी का नाम नहीं लिया, नेता सुभाष चन्द्र बोस, पटेल और नेहरू तथा अन्य किसी नेता का नाम नहीं लिया गया जिन्होंने लोकतंत्र के लिये सारी उम्र जेलों में काट दीं, खून दिया और अपनी जानें गवां दीं लोकतंत्र और आजादी को लाने के लिये । आपने आजादी मनाई लेकिन दुःख है कि आप सत्ता के नशे में इन नेताओं को भूल गये हैं । इसलिये आपको अहसास होना चाहिए कि लोकतंत्र में आप जनता के चुने हुए नुमाइन्दे हैं और उनके अधिकारों के लिये और उनकी रक्षा के लिए आप यहां आये हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनसे अपील करूंगा कि जनता को अपने लोकतंत्र के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खुला छोड़ दें, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । ऐसी सरकार जिसने छात्रों पर गोली चलाई, जिसने मजदूरों के अधिकारों का हनन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलबीर सिंह]

करने के लिए लाठी, गोली चलाकर उनका कत्ल और खून किया हो और उनके खिलाफ नैशनल सेक्योरिटी एक्ट और दूसरे एक्टों का प्रयोग करके उनको गिरफ्तार किया हो ऐसी सरकार को लानत है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ। बलबीर सिंह जी, आप बैठिये।

श्री बलबीर सिंह–

इस सरकार ने लोकतंत्र को छीना है ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप मेरी अनुमति के बगैर बोलेंगे तो वह नहीं लिखा जायगा।

श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है । मान्यवर, अभी मेरे 5 मिनट नहीं हुए हैं । मेरा 5 मिनट का समय पूरा होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये, हो सकता है कि कुछ क्षण रह गये हों।

श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने लोकतंत्र के लिये क्या कुछ नहीं किया, सुभाष चन्द्र बोस ने लोकतंत्र के लिये क्या कुछ नहीं किया, स्वर्गीय नेहरू ने क्या कुछ नहीं किया लेकिन आज किसी का नाम माननीय सदस्यों के भाषण में नहीं आया । किसी स्वर्गीय नेता का नाम नहीं है । केवल लाठी गोली की यह सरकार है, डिक्टेटरशिप पर रहना चाहती है । नुमाइन्दा बनकर नहीं रहना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

[समय 2 बज कर 47 मिनट]

*श्री विमल प्रसाद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे 'भारत बन्द' पर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, उधर के माननीय सदस्यों का भाषण सुनने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह भाषण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत बन्द पूर्ण रूप से विफल हो गया इसलिए इनको इतनी बौखलाहट है। अगर यह सफल हो गया होता तो शायद मस्ती में झूम रहे होते। मुझे एक बात से बड़ी वेदना हुई । माननीय मोहन सिंह ने कहा, वह मेरे मित्र हैं मैं उनका सम्मान करता हूं । उन्होंने फर्रुखाबाद के बारे में कहा । मैं वहां से निर्वाचित होकर आया हूं, उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया। मान्यवर, वास्तविकता यह है कि फर्रुखाबाद में पूर्ण रूप से भारत बन्द विफल रहा और लाठीचार्ज की बात तो कहीं सुनने में नहीं आयी । इससे बड़ी असत्य बात और कोई नहीं हो सकती है। अगर इस बात को एक मिसाल माना जाय तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अन्य जो बातें उन्होंने कहीं हैं वह भी सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं । माननीय सदस्य कह रहे थे जोर जबरदस्ती करके श्रमिकों को रोका गया ।

मान्यवर, श्रमिकों का एक इतिहास है । पोलैंड में मार्शल ला लागू करके भी सालिडेरिटी आंदोलन को दो महीने बाद भी मार्शल ला अथारिटीज कुचल नहीं पा रही हैं । श्रमिकों की जब हड़ताल होती है तो दुनियां की सारी पुलिस और फौज रोक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं सकती है उनको आन्दोलन करने से । मुख्तार अनीस साहब 1942 की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे कि 1942 से सबक लेना चाहिए। मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर 1942 से सबक लेने की किसी को कोई आवश्यकता है तो उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को है । इसलिये कि 1942 में ब्रिटिश हुकूमत की फौज, ब्रिटिश हुकूमत की बर्बर पुलिस भी श्रमिकों को दुकानदारों को बंद और हड़-ताल करने से रोक नहीं पाती थी । तो सबक लेने की आपको जरूरत है । आपने श्रमिकों की भावनाओं को नहीं जीता । इस देश और प्रदेश के श्रमिकों ने समझ लिया है कि जब आपका शासन था तो आपने श्रमिक विरोधी हर काम किया था। आज आप उनकी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं । आपने उनको गुमराह किया इसलिए श्रमिक आपके साथ नहीं थे और यही आपकी असफलता का राज था । माननीय ओझा जी बहुत नाराज हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है । उन्होंने नपुंसक सरकार और हिजड़ी सरकार कहा । इतिहास इस बात का गवाह है कि नपुंसक और हिजड़ी सरकार मोरार जी भाई की दिल्ली की सरकार थी । जनता पार्टी की जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकी कि एक महिला, पं0 जवाहर लाल नेहरू की लड़की श्रीमती इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से इनके शासन काल में जहां इतना जोर और फोर्स था, जीत कर आ गयीं, तो इनके हाथ-पैर फूलने लगे, घबराने और परेशान होने लगे और इसी घबराहट और परेशानी में उनको उनकी सदस्यता से निकाल दिया, इससे ज्यादा हिजड़ेपन की और क्या मिसाल हो सकती है ।

मान्यवर, अब आपने लाल बत्ती दिखा दी । एक मिनट का समय मुझे और दे दें और उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो बंद के दिन पुलिस की व्यवस्था की गयी थी वह इसलिए नहीं कि बंद को विफल कराने की नियत से, दुकानदारों को मजबूरन और श्रमिकों को मजबूरन अपने-अपने कार्यों पर जाने के लिये, बल्कि इसलिये किया गया था इंतजाम पुलिस का कि जो विरोधी भाई हमारे उद्दण्डता पर तैयार थे और देश और प्रदेशों में जो शांति और व्यवस्था को डिस्टर्ब करने में तुले हुए थे, उस पर काबू पाने के लिये की गयी थी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और जो छुट-पुट दुकानें बंद भी रहीं तो हमने उन लोगों से पूछा उन्होंने यही बताया कि इनकी ओर से गुण्डागर्दी जो फैली हुयी है, उसकी वजह से, डर के कारण कुछ दुकानें बंद रहीं हैं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 19 तारीख के बंद पर बोलने का समय दिया, आभारी हूं। मान्यवर, इस बंद में एक नई चीज सामने आयी वह यह कि विरोध पक्ष का जो कार्य था वह सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। जब जनता सत्ता पक्ष के कार्यों से असन्तुष्ट होती है, तो वह बंद, प्रदर्शन व आन्दोलन आदि का आह्वान करती है, 32 वर्षों से यही चला आ रहा है, वही इस बार हुआ भी इनके कुकृत्यों से जनता में असंतोष फैला उसके नतीजे में यह बंद का आह्वान सामने आया। इस बंद को विफल करने के लिए जितने भी प्रयास सत्ता की ओर से पोस्टर द्वारा, गोली चार्ज के द्वारा, लाठी चार्ज के द्वारा, कारागार के द्वारा कराया और तब भी कोई फर्क नहीं महसूस कर पाये तो मंत्रियों को चपरासियों की तरह जगह-जगह जहां के वे रहने वाले थे, डिप्यूट करवा दिया। इसके बावजूद उन्होंने यह किया कि जितने गुण्डे जेल में कांग्रेसी बंद थे, उनको रिहा कर दिया उनके जरिये से यह बात आम करवाई गयी कि अगर दुकानदारों ने अपनी दुकानें न खोलीं और मजदूर अपने-अपने कामों पर नहीं गये तो अंजाम बुरा होगा इसके परिणाम भविष्य में ठीक नहीं होंगे, यह बात अलोकतांत्रिक है। हमारे जनपद से श्री काशीनाथ मिश्र जी मंत्री हैं। वह वहां 18/19 की तारीख को गये और रात भर अपनी पुलिस और पी0 ए0 सी0 के साथ पहरेदारों की तरह, एक कोतवाल की तरह घूमते रहे और यह कहते रहे कि कल बंद को तुड़वाना है कल सभी लोग अपनी-अपनी दुकानें खोलें । इनके इस अथक प्रयास के बावजूद भी वहां पर पूरे तौर पर बंद रहा पूरा बलिया और पूरा बलिया का बाजार।

एक सदस्य–

जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारे प्रयासों से बन्द रहा तो आपके प्रयास बेकार रहे इसके मायने यह हुए।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

जी हां । मैं कब कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि आपके प्रयासों से ही तो बन्द रहा है, इसी बात की तो आपको धन्यवाद देता हूं। 18/19 की रात को हमारे शहर में जो लोग राजनीति में हैं, उनमें से 31 आदमियों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। एक दरोगा जिसने लाठी चार्ज किया था, हमारे यहां नगरा में दरोगा बनाकर तैनात कर दिया गया, उसने भयंकर लाठी चार्ज किया। यही नहीं जो लोग हमारे यहां बन्द किये गये थे, दो एस0 पी0 के जिम्मे पूरे जिले को बांट दिया और उनसे कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारो। उसने गाली गलौज किया और कहा कि तुम लोग गुण्डे हो । जो इनके जनपद के एस0 पी0 हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूं।

दूसरा बन्द बलिया जनपद में हुआ। बन्द कराने का श्रेय हमको नहीं है, हमारे यहां एक श्रमिक समन्वय समिति है, उसको है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया, एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या–

तो 32 वर्षों में इतिहास में बलिया बन्द इतना सफल नहीं हुआ था, बलिया को पूर्णरूपेण बन्द किया इसलिए मैं बलिया की जनता को आपकी तरफ से बधाई देना चाहता हूं ।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, आज आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं आभारी हूं और अपने विरोधी पक्ष के लोगों के कुछ भाषण को कोट करना चाहता हूं । मैं इस बात को नहीं बताना चाहता कि भारत की दुकानें बन्द रहीं कि खुली रहीं, वह तो जनता जानती है और आपका दिल जानता है । जहां तक बताने की है मोहन सिंह जी ने बताया कि पोलिटिकल पार्टीज ने यह नारा नहीं दिया था कि भारत बन्द होगा, कुछ ट्रेड यूनियन्स ने यह नारा दिया था कि हम एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। एसेन्शियल सर्विसेज के विरोध में एक दिन की हड़ताल पर जायेंगे । जब कुछ ट्रेड यूनियन्स के लोगों ने एक दिन की स्ट्राइक पर जाने का पहले से निर्णय लेकर भारत सरकार को नोटिस दिया, उस दिन बहती गंगा में हाथ धोने वाले पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने उसमें सम्मिलित होकर भारत बन्द का नारा दे दिया । यह बात किसी के मन से किसी के प्रदर्शन से जाहिर नहीं हुई । यह उनको बदनाम करने की नियत से और भारत को तबाह और बर्बाद करने की नियत से एक चाल चलने की कोशिश की थी । मगर बहुत से लोग जो स्ट्राइक पर जाने वाले थे उन्होंने कहा कि न मैं जुलूस निकालूंगा न तोड़फोड़ की कार्यवाही करूंगा । एक दिन विरोध स्वरूप स्ट्राइक पर रहूंगा परन्तु पोलिटिकल पार्टीज ने स्ट्राइक में सम्मिलित होकर बदनाम करने की नियत से यह जो कारनामा किया है, यह उचित नहीं है ।

जहां तक बन्द की बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनुशासन का नारा दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी विकास का नारा दें, हरितक्रांति का नारा दें, औद्योगिक क्रान्ति का नारा दें, अटामिक क्रान्ति का नारा दें उसको विपक्ष के लोग कहते हैं कि देश को तबाह करने की नियत से यह किया गया है और ये विरोधी उसे "भारत बन्द" का नारा देते हैं । मैं कहता हूं कि सुल्तानपुर में न कोई स्कूल बन्द हुआ और न कोई दुकान ही बन्द हुई, न वहां कोई पुलिस फोर्स दी गयी लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने, लोक दल के लोगों ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, जनता पार्टी के लोगों ने, आर0 एस0 एस0 के लोगों ने वहां जाकर अपने नमूने

दिखाये कि वहां पर जो स्कूलों के बच्चे थे जिनका दिमाग मेच्योर नहीं था, उनको स्कूल से लाकर जुलूस निकाला और निकलवाया। कुछ लोगों की दूकान भी बन्द हुई परन्तु उन लोगों को ही जो कि जनसंघ से संबंध रखते थे और अपने पड़ोसी दूकानदारों से दुकान बन्द रखने के लिए कह रहे थे । इनकी चलती तो ये दूसरों की भी दूकानों को बन्द करवाते परन्तु बन्द नहीं करवा सके । मंगलवार के दिन सुल्तानपुर बन्द रहता था परन्तु भारत बन्द के विरोध में उस दिन वहां की दूकानें खुली रहीं । फिर भी आप सरकार के अंकुश की बात करते हैं यह सत्य नहीं है । मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी शान्ति में, व्यवस्था में, उत्पादन में पूरा विश्वास करती है आपकी तरह हड़ताल कराने में नहीं । आप अपने दिल पर हाथ रख कर जरा सोचें । यह आपका नैतिक कर्तव्य नहीं है कि आप स्वयं प्रसन्न रहें और और जनता को तबाह और बरबाद करें । ऐसे जन प्रतिनिधि होने से तो अच्छा है कि आप जनता को दूर से ही नमस्कार कर लीजिए । यह कोई बन्द नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठिये ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैंने 'भारत बन्द' के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को तथा इस सदन के माननीय सदस्यों को बड़े गौर से सुना और उसको सुनने के बाद मैं बैठा-बैठा सोच रहा था कि जितने जोर से और जितना बल लगा कर उधर के लोग बोल रहे हैं, मान्यवर, यदि इतना ताकत लगा कर अगर ये इस प्रदेश की शासन व्यवस्था को और ला एण्ड आर्डर को ठीक कर लेते तो कितना अच्छा होता । मान्यवर, मंत्री महोदय ने कहा कि भारत बन्द जैसा नारा कहां से लाया गया । मान्यवर, उस दल में बड़े-बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, उस दल में त्रिवेणी जैसे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं जहां सरस्वती की धारा निरन्तर बहती रहती है फिर भी ये भारत बन्द कहां से आया यह पूछ रहे हैं। मान्यवर, यह दल वही दल है जिसने महादेवी जैसी सारे भारत में विख्यात कवियित्री से कहा कि क्या आप भी इस कालेज की हैं? इस दल के एक मंत्री महोदय ने एक प्रसिद्ध हास्य और व्यंग के कवि को सहन नहीं किया, वे उसके हास्य और व्यंग को सहन नहीं कर सके तो उस दल के लोग शब्दों के मूल्य को क्या जानें ?

मान्यवर, जहां तक भारत बन्द का प्रश्न है यह केवल भारत बन्द एक दिन की हड़ताल करने के लिए वह भी औद्योगिक हड़ताल करने के लिए बन्द करने की बात थी और इस बात को भारत की प्रधान मंत्री ने और उनके सिपहसलारों ने भारत बन्द का नारा दे दिया। हमारे श्रम मंत्री कह रहे थे कि यह षडयंत्र तख्ता पलटने के लिए किया गया । उनके शब्दों में एक दिन की हड़ताल से आप अपना तख्ता पलटने के लिए डर गये । मान्यवर, लगता है कि ये अपनी वास्तविकता को समझ रहे हैं तभी तख्ता पलटने को डर रहे हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमसे कहा गया कि उनके सारे दलों की ओर से प्रयास हुआ, परन्तु मैं कहता हूं कि कहीं भी कोई प्रयास हम लोगों ने नहीं किया । देहरादून में सारे के सारे जितने भी हैं पैम्फलेट सरकार की ओर से बांटे गए और तमाम एम0 एल0 एज0 ने कहा कि दूकानें बन्द कर दो। जनता अच्छी तरह से समझती है कि कहां पानी कितना गहरा है और कहां कितनी वास्तविकता है।

अभी काशीनाथ मिश्र जी कह रहे थे, आंकड़े दे रहे थे कि हमारे यहां इतना उत्पादन हुआ । हमने इतनी अर्थनीति में काम कर लिया तो यह सब जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता अच्छी तरह से समझती है कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है? इस सरकार ने विश्व बैंक से रुपया लेकर भारत को गिरवी कर दिया है, यह इसका प्रमाण है । 19 तारीख के लिए लोगों को 17 तारीख से गिरफ्तार कर दिया । 18 तारीख को लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया । इन्होंने स्वयं बन्द करवाया । तमाम विद्यालयों में छुट्टी करवा दी । अगर बन्द नहीं भी होता तो इस सरकार की बुद्धिदिग्गजता के कारण इसमें पूर्ण सफलता रही है । इससे तो

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल]
क्या ही अच्छा होता कि श्रमिकों को कुछ दिया जाता तो सचमुच में एक सही तस्वीर सामने आती और इस प्रदेश की सरकार को भी हम बधाई देते कि वह कुछ कर रही है श्रमिकों के लिए ।

श्री मुख्तार अनीस–

कल इस सदन में श्री लटूरी सिंह के बारे में माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ कहा था। आज यह अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

इस समय नहीं । यह समय नहीं है । बाद में कहियेगा ।

श्रम एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)–

पहले तो आज के दिन मैं उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बधाई देना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के श्रमिक यह जानते हैं कि उनका हित किस बात में है। उनमें इतना साहस और इतनी शक्ति है कि उनको कोई छू नहीं सकता । इस प्रदेश की सरकार को भी उनको छूने की हिम्मत नहीं थी और न उसने उन्हें छुआ ही है। कोई छोटा मोटा नेता भले ही भूल में गिरफ्तार हो गया हो लेकिन कोई जाना-माना नेता गिरफ्तार नहीं हुआ । यह भी मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर 6 महीने नहीं 6 साल हड़ताल कर सकते हैं लेकिन किसी राजनैतिक पार्टी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते । मजदूर अपनी आवश्यकता को जानता है। वह यथार्थ को जानता है। उसकी इसी यथार्थवादिता के कारण ही ऐसे 198 कारखानों में जिनमें 500 से अधिक श्रमिक नियोजित हैं, से 6 ही कारखाने बंद रहे। 91 चीनी मिलों में 4 मिलों के बाद सदस्य कोई पांचवीं शकर मिल का नाम बता दें जहां आंशिक हड़ताल भी हुई हो। कानपुर में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है कोई भी व्यक्ति बता दे कि एक या दो कारखानों को छोड़कर कौन सा कारखाना बन्द रहा ? प्रदेश के मजदूरों पर इस प्रकार के आरोप लगाना कि उन्होंने हड़ताल की, उचित नहीं है । मजदूरों का भी प्रीविलेज है । यह कहना कि मजदूर बोल नहीं सकते यह भी सही नहीं है । मजदूरों के प्रतिनिधि बनकर हम यहां बैठे हैं और उनकी तरफ से बराबर बोलते ही रहते हैं।

यह कहना कि 19 जनवरी को कानपुर के किन्हीं कारखानों में हलुवा-पूड़ी मिली और उन्हीं के लालच में वहां मजदूर वर्ग ने अपने दिमाग और सिद्धान्त को बेच दिया और इसलिए कारखाने बन्द नहीं हो पाये, उचित नहीं है। मजदूर वर्ग भी भली-भांति जानता है कि किस तरह से मजदूरों की लड़ाई लड़ी जाती है । कारखाने कहीं बंद नहीं हुए । हां कुछ बाजार कहीं-कहीं बन्द रहे, कुछ दूकानें बंद रहीं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का मजदूर वर्ग और हम सब कदम से कदम मिला कर एक साथ काम करते रहे हैं और करते रहेंगे । वे जानते हैं कि अपना उत्पादन बढ़ाकर ही वे देश की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं । श्रमिक अपने श्रम को लगाता है । उसके श्रम का सबक ले उत्पादन बढ़ाकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है । आप देखें कि 19 तारीख को श्रमिकों ने भारत बंद के दिवस के बजाय उत्पादन दिवस के रूप में मनाया । इसके लिए मैं सभी श्रमिकों को बधाई देता हूं ।

श्री उदल–

मान्यवर, इस संबंध में मैं दो-तीन बातें सैद्धान्तिक रूप में उठाना चाहता हूं । माननीय दीक्षित जी जो श्रम मंत्री हैं, नेता भी हैं, मेरे भी नेता हैं, उनको मैं भी अपना नेता मानता हूं । संविधान में मजदूरों को यह मूल अधिकार मिला हुआ है कि वे हड़ताल करें, प्रदर्शन करें और बारगेनिंग भी करें। आपने कहा कि भारत बन्द मजदूरों ने नहीं किया । बन्द का मतलब मैं भी समझता हूं । बनारस में कई बार बन्द होते रहते हैं । कई बार पूरा शहर बन्द रहा है, सरकार के विरोध में बंद रहा है । आप कहते हैं कि भारत बंद के नाम पर आप देश को गुमराह करना चाहते हैं तो गुमराह कीजिए लेकिन मैं भी कहता हूं कि भारत बन्द नहीं था।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

दीवारों पर भारत बंद किसने लिखा है, आप लोगों की तरफ से ही तो लिखा गया है ।

श्री ऊदल–

मैं कोई छोटी बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जैसा कि अभी कहा गया है कि कहीं हड़ताल नहीं हुई, अगर मैं यह बात ही मानकर कि श्रमिक काम करते रहे, कारखाने बंद नहीं हुए तो मैं जानना चाहता हूं आपसे और आपकी सरकार से, खासकर मुख्य मंत्री जी से जो इस समय यहां विराजमान हैं एसे तो मैं उनसे कोई बात पूछता नहीं हूं लेकिन आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके जितने कलेक्टर एस0 एस0 पीज0, एस0 पी0 और पूरी पुलिस फोर्स, पी0 ए0 सी0, यहां तक मैंने देखा कि बनारस के डी0 आई0 जी0, कमिश्नर तैनात थे । अगर बनारस में यह हो सकता है तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में हर जगह पूरी पुलिस फोर्स जो लगा दी गई थी उसकी क्या जरूरत थी । श्रीमन्, मुझे दुख: है कि बनारस में तो एस0एस0पी0 और डी0 एम0 लाउडस्पीकर लगाकर पूरे शहर में पी0 ए0 सी0 और पुलिस काफिले के साथ, पूरे शहर में जैसे नौकरशाही का आतंक सा फैला रखा था। यही हालत पूरे प्रदेश में थी। जहां तक काशीनाथ जी की बात है, वे मंत्री हैं और हम सरकार की चाहे कितनी भी आलोचना करें लेकिन मंत्री के पद की एक गरिमा है और उस गरिमा का निर्वाह करना प्रत्येक मंत्री और पूरी सरकार का कार है । मंत्री का आचरण, व्यवहार उस गरिमा के अनुकूल होना चाहिए । माननीय काशीनाथ मिश्र पूरा काफिला लेकर बलिया में दुकानें खुलवाने का काम कर रहे थे । आप पूछ लीजिए । एसे बहुत से मंत्री कर रहे थे । गोरखपुर में यह किया जा रहा था । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आखिर कौन-सा तूफान खड़ा हो गया था कि पी0ए0सी0 और पुलिस और तमाम अधिकारियों को लेकर के और पूरी केबिनेट को लेकर के आप इस काम को असफल करना चाहते थे जब कि दीक्षित जी का कहना है कि कारखाने बंद नहीं हुए । आप इसी से सोचिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बनारस में बी0 एच0 यू0 से जुलूस निकला था, अस्सी घाट तक पहुंचा कोई उत्तेजना नहीं, आपके अधिकारियों ने दमकल से बौछार की। आप जांच करवायें। यह मजाक की बात नहीं है। यहीं विधान सभा के सामने जब हम लोगों पर आपकी बहुत पुरानी सरकार ने बौछार की थी उस वक्त यह चीज देखी थी । कोई उत्तेजना नहीं थी । दो लोगों को बधुरी वाराणसी में और मार दिया । लावारिस घोषित कर दिये गये।

आप से एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी उदाहरण दे रहे थे मुझे दुख हो रहा था। कह रहे थे कि इंदिरा गांधी जीत कर आईं तो चरण सिंह तथा मोरार जी देसाई ने बैठने नहीं दिया । मैं आप से कहता हूं चरण सिंह और मोरार जी देसाई ने आपकी नौ सूबों की सरकार को भंग किया तो आप ने कोई मुरव्वत क्या की आप की सरकार ने भी 9 सूबों की सरकारों को भंग किया। इंदिरा गांधी को नहीं बैठने दिया तो गढ़वाल के चुनाव को माननीय मुख्य मंत्री गलत, झूठी रिपोर्ट दे कर, चुनाव कमिश्नर को प्रभावित कर के, क्या कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं । मैं आपको बताना चाहता हूं । जब आप विरोधी दल में थे तब नारायण दत्त तिवारी, राम रतन सिंह जी, बख्शी जी, हम आप के साथ थे, यहीं पोस्ट आफिस का जो गेट है उसके दक्षिण विधान सभा के सामने जो प्रोहिबिटेड एरिया था जहां पर कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता था, वहां पर मोहिसिना किदवई, नारायण दत्त तिवारी, राम रतन सिंह जी पूरे जत्थे के साथ प्रदर्शन करते आये थे । प्रदर्शन हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था । मोहिसिनी किदवई का हाथ टूटा। आप को प्रदर्शन करने का अधिकार है, जुलूस

[श्री ऊदल–]
निकालने का अधिकार है, नारा लगाने का अधिकार है तो हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक को, मजदूर को, जनता को हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे बोलने का मौका दिया काफी उठक-बैठक के बाद उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मान्यवर, 'भारत बन्द' इस विषय पर विपक्ष के सदस्यों को मैंने सुना । वास्तविकता क्या थी जब उसका अध्ययन किया तो यह लगा कि कहीं बहरे तमील गा रहे हैं। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी की आत्मा की दुहाई दी। उस वक्त वास्तव में मुझे आंसू आ गये। ऐ मेरे अजीज दोस्त, उस वक्त तुम कहां थे जब इन्हीं महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ जय प्रकाश नारायण दिलवा रहे थे? राजघाट को आप भूल गये। कहां चली गई आपकी वह सारी शक्ति? उस वक्त आपने अपने इन महापुरुषों, आकाओं और लोकनायक की अंत्येष्टि एक साथ कर दी।

मान्यवर, भारत बन्द रहा हो, नगर बन्द रहा हो, इतना तो सत्य है मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी रहा हो प्रतिपक्ष के इस घिनौने नारे को इस देश और प्रदेश के श्रमिकों ने इन्हीं के कन्धों पर उनका जनाजा निकाल दिया है। आज जिस ओर से देखें, श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाग लिया जाता है। कब तक कोसोगे? कब तक देखोगे, प्यारे कमालुद्दीन? इंदिरा गांधी तो अमर हैं और अमर रहेंगी। सन् 77 में आजमा चुके हो, सन् 80 में देख चुके हो आप सारे के सारे एक पलड़े में बैठे थे और श्रीमती इंदिरा गांधी एक पलड़े में बैठी थीं। आप जिन कन्दराओं से निकले थे उन्हीं में फिर से चले गये । मित्रों, इन बहरतेबीलों से देश नहीं चलेगा । देश चलाने के लिये आत्मसंयम की आवश्यकता हुआ करती है। माननीय सदस्यों के दिलों में दुख होता है जब आप माननीय मंत्रियों को कोसते हों। यह मत किया करो, मान्यवर। एक से एक सुकुमार, एक से एक महाबली, सिंघनी के अवतार। इनके रहते हुये आपको काहे की वेदना।

मान्यवर, गम्भीरता से इस पर सोचने की आवश्यकता है। जब 19 तारीख के 'भारत बन्द' पर ये फिसल गये तो इन्होंने 'औद्योगिक बन्द' का नारा दिया। 'भारत बन्द' आहा-आहा । अमीनाबाद तो जाने की हैसियत नहीं है, दिल्ली की छलांग लगाने चले थे। फिसफिसा गये। तब कहते हैं 'औद्योगिक बन्द'। अगर गोली चलती तो आप हमारी सरकार की असफलता बताते। बधाई दो, मेरी सरकार की मुस्तैदी के कारण कहीं जूं तक नहीं रेंगी। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, लाल बत्ती न करें। इनके सारे प्रयास विफल हुये–दुकान बन्द करने के लिये, कल कारखाने बन्द करने के लिये। मुख्य मंत्री जी को बधाई दो, पुलिस के लोगों को बधाई दो, नेक काम के लिये बधाई देना अच्छा काम हुआ करता है। इस प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने 19 तारीख के 'भारत बंद' में एक सराहनीय काम किया है। मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन में उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने नेक काम किया है और जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने की एक साजिश थी वह पूरी की पूरी विफल हो गयी। उनके नेता जहां से चले थे, वे वहीं बैठ गये, आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। अब शाब्दिक राकेटों से और बंगलों से फौजें निकालकर अगर कोई क्रान्ति की कल्पना करना चाहता हो तो मान्यवर, मैं भी राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी खोपड़ी में धंसता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

एक मिनट प्यारे मान्यवर, एक नहीं दो नहीं कई-कई वाणियां आपको सुनने को मिलेंगी, कई-कई सूरमा यहां थे उन सबको आपको सुनना है, आप इस कुर्सी पर बैठे हो। मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आप अपनी असफलता को स्वीकारो और थोथे प्रचार को बंद करो, अपनी पराजय स्वीकारो, मेरी नेक सलाह को मानो और राष्ट्र की ही नहीं विश्व की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के चरणों में बैठ कर सद्बुद्धि प्राप्त करो।

*श्री खैरुल बशर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले प्रदेश की जनता को, प्रदेश के नौजवानों को, प्रदेश के विद्यार्थियों को, प्रदेश के मजदूरों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सरकार की हर तिकड़म को, हर दमन के बावजूद इन्दिरा गांधी के काले कानून के चेहरे पर कालिख पोत कर बन्द को सफल बनाया। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि मजदूर बन्द में शामिल नहीं हुए क्या यह उनके कर्मचारी नहीं हैं सारे बैंक बन्द रहे, एल0 आई0 सी0 बन्द रही उस दिन हमें कोई अखबार नहीं मिला सारे अखबार बन्द रहे केवल कांग्रेस हिंढोरची को छोड़कर . . . . .

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने इनकी सारी पुलिस, पी0 ए0 सी0 और इनके कमिश्नर और एस0 एस0 पी0 की सारी ताकतों को विफल कर दिया और सरकार के मुंह पर कालिख पोत दिया, वहां की जनता और नौजवानों ने। इसीलिये यह सरकार बौखला उठी और उसी बौखलाहट में यूनिवर्सिटी बन्द कर दी और छात्रों पर गोली चला दी जिसमें दो छात्रों की लाश गायब है और यह शर्मनाक सरकार हमें राष्ट्रद्रोही कहती है। श्रीमती इन्दिरा गांधी विदेशों से 50 अरब कर्ज लेकर और 50 लाख फण्ड लेकर यहां मजदूरों पर प्रतिबन्ध लगा रही हैं और मेंटिनेंस आफ एसेंसियल सर्विसेज आर्डिनेंस से मजदूरों के अधिकार छीनती हैं। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मजदूरों ने हड़ताल करने का हक किसी की कृपा से नहीं लिया है, किसी की मेहरबानी से नहीं लिया है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ कर हड़ताल का अधिकार लिया है। एक विश्वनाथ प्रताप की सरकार नहीं सैकड़ों ऐसी सरकारें उनके इस हक को छीन नहीं सकती। यदि मजदूरों के इस हक को छीनेंगे तो मैं कहना चाहता हूं श्रीमती इंदिरा गांधी याद करें कि इस देश की जनता ने आपके काले कानून को एक मर्तबा बंगाल की खाड़ी में दफन कर दिया और अगर आप इस बन्द और स्ट्राइक से नहीं सम्भले तो वह दिन आयेगा कि इसके साथ ही साथ आपकी सरकार उस कूड़े के कचरे में फेंक दी जायेगी और इस देश की जनता आप को क्षमा नहीं करेगी। आज हमारे देश के अन्दर जो लोग बन्द का विरोध कर रहे हैं हम जनता के साथ थे लेकिन पुलिस को लेकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जो कुत्ते थे वह जनता का दमन करते थे. . . .

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री खैरुल बशर–

मैं आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं। आजमगढ़ पूरा बन्द था, मऊनाथ भंजन पूरा बन्द था, बलिया पूरा बन्द था गाजीपुर में पूरा बन्द था, बनारस और गोरखपुर सहित पूरा पूर्वांचल बन्द था। स्पिनिंग मिल, मऊ की पूरी तरह बन्द थी। मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर–]

मेरे साथ चलें, वह देखें चलकर कि वहां एक भी स्पिनिंग मिल में काम नहीं हुआ है। हमारे टेक्सटाईल मिल मजदूरों और बिजली मजदूरों ने बन्द को पूरी तरह सफल बनाया है उस दिन काम न करके। इस सब के लिये मैं उनको और अपने जिले की जनता को बधाई देना चाहता हूं और मैं पुनः इस सरकार से मांग करता हूं कि वह अपने काले कारनामों को रोके और जनता पर अत्याचार करना बन्द कीजिये।

*श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और छात्रों को यह बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपक्षियों के बन्द रूपी कूचक को विफल ही नहीं बनाया, उनके साथ असहयोग किया और उनकी एक भी बात उन्होंने नहीं मानी। कोई भी प्रतिष्ठान बन्द नहीं हुए। इसमें हमें लगता है कि हमारे बड़े भाई मोहन सिंह जी अपनी आंख बन्द कर बैठ गये थे और उन्होंने यह मान लिया कि भारतवर्ष बन्द हो गया। इसका सबूत यह है कि मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं और जिला कांग्रेस का प्रेसीडेन्ट भी हूं और उस दिन मैं वहीं मौजूद था। उन्होंने कहा है कि उस दिन रेनबो फैक्टरी बन्द रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह फैक्टरी ही नहीं बल्कि चारों फरनेश फैक्टरी जो वहां पर है पूरी तरह से खुली रहीं और उसमें पूरा काम हुआ। इसी तरह से चारों रिरोलिंग मिलें भी खुली रहीं और साथ ही वहां की चारों शुगर फैक्टरियां भी जोरदार ढंग से चलती रहीं। वहां के मजदूरों ने कहा कि इस बन्द में हमारा कोई मुद्दा नहीं है और हम कोई, किसी प्रकार का बन्द नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी दलों ने बन्द का जो नारा दिया है, उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है और हमारी नेता प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष को 'उत्पादन वर्ष' मनाने की घोषणा करके औद्योगिक उत्पादन अधिकाधिक बढ़ने का जो आह्वान किया है उसमें हम पूरा सहयोग देंगे और उस दिन हम अपनी चीनी मिलों में रिकार्ड उत्पादन करके दिखाएंगे। वास्तव में उस दिन हमारी चीनी मिलों में रिकार्ड उत्पादन हुआ। विद्युत में भी 1670 मेगावाट बिजली पैदा करके उन मजदूरों ने रिकार्ड उत्पादन किया है। विरोध पक्ष ने 'काम बन्द' का नारा लगाया था और उसके जवाब में हमारे मजदूरों ने रिकार्ड उत्पादन करके दिखा दिया है, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि जब हम यह कहते हैं कि चीजों की कमी है और दूसरी तरफ हड़ताल करते हैं तो यह उत्पादन बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। हम सबको मिलकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जैसा हमारी नेता प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने कहा है, जिससे महंगाई घटे और वस्तुएं बढ़ें, ताकि इस देश की विभूतियां प्रफुल्लित हो सकें।

*गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, आज 'बन्द' के विषय में कुछ कहने से पहले, मैं माननीय सदस्य श्री ओझा जी की बात का जवाब देना चाहती हूं। उन्होंने हमारी सरकार के संबंध में एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, जिसको कहना तो अलग, मैं सुनना भी पसन्द नहीं करूंगी। कोई भी शरीफ आदमी उस शब्द को अपने मुंह से निकाल नहीं पायेगा। श्रीमन्, उनको मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहती हूं कि कौन सी सरकार सबल है और कौन निर्बल है। हमारी सरकार की नेता कौन है? किसके नेतृत्व में हमारी सरकार है? श्रीमती इन्दिरा गांधी के विषय में मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब अमेरिका का सातवां बेड़ा हिन्द महासागर में आया था, तो उनकी एक आवाज के सामने अमेरिका का वह सातवां बेड़ा मुंह छिपाकर भाग गया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किसकी सरकार सबल है और किसकी नहीं? . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप वह दिन भूल गये जब बंगला देश की लड़ाई हुई थी। बिना लड़ाई के एक रात में ही दुश्मन की फौजों ने हथियार डाल दिये थे तो किस की सरकार सबल है, किस की निर्बल है? जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो उसकी नीतियों के कारण सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विदेशियों के सामने अपने घुटने टेक दिए। आज वही हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व शान्ति और विकास-शील देशों का मार्ग दर्शन कर रही हैं। ऐसे समय में क्या हमारा यह फर्ज नहीं होता है कि हम सब उनका साथ दें ताकि वे विश्व मार्ग का दर्शन कर सकें ।

जहां तक 'बन्द' की बात आयी उसके शुरू होने के पहले ही वह फेल हो गया। पहले ही उन्होंने घुटने टेक दिए और कहा कि हमने 'बन्द' की काल ही नहीं दी थी। यह 'बन्द' की स्कीम पूर्ण रूप से फलीप हो गयी। उर्दू के अखबार में भी आपका दर्पण दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि हड़ताल की तमाम कोशिश बन्द रही।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

कृपया सुन लीजिए, यह अखबार का कहना है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, अब मैं पुलिस की सराहना करती हूं और उनको बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने प्रदेश की जनता जो सुरक्षा चाह रही थी, उनकी इस मांग को संपूर्ण रूप से पूरा किया, उन्हें सुरक्षा दी । मान्यवर, मेरे पास कई श्रमिक नेता आये, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि आये और उन्होंने इस बात की याचना की कि हम काम पर जाना चाहते हैं, हम अपनी-अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि 2 घंटे की चर्चा का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आप अपनी बात को समाप्त कर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, मैं पुलिस की ओर से उनके भ्रम को दूर करना चाह रही हूं। मैं किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, अध्यापकों को और प्रदेश के समस्त बुद्धिजीवियों को हार्दिक बधाई देती हूं कि इस समय इस उत्पादन वर्ष में अपने बन्द को फेल करके दिखा दिया और साबित कर दिया कि हम सब इंदिरा जी की नीतियों के साथ हैं, उनके साथ हैं।

जो बनारस की घटनाओं के बारे में कहा जाता है, मेरे सामने आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 2–1 स्थानों को छोड़कर सब जगह स्थिति सामान्य रही है। मैनपुरी, इटावा, एटा, फर्रुखाबाद, जौनपुर, सहारनपुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, आदि सभी जिलों में स्थिति सामान्य रही है। (व्यवधान) सारे जिले शान्त रहे हैं। सभी जगह दुकानें खुली रही हैं। कहीं पर मंगल का अवकाश होने के कारण दुकानें अवश्य बन्द रही हैं। (व्यवधान)

वाराणसी में जो गोली चलानी पड़ी उसके लिये हम बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि जहां भी आगजनी होगी, पथराव होगा, बसें जलायी जायेंगी, वहां पुलिस को सख्ती से काम करना होगा। इस तरह की हरकतें कतई बरदाश्त नहीं कर सकती यह सरकार । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त।

श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी–

हरिजनों पर जो अत्याचार करेगा उसे बरदाश्त नहीं किया जायेगा और हर तरह से शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये हमारी सरकार जो भी उचित कार्यवाही समझेगी करेगी। इन शब्दों के साथ मैं समस्त श्रमिकों को, समस्त अध्यापकों को, समस्त छात्रों को, समस्त बुद्धिजीवियों को और व्यापारियों को पुनः बधाई देती हूं जिन्होंने 'भारत बन्द' को पूर्णतया असफल बनाया।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार की गयी थी, अब और किसी माननीय सदस्य को इस पर बोलने के लिये समय नहीं दिया जा सकता। इस पर चर्चा समाप्त।

एक सदस्य–

एक छोटी सी कहानी कहनी है . . . .

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें।

ग्राम दिवली व साढ़ूपुर, जनपद मैनपुरी में हरिजनों के कत्लेआम पर चिन्ता व्यक्त किये जाने तथा हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा विस्तृत विशेष योजना बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव

[3 बजकर 44 मिनट]

श्री रियासत हुसैन–

मैं माननीय, अपना प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं–

'यह सदन दिनांक 18-11-1981 तथा 30-12-1981 को ग्राम दिवली और ग्राम साढ़ूपुर, जनपद मैनपुरी में हुए हरिजनों के कत्लेआम पर घोर चिन्ता व्यक्त करता है और संस्तुति करता है कि हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार विस्तृत विशेष योजना बनाये।

माननीय, मैं बड़े रंज और दुख के साथ इस प्रस्ताव को इस माननीय सदन के अन्दर प्रस्तुत कर रहा हूं और यह आशा करता हूं कि इस पर जो चर्चा होगी वह इस प्रस्ताव की भावना को लेकर होगी, इसको कोई दूसरा टर्न नहीं दिया जायेगा। मैं स्वयं पहले तो इस बात के लिए शर्मिन्दा हूं कि इस माननीय सदन का एक सदस्य होने के नाते इस प्रदेश के अन्दर हरिजनों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिये मेरा जो फर्ज था उसे मैं पूरा नहीं कर सका। भले ही इस सदन के और इस सरकार के मंत्रीगण माननीय गुलाब सेहरा, माननीय जगदीश जी और माननीय मुख्य मंत्री जी शर्मिन्दा हों या न हों। अभी पिछले डिबेट में एक बात आई हमारे आदरणीय बाजपेयी जी ने कह दिया कि इंदिरा गांधी अमर रहेंगी। बेशक अमर रहेंगी, जिस इंदिरा गांधी ने 1980 के अन्दर इस देश के अन्दर हजारों अल्पसंख्यकों का खून पिया हो, जिस इन्दिरा गांधी ने 1981 में हजारों हरिजनों को पीसा हो . . .

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

माननवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह 'खून पीना' शब्द जो है, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। जिसने माननवर, राष्ट्र के लिए अपना जीवन दान दिया है, उसके लिए खून पिया शब्द इन्होंने कहा है।

नोट:– [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रियासत हुसैन–

मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो अल्प संख्यकों के खून इस देश के अन्दर बहे 80 में और 81 में, उस सबकी जिम्मेदारी इस देश की सबसे बड़ी वही शक्ति है जो आज प्रधान मंत्री हैं। सारी जिम्मेदारी उसकी है, जिसके जमाने में यह सब हुआ है। तो इतिहासकार जब लिखेगा, तो अमर तो वह जरूर हैं और हो ही गयी हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रदेश का और देश का हरिजन क्या चाहता है? हमारी और आपकी उन हरिजनों की सुरक्षा के प्रति क्या जिम्मेदारी है? इस चीज को पहले सोचना होगा और उसके बाद यह देखना होगा कि हम उस जिम्मेदारी को कहां तक निभायें। श्रीमन् अगर आप कंस्टीट्यूशन की जो धारायें हैं 15, 17 और 23 जिसके अन्दर हरिजनों को हर तरह की सुरक्षा चाहिए, चाहे वह अनटचएबिलिटी हों, चाहे वह और तरह की गारंटी हो, चाहे समाज की बराबरी के सिलसिले में गारंटी दी गयी हो, उसकी गारंटी के आधार पर इस देश का और प्रदेश का हरिजन क्या चाहता है? उसको अगर हम देख लें और फिर यह देखें कि उसका कंस्टीट्यूशनल अधिकार जो है, वह कहीं उस हैसियत से बढ़कर तो नहीं मांग रहा है, तब तो वह सामने बात आयेगी। अगर वह ज्यादा मांग रहा है, तो क्यों हम उसको वह चीज दें? परन्तु इन दिनों में जो देखने में आया है, वह यह आ रहा है कि चूंकि हरिजन अपना बराबर का अधिकार चाहता है, समाज के अन्दर जो उसको जिन्दा रहने का अधिकार है, उसको चाहता है और उसी के साथ-साथ जब वह उन सब चीजों को मांगता है, तो दूसरी थरफ कुछ एसी बातें पैदा होती हैं कि जिसकी वजह से वह उनको मिल नहीं पाती और उसका जवाब उसको इस तरह से दिया जाता है कि वह अपने को असुरक्षित समझता है और सोचता है कि वह कोई चीज एसी तो नहीं मांग रहा है, जिसको वह पा नहीं रहा है, और जिसका विरोध हो रहा है।

मान्यवर, दिवली और साढ़ूपुर कोई पहली घटना नहीं है, कफल्टा की घटना हुई, और भी कई घटनाएं हुई। अभी प्रदेश के अन्दर कल फिर एसी घटना हुई कि 13 हरिजन मारे गये, जला दिये गये। तो इसलिए और भी थोड़ी सी अहमियत हो जाती है कि जब 19 नवम्बर को हमारे जो इंटीग्रेशन के मंत्री हैं, माननीय अम्मार रिजवी साहब, जब वह 19 नवम्बर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म दिन मनाने के लिए एक हफ्ता नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पर उद्घाटन कर रहे थे, तो दिवली की घटना उस नाम के अन्दर 18 नवम्बर को हुई और जब 30 तारीख का नया साल आने वाला था श्रीमती इंदिरा गांधी बेगम हजरतमहल पार्क में जब उत्तर प्रदेश सरकार की कमर ठोंक रही थी उसी समय साढ़े 6 बजे साढ़ूपुर की घटना हुई और तीसरी घटना 26 जनवरी को मनाये जाने की तैयारी चल रही थी तो मध्य प्रदेश में हुई जिसमें 13 हरिजन मारे गये। एसा मालूम होता है कि इस देश के अल्पसंख्यक और हरिजन केवल इस काम के लिए रह गए हैं कि जब इस तरह के अवसर आयें तो भेंट की शक्ल में शासन के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। श्रीमन्, दिवली और साढ़ूपुर में दिवली के अन्दर जो कुछ हुआ अब तो काफी समय हो गया कोई चीज अब तो छुपी नहीं होगी। स्पष्ट रूप से जो कुछ दिवली के अन्दर हुआ बहुत से माननीय सदस्यों ने देखा और मैंने भी देखा है जिस तरह से वह घटना हुई। उसका अलग विवरण देना उचित नहीं है क्योंकि सभी ने देखा है कहां-कहां मारे गये कितने घरों में कितने मारे गये। लेकिन एसा लगता है कि यह इन्तकाम के जजबे में, बदले की भावना से एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के साथ एसा किया है।

मैं चाहता हूं कि सी0बी0आई0 या इसके अलावा आपके पास जो एजेन्सी हो मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करा लें कि जिस वक्त दिवली की घटना हो रही थी मां बहन की गालियों साथ गोली चलाई जा रही थी दरवाजे तोड़ कर लोगों को गोली मारी जा रही थी, बच्चों को हवा में फेंक कर गोली मारी जा रही थी उस वक्त किसके नाम के जिन्दाबाद के नारे

[श्री रियासत हुसैन–]
लगाये जा रहे थे । मैं सदन के अन्दर नाम नहीं लेना चाहता हूं । आप इंक्वाइरी करा लें । श्रीमन्, जब एक साल पहले वहां के लोगों ने आपके पास दरख्वास्तें भेजीं कि हमारे गांव में कुछ लोग बदमाश हो गये हैं उनसे हमारी हिफाजत की जाए तो उस दरख्वास्त पर कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री अधिष्ठाता–

आप कितना समय लेंगे क्योंकि 2 घंटे की चर्चा है और सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, संक्षेप में आपका जो मुद्दा है उस पर आप कहें ताकि सबको मौका मिल सके ।

श्री रियासत हुसैन–

मैं थोड़े में कहूंगा बाद में जवाब में जो बात होगी कह दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह बात जो दरख्वास्त 4-9-80 को रजिस्टर्ड भेजी गई थी प्राइम मिनिस्टर के नाम उसके ऊपर कोई कार्यवाही कर ली होती तो राधे व संतोषा को यह मौका न मिलता दिवली के अन्दर घटना करने का। दूसरा एफ0आई0आर0 रिपोर्ट हुई उस पर कार्यवाही होती तो शायद उनको यह मौका न मिलता। यह सारी चीजें हमारे प्रदेश में हो रही हैं कानून कायदे हमने बनाये, हम सब चाहते हैं कि जो आदमी लाखों साल से कास्ट के नाम पर समाज के अन्दर रौंदा जा रहा है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। संविधान ने आजादी के बाद बराबरी का दर्जा दिया । हमने उसमें बराबरी के लिए कुछ कायदे कानून बनाये लेकिन इन 30 सालों में लगता है कि उन कायदे कानूनों को हजारों लाखों साल पुराना जो समाज था, जो संस्कार थे उसका हम सामन्जस्य नहीं करना चाहते हैं जिसका कारण है कि जो हरिजन लिखे पढ़े होने के कारण नये वर्ग में आते हैं तो वह चीज लोगों के गले में नहीं उतरती है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि 30 साल में जो बराबरी का संविधान बनाया गया उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी है। इसलिये आज सदन इस बात पर चर्चा करे कि कहां कमी है और कहां नियमों में क्या बढ़ाया जाय और क्या घटाया जाय जिससे हरिजनों को जो इस देश में रहने का अधिकार है और जो सुविधायें उनको प्राप्त करने का अधिकार है, उनकी जानमाल की रक्षा का जो सवाल है वह पूरा हो सके। यही कहकर मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

*श्री मुंशी लाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जो भाई रियासत हुसैन साहब ग्राम दिवली और साढ़ूपुर काण्ड के विषय में जो प्रस्ताव लाये हैं उस पर मैं कहना चाहता हूं कि बदकिस्मती है कि भाई रियासत साहब यह कह रहे हैं कि जिस दिन देश की प्रधानमंत्री का जन्म दिन मनाने के लिए और दूसरे दिन बगम हजरत महल पार्क में आकर स्पीच दे रहीं थीं उस दिन के लिये जो कह रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह हरिजनों पर हुआ अत्याचार पहले से प्लान था। डकैत की कोई बिरादरी नहीं होती है न बिरादरी का नारा लगाते हैं बल्कि वह हमेशा भाई बहनों को मारता है । डकैत डकैत होता है, अपराधी अपराधी होता है ।

मान्यवर, जहां तक हरिजनों का सवाल है यह इतने बड़े खानदान से जुड़ा हुआ है और उस महान नेता से जुड़ा हुआ है जो इस देश पर न्यौछावर होने के लिये तैयार है उससे हरिजनों को अलगाव करने का यह षड़यंत्र रचा गया है। मान्यवर, जो दिवली और साढ़ूपुर में कांड हुए उनमें हमारे हरिजन भाईयों की जो लाशें थीं उनको जलाने के लिए मैं अर्थी रच रहा था। 6 बजे उन पर कंडे और लकड़ी लगा रहा था तो उस समय हमारे अटल बिहारी बाजपेई वहां पहुंचे और एक जगह खड़े हो गये। हमने कहा यह अटल जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संवेदना की घड़ी है । यह वोट लेने और हारिजनों को हम से अलगाव करने का समय नहीं है । अटल जी मान गये लेकिन प्रथम दिन हम अर्थी से चिता, मनुष्यता के नाते बना रहे थे परन्तु वहीं जितने अधिकारी और नेता एवं बिरादरी के लोग जो थे वह अर्थी पर लकड़ी रख रहे थे किन्तु अटल जी का हाथ नहीं चला था कि एक कंडा या लकड़ी रख देते । मैं इसलिये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह अटल जी और किसान के पुत्र चौधरी चरणसिंह दो दिन का गैप करके पदयात्रा का षड़यन्त्र करके वहां पहुंचे। जब वह लोग एक दिन अर्थी में हो आये थे तो फिर वहां दो दिन बाद जाने की क्या आवश्यकता थी । यह सिद्ध करता है कि हरिजनों को कांग्रेस से अलगाव करने का षड़यंत्र नहीं था तो क्या था ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हरिजनों की दोहाई देते हैं चौधरी चरण सिंह के साथ मैं रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि किसान के पुत्र चौधरी चरण सिंह हरिजनों के लिये क्या कर सकते हैं ? वह प्रथमवार प्रधान मंत्री बने तो सबसे पहले आगरा के जिलाधीश जो हरिजन थे उनको सस्पेंड कराया था । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हरिजनों की संसद और हमारा आसन व्यवस्था कर रहा है । जहां तक हरिजनों की रक्षा की बात है जिला मैनपुरी और उत्तर प्रदेश में हमारी जो सरकार कर रही है और जो आज फैसले लिये हैं वह आज तक किसी ने नहीं लिये थे । हरिजनों के साथ 40-60-80 कांड हो जाय लेकिन इंदिरा गांधी को हरिजनों से कोई अलग नहीं कर सकता है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

'इस सादगी पे कौन न मर जाये ए खुदा,

लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं ।'

मान्यवर, क्योंकि आपका तालुक अदब से, सियासत से और सहाफत से भी है लिहाजा आपकी मौजूदगी में अपनी बात कहने में बड़ा मजा आता है । यह हमारी खुशकिस्मती है कि इस समय हमारे बीच वजीरे आला मौजूद हैं, जिनकी हसीन शक्ल के हसीन फरेब के हम भी शिकार होते रहे हैं और पूरा उत्तर प्रदेश भी इसका शिकार हुआ है। हमारे मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्री भी मौजूद हैं जानते होंगे वाक्या चाहे साढ़ूपुर का हो, अलीगढ़, बनारस या मुरादाबाद का हो, सरकार में बैठे हुये वह लोग जिनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं जिनमें से कुछ का किरदार यह है कि स्मगलरों के साथ बैठकर खाना खाते हैं और उनसे तोहफे लेते हैं, क्या ऐसी सूरत में प्रदेश में अमन और शांति की फिजा बनायी जा सकती है, नहीं मौजूदा हालत में । वह इस सरकार के लिये इससे ज्यादा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती । हम दस्तूर और कानून को मानने वाले मुल्क में रहते हैं इसीलिये हम दस्तूर की दोहाई देते हैं लेकिन इसके बरखिलाफ दस्तूर की खिलाबर्जी करके दस्तूर और कानून की बरकरेजी करते हैं और बरकरेजी आपकी आदत सी बन गयी है । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री ने जैसा इस समय वाक्यात पर पर्दा डाल रखा है अपने कानों पर पर्दा नहीं डाला होगा कि मुख्य मंत्री जी लिखने में मसरुफ हैं बावजूद इसके की गरीब हरिजनों के बहशियाना कत्ले आम पर सरकार ने ही बहस का वक्त तैयार किया है लेकिन क्योंकि मुख्य मंत्री के लिये था राजा साहब जान के नुकसान इज्जतो आबरू के नुकसान की कीमत क्या हो सकती है । लेकिन अगर उनके सीने में इंसानी दिल है तो फिर उनके दिल पर भी इन शर्मनाक वाक्यात की चोट लगी होगी और लमहा भर के लिये उनके जमीर ने भी उनसे सवाल किया होगा और शायद उनका भी दिल दुखा होगा ।

[श्री मुहम्मद आजम खां–]

अफसोस यह है कि पूरा सूबा इन हालात का तमाशा देख रहा है और हाउस के अंदर भी एक वह तबका है जो मजलूम की हैसियत से तमाशाई है और एक वह तबका है जो जालिम की हैसियत से यह तमाशा कर रहा है मगर अफसोस इस लाश को कंधा देने वाला कोई नहीं । मान्यवर, आप जानते हैं कि हुस्न ने हमेशा धोखे दिये हैं चाहे वह औरत की शक्ल में हो या मर्द की शक्ल में, हमें भी एक हसीन शक्ल ने धोखा दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आजम खां साहब जो विषय है उस पर आयें ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

यह हसीन चेहरा देख रहे हैं, अच्छे मर्द देख रहे हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

यह तो इंसान की कमजोरी है । आपकी हसीन शक्ल भी मुझे अच्छी लगती है । मुख्य मंत्री आपसे ज्यादा हसीन हैं । लिहाजा यह कैसे मुमकिन है कि वह अच्छे न लगें।

मैं कहना चाहता हूं कि साढ़ूपुर के संगीन वाकये पर अगर आप नहीं सोचेंगे तो और मेरी बात अमल की गरज से नहीं सुनेंगे तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा । मुझे हैरत है और मेरा कहना है कि यह सदन का खुला अपमान है कि मुख्य मंत्री जी बे-तवज्जही की दलील बने हुए हैं लाजिम है कि हम अपनी बात उसी वक्त करें जब आपको इसके अलावा दूसरी जरूरी कामों से फुरसत मिल जाय ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

आपकी ओर पूरा ध्यान आकर्षित है हम लोगों का ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

बड़ी खुशी की बात है कि आपका पूरा ध्यान आकर्षित था । जो कि नहीं था खैर, लिहाजा साढ़ूपुर के इस संगीन वाकये पर जितने भी गम का इजहार किया जाय बहुत कम है । जो बातें अपोजीशन की तरफ से आ रही हैं हमारा दिल चाहता था काश उसकी चर्चा आपकी तरफ से होती हम समझते कि आप अपनी गलती का खात्मा करेंगे और नयी राह बनेगी मगर हमको तो ऐसा लगता है कि आप पुलिस और गुंडों के जरिये कत्लेआम कराते रहेंगे और जबकि सरकार का बोल बाला होगा । बुजुर्ग भाई रियासत हुसैन साहब ने कहा कि साढ़ूपुर कत्लेआम हो रहा था दरवाजा तोड़कर गोलियां चलायी जा रही थीं । बच्चों को हवा में फेंक कर निशानेबाजी दुरुस्त की जा रही थी किसी के जय-जयकार के नारे लग रहे थे उस वक्त किसका नारा वह लोग लगा रहे थे । आप भी इसको समझते हैं कि किसका नाम लिया जा रहा था । अगर यह बात सही है और वाकई यह हो रहा था जैसा कि आप कहते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें अब किसी भी इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है। सूबे के जिम्मेदार को खुद चाहिये था कि वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता और अपनी सियासी व अखलाकी जिम्मेदारी को सामने रख कर अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते। लेकिन हम जानते हैं यह नहीं होगा कुछ दिन पहले अखलाक और जिम्मेदारी के नाम पर आपने एक ड्रामा खेला, इस्तीफा देने का नाम निहायत ऐलान किया लेकिन गद्दी के ऐश ने आपको ऐसा न करने दिया। मतालबा दर मतालबा होता रहा लेकिन आप बने रहे आपने इस्तीफा नहीं दिया । आखिर में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 31 तारीख को आपने उर्दू जबान को दूसरी जबान बनाने का ऐलान किया और पहली तारीख को पार्टी की अन्दरूनी बगावत के सबब अपना ऐलान वापस ले लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

देखिये आपकी तनकीद ने वक्त काफी लिया । इसलिये आपका समय समाप्त हुआ ।

एक सदस्य–

साढ़ूपुर से उर्दू जबान पर आ गये ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं इसका हवाला इसलिये दे रहा हूं कि आपने चूंकि आपने वायदा किया था। आपने 31 तारीख को इसी बादे को एलान किया था कि ऐसे हो जायेगा । आपने आर्डिनेंस लाने की बात की। उसके बाद कहा कि इसका बिल पेश किया जायगा क्या यही मर्द की जबान है। मैंने कल इस बात को कहा था मगर आप हस्बे आदत मौजूद नहीं थे इस एलान से सूबे में फिरकावाराना फसादात फैल जाने के हालात पैदा हो गये। छर्रा की मस्जिद से लोगों को निकाल कर मारा गया। मेरा इल्जाम है खुला इल्जाम है कि एलान पूरे उत्तर प्रदेश में फिरकावाराना फसादात कराने की एक साजिश था। और वजीरे आलम ने मन्सूबा बच तरीके से मुसलमानों को कत्ल किये जाने का मन्सूबा तैयार किया था । मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री माधव प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने साढूपुर काण्ड के विषय में दो शब्द कहने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमारे बुजुर्ग सदस्य रियासत हुसैन साहब ने कहा कि इस धरती पर 80-81 में हरिजनों का खून बहा। यह भूल गये हैं उस दिन को जब 25 दिसम्बर, 79 को जिस समय धादवपुर, इटावा में 12 औरतों और 6 बच्चों को बुरी तरह से गोली से उड़ा दिया गया था। यह आप भी भूल गये हैं कि उस दिन कानपुर में 8 हरिजनों की डकैतों द्वारा सामूहिक हत्या और आप भूल जाते हैं बांदा में 9 हरिजनों की महिलाओं के साथ जो बलात्कार किया गया है, और आप भूल जाते हैं बेलछी काण्ड की हत्याओं को और आज आप कहते हैं कि केवल 80-81 में इतने-इतने हरिजनों के खून बहाये गये और शायद आप यह भी भूल गये जो आपकी पार्टी में चौधरी गनेशी लाल जी सदस्य थे, जिन्होंने कहा था कि ए जनता पार्टी मेम्बर, मिस्टर गनेशी लाल चौधरी एस्टर्ड एलेज्ड इक्सेस अगेन्स्ट हारजन इन राम नगर विलेज आफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, करेक्टराईजिंग इट एज 'मिनी बेलछी' इन्सीडेन्ट ।

इसका अनुवाद मान्यवर, मैं किये देता हूं गोरखपुर के गांव रामनगर का जो काण्ड हुआ है वह किसी बेलछी काण्ड से कम नहीं है, बल्कि यह मिनी बेलछी काण्ड है। जो घटना घटी है उसका विवरण सदन में दिया था ।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जैसा कि मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट की थी कि हमारा प्रस्ताव जो है कि 30-32 वर्षों में जब से आजादी मिली है, और कान्स्टीट्यूशन बना है, तब से हरिजनों की सुरक्षा करने में कोई भी सरकार पूर्णतया सफल नहीं रही है और इसी पर हमें और आपको विचार करने हैं कि कौन सा तरीका निकाला जाए कि अब यह सुरक्षा उनके लिए पूर्णतया हो सके। मेरा प्रस्ताव इस आशय का है यह नहीं कि जनता पार्टी ने क्या किया और आपने अब तक क्या किया प्रश्न इसका नहीं है, आप इस पर केवल सुझाव अपने दें। तो बेहतर होगा।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री माधव प्रसाद–

अगर आप यह सुझाव की बात अपने प्रस्ताव में किये होते तो मैं यह नहीं कहता आप तो यह कह रहे थे कि 80-81 में इतने-इतने खून बहाये गये। उन्हीं तारीखों का वर्णन मैं भी कर रहा था कि 31 अगस्त, 77 में सुल्तानपुर चांदपुर गांव में 15 हरिजनों को गांव से निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि वे बेगार नहीं करना चाहते थे और इसके बाद जितनी हरिजनों की हत्याएं और बलात्कार के मामले हुए उनके आंकड़े मान्यवर आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। सन् 1975 में 310 मामले, 1976 में 259 मामले और 1979 में बढ़कर 1004 हो गये। इस प्रकार आपके काल में 60 प्रतिशत अपराध बढ़े हैं। लेकिन इधर इन दो तीन घटनाओं से हम नकारते नहीं, देवली हुयी और उसके बाद साढ़ूपुर काण्ड हुआ, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी जी व उनके अन्य सहयोगी घटना स्थल पर गये। जो भी सुरक्षा और सहायता की जा सकती थी, दी गयी वे स्वयं भी वहां पर गयी और मामले को समझा और आगे की कार्यवाही जारी है। और यही नहीं इसके लिए 50 पी0 ए0 सी0 कम्पनियां भेजी गयीं तथा 3 कम्पनियां सुरक्षा दल वालों की भेजी गयीं और शासन आज भी कटिबद्ध है उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए और आज से पूर्व 30 वर्ष पहले भी हमारी सरकार सजग थी इनकी देख-रेख और विकास के लिए हर प्रयास जारी रहे हैं और आज भी ज़ारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री मोती लाल दहलवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के बारे में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मोती लाल जी चर्चा दो घंटे की है और कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो कम से कम समय में अपनी बात को माननीय सदस्य यदि कहेंगे तो अधिक से अधिक सदस्यगण बोल सकेंगे। इसलिए पांच मिनट में कृपया अपनी बात को खत्म करें।

श्री मोती लाल दहलवी–

मान्यवर, कांग्रेस के लोग हमेशा एक बात की ओर ज्यादा जोर देते हैं कि केवल सुझाव ही दिये जायें, तो मान्यवर, मैं केवल सुझाव देने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। पहला सुझाव तो मान्यवर, मेरा यह कि कांग्रेसी शासन हमेशा परिणामों से लड़ता है, कारणों से जूझने की कोशिश नहीं करता है। जाहिर है कि अगर कारण रहेंगे किसी घटना के दुर्घटना के तो उसका निश्चित परिणाम होगा कि आप परिणामों से लड़ेंगे। कारणों को दूर नहीं करेंगे तो उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

5 मिनट का समय मिला है, बोलने दीजिए।

श्री मोती लाल दहलवी–

एक सुझाव इस तरफ से आया था एक प्रश्न के द्वारा कि हरिजन बाहुल्य गांव में हरिजनों को बन्दूकें दे दी जायं, वह स्वयं अपनी रक्षा करें लेकिन उसको मानने से इन्कार कर दिया, नकारात्मक जवाब आया। मैं आज फिर सुझाव दे रहा हूं कि हरिजनों पर जितना अन्याय और ज्यादती हो रही है उतनी इसके पहले नहीं हुई। माननीय नेता विरोधी दल ने एक सुझाव दिया था क्योंकि जर, जोरू, जमीन–यह झगड़े की जड़ है। तो मान्यवर . . .

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

यह हरिजनों की समस्या में जोरू कहां से आ गयी?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम दिबली व साढूपुर जनपद मैनपुरी,में हरिजनों के कत्ले आम पर चिन्ता व्यक्त किए जाने तथा हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा विस्तृत विशेष योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री मोती लाल दहेलवी–

माननीय नेता, विरोधी दल ने एक सुझाव दिया था कि आप कहते हैं कि जमीन का पट्टा हमने कर दिया और जमीन हमने बांट दी।

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

कम से कम महिलाओं का अपमान न कीजिये। मैं इस पर आपत्ति करती हूं।

एक सदस्य–

आप तो मर्द के बराबर हैं, आपका अपमान कहां हो गया।

श्री मोती लाल दहेलवी–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था विधायकों की एक कमेटी बना दीजिये और वह गांवों में जाकर इस बात को देखें कि जो पट्टा हुआ उसमें हरिजनों को कब्जा मिला या नहीं। सही मायनों में हरिजनों की समस्याओं का समाधान करने के लिये आप में आत्मबल और नेकनियती की कमी है, यह इस बात का परिचायक है। आज मैं फिर कह रहा हूं कि एक कमेटी इस सदन में जो हरिजन विधायक हैं उनकी एक कमेटी बना दीजिये और जहां पर इस तरह की शिकायतें आयें कि अमुक स्थान पर हरिजनों की जान को खतरा है, सामूहिक हत्या का खतरा है, वह कमेटी उसकी जांच-पड़ताल करे, इसका उपाय करिये। है हिम्मत तो करवाइये घोषणा मुख्य मंत्री जी से, लेकिन नहीं कर सकते। यह केवल एक नारा सीखकर आते हैं – इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद और इन्दिरा गांधी हमारी नेता हैं। यह कौन नहीं जानता कि इन्दिरा गांधी आपकी नेता हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

देश की नेता कहो।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

विश्व की नेता हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय श्री श्याम लाल बाजपेयी जी का ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम 286 के उपखण्ड (9) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि कार्यवाही में रुकावट नहीं डालेंगे, चीत्कार नहीं करेंगे, या बाधा नहीं डालेंगे और जब सदन में भाषण दिये जा रहे हों, तो साथ-साथ उनकी टीका नहीं करेंगे।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

आपकी आज्ञा सिर-माथे पर, लेकिन यह नियम सबके लिये लागू कर दो सरकार।

श्री अध्यक्ष–

जैसा बाजपेयी जी ने सुझाव दिया मैं चाहूंगा सब लोग इसको पढ़ लें।

श्री मोती लाल दहेलवी–

28 नवम्बर, 1981 को दंवली काण्ड हुआ। और 30 दिसम्बर, 1981 को साढूपुर काण्ड हुआ। मान्यवर, जो दंवली काण्ड हुआ तो क्या उसके कारणों की इन्होंने जानकारी की? मुझको जानकारी है कि जितने लोगों ने हरिजनों को मारा वह बद-माश थे, डकैत थे और थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं थी। इस काण्ड के पहले वे गांव में आते थे। हरिजनों की लड़कियों, मां, बहिनों तथा बेटियों को छेड़ते थे। इसकी रिपोर्ट हुई, पुलिस आयी,

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, अभी तो यह कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा समय और दे दें।

श्री मोहन सिंह–

यह दल के नेता हैं, इन्हें तो कुछ ज्यादा समय दीजिये, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा बोलिये ।

श्री मोती लाल दहेलवी–

मान्यवर, पुलिस आयी, रात भर रही, सुबह गोली चली और उसके बाद पुलिस चली गयी । इसके बाद लटूरी सिंह, हरिजन ने थाने में जा कर रिपोर्ट लिखायी और यह भी कहा कि हमारी जान का खतरा है, हमको बन्दूकें दी जायं। इस पर वहां के थानाध्यक्ष आये और वह उनकी बन्दूकों के लिये लाइसेन्स के फार्म भरा कर चले गये और कार्यवाही कुछ नहीं हुई। उसके बाद फिर वह आये और वहां के ठाकुरों को इकट्ठा करके कहा कि यह लोग जाटव लोग ठाकुरों के लिये तैयारी कर रहे हैं, तुमको भी कुछ करना चाहिये। वहां के लोगों ने रुपया इकट्ठा करके, 10 हजार रुपए इकट्ठा करके हथियार खरीद कर लाये।

मान्यवर, मैं आपसे कहूंगा कि कोई हरिजन गांव में किसी एक ठाकुर का कत्ल कर दे तो कम से कम 10 हरिजनों को हण्टर से पिटाई की जायेगी जुर्म कबूल करवाने के लिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितने ठाकुरों ने चन्दा जमा करके 10 हजार रुपये दिये उनमें से किसी को कभी प्रताड़ित किया गया था या कभी उनका टार्चर किया गया था? सारी मिली जुली भगत थी यह। आपने कहा कि मैं 24 दिसम्बर तक यदि शान्ति और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । किस डाक्टर ने आपसे कहा था इस्तीफा देने के लिये कि आप इस्तीफा दे दीजिये और स्थिति को न सुधारिये। अगर कहा था आपने यह तो आपको अपने कौल पर कायम रहना चाहिये था। आप देश की जनता को प्रेरणा दे रहे हैं, कौन आप पर विश्वास करेगा।

मान्यवर, दूसरी घटना साढूपुर में हुई। अब उस घटना को छिपाने के लिये और अपने को इस्तीफे से बचाने के लिये एक आड़ ले ली कि राजनैतिक लोगों ने यह घटना कराई। मान्यवर, यह राजनैतिक लोगों ने नहीं कराई और यदि यह घटना उन्होंने कराई होती तो साढूपुर की घटना 24 दिसम्बर के अन्दर हुई होती। 30 दिसम्बर, 1981 को न हुई होती, इसलिये कि मुख्य मंत्री को इस्तीफा दिलाने की मांग की जा सकती है। लेकिन मान्यवर, असलियत से मुंह मोड़ा जा रहा है। साढूपुर की घटना के पीछे जो मुझे जानकारी है वह यह है कि वहां से बटेश्वर से शिकोहाबाद तक एक सड़क गयी हुई है, जमुना का वहां पर पुल है उस जगह पर टोल टैक्स का एक दफ्तर है, वहां एक ट्रैक्टर आया था और वह साढूपुर गांव की तरफ गया। उस ट्रैक्टर में अस्त्र-शस्त्र लदे हुए थे, आप इस बात की जांच करा लीजिये। लेकिन आप तो असलियत से मुंह मोड़ना चाहते हैं। मान्यवर, वहां पर एक ट्यूबवेल आपरेटर है श्री मिश्रा उनकी पोस्टिंग है बाह में लेकिन उन्होंने एक दिन भी बाह में काम नहीं किया, साढ़ूपुर में रहते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि जब माननीय राज्य गृह मंत्री वहां गये तो वह मिश्रा जी राजेन्द्र त्रिपाठी जी से मिलते रहे, क्यों मिलते रहे क्या मामला है? वहां के लोगों को संदेह है कि उस आपरेटर का इसमें हाथ है। आप जांच करा लें अगर गलत हो। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपमें इतना भी आत्मबल नहीं है। जिस दिन यह प्रश्न आया तो राजनैतिक दल का नाम बता देते। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि आप नाम बता दें।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)–

मान्यवर, नियम 103 के अन्तर्गत रियासत साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव की भावना में भाषा कुछ भी हो लेकिन जिस तरह की भाषा विरोध पक्ष की ओर से आ रही है उसमें नीयत अच्छी नहीं है। श्रीमन्, मुझे तो एक बात याद आती है कि भूसे में आग लगा कर जमालो दूर हुई। 1977 के जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद यह हरिजन उत्पीड़न बढ़ा है। और इसका सबूत मैं बताता हूं। हमारी नीयत पर तो दहेलवी जी को फर्क नजर आता है लेकिन मैं आपकी नियत जरूर बता

देना चाहता हूं। मैंने इस सदन में जब केन्द्र में उनके होम मिनिस्टर मण्डल थे और उन्होंने लोक सभा में बयान दिया था कि प्रदेशों में सबसे ज्यादा हरिजन एट्रासिटीज अगर हैं तो लार्जेस्ट नम्बर आफ हरिजन 5 हजार 57 हरिजन एट्रासिटीज उ0 प्र0 में हुई हैं। मण्डल ने स्वीकार किया था। इस आशय का प्रस्ताव विरोध पक्ष के नेता के रूप में मैंने यहां रखा था। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे आश्चर्य होता है, मैं एक विश्लेषण आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। डकैतों की परिभाषा होती है। वह किसी का माल छीने, अगर माल छीनने में व्यवधान हो, रुकावट हो तो वह कत्ल करे। अगस्त, 81 में कुंवरपुर में घटना हुई और 14 हरिजन मारे गये। मैं वहां गया हरिजन समिति का सभापति होने के नाते। ब्योरा चाहा कि उनकी हत्या क्यों की गई। उन हरिजन मजदूरों की जेब से एक रुपया नहीं निकला लेकिन छवि राम पोथी ने एक लाइन में खड़ा कर के मार दिया गोली से। साढूपुर में कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी लेकिन काण्ड हुआ। आगरा, मैनपुरी, इटावा के आस-पास ही घटना हो रही है क्यों, विश्लेषण की बात है। देहरादून में क्यों नहीं होती? जातिगत विद्वेष की भावना इन क्षेत्रों में जनता पार्टी के शासन में डाल दी गयी।

श्रीमन्, विरोधी पक्ष के उप-नेता के रूप में मैंने समय-समय पर इस सदन में उठाया था, पुलिस की गोलियों से, पी0ए0सी0 की गोलियों से 1977 से 1979 तक हरिजन मारे गये कितनी हुई ? आगरा में मई, 1978 में 11 हरिजनों को पी0 ए0 सी0 ने मारा, मैंने सदन नहीं चलने दिया । 12-2-79 को मुजफ्फरनगर में रविदास का जुलूस निकला और उसमें 68 हरिजन घायल हुए पुलिस की गोलियों से। 18 अक्तूबर, 1977 को 18 हरिजनों को बनारस में बबुरी गांव में गोली से मारा जिसमें से 15 की हालत सीरियस हो गयी थी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुजफ्फरनगर की जिस घटना का मा0 मंत्री जी जिक्र कर रहे हैं उसके संबंध में इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें जिन तथ्यों की यह बात कर रहे हैं उनको डिनाई कर दिया गया है तो क्या मा0 मंत्री जी उन बातों को सदन के समक्ष रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं रख सकते हैं। वह दूसरा रख रहे हैं।

श्री मोहन सिंह–

माननीय मंत्री जी इस तरह की गलतबयानी करके सदन को गुमराह नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कमीशन की रिपोर्ट में जो है उसके प्रतिकूल कोई बात यहां नहीं कही जायेगी।

श्री गुलाब सेहरा–

यह मेरे पास आंकड़े हैं। एटा में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री राम नरेश यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर गाड़ी पर चढ़ते, प्रचार के दौरान तक लोगों को लाइसेंस दिए गए और ऐसे लोगों को लाइसेंस दिए गए जो इनकी पार्टी में थे। और उनकी जाति के थे एटा में 1977 में इनका शासन आने से पहले केवल 598 लाइसेंस थे, वहां इनके जाने तक, 1980 के जून तक संख्या 15094 लाइसेंस हो गए और इसमें ताज्जुब करें आप कि कारबाइन के एस. एल. आर. के कारतूस साढूपुर में मिले हैं। इसी तरह से मैनपुरी में इनके शासन में आने से पहले 605 लाइसेंस थे

[श्री गुलाब सेहरा–]
और इस वक्त 16,793 हैं। इसमें यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब मैं विरोध पक्ष में था तो उपनेता की हैसियत से मैंने चैलेन्ज किया था कि इसमें आपने अपने मतदाताओं को, जो आपकी पार्टी से संबंधित हैं केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस दिए गए। 1977 से 1979 तक कारबाइन, स्प्रिंग, फील्ड राइफल 2426 दिये गये।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–
मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–
वह बैठ नहीं रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे?

श्री गुलाब सेहरा–
अभी मोतीलाल देहलवी कहने लगे कि इनकी नीयत पर शक है तो नीयत तो आपकी खराब था जो 650 के स्थान पर 1500 लाइसेंस और 1059 से 16 हजार लाइसेंस दे दिए। हम लोगों की नीयत तो ठीक थी तभी हमने डाकुओं के उन्मूलन के लिए अध्यादेश लागू किया। जो प्रभावी क्षेत्र हैं वहां अध्यादेश लागू किया इससे ज्यादा साफ नीयत क्या हो सकती है चाहे विरोध पक्ष का आदमी हो या चाहे हमारा ही कोई आदमी क्यों न हो, यदि कोई संरक्षण देता है तो वह जरूर पकड़ा जायेगा और दंड दिया जायेगा।

(तालियां)

मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आज आपको गरीबों के लिए आंसू आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीवाली काण्ड के बाद 27 तारीख को राजनारायण जी दीवाली गए और उसके बाद आगरा में प्रेस कांफेंस में बोले कि कुछ हरिजन फिरोजाबाद और शिकोहाबाद से आये थे और दीवाली में ठाकुरों के मकानों को लूटा तो ऐसे काण्ड में जाति-गत भावना की बात का बयान देना कहां तक उचित था।

श्री मोतीलाल देहलवी–
एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–
आप बैठ जायं। मा0 गुलाब सेहरा जी, आप बैठ जायं। वह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी–
मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी पीठ से एक बार नहीं अनेकों बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि जो माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं और अपना स्पष्टीकरण दे नहीं सकते हैं उनका नाम नहीं आ सकता। मुझे अफसोस है कि मा0 गुलाब सेहरा जी मंत्री हैं और इसको जानते हुए भी कि इस तरह की व्यवस्था हो चुकी है लेकिन फिर भी राजनारायण जी का नाम ले रहे हैं तो मान्यवर, क्या यह उचित है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–
कृपा करके आप लोग शान्त हो जायं।

एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है कि इस पीठ से बार-बार यह कहा गया है कि जो इस सदन में न हो उसके बारे में यहां नहीं कहा जा सकता है। इस पीठ से अगर मुझे याद है ठीक, तो आप देखेंगे कि इस तरह की व्यवस्था इस संदर्भ में हुई है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिये कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए जो यहां उसका उत्तर देने के लिए सक्षम न हो। व्यवस्था यह है कि किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए लेकिन उदाहरण है और आरोप की बात कोई नहीं है तो उस बात को सदन में कहना सही है।

ग्राम दिवली व साढूपुर, जनपद मैनपुरीमें हरिजनोंके कत्ले आम पर चिन्ता व्यक्त किए जाने तथा हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा विस्तृत विशेष योजना बनाए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री गुलाब सेहरा–

ग्लेसरीन के आंसू और असली आंसू में फर्क होता है । ये कहते हैं कि हरिजन इनको बहुत प्यारे हैं । मैं चार घटनायें कोट कर रहा हूं। 21-9-77 को राजापुर, बांदा में 7 हरिजनों की हत्या की गयी । 12-2-79 को देवरिया सोनालू में 4 हरिजन मारे गये । फतेहपुर, लोहानी में 8 हरिजन मारे गये लेकिन किसी को एक रुपया भी जनता पार्टी की सरकार ने सहायता के रूप में नहीं दी। मैं समझता हूं कि जिनके परिवार के लोग मारे गये, जिनके बच्चे अनाथ हो गये, जिनकी विधवायें निराश्रित हो गयीं उनको कुछ भी आर्थिक सहायता न देना इस जनता पार्टी की सरकार का ही हरिजन प्रेम है । 14 हरिजन यादवपुर, इटावा में 9-10 दिसम्बर, 1979 को भीखम गड़रिया के गिरोह ने मारा जिनमें 6 बच्चे और 6 महिलायें थीं । जनता पार्टी की सरकार ने आर्थिक सहायता के रूप में उनको एक पैसा भी नहीं दिया था । लाइसेंस देना तो दूर की बात है ।

विरोध पक्ष की ओर से अभी कहा गया है कि लटूरी सिंह को लाइसेंस मांगने पर भी नहीं दिया गया। वह लटूरी सिंह मन का बड़ा प्यारा है जिसने स्वयं 9 नवम्बर, 81 को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जिसकी जांच चल रही थी। विरोधी पक्ष का कहना है कि उसे लाइसेंस दिया ही नहीं गया, जब कि साल भर पहले उसने कोई लाइसेंस नहीं मांगा था न ही लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं किया था । 9 नवम्बर, 81 को उसने लाइसेंस के लिए दरखास्त दी । आखिर यह समस्या क्या है । 5085 घटनायें इन तरह की जनता रिजिम में हुई । उसी राज्य में इसकी नींव पड़ी थी । उसने तमाम हरिजनों को पुलिस से मरवाया और बाद में जो बचे उनको डकुओं से मरवाया। इसके बाद भी यह कहते हैं कि हरिजन हमारे बड़े प्यारे हैं। हरिजनों को यहां से सरकार की ओर से रुपया गया, विरोधी पक्ष के नेताओं ने पीड़ितों से कहा कि हम पचास हजार देंगे हमारे साथ दिल्ली चलो । 78 परिवारों को भूखे पेट दिल्ली ले जाया गया। आप के कार्य से वे दिल्ली गये । तीन दिन तक उनको बंद रखा और छोड़ दिया डेढ़ हजार रुपये देकर । पचास हजार का वादा किया था। श्रीमन् ग्लेसिरीन के आंसू । मैं मानता हूं .....

श्री कुबेर भण्डारी–

आप हरिजनों के नेता हैं ..... (शोर)

श्री गुलाब सेहरा–

मेरा कहना यह है श्रीमन् इस सदन में इन हरिजन उत्पीड़न की घटनाओं को मैंने तीन वर्ष तक उठाया और सबसे बड़ी नियत की बात बताऊं जहां मंत्री घटना को देखने नहीं गये, मुख्य मंत्री घटना को देखने नहीं गया, गृह मंत्री नहीं गया यहां तक कि जनता पार्टी के विधायक भी नहीं गये । मुझे याद है लोहारी गांव की घटना । तीन दिन तक राह देखी गयी कि कोई व्यक्ति आयेगा । श्रीमन् यह बीज आपने बोया है और इस बीज का यह परिणाम आ रहा है। लेकिन हमने स्टेट्यूचरी कमेटी गांव में बनाने का फैसला कर लिया है । व सब जातियों की रक्षा कमेटी बनाई जायेगी और सरकार जो भी सहायता होगी वह दी जायेगी । कांग्रेस का 90 साल का इतिहास है। गरीबों के लिए अनूसूचित जातियों के लिए, सर्वहारा के लिए उसने संघर्ष किया है । हम अपने इस वायदे से नहीं मुकर सकते हैं। गरीब लोगों को पूरी सुरक्षा देंगे. हथियारों की जरूरत होगी तो हथियार देंगे। लेकिन आपकी नियत साफ नहीं है। रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है वह पालिटिकल है । वह यह कहते कि ये स्टैप, ये प्रिकाशन लीजिए, इस प्रकार की सुविधायें हरिजनों को मिलनी चाहिए । तो ठीक होता लेकिन जो सदस्य बोल रहे हैं वे केवल विरोधी पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं । शासन को बदनाम करने के लिए प्रस्ताव को लाया गया है । इस प्रस्ताव की नीयत की निन्दा करता हूं, घोर निन्दा करता हूं ।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के संबंध में मेरा बोलने का इरादा नहीं था लेकिन माननीय हरिजन कल्याण मंत्री का भाषण सुनने के बाद महसूस हुआ कि यदि कुछ नहीं कहता हूं तो यह प्रस्ताव के साथ अन्याय होगा। यह प्रस्ताव है दिवली और साढ़ूपुर में हुए हरिजनों के कत्लेआम पर यह सदन घोर चिन्ता व्यक्त करता है और संस्तुति करता है कि हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार विस्तृत विशेष योजना बनाए ।

माननीय हरिजन कल्याण मंत्री ने अपना भाषण समाप्त करते वक्त यह कहा कि इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । इससे ज्यादा कोई अफसोस की बात नहीं हो सकती। योजना बनाने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं कि हरिजनों की रक्षा हो सके । आप हरिजनों की हत्या पर चिन्ता व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं । आप हरिजन और समाज कल्याण मंत्री नहीं हरिजन द्रोही हैं । इस प्रस्ताव पर कोई प्वाइन्ट सिक्योर करने का यह मौका नहीं है । शासक पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि जनता पार्टी के राज्य में इतने हरिजन मारे गये और इतने अत्याचार किये गये या यह कहा जाय कि कांग्रेस के राज्य में इतने हरिजन मारे गये । यह कोई प्वाइन्ट सिक्योर करने का मौका नहीं है । जनता पार्टी के राज्य में ज्यादा मारे गये थे तो आप कुछ और मरवा डालिये ताकि आप आगे पहुंच जायं । प्वाइन्ट सिक्योर करने का मौका नहीं है । संजीदगी से सोचने की आवश्यकता है। चाहे जनता पार्टी का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, ये हरिजन क्यों मारे जाते हैं इसका क्या कारण है, इस पर चिन्ता व्यक्त होनी चाहिए और दोनों पक्षों को बैठकर गम्भीरता से सोचना चाहिए । यह प्वाइन्ट स्कोर करने का अवसर नहीं है । हमने क्या किया और आपने क्या किया, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

मान्यवर, मैं इस संबंध में सुझाव के तौर पर दो-एक बातें कहना चाहता हूं । हमारे संविधान में हरिजनों के लिए संरक्षण दिया गया है । कोई भी सरकार हो, संविधान के इस प्राविधान के अनुसार वह उनको वे सुविधायें देने के लिए बाध्य है, उसको देना चाहिए । लेकिन आज यह हो रहा है कि जितना उनके लिए करना चाहिए, किया जाना चाहिए, उतना होता नहीं है। प्रचार उससे कहीं ज्यादा होता है । आज हम देखते हैं कि जितने सवर्ण पढ़े-लिखे नवयुवक हैं उनसे कहते हुए सुना है कि जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं वे सब हरिजनों के लिए हैं, हमारे लिए कोई जगहें नहीं हैं । हम लोग रोज यह बातें उनसे सुनते हैं कि हरिजनों को इतना संरक्षण और आरक्षण दिया गया है । करना कम और प्रचार ज्यादा हो रहा है । समाज के अन्दर हरिजनों और सवर्णों के बीच विद्वेश की खायी गहरी न की जाय । इसे अब ज्यादा गहरा न कीजिए । जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य उर्दू के सवाल पर बोल रहे थे कि इसको दूसरी भाषा बनाने का संकल्प किया जाय । लेकिन ऐसा करने से पहले प्रचार इस प्रकार का किया जा रहा है कि हिन्दी व उर्दू भाषी लोगों में एक गहरी कटुता पैदा हो रही है जो समाज की एकता के लिए बहुत ही खतरनाक है । मैं भी इसका समर्थक हूं और होनी चाहिए लेकिन हरिजनों की सुरक्षा के संबंध में ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए कि जिससे समाज में एक खाई पैदा हो जाय ।

दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और पूरे हिन्दुस्तान में चुनावों में हरिजन और मुसलमान एक बैलेंसिंग पावर हैं, जहां झुक जाते हैं, उसका पलड़ा भारी हो जाता है । 1977 के चुनाव में यह बैलेंसिंग पावर जनता पार्टी की तरफ झुक गया था लिहाजा उनका पलड़ा भारी हो गया और कांग्रेस का नीचे हो गया, इसी तरह से 1980 के चुनाव में फर कांग्रेस की तरफ झुक गया तो जनता पार्टी का पलड़ा नीचे हो गया और कांग्रेस का ऊपर आ गया । इस टैक्टिस को न अपनाइये हरिजनों को आतंकित मत करिये, उनका उत्पीड़न न कीजिये और ऐसी भावना पैदा न

कीजिये कि यदि वे शासक दल के साथ रहेंगे तो उनका उसी में हित है । आज यह प्रयास हो रहा है कि अगर किसी इलाके में विरोध पार्टी का असर पड़ रहा हो, तो वहां के हरिजनों को आतंकित करके उनको शासन के साथ रखने का कुचक्र रचा जाता है ।

तीसरा सुझाव मान्यवर, मेरा यह है कि हरिजनों के प्रति या किसी के प्रति भी अगर कोई सामाजिक अत्याचार होता है तो उसको सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यदि हरिजनों के साथ कोई अत्याचार होता है तो शासन का काम है कि वह सख्ती के साथ उसका मुकाबला करे । मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हरिजनों के साथ अत्याचार तब तक होता रहेगा जब तक हरिजनों की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जायेगी। इस सामाजिक अत्याचार को दूर करने के संबंध में प्रचार ज्यादा हो रहा है और काम कम हो रहा है । स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान चलाये जा रहे हैं और उसके द्वारा जो गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर हैं उनको उस सीमा से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी इसकी कोई विस्तृत रूपरेखा हमें मालूम नहीं हो पायी है। कोई ठोस रूपरेखा होनी चाहिए, केवल प्रचार के लिए ही काम नहीं होना चाहिए, उनको रोजगार और धन्धे देने चाहिए ताकि समाज में जो अन्याय उनके प्रति हो रहा है वह न हो ।

चौथी बात यह है कि अगर किसी जगह कोई हरिजन अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो उसकी वहां पर सुरक्षा नहीं हो पाती है । मैनपुरी में एक हरिजन एस0 पी0 था बुद्धि चन्द्र । उसकी खता यह थी कि उसने अपने कार्यकाल में थानाध्यक्षों में हरिजनों का कोटा पूरा कर लिया था । सवर्ण लोग उससे असंतुष्ट हो गये, लिहाजा उसका तबादला करके उसको होमगार्ड में कर दिया गया । इस तरह से नहीं होना चाहिए । दुर्भाग्य से उसी के कार्यकाल में कुछ ठाकुरों की वहां पर हत्या हो गयी। उसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि चूंकि वह हरिजन था इसलिए उसने ठाकुरों की हत्या करायी है । इसलिए शासन ने उसका तबादला कर दिया । मान्यवर, ऐसी कुछ योजना बनाइये, ऐसे कदम उठाइये जिनसे हरिजनों का भला हो तो उसमें हमारा सहयोग रहेगा, विरोध पक्ष का सहयोग उसमें सम्मिलित रहेगा ताकि उनको सुरक्षा मिल सके चाहे वह दिवली की घटना हो चाहे साढ़पुर की हो, चाहे बेलछी की हो, चाहे नारायणपुर की हो ऐसी घटनायें फिर से नहीं दोहराई जायेंगी इसमें हमारा सहयोग शामिल रहेगा और यहां परप्वाइंट स्कोर करने के लिए इस डिवेट को दूसरा मोड़ मत दीजिये ।

[समय 4 बज कर 51 मिनट]

*श्री हरदेव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, आज का विषय हरिजनों के बारे में और भारत बंद के बारे में रहा और उसमें बहुत कुछ सुनने को मिला । हरिजनों के विनाश के लिए यहां पर चर्चा आई है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं माननीय पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से कि यह बहुत गम्भीर मामला है । हरिजनों का विनाश डकैतों द्वारा हो रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं । आखिर यह बात क्या है लगता है यह एक राजनीतिक षड़यंत्र है या फिर जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए और उनकी छवि को मिटाने के लिए ऐसे काण्ड किये गये हैं यह दो बातें मेरी समझ में आई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरदेव–]

मान्यवर, हरिजन समाज कमजोर वर्ग का है, वह निर्दोष है, मजदूर है, वह किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करता और न उसके पास कोई ऐसा सामान है, न कोई उसने पूंजी अर्जित की है जिस पर डाकुओं का हमला हो। जब से यह काण्ड हुआ मैं गहराई से इस पर विचार कर रहा हूं। जब हमारी प्रधान मंत्री यहां आई थीं, खुशियां इस बात की मनाई जा रही थी कि हरिजनों की रक्षा में, डकैतों के विनाश में यह सरकार सक्षम है तो उसी दिन ऐसी घटना की गयी तो इससे साबित होता है कि इसमें राजनीतिक षड़यंत्र है, इसमें असामाजिक राजनीतिक लोगों का हाथ है। हरिजनों की हत्या की गयी, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। तो यह दो प्रकार की बातें सामने आती हैं। माननीय विरोधी दल के सदस्य हरिजन, हरिजन और डकैत-डकैत चिल्लाते हैं और हरिजनों का विनाश कराते हैं। ऐसी प्रवृत्ति उचित नहीं है। हरिजनों का भला कब होगा या तो आप हल्ला कम करें आधा करें और इमानदारी से महसूस करें कि हमारी सरकार जो है वह उनके उत्थान के लिए मदद दे रही है और सहायता दे रही है वह पूरी तरह से उनको मिले। हरिजनों के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने स्पेशल कंपोनेंट प्लान चलाया है, जहां पर हरिजनों पर जुर्म हुए हैं सरकार मौके पर पहुंची है और हमेशा सरकार हरिजनों की सेवा में संलग्न है

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों का जो मुद्दा है वह राजनीतिक स्वार्थ-परता है और उसे स्वार्थपूर्ति में एक हरिजन नेता को बर्गलाकर ले गये। शासन का मद देकर माननीय जगजीवन राम को भी अलग कर दिया था। अब इनका दूसरा उद्देश्य यह होगा कि हरिजनों पर जुल्म ऐसे हों, जिससे उत्तर प्रदेश का शासन और प्रधान मंत्री बदनाम हों, जिससे हरिजनों की एक बहुत बड़ी तादात, बड़ी ताकत इनके साथ हो जाए। मुंह में राम बगल में छूरी-यही कहानी इनकी है। इसलिए मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं, मुझे जानकारी मिली है कि छविराम आदि डाका, पिछली जनता सरकार के जमाने में पाले पोसे गये हैं और आप बड़े हो गये हैं। आज उसके राजनैतिक हित और लगाव हो गये हैं, क्योंकि वह पश्चिम का है, पश्चिम में उनका कार्यक्षत्र है और नेता विरोधी दल भी पश्चिम के हैं, जो यहां बैठे हैं अगर इनकी सह पर ही आज यह बहुत ऊंचे और खतरनाक हो गये हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण हरिजनों की सुरक्षा के लिए ग्राम्य हरिजन पुलिस की व्यवस्था की जाए और यदि निर्दोष हरिजन मारे जाते हैं तो निर्दोष हरिजनों को जो सहायता मिलती है वह पुलिस के बराबर ही मिलनी चाहिए। और मारे गये हरिजन परिवारों को डाकुओं की सम्पत्ति लेकर उनको दी जानी चाहिए। इस ओर हमारी सरकार के बढ़ते हुए कदम निश्चित प्रोग्राम है, उनको सही मायने में कार्यान्वित किया जाए और उसमें मैं विरोधी दल का सहयोग चाहता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

रियासत साहब ने जो यह प्रस्ताव रखा है और माननीय भीखालाल जी ने जिसका बड़े ही स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है, मैं भी उन दोनों ही माननीय सदस्यों की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं, और खास तौर से मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि आज यह हरिजन उत्पीड़न का यह ऐसा गम्भीर विषय है कि जिस पर सत्तापक्ष और विरोध पक्ष के रूप में चिन्तन नहीं होना चाहिए। यह ठीक नहीं होगा कि यहां पर सत्ता पक्ष यह जोर देता रहे कि आजकल जो उत्पीड़न की घटनायें हो रही हैं वह विरोध पक्ष की सरकार के समय से बहुत कम हैं, उस समय बहुत ज्यादा थीं और दूसरा विरोधी पक्ष यह कहे कि हमारे शासन की अपेक्षा इस शासन में यह घटनायें अधिक हो रही हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि इस देश में और प्रदेश में कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसके माथे पर हरिजन उत्पीड़न के कलंक का टीका न लगा हो। [मैं कहना चाहता हूं कि हर पार्टी के शासन काल में प्रत्येक समय काश्मीर

से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गोहाटी तक हर प्रदेश में, हर वर्ष हरिजनों का उत्पीड़न हुआ है । यह दूसरी बात है कि जब आप उधर बैठें तो एक लम्बा चिट्ठा यहां रख दें कि आपके जमाने में यह ज्यादा हुई है और जब हम इधर बैठें तो एक लम्बा चिट्ठा रख दें कि आपके जमाने में यह घटनाएं ज्यादा हुई हैं ।

मैं इसके बहस में जाना नहीं चाहता हूं, आपकी लम्बी फेहरिस्त हो सकती है और कभी हमारी भी हो सकती है । लेकिन इस पर मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी खासकर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इसकी व्यवस्था कर सकें कि गांव-गांव व गली-गली के समाज के जिन लोगों के मन में दबे-पिसे समाज के प्रति कोई स्नेह नहीं है, उनको कृपा करके आप बता दें कि सन् 1931-32 में पूज्य बाबा अम्बेदकर साहब और गांधी जी में जो पूना पैक्ट हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी ? और उन्हें यह भी बता दें कि क्या वह वही परिस्थितियां फिर पैदा करना चाहते हैं ? इसी बात को लेकर इन्हीं के उत्पीड़न से द्रवित होकर अम्बेदकर साहब ने राउण्ड टेबुल कान्फ्रेन्स में कहा था कि इनकी धन, धरती व आसमान अलग कर दो । और उसी समय जिन्ना साहब भी मुसलमानों को लेकर यही बात कह रहे थे कि मुसलमानों के लिए एक धरती और एक आसमान अलग कर दिया था । और हमारे लिए जब सेपरेट इलेक्टोरेट घोषित किया तो महात्मा गांधी आमरण अनशन कर रहे थे तो पूज्य महात्मा गांधी के जीवन को बचाने के लिए डाक्टर अम्बेदकर ने सरेन्डर किया और एक पवित्र पूना पैक्ट ने जन्म लिया था । तो उस 1932 के पूना पैक्ट को दुहरा कर लोगों को उसकी याद दिला दीजिए । बेलछी, साढ़ूपुर, बिहुली और सारे कांड जो हुए हैं, जिनके बारे में माननीय गुलाब सेहरा जी ने कहा है मैं इतना जरूर चाहता हूं कि समाज के हर व्यक्ति को बता दीजिए कि 32 के उस वातावरण को दुबारा क्यों पैदा करना चाहते हैं । आज हरिजन नौजवान हरिजनों के उत्पीड़न के कारण कहेंगे कि खाने के लिए हमें 2 रोटियां नहीं चाहिए, हम भूखों मरने को तैयार हैं लेकिन सामाजिक विषमताओं के नाम पर जो चौराहों पर हमें जलील किया जा रहा है, गांवों में हमारे परिवार के सदस्यों को जो गाली दी जाती है, वह समाप्त हो।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आप बड़े ही संवेदनशील व्यक्ति हैं । आपके जमाने में उत्पीड़न की समस्या इतनी हुई । मैं जानता हूं कि आपके मन में उनके प्रति क्या भाव है । इसलिए आप से दुबारा कह रहा हूं कि आप अपनी एक कलम से आर्डर कर दीजिये कि जो सेंसिटिव प्लेसेज हैं, जहां पर हरिजनों का उत्पीड़न ज्यादा होता है, विषमता की खाई ज्यादा चौड़ी है, उस क्षेत्र में जहां पर जात-बिरादरी का बाहुल्य हो, वहां पर कम से कम थाना इंचार्ज उस बिरादरी का रखा जाय। उस क्षेत्र में कम से कम यदि माइनॉरिटी या हरिजनों की सामाजिक विषमता की खाई चौड़ी है तो हरिजन समाज के दरोगा को जिसकी रगों में दरोगा खून कम हो जो समाज की विषमताओं के नाम पर दूसरों के प्रति अन्याय न होने दें । हरिजनों के उत्पीड़न को कम कर सके, जिलाधिकारी और एस0 पी0 और यदि दोनों न हो सके तो कम से कम एक डी0 एस0 पी0 ऐसा रखा जाय जो हरिजनों के उत्पीड़न को कम कर सके और उसका सीधा सम्बन्ध यदि कोई सेल हो उससे अन्यथा आपसे हो और उसके प्रति आप विश्वास कीजिए, यह न हो कि उसकी बात की पुष्टि एस0 पी0 या डी0 एम0 करे ।

एक तो आप सामाजिक विषमता की खाई को कम करने का प्रयास करें, दूसरे आप मांस के टुकड़े को जो आप कुत्ते के सामने फेंक देते हो जिससे वह भौंकना बन्द कर देता है तो यह आरक्षण आदि जो आपने कर रखा है इसको बन्द कर दें लेकिन उनके पूर्व आप इस प्रदेश की धरती बांट दीजिए । सामाजिक व आर्थिक विषमता को

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट--]
भी आप कम कीजिए । मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को गरीबों और समाज के निर्बल लोगों में बांट सकता है, वह इसे भी बांट सकता है । वक्त आपको भी याद करेगा । वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है । चाहे जितनी ही कड़ी हो, चाहे जितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से, चट्टान को हटना पड़ा है ।

आप मुख्य मंत्री जी, एक साहित्यिक व्यक्ति हैं, आपका ध्यान गरीबों की ओर रहता है, इसलिए आपका ध्यान इन साहित्यिक पंक्तियों से आकर्षित कर रहा हूं कि

जोगन की, भोगन की, विकल वियोगन की,
जग में न जागती जमायतें रह जायेगी ।
कहत रत्नाकर न सूख के रहैं जो दिन,
तो यह दुःख-द्वन्द की न रातें रह जायेंगी ।
प्रेम नेम छांड़ ज्ञान छेम जौ बतावत हो,
अरे भीत ही नहीं तो क्या छातें रह जायेंगी ।
घातें रह जायेंगी, न कान्हू की कृपा तौं इती,
ऊधो बस कहिबे को बातें रह जायेंगी ।''

डाक्टर धर्मपाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया । मान्यवर, मैं उस आगरा डिवीजन का रहने वाला हूं जहां इस प्रकार की घटनायें अक्सर होती रहती हैं । आज इन्हें (विरोध पक्ष) चिन्ता हो रही है और यह प्रस्ताव लाये हैं । मान्यवर, जब वहां पर 10 आदमी मारे गये थे और एक महिला को उठा कर डाकू ले गये, एक घण्टे बाद छोड़ा । (व्यवधान) मैं वहां पर गया और मैंने जाकर पता लगाया । छोटे-छोटे बच्चों से उसका पता लगाया । वहां लोगों में एक भय व्याप्त था । मैंने पता लगाया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की अराजकता फैलाना चाहते हैं । जो हरिजन-हरिजन कह कर स्थिति को और बिगाड़ना चाहते हैं ? (व्यवधान) मैं एक निवेदन करूंगा कि यह लोग एक विशेष कौम जाटव को नष्ट करना चाहते हैं (व्यवधान) यह लोग हैं [* * *]

(शोर-व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

यह आपत्तिजनक है, इसे कार्यवाही से निकाला जाये ।

(शोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जहां लोक दल कहा है, यह अंश कार्यवाही का अंश नहीं होगा, निकाल दिया जायेगा ।

(शोर-व्यवधान)

डाक्टर धर्मपाल–

(शोर और व्यवधान के बीच माननीय सदस्य का कुछ भाषण सुनायी नहीं दिया ।)

एक ओर जहां लाखों लोग हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का स्वागत कर रहे थे, वहीं यह लोग, लोक दल के बड़े-बड़े नेता लोग जाटवों का नाश करना चाहते हैं . . . (शोर-व्यवधान)

मान्यवर, मैं साढ़ूपुर गया । मुझसे लोगों ने कहा कि वे सरकार से सहायता चाहते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि सरकार उनको काफी सहायता दे भी रही है । मैंने उनको वचन दिया कि सरकार उनको हर सम्भव सहायता देगी । वहां जिले के अधिकारियों ने वहां पर उन लोगों के खाने और कपड़े आदि की भी व्यवस्था की । कम्बल आदि भी बांटे लेकिन वहां पर कुछ लोग उनके कम्बल आदि छीनने का भी काम

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कर रहे थे । (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी की छत्रछाया में ऐसे लोगों को जरूर दण्ड मिलेगा । दूसरे दिन जब मैं वहां गया, माननीय मंत्री जी भी मौजूद थे, मैंने अपने वेतन से 800 रुपये उनकी सहायता हेतु दिये जिसको उन्होंने स्वीकार किया । माननीय सेहरा साहब ने उसे बंटवाया । क्या माननीय चौधरी साहब वहां गये ? (व्यवधान) हमारी सरकार ने हर तरह की सहायता दी है, बन्दूकों के लाइसेन्स भी दिये जा रहे हैं । उनकी सुरक्षा का हर प्रबन्ध किया है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह लोकदल इसी तरह की हरकतें करेगा, हमारे दिल से होली खेलेगा, तो यह सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी । (व्यवधान) यह बर्दाश्त के बाहर हो जायेगा ।

और जब मैं चुनाव लड़ रहा था, इनके दल के लोगों ने गोली चलवाई । मुझे दूसरे लोगों ने बचाया । इनके दल में कितने डाकू हैं, कितने चोर हैं, इसकी मान्यवर, जांच कराई जाय । सही मुलजिमानों का पता लगा कर कार्यवाही की जाय ताकि इस प्रकार का फिर अत्याचार न हो सके। मान्यवर, इसमें सही, ईमानदार अफसरों से जांच करा कर कार्यवाही की जाय ।

*श्री राम स्वरूप निम–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री, गुलाब सेहरा ने जनता सरकार की नीति और नियत के बारे में कहा, मैं इस सन्दर्भ में बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जमीन के झगड़े के बंटवारे का नारा किसने दिया ? हरिजनों का कर्जा माफ करने का नारा किसने दिया ? कभी किसी को जमीन मिली ?हरिजन जो साहूकारों से दो पैसा लेकर काम चलाता था, उसको आपने बन्द कर दिया जिससे आपस में वैमनस्यता आई । यही स्थिति धीरे-धीरे समाज के अन्दर बढ़ती रही और घर कर लिया । जनता सरकार ने इतना कत्लेआम कराया, यह कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए । आप हरिजन मंत्री हैं । आपने स्वयं स्वीकार किया है कि इस प्रदेश के अन्दर 95 करोड़ रुपया हरिजनों के भलाई के लिए दिया गया था और उसमें से केवल 9 करोड़ रुपया आप खर्च कर पाये । इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? यह लोकदल की और जनता पार्टी की नीति नहीं है। आप सस्ती लोकप्रियता कमाने के लिए नारेबाजी करते हैं । उधर जमींदारों को यह नारा दिया कि तुम्हारी जमीन सीलिंग में जायगी, लेकिन 5 फलदार पेड़ जिस जमीन में होंगे, तो उसे बाग मान लिया जायगा । पिछले साल रेवन्यू मिनिस्टर ने इस हाउस में यह घोषणा की थी कि जितनी भी जमीन पर कब्जा नहीं मिले हैं, उनको कब्जा दिलाये जायेंगे और जिन हरिजनों के मुकदमे हैं, उन्हें वापस ले लिया जायगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि कितने मुकदमे चलाये गये और कितने अवैध कब्जे वाले लोगों को सजायें दी गयीं और कितने वापस लिए गए ? मान्यवर, माननीय गुलाब सेहरा जब वह चेयरमैन, अनुसूचित जाति कमेटी के थे, मैं भी उसका सदस्य रहा हूं, मेरे पास उसके आंकड़े भी हैं, अभी तक क्लास (1) में 6 प्रतिशत, क्लास (3) में 9 प्रतिशत, क्लास (4) में 11 प्रतिशत कोटा पूरा हुआ है। ये हरिजनों की भलाई की बात करते हैं और नीति और नियत की बात करते हैं । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इनकी नियत बिलकुल साफ नहीं है, केवल प्रचार मात्र के लिए ये कहते हैं । चाहे मुख्य मंत्री जी, चाहे न्याय मंत्री जी, चाहे गृह मंत्री जी जाकर फोटो खिंचवा कर हमदर्दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम स्वरूप निम–]
जाहिर कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का परिवार का परिवार नष्ट हो गया है, उनको सड़क बनवाने से, उनको अहेतक सहायता देने से क्या मिलने वाला है ? माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 5-6 सौ लाइसेन्स हमारे शासन में पहले थे, अब 15-16 हजार लाइसेन्स हो गये हैं । जो लटूरी सिंह का लड़का है, कुंवर प्रसाद को, जो एकमात्र परिवार में बचा है, उसके लिए दोनों हाउस की जो कमेटी है अनुसूचित जाति की, उसने उनको लाइसेन्स देने को कहा था, लेकिन लाइसेन्स नहीं दिया गया । तो यह भी कभी मारा जायगा । डी0 एम0 और एस0 पी0 ने स्वीकार किया लेकिन लाइसेन्स नहीं दिया ।

मान्यवर, इसके अलावा एक बात जो अहम चीज है मैं कहना चाहता हूं कि साढ़ूपुर कांड से पहले और देवली कांड के बाद मैनपुरी जिले में ब्राह्मणों और ठाकूरों की एक सभा होती है उसके अन्दर एक पैम्पलेट छपता है कि अगर हरिजनों ने सर उठाया तो न जाने कितनी जानें जायेंगी और न जाने कितने देवली कांड होंगे । इस चीज को कमेटी के सामने डी0 एम0 और एस0 पी0 ने माना है कि इस प्रकार पैम्पलेट छपा है मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्यों कान में तेल डाले बैठी रही । साढ़ूपुर कांड हुआ उसके एक दिन पहले 29 तारीख को सलेमपुर जो 5 किलोमीटर दूर है वहां पर 2 आदमियों को गोली मारी गयी वहां पर पुलिस राउन्ड लगा रही थी पी0ए0सी0 पड़ी हुई है । 30 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी जब बेगम हजरत महल पार्क में चीख रही थीं उसी शाम को वहां लोगों को गोलियों से भूना जा रहा था । मैं जानना चाहता हूं कि नियत इसकी ठीक नहीं है उसमें राजाओं की बू आ रही है जिस तरह से राजा-महाराजा पहले लोगों को कटवाया करते थे उसी तरह से आज यह सरकार जिसके मुखिया राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, कटवा रहे हैं । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जाति विशेष के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ? मैं इस सन्दर्भ में कुछ कहना चाहूंगा । मेरा अनुरोध है मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि क्या कारण है कि जितने जाटव आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अधिकारी हैं उनको आप सेक्रेटेरियेट में इकट्ठा कर रखे हैं । उनमें से जिलों में कितने लोग हैं । मैंने पिछली बार भी बजट के चर्चा के समय कहा था कि हर जिले में ए0 डी0 एम0 या डी0 एम0 हरिजन जाति का नहीं होगा तो हरिजनों की रक्षा नहीं हो सकती है । इसी तरह से जब देवली कांड हुआ तो हरिजन दरोगा वहां पोस्ट कर दिया गया, साढ़ूपुर कांड हुआ तो जाटव दरोगा शिकोहाबाद में पोस्ट कर दिया गया ।

मैं कहना चाहता हूं कि इन अधिकारयों और कर्मचारियों को आप क्षेत्रों में कर दें तो जो यह हरिजन उत्पीड़न हो रहा है इसमें आधी कमी हो जायेगी। माननीय मंत्री जी कमेटी के चेयरमैन थे और कहा था कि डी0 एम0 और एस0 पी0 को निलंबित किया जाय यह काम के लायक नहीं हैं लेकिन दुख है कि आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । आज कहते हैं कि हमारी नीति और नीयत अच्छी है । आज कहते हैं हम हरिजनों के हितैषी हैं, मेरा खुला आरोप है कि इनकी नीयत और नीति ठीक नहीं है, मुख में राम बगल में छुरी, इनकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है । यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । ऐसी स्थिति में हरिजनों का सुधार नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–
मैं देख रहा हूं कि इस पर अधिक से अधिक लोग बोलना चाहते हैं । मेरा कहना है कि एक के बाद एक को मैं बुलवा सकता हूं । एक इधर से बोले तो एक उधर से । मैं थोड़ा समय बढ़ा दूंगा आप अपनी बात कह देंगे ।

श्री फखरे आलम–
मेरी पार्टी को समय नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष–

आपको समय दूंगा ।

श्री बिहारी लाल–

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । अभी दिवली कांड और साढ़ूपुर कांड के बारे में हमारे विपक्ष के साथियों ने बड़े जोर से भाषण दिया और छाती ठोंक कर भाषण दिया । श्रीमन्, जब जनता पार्टी की सरकार थी तो आपने वह बीज बोया था जहां से हरिजनों का शोषण और हरिजनों की हत्यायें शुरू हुई थीं । हमारे मोहन सिंह जी विपक्ष के सदस्य हैं, मान्यवर, मैंने इसी सदन में एक पुस्तक पेश की थी उस पुस्तक का नाम था "कुमायूं का इतिहास" उस पुस्तक का विमोचन किया था भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव जी ने । उसमें लिखा था कि हरिजन वर्ग कभी भी राजपद के योग्य नहीं होते थे । जबकि हरिजन मंत्री सेन्ट्रल में और इस प्रदेश में और अन्य प्रांतों में हैं । इस बात को माननीय मोहन सिंह महसूस कर रहे होंगे ।

मान्यवर, जब मैं नैनीताल में अस्पताल में था तो उस वक्त मैंने प्रादेशिक समाचार में सुना कि मोहन सिंह जी और भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश जी दवेली और साढ़ूपुर में गये तो मैं निश्चित रूप से समझ गया कि अब इसके बाद दूसरा कांड शुरू होने वाला है। और निश्चित रूप से दूसरा काण्ड शुरू हुआ । मैंने देखा कि इसी संबंध में आज बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं । घड़ियाली आंसू की बात तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन पहाड़ों में एक चीज होती है जिसे जड़ियाल कहते हैं । इसको मैदानी क्षेत्र में झांक कहते हैं । यह जब फंस जाता है तो ऐसा रोता और बड़े जोर से बिलबिलाता है, उसी तरह से इस पक्ष के लोग हरिजनों का नाम लेकर दुहाई दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी तन मन और धन से हरिजनों की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इन डकैतों को नहीं पकड़ा गया और नहीं मारा गया तो अपने पद से त्याग-पत्र दे दूंगा । मान्यवर, सारे डकैत मारे गये और पकड़े गये । मैं इन डकैतों से पूंछना चाहता हूं, साजिश करके जो गरीब हरिजनों की हत्या कर रहे हैं, यह राजनीतिक डकैत, इसमें सभी पक्ष के राजनीतिक डकैत शामिल हैं । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सदन में मैंने कुमायूं का इतिहास नाम की पुस्तक को पेश किया है और एक पुस्तक श्री मोहन सिंह जी को दी है । उसमें निश्चित रूप से यह लिखा गया है । यह गलत लिखा गया है और गलत विमोचन किया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह तथ्य सही न निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । मोहन सिंह को चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

इन शब्दों के साथ विपक्ष के लोगों ने जो बातें कही हैं उनकी जांच होनी चाहिए ।

*श्री फखरे आलम–

मान्यवर, मैं माननीय रियासत हुसैन साहब के प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं किसी के ऊपर इलजाम लगाऊं मैं यह नहीं कहूंगा कि इनके जमाने में ज्यादती हुई है या उनके जमाने में ज्यादती हुई है । इधर यह हो रहा है कि बात का इल्जाम इनको देते थे लेकिन कुसूर उनका निकल आया । मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं आपको सुझाव ही दे सकता हूं कोई इल्जाम कैसे लगाऊं ? आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं यह आप खुद हमसे ज्यादा जानते हैं । लेकिन आप लोगों की जो बातें सुनीं, खासकर गुलाब सेहरा साहब की बातों में बहुत गौर से सुन रहा था कि आप शायद कोई कांस्ट्रक्टिव बात कहेंगे, लेकिन आपने अपना सारा वक्त इल्जामात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फखरे आलम–]

में ही लगा दिया कि जनता पार्टी ने क्या किया और हमने क्या किया । इन इल्जाम तराशियों से यह परमानेन्ट समस्या जो हमारे मुल्क में बनी हुई है, उसका हल नहीं निकल सकता है । यह हरिजन जातियां हिन्दुस्तान की पूरी आबादी में से 65 फीसदी की आबादी है अगर आपने इसको खुश नहीं रखा इसकी सुरक्षा के इन्तजामात नहीं मुकम्मल किये तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो गलती आज से 33 साल पहले हुई थी यहां पर वही गलती फिर न दोहराई जाये और इतिहास फिर न दोहराया जाये । इस लिए इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी से खासतौर पर कहना चाहता हूं कि इस ओर कोई कांस्ट्रक्टिव कदम उठायें, इल्जामात की भीड़ में अपनी जिम्मेदारियों को न भूलें । अगर मेरा कहना गलत न समझा जाये तो मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान के अगर इन हरिजनों और मुसलमानों को अपने से इनको दूर आप रखेंगे, उनकी समस्याओं पर बारीकी से नहीं सोचेंगे तो एक दिन आने वाला है कि आप भी दूर हो जायेंगे क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की एक रीढ़ की हड्डी है और अगर शरीर में रीड़ की हड्डी न रहे तो शरीर ही रह नहीं सकता है । इसलिए यह दो जातियां भी आपके इस शासन की रीड़ की हड्डियां हैं । इनसे मिलकर आपको चलना ही पड़ेगा और सेंसेटिव होना ही पड़ेगा । इसलिए यह गलती भूलकर भी मत करियेगा और इस ओर मेरा दूसरा सुझाव यह होगा कि इस उत्तर प्रदेश का होम मिनिस्टर कश्मीर की घाटियों और वादियों से न लाइये, बल्कि हरिजन की किसी झोपड़ी से लाइये, जैसे हमारे गुलाब सेहरा जी हैं, कुरील साहब हैं बाबू मुन्शी लाल जी हैं और अगर इनमें से न हो सके तो हमारे गौरी शंकर भाई इधर हैं । इनको ही यहां का होम मिनिस्टर बना दीजिए, मगर घाटिए कश्मीर का न बनाइए, वह यहां की बारीकियों को समझ नहीं सकते और आपने होम सेक्रेटरी भी कश्मीर का बना दिया है, जिसकी वजह से यह सारी बातें इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है । वह इनके समझ से बाहर की बातें हैं । (शोर)

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

क्या कश्मीर होम में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया विराजें । समय समाप्त हो गया है । कृपया विराजें ।

श्री फखरे आलम–

सिर्फ एक मिनट दे दीजिए एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा ।

"तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि यह काफिला क्यों लूटा
मुझे राहजन से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है ।"

श्री कैलाश चन्द यादव (एडवोकेट)–

मान्यवर, आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस प्रस्ताव के रखने वाले रियासत हुसैन साहब की चर्चा करूंगा कि उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने बड़ी नेकनियती से यह प्रस्ताव रखा है। मैं जानता हूं कि यह प्रस्ताव नेकनियती से नहीं रियासत साहब ने सियासत के लिये रखा है । रियासत साहब एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह के रहने वाले हैं। बड़े अफसोस की बात है कि रियासत साहब जैसे पुराने और संजीदा आदमी ने उक्त प्रस्ताव हरिजनों की सुरक्षा के लिये पेश किया लेकिन कोई योजना नहीं रखी। इसके अलावा वरिष्ठ सदस्य माननीय भीखालाल जी ने भी कहा कि कोई योजना अपनायी जाय राजनीति और सियासत की बात न की जाय, सुरक्षा की योजनाएं डिस्कस की जायं। माननीय भीखालाल जी ने साधारण दो बातें कहीं। मैं बताऊंगा जहां तक कांग्रेस (आई) का सवाल है, सत्ता दल का सवाल है, 24 सूत्री कार्यक्रम का सवाल है, वहां हरिजनों

के लिये एक निश्चित कार्यक्रम बना हुआ है। उसके अलावा अगर आपकी कोई योजना है तो उसे प्रस्तुत करें, जो कि आप 3 साल में नहीं दे पाये, अब अगर कोई विस्तृत योजना है, सुरक्षा की तो दें। सरकार का काम है वीकर सेक्शन्स की हरिजनों की सुरक्षा करना और वह कर रही है। जहां तक मोटी-मोटी बातें हैं हरिजनों की सुरक्षा के लिये तो जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सवा लाखी गांव में हर आदमी के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता जहां तक प्रिकाशन्स ले सकते हैं, लिये जाते हैं।

जहां तक साढ़ूपुर दिवली के काण्ड हैं, हालांकि काण्ड तो 2-4 और भी हो गये हैं लेकिन क्योंकि उनका जिक्र करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था, छीछालेदर नहीं कर सकते थे, इसलिये उनकी चर्चा नहीं की गयी । रियासत साहब जहां के रहने वाले हैं, मैं उनके पास का रहने वाला हूं और मुझे मालूम है कि समाचार-पत्र उनको यूं बताया करते हैं और कुछ लोग यूं बताया करते हैं। उन दोनों जगह मैं भी गया हूं। दिवली में दो लोगों की आपसी रंजिश का यह नतीजा हो गया। उनकी मंशा थी कि 2-4 लोगों को मारकर प्रतिशोध ले लें लेकिन जब आदमी के सिर पर खून सवार हो जाता है, तो क्या कहा जाय। रही साढ़ूपुर की बात तो इसमें एक राजनीतिक षड़यन्त्र सुनियोजित है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसी लीडर अपोजीशन ने जांच की मांग की है, मैं भी शासन से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खुली जांच करा दें क्योंकि दिवली काण्ड की बात तो समझ में आती है लेकिन साढ़ूपुर की किसी की समझ में नहीं आती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ बात कही और उसे पूरा किया। इन्दिरा जी भाषण कर रही थीं, वह बात सामने आयी। ऐसा नहीं है कि डकैत पढ़े-लिखे न हों, कई ऐसे डकैतों के गिरोह हैं जो कि काफी पढ़े लिखे हैं। पुलिस भी एक्टिव है, प्रशासन भी एक्टिव है। दिवली और साढ़ूपुर काण्ड हरिजनों का नहीं है, उन्हें डकैतों ने मारा है। आप जानते हैं कि डकैतों की लम्बी समस्या है, पुरानी हिस्ट्री है । आप देखें कि शाहजहांपुर, एटा, मैनपुरी और बटेश्वर, चम्बल, कालपी की ओर तक ऐसा एरिया है जो कि ऊबड़-खाबड पूरी तरह बंजर है। एटा जिले में 34 प्रतिशत एग्रीकल्चर एरिया है तो 62 परसेन्ट बंजर है। जहां तक कि बदमाशों की समस्या है, डाकूओं की समस्या है इसके पीछे आर्थिक प्वाइन्ट हैं, सामाजिक प्वाइन्ट हैं, प्रतिशोध लेने के लिये कोई न कोई प्वाइन्ट हो जाता है। तो मान्यवर, वहां पर एक बेल्ट है जिसमें ऊबड़-खाबड़ जमीन है जिसमें सहारा के लिये बटेश्वर की घाटियां हैं और इन घाटियों में डकैतों का छिपना बहुत आसान है, उन्हें ढूंढ पाना कठिन है इसलिए उनसे निपटना आसान नहीं है। आप यह न समझें कि उनसे निपटने के लिए प्रयास नहीं किया गया या किया जा रहा है। कई बार पिछले शासनों ने प्रयास किया है उस समस्या को हल करने के लिये।

अब सवाल यह है कि उस समस्या को बजाय सियासती रुख देने के समस्या क्या है, कब यह समस्या पैदा हुई, इसके पैदा होने के क्या कारण है, इन सब बातों को गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिए न कि हल्के फुल्के तरीके से पूछने के बाद यहां बोल कर परम्परावादी बन कर यहां से चले जायं। यहां पर कहने के बाद उठ कर चले जायं, यह बात कुछ समझ में नहीं आती।

दिवली और साढ़ूपुर में घटनायें घटी जिसमें एक सामान्य घटना थी और दूसरी घटना के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। हरिजनों की सुरक्षा की बात उसी घटना को लेकर की जा रही है। यदि माननीय रियासत साहब के पास अपनी कोई स्कीम हो हरिजनों को सुरक्षा दिलाने के लिये तो उसे पेश कर दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री थम्मन सिंह गहलौत–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन जी ने जो एक संकल्प रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। मैं नहीं समझता हूं कि उसके विरोध करने का इसके अतिरिक्त यह कोई आधार हो सकता है कि सत्तापक्ष या तो यह समझती हो कि कोई अच्छी बात विरोधी दल की ओर से आयी है तो उसको स्वीकार न करें। जो घटनाएं हुई हैं उस पर ज्यादा कुछ कहना जरूरी नहीं है उसके सम्बन्ध में। यह सत्य है कि घटना हुई हैं, हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं और वह नहीं होने चाहिए थे, इससे भी हम सब लोग सहमत हैं। किसी भी सदस्य में यह साहस नहीं है कि वह कह सके कि नहीं इस प्रकार की घटनाएं होनी चाहिए थीं। जब हम मानते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं हरिजनों के साथ हुई हैं तो वह क्यों हो रही हैं इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूं कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो संकल्प आज दिया है, इससे पहले ही शासक दल की ओर से ऐसा कोई सुझाव आना चाहिए था कि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए वह क्या कर रहे हैं, हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये वह क्या कदम उठा रहे हैं जिससे कि इस प्रकार की घटनायें फिर दोहरायी न जायं।

प्रजातंत्र में केवल डंडे के बल पर समस्याओं का हल नहीं किया जा सकता है। इसकी जड़ बहुत गहरी हैं। मैं माननीय भीखा लाल जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि यह हमारी व्यवस्था का दोष है जो कि पिछले 10–12 सौ साल से इस देश में सामाजिक, आर्थिक तौर से अपनी जड़ मजबूत किए हुए है। जाहिर है कि उसकी परिणति इस तरह से होनी थी, वह हुई। हमारे देश ने उन्हें हरिजन कह कर, अछूत कह कर अछूत भाइयों को सम्मान का स्थान नहीं दिया, उन्हें तिरस्कृत रखा गया, उन्हें अछूत की संज्ञा दी गयी। इसीलिये वे आज आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ते रहे। जब वे आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं तो फिर उनकी यह परिणति तो होनी ही थी। जब आदमी आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जाता है तो उसके सोचने का ढंग बदल जाता है। हमारे हरिजन भाई गरीब हैं, इसलिये उन पर अत्याचार करना आसान है।

इसके लिये हमें चाहिये कि हम सामाजिक ढांचे में सामाजिक स्थिति में परिवर्तन करें। हम इस प्रकार का एक वातावरण उत्पन्न करें, इसके लिये लम्बे प्रचार की आवश्यकता है, एक-दो दिन में यह बात नहीं होने वाली है कि जिन्हें हम हरिजन समझते हैं या कहते हैं उनको हम यह समझें कि ये हमारे ही भाई हैं। उन पर किसी प्रकार की नीची भावना या अछूत समझने की भावना को हम न रखें, हम उसको छोड़ दें। पर इसके लिये जैसा हमने कहा प्रचार और लम्बे अर्से तक प्रचार की आवश्यकता पड़ेगी। आर्यसमाज की स्थापना के बाद पिछली स्थिति में कुछ अन्तर आया है लेकिन जितनी तेजी से आना चाहिए उतनी तेजी से नहीं आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 35 साल बाद भी यह स्थिति वर्तमान है यह हमारे लिए लज्जा की बात है। पुलिस से भी यह सीधा सम्बन्ध रखता है। कानून और जो हमारी मशीनरी है उससे भी सीधा सम्बन्ध रखता है। चाहे किसी क्षेत्र में हो। पुलिस के काम के सम्बन्ध में देखें तो हम अनुभव करेंगे कि लापरवाही, पैसा कमाना ही पुलिस का मुख्य उद्देश्य रह गया है। पुलिस के लोग कहीं भी जायें आप देखेंगे बहुसंख्यक पुलिस जन शराब के नशे में डूबे मिलेंगे। तो पुलिस का जब तक हम प्रशिक्षण नहीं बदलेंगे तब तक हम आशा नहीं कर सकते कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस की संख्या बढ़ा दें तो सुधार हो सकता है। शायद पुलिस प्रशिक्षण में ही कहीं गलती है। सिपाहियों का तो शायद कहीं प्रशिक्षण होता ही नहीं, भरती किया और भेज दिया।

जब हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं, हत्यायें हुई हों तो जिम्मेदारी के पद पर किसी हरिजन अधिकारी को भेज दें तो शायद हत्या करने वालों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, डर होगा। इसलिये हरिजन अधिकारी भेजने चाहिए। मेरे बड़े भाई, फखरे आलम साहब ने कहा कि हरिजन को गृह मंत्री बनायें । यह तो शायद कांग्रेस सरकार करेगी नहीं तो अगर कैबिनेट रैंक नहीं देना चाहते तो कम से कम राज्य मंत्री ही बना दें। कुछ तो उन पर विश्वास बढ़ेगा। मैं फिर अपनी बात दोहराकर समाप्त करना चाहता हूं कि इस सदन की सर्वदलीय समिति बनायी जाये, मुख्य मंत्री सब दलों के नेताओं को इकट्ठा करें, सुझाव लें कि क्या हो सकता है, अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो कोई निर्णय आये और एक रास्ता निकाले ताकि जो कलंकित घटना हुई वह रोकी जा सके।

श्री अध्यक्ष–

दो घण्टे की चर्चा थी, 3 बजकर 40 मिनट पर शुरू हुई और 5 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं इसलिए चर्चा का समय समाप्त हो रहा है। अभी मंत्री जी, नेता सदन और प्रस्तावक महोदय को भी बोलना है और एक सदस्य इधर से और एक सदस्य उधर से कई बार खड़े हो चुके हैं। और कई बार खड़े होने से मुझे लगता है कि उनको न बुलाना उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए अगर सदन अनुमति दे तो इसका समय थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाये?

(समय बढ़ा दिए जाने की आवाजें)

श्री अध्यक्ष–

सदन की अनुमति है इसलिए आधा घण्टे का समय और बढ़ाये देता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज हरिजनों की सुरक्षा के विषय पर बोलने के लिये जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आप का आभारी हूं। कुछ कहने के पहले मैं अपने माननीय सदस्य श्री गौरी शंकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी की ईमानदारी, नीयत और जो कार्यक्रम बना कर हरिजनों का कल्याण करना चाहते हैं, उन पर हो रहे जोर जुल्म, अत्याचारों को समाप्त करना चाहते हैं, उनसे सन्तुष्ट हैं और सहमत हैं। तो मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम उनका स्वागत करेंगे और जल्द ही वह इधर आ जायेंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत चर्चा हो रही है । बार-बार लगातार हरिजनों का मामला सामने आता है और कभी-कभी अल्पसंख्यक का भी मसला आता है। पूरे हिन्दुस्तान भर में और इस प्रदेश भर में हरिजनों की आबादी करीब-करीब पांचवां हिस्सा है तो इनका मत भी बहुत अधिक है और इसी तरह से मुसलमान भाइयों का भी मत है जो कि अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। दूसरे लोग बराबर यह साजिश करते रहे कि यह कांग्रेस का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जायें। एक स्थिति ऐसी बनी जिस समय एक शासन बन गया जनता पार्टी का जो प्रदेश और देश में बना। उस समय भी ऐसी घटनायें होती रहीं और इस समय भी छुटपुट घटनायें हो जा रही हैं। इस सिलसिले में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह जो घटनायें घट रही हैं, न माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि इस तरह की घटनायें घटें और न ही कोई और लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनायें घटें क्योंकि कोई कमजोर और गरीब का कत्लेआम करे और उसका अगर कोई समर्थन करे तो वह उस गरीब और कमजोर वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन है लेकिन कुछ सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनायें होने लगी है। आर्थिक मामलों में इनके पिछड़ेपन को देखते हुए हमारी नेता श्रीमती

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री]–
इन्दिरा गांधी जी ने एक बड़ा मजबूत कदम उठाया था। जितने भी देश के आज तक नेता हुए किसी ने समाज के अन्य लोगों से इन लोगों के पीछे दुश्मनी लेने के लिये तैयार नहीं किया अपने को लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इनको जमीन देने के लिये इनको कब्जा दिलाने के लिये मजबूती से कदम उठाया। उनकी मजदूरी बढ़ा दी और यह कहा गया कि जहां कहीं भी किसी पर जुल्म की बात हो तो पहले इनकी रिपोर्ट लिखी जाय और तत्काल जांच हो और कार्यवाही की जाय।

इस तरह का कदम अगर किसी ने उठाया तो केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उठाया। ग्रामीण कर्जा और बंधुआ मजदूर की प्रथा को समाप्त करने के लिये अगर किसी ने कदम उठाया तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने ही उठाया लेकिन जिस दिन श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने यह कर्जा माफ कर दिया तो वह चाहे कोई भी हो वह नाराज हुआ। अगर किसी ने इनका कल्याण करना चाहा तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने किया। सवाल यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसी घटनायें घट जा रही हैं तो उसके लिये किया क्या जाय तो इस सिलसिले में जो भी सरकार की ओर से मजबूत कदम उठाये जाने चाहिए वह हमारे मुख्य मंत्री जी उठा रहे हैं और उसके लिये अपने को उन्होंने दांव पर चढ़ा दिया और फिर उसके साथ ही साढ़ूपूर की यह घटना घट गई जिसको चर्चा का विषय बना दिया गया। मैं तो यह कहता हूं कि निश्चित रूप से इसमें कोई साजिश जरूर है। अब यह कैसे कहा जाय कि यह साजिश किसकी है अथवा कमजोर और गरीब हरिजनों का कत्ल करने वाला कौन है? इसके लिये उनका पता लगाया जाय और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाय और सरकार की तरफ से इस तरह की योजना बनाई जाय कि इस तरह का जुल्म न हो।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

हरिजन मिनिस्टर पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाय तो वे बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त। आप कृपा कर बैठ जांय।

*श्री रामधनी–

अध्यक्ष जी, साढ़ूपुर और दिवली कांड पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए आपने जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। अभी हमारे लायक दोस्त श्रीमती इंदिरा गांधी की दुहाई दे रहे थे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में ही हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में गाजीपुर जिले का शेरपुर काण्ड हुआ जहां कम से कम हरिजनों के 400 घर फूंक दिये गये वैसी घटना केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर की दुनियां के इतिहास में पहली बार हुई जहां सामूहिक रूप से हरिजनों का नर संहार किया गया और अब यह दूसरी घटना साढ़ूपुर और दिवली की हुई है। यह सारा कांड श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ है। साढ़ूपुर कांड के बाद मुख्य मंत्री जी का बयान आया कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की दूसरी घटना हुई तो मैं तुरन्त त्याग पत्र दे दूंगा। उसके बयान देने के बाद ही यह दनरी घटना दिवली काण्ड की हो गई। साढ़ूपुर कांड ठीक एक दिन पहले उस दिन हुआ जब माननीय मुख्य मंत्री लखनऊ में बयान दे रहे थे कि हमारे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है बहुत ही अच्छी है। ठीक उसी रात को साढ़ूपुर में यह काण्ड हुआ था। इस काण्ड के बाद तुरन्त ही मुख्य मंत्री को अपने पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वचन के अनुसार त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपना त्यागपत्र नहीं दिया। इससे बढ़ कर कोई दूसरी शर्म की बात नहीं हो सकती । साढ़ूपुर कांड में 6 से 11 वर्ष तक के हरिजन बच्चों को मार डाला गया । जो निर्बल औरतें थीं उनको गोली से फूंक दिया गया । मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इस समय मुख्य मंत्री जी ने दो तरह के [* * * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य असंसदीय शब्दों का प्रयोग न करें। अभी जो आपने बात कही है वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री राम धनी–

कुछ पालतू लोगों को पाल रखा है जो निर्बल हरिजनों को इन्काउण्टर के नाम पर गोली से भुनवा देते हैं और दूसरी तरफ ये पालतू लोग हरिजनों के हमदर्द भी बनते हैं। केवल साढ़ूपुर एवं देवली कांड ही नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद ही आगरा में एक और कांड हुआ जहां हरिजनों को गोलियों से भून दिया गया है। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जिस तरह से बिहार के मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर ने गरीब हरिजनों की रक्षा के लिए हर गांव में पांच-पांच आदमियों को ट्रेनिंग देकर बन्दूक व हथियारों के लाइसेंस दे दिए थे उसी तरह से यहां भी कम से कम उत्तर प्रदेश के हर गांव में कम से कम 5 आदमियों को ट्रेनिंग देकर हथियार दे दिए जायं तो इस तरह के कांड नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खतम करता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी साढ़ूपुर और दिवली कांड पर चर्चा चल रही थी। उससे मुझे ऐसा लगा कि घर में जब कोई मौत होती है, घर में लाश एक ओर पड़ी रहती है, वारिश होने वालों की होड़ लग जाती है। हम लोगों के घर में मातम है। मौत आई है। जो हमदर्दी दिखाई गयी है दिल को तसल्ली होती है। वारिश कोई भी बने लेकिन कम से कम मातम करने वालों का काफिला तो बढ़ा। लेकिन डर तब लगता है कि टिकठी को कन्धा देने में और उसी होड़ में कहीं लाश ही न गिर जाय । मान्यवर, दिवली का वह दर्दनाक काण्ड देखने का मौका मिला और वह दरवाजा भी देखने को मिला जिसमें अपनी जान की रक्षा के लिए अंतिम प्रयास किया गया। कुन्डी में करछुल लगा करके प्रयास किया गया था उस दरवाजे को भी खोल कर प्राण की हत्या हुई। और साढ़ूपुर में उस कढ़ाई पर अधपकी सब्जी भी देखने को मिली, एक ओर भोजन के लिए अग्नि प्रज्ज्वलित की गयी थी। वह आंगन भी देखने को मिला जहां पर कभी बच्चे लोटते रहे होंगे। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी गंभीर समस्या में, हम राजनीतिक नीलामी की बोली नहीं बोल सकते। हमको और गहराई में जाना होगा। यह नारे की बात नहीं है। वह बात दूसरी है कि अगर हमारा मकसद दूसरा हो तो जैसे ही नारा लगाया जाय कि देश का नेता कौन तब तक तो दिवली से बड़ी दिलचस्पी और जैसे ही देश के नेता का फैसला हो गया वैसी ही देश के नेता वहां से चले गये। दिवली का नहीं, फैसला हो रहा था देश के नेतृत्व का। तो आज इतनी गम्भीर परिस्थिति हम लोगों के सामने आई है तो हम लोगों को कुछ चिन्तन करना होगा । जब दिवली की घटना हुई थी मैंने महसूस किया था और कहा था कि इस पद पर एक माह के अन्दर अगर संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता तो नहीं रहूंगा । हम लोग यहां पर है* तो किन्हीं लक्ष्यों के लिये, किन्हीं मुद्दों के लिए । वे लक्ष्य अगर पूर्ण नहीं होते हैं तो यहां पर हम लोगों का रहने का कोई औचित्य नहीं है ।

यह मैं जानता था कि एक महीने में डकैती की समस्या का उन्मूलन नहीं हो सकता लेकिन चुनौती जरूर शासन को थी। जब विपक्ष कहता है कि चुनौती शासन के सामने थी

नोट :–[* * * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार व्वर्यवाही से निकव्ल दिया गया।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–]

तो इसको स्वीकार करता हूं । चुनौती थी और उस चुनौती का मतलब था कि क्या हम अपनी सारी शक्ति से इस समस्या से जूझने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं, कुछ कारगुजारी करने की ताकत रखते हैं कि नहीं, यह एक आजमायश थी। दिवली कांड के अपराधियों में चार को मौत के घाट उतार दिया गया, संतोषा और राधे पकड़े जा सके, और भी गिरफ्तारियां की जा सकी और साथ ही साथ इस बीच में प्रभावी ढंग से डकैतों को दबाया जा सके। तो एक महीने के अन्दर पूरे डकैतों को खत्म करने की बात नहीं थी बल्कि यह एक चुनौती थी जो आपने हमें दी थी, वह मेरे मन में भी थी। हम लोग आज हरिजन और निर्बल वर्ग की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

आखिर राजनीति का क्या लक्ष्य है। हम लोग उसी पूरी प्रक्रिया में हैं। कुछ सामाजिक लक्ष्यों को लेकर और मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्य इन लक्ष्यों को राजनीति से ऊपर समझते हैं। आज वह हमारे लिये एक चुनौती हो गयी। उसी विनम्र भाव से मैंने कहा था कि प्रक्रिया में, हालांकि मैं दावा नहीं करता कि उनका उन्मूलन हो गया, विश्वास पैदा हो गया कि हम उस समस्या के साथ जूझ सकते हैं और केवल आंसू बहाकर निर्बल वर्ग का हम उद्धार नहीं कर सकते। अगर निर्बल वर्ग का उद्धार करना है तो संघर्ष से करना होगा। संघर्ष और साहस के साथ हम इस वर्ग के साथ खड़े होकर कर सकते हैं और उसी का संकल्प लेकर हम लोग पुनः दृढ़ता के साथ संघर्ष करने के लिये तैयार हैं । मान्यवर, चाहे वह दिवली काण्ड हो या साढ़ूपुर काण्ड हो जो भी अपराधिक तत्व होंगे, हरिजनों अथवा किसी भी वर्ग की सुरक्षा का सवाल हो चाहे वह किसी दल विशेष से सम्बद्ध हो, यह समस्या उससे ऊपर है और उससे ऊपर होकर ही सरकार उसके संबंध में काम करेगी, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भीखालाल जी ने भी कहा, माननीय फखरे आलम जी ने भी कहा कि हरिजन और माइनोरिटी, मुस्लिम अक्लियत के भाई राजनीति की रीढ़ हैं, कांग्रेस की रीढ़ हैं . . . .

श्री फखरे आलम–

मैंने कहा था कि वह मुल्क और कौम की रीढ़ हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

मैंने सुधार लिया, मुल्क की रीढ़ है। यह जरूर है कि हमें सोचना पड़ता है। साढ़ूपुर कांड में कोई लूट नहीं हुई, कोई लालच का भाव दिखाई नहीं पड़ा । पूरे गांव से पूछने के बाद जिन परिवार के लोगों की हत्यायें हुई वे भी कोई दुश्मनी नहीं बताते जब कि ऐसे मौकों पर कोई दुश्मन बता दिया जाता है।

मान्यवर, कोई बलात्कार या उससे प्रेरित कोई घटना नहीं मालूम होती, तो आखिरकार 10 बेगुनाह जानें क्यों गईं। वहीं शंका होती है मान्यवर, दिल में कि परिवार में जहर से कोई मरता है तो यह ख्याल होता है कि मरने वाले से किसको लाभ हो सकता है। यह बात सत्य है कि हमारे अक्लियत के भाइयों ने सन् 80 के चुनाव में, इस सभा के चुनाव में और फिर जून के चुनाव में तथा सन् 81 के चुनाव में एक बहुत बड़ा समर्थन कांग्रेस को दिया। मान्यवर, एक आशा और सामंजस्य की भावना कांग्रेस और इन वर्गों में बनी थी। आज इस सामंजस्य और मैत्री की भावना की लाश पड़ी हुई है तो हम तो गमगीन हैं लेकिन पता नहीं किन के दिलों में खुशी हो।

मान्यवर, सवाल यह है कि मौत पर तो वही रोयें जिन्होंने जिंदगी दुश्वार कर दिया घर-घर। हरिजनों के घर वही लोग जाने को तैयार हुए । सवाल यह नहीं है कि मरने पर क्या हुआ सवाल यह है कि जिंदगी में क्या किया। जिनके घर आज मौत पर गये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहें, जब तक बैठेंगे नहीं (श्री कुबेर भण्डारी से) आप बैठे रहें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

उन निरीह और निर्बल हरिजन वर्ग को जब मत का सवाल आया उनको घर से निकलने नहीं दिया। मान्यवर, किसी व्यक्ति की बड़ी से बड़ी चीज छिन जाय, धन और धरती छिन जाय, उसकी जिंदगी भी छिन जाय तो उतना दुख नहीं होता लेकिन जब उसकी आजादी छीन ली जाती है तो उससे बड़ी चीज उसके लिए नहीं रह जाती । जिन लोगों ने हरिजन भाइयों की आजादी छीनी थी वहीं आज मातम मनाने जा रहे हैं (व्यवधान) मान्यवर, नयी चीज देना तो रहा दूर जो दी हुई चीज थी उसको भी छीन लिया था। मान्यवर, इन सब चीजों की बात नहीं है इसकी गहरायी में जाने की बात है। समाज की जो व्यवस्था है उनकी सुरक्षा की हमें रक्षा करनी है उसको टूटने नहीं देना है, जो क्रमबद्ध समाज है उसको तोड़ने की प्रक्रिया में यह चीज हो सकती है। हम व्यापक दृष्टि से समाज की रचना में चिंतत हैं, हमें हरिजन भाइयों का और हर निर्बल वर्ग के बारे में चिन्ता करनी होगी।

वहां की समस्या केवल पुलिस से या डकैतों को मार कर खतम नहीं हो सकती है। वहां के संबंध में मैं एक जगह पढ़ रहा था, प्रयास किया कि उसको यहां उद्धृत करूंगा यहां ह्वेनसांग भारत आया उस समय उसने कहा था कि यहां पर इस तरह के लोग हैं जो सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। तो हमारा यहां पर प्रयास है संकल्प है कि हम सब समाज को परिवर्तित करेंगे। केवल सत्ता की बात नहीं है चाहे इधर के हों या उधर के हम सब समाज की उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करें और उसके साथ ही अर्थ व्यवस्था की भी चिन्ता हमें करनी होगी और उनके लिए कुछ योजनायें हैं। वहां पर संभवत: शीघ्र ही कुछ बड़े कारखानों की भी घोषणा हो सकेगी। लेकिन केवल बड़े कारखानों की बात नहीं है। वहां पर अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिए बीहड़ों के सुधार के लिए 20 करोड़ की धनराशि रखी गयी है जो दस्यु प्रभावित बीहड़ हैं उनको सुधारने का प्रयास किया गया है। (व्यवधान) वहां पर सरकार की प्रेजेन्स रहे और शांति रहे, वहां के वातावरण को हमें बदलना होगा और उस प्रक्रिया में शासन सोच रहा है कि वहां पर कुछ सड़कें और मार्ग विशेष रूप से उसी दृष्टि से बनाये जायं और वहां पर सिंचाई के लिए साधन, विशेष तौर से ट्यूब वेल्स और अन्य साधन वहां पर बढ़ाए जाएं तथा विद्युतीकरण का काम वहां पर तेज किया जाए, छोटे उद्योगा धन्धों को वहां पर प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वहां के नौजवान जो अब तक केवल फौज में जाते थे और वही उनकी एक मात्र जीविका थी, जिसमें इधर ह्रास हुआ है, उनको एक अन्य साधन उपलब्ध हो।

हमारे जितने निर्बल हरिजन भाई हैं, उनके लिए केवल यही नहीं, साढ़ूपुर और दिवली में ही नहीं, उनके प्रति हम लोगों की जिम्मेदारी पूरे प्रान्त और पूरे देश में है और उस जिम्मेदारी को हम हर मोहल्ले और हर घर में निभाएंगे, इसका हम प्रण करते हैं और मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं जहां तक सरकार का संबंध है यह हम लोगों के लिए चुनौती भी है, लेकिन मैं दिवली और साढ़ूपुर की लाशों की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि उन पर जो भी अत्याचार करने वाले हैं, उन सभी के खिलाफ हम कठोर से कठोर कदम उठाएंगे और इसमें हम कोई कमी नहीं करेंगे।

(श्री रियासत हुसैन के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

रियासत साहब, आप कितना समय लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन–

ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट।

श्री अध्यक्ष–

हां, इसका ध्यान रखें और भी कम करें, क्योंकि इसमें केवल आधा घंटे का ही

[श्री अध्यक्ष]–
समय बढ़ाया गया था (कुछ रुक कर) इस प्रक्रिया में करीब 15 मिनट लग जायेंगे, इसलिए 15 मिनट का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं इस सदन के दोनों ही पक्षों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव पर बहुत गम्भीरता से विचार किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि गुलाब सेहरा साहब जब इधर बैठते थे तो वह कैसे जज्बात बोलते थे और आज उधर से आज ऐसे प्रस्ताव पर इस तरह से बोलकर उसकी निन्दा करते हैं...

श्री गुलाब सेहरा–

रियासत हुसैन मेरे मित्र हैं. उन्होंने जब प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने दिवली घटना का प्रस्ताव रखते हुए जिन्दाबाद की बात कह कर थ्योरेटिकल बात की...

श्री रियासत हुसैन–

मैंने यह कहा था, मुख्य मंत्री जी इसकी जांच कर लें कि किस बात पर जिन्दाबाद का नारा लगा। अब मुख्य मंत्री जी ने थोड़ा सा हवाला तो अपनी अंथे को दे दिया। मैं तो उसको लाना भी नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने कसम खाई, तो आपके प्रदेश में दो तरह के डकैत थे। एक तो वह हैं, जिनके नाम से सबको पसीना आ जाता है और दूसरे वे हैं जो कोई वारदात करते हैं तो उनकी तलाश होती है, पकड़े जाते हैं या नहीं यह अलग बात है। लेकिन जिनके नाम से पसीना आ जाता है वह हैं मलखान सिंह, फूलन, छविराम, पोथी, अनारसिंह, महावीरसिंह, बलवीरा, लालाराम श्रीराम व घनश्याम। यह दस लोग थे और इनके बाद ग्यारहवें नम्बर पर संतोषा और बारहवें नम्बर पर राधे थे। आपकी जो तारीख निश्चित थी इस्तीफा देने के लिये वह 24 तारीख थी। इस तारीख के पहले आप केवल सन्तोषा को पकड़ पाए, राधे भी बाद में पकड़ा गया। लेकिन आपने ऐलान कर दिया कि मैं पास हो गया, दो नाट बाई डिस्टिंक्शन मार्क्स। मुझे तो 33 परसेन्ट में भी किसी ने डिस्टिंक्शन में पास नहीं किया। आप केवल सन्तोषा को पकड़ पाए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कैसे उसको पकड़ा, लेकिन आपने 1/12 मार्क्स में यानी 8 परसेन्ट में अपने को पास घोषित कर दिया। यह तो इस प्रदेश की जनता समझेगी? आपने एक और बात कही थी कि जो लोग डकैतों के सपोर्टर्स हैं, उनकी हम कोई रियायत नहीं करेंगे। मुझे आशा है आपसे एम0 जी0 अकबर मिले भी होंगे। आप 10 जनवरी का 'सनडे' के पेज 17 के पहले कालम को देख लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि–

"ही माइट ट्राई डाईवर्टिन्ग हिज रिजिड अटेन्शन फ्राम दि वेस्टलैण्ड आफ मैनपुरी एण्ड सर्च इनस्टीड दि लिस्ट आफ लेजिस्लेचर फ्राम हवेयर ही माइट डिस्कवर दि प्रोटेक्टर्स आफ राधे।"

उसका तात्पर्य यह है कि "मैनपुरी के खण्डहरों और बीहड़ों को छोड़कर लेजिस्लेटर्स की सूची को तलाश करें जहां से उनको राधे के प्रोटेक्टर्स मिल जायेंगे। आपको नोटिस भी आया होगा और आपको मालूम भी हो गया होगा कि यह सही है या गलत? उसी कालम में लिखा हुआ है कि:

"दिस नोन क्रिमिनल वाज वन आफ दि मेन आर्गेनाइजर्स आफ दि वेलकम गिवेन बाई दि रूलिंग पार्टी टू मिस्टर राजेन्द्र त्रिपाठी दि मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम अफेयर्स इन उत्तर प्रदेश इन अक्तूबर"

क्या यह सही है इसकी, इन्क्वायरी तो आप करायेंगे। यह दुनिया ने पढ़ा है। वह खास आदमी थे जो आपके स्टेट मिनिस्टर का वेलकम करने वालों में मुख्य आदमी थे, इसकी आप इन्क्वायरी आप खुद करें कि वह गलत है या सही?

अब जो मेरे पास हरिजनों को सुविधा मिलने वाली किताब है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले हरिजनों को सुविधा देने की बात है।

श्री काशी नाथ मिश्र–

इसको भी पढ़ दीजिये इसमें निकला है....

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, यह इतनी मोटी किताब है जिसके अन्दर सिर्फ हरिजनों को दी जाने वाली सुविधाओं को इकट्ठा कर दिया गया है। यह आपकी ही किताब है। इसमें सबसे पहले 10 प्रतिशत हरिजनों के आरक्षण की बात लिखी हुई है। जुलाई 24, 1947 में ये आदेश सरकार के हुए थे कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदों और दूसरे पदों पर 10 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। नम्बर 2 पर यह है। हमको जी0 ओज जारी करते-करते 34 साल हो गये हैं और यह पुस्तक जी0 ओज की इतनी मोटी हो गयी है जिसमें हरिजनों के आरक्षण की बात कही गयी है लेकिन अब तक इन 34 सालों में, चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, अफसोस की बात है कि जो भी उनका परसेन्टेज होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। इस समय क्लास 1 में उनका प्रतिशत 2.7 है, क्लास 2 में 4.43, क्लास 3 में 1.18 और क्लास 4 में 15.5 है, ये आंकड़े आपकी रिपोर्ट से ही स्पष्ट हैं। आपने जो सुविधाएं दी, उनको भी आप पूरा नहीं कर सके। कन्याकुमारी से काश्मीर तक और गुजरात से लेकर आसाम तक ओवर आल रिएक्शन यह हो गया कि लोग कहने लगे कि सारा आरक्षण हरिजन खा गये, हमको नौकरी कहां पर मिले। तो एक एतराज....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा–

यह जो आंकड़े आप बता रहे हैं यह दिसम्बर, 1981 तक के हैं। नये आंकड़े मैं आपको फिर बता दूंगा। वह आपको नहीं मालूम है।

श्री रियासत हुसैन–

क्या आप यह घोषणा करेंगे कि आज के दिन तक क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री और क्लास फोर में 18 प्रतिशत का कोटा पूरा हो गया है?

(व्यवधान)

श्री गुलाब सेहरा–

तीसरी और चौथी श्रेणी में हो गया है।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वे यह घोषणा कर दें कि पूरा हो गया है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात यह कही कि राजनैतिक षडयन्त्र है। उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में ही ब्लैकशीप होंगे।

(व्यवधान)

अगर आप मुख्य मंत्री जी हटते हैं, तो माननीय राजेन्द्र सिंह बनने वाले नहीं हैं मुख्य मंत्री,

(व्यवधान)

आपमें से ही कोई बनेगा।

(व्यवधान)

हरिजनों के उत्पीड़न की मेरे पास काफी लम्बी लिस्ट है। मैं समय नहीं लेना चाहता, वह है भी बहुत कम। आज हरिजन क्या चाहता है? वह यह चाहता है कि इज्जत के साथ रोजी मिले जो दूसरों को बरदाश्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें अब।

श्री रियासत हुसैन–

समाप्त कर रहा हूं। हरिजन यह चाहता है कि आजादी से बोलने का उसको हक मिले। हरिजन यह चाहता है कि उसकी औरतों की इज्जत बची रहे। हरिजन यह चाहता है कि समाज के अन्दर उसका सम्मान हो। हरिजन यह चाहता है कि अपनी मर्जी के मुताबिक वह अपने वक्त का इस्तेमाल करें, छूआछूत खत्म हो। इसके खिलाफ जो दूसरा उच्च वर्ग है वह कहता है कि हरिजन बिना आवास के मर जाये। हर औरत अपर कास्ट के लिये हर वक्त तैयार रहे। बच्चों का खून बहता रहे और दिवली के लोगों को समझ लेना चाहिए कि यही उनके मुकद्दर में था और जो बदले की कोशिश करेंगे उनका भी यही हाल होगा, हरिजन को समझ लेना चाहिए कि वह हर वक्त दूसरों के लिये है. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समय का ध्यान रखें, आप कृपया समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन–

34 वर्षों में यह हरिजनों की सुरक्षा नहीं कर पाये। इसलिये इस प्रस्ताव में हमने व्यापक रूप से नीति बनाने की बात कही है।

(व्यवधान)

(इस बीच व्यवधान के बीच श्री रियासत हुसैन और सत्ता पक्ष से एक माननीय सदस्य – दोनों ही साथ-साथ बोलते रहे जो समझ में नहीं आ सका।)

मैं अपने प्रस्ताव को पुनः पढ़े देता हूं और उस पर बल देता हूं। इसमें यही कहा गया है कि यह सदन हरिजनों के कत्लेआम पर घोर चिन्ता व्यक्त करता है. . .

(व्यवधान)

और संस्तुति करता है कि हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार विस्तृत विशेष योजना बनाये। यह बात इसमें कही गयी है। अगर आप यह समझते हैं कि हरिजनों के लिये, उनकी सुरक्षा के लिये कोई योजना बनाने की जरूरत नहीं है तो आप इसे मत मानिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं और उसे प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह माननीय रियासत हुसैन जी का जो प्रस्ताव है, अब मैं उसको सदन के समक्ष रखता हूं–

प्रश्न यह है कि यह सदन दिनांक 18-11-1981 तथा 30-12-1981 को ग्राम दिवली और ग्राम साढ़ूपुर, जनपद मैनपुरी में हुए हरिजनों के कत्लेआम पर घोर चिन्ता व्यक्त करता है और संस्तुति करता है कि हरिजनों की सुरक्षा हेतु सरकार विस्तृत विशेष योजना बनाए?

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, हां की संख्या अधिक है, डिवीजन करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने यह कहा भी नहीं था कि किसकी संख्या अधिक है, उसके पहले आपने डिवीजन मांग लिया। वह प्रक्रिया तो पूरी होने दीजिए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और नहीं की संख्या अधिक कहने पर।)

श्री राजेन्द्र सिंह–

आपने हां की संख्या अधिक है मान्यवर, आपने कहा।

श्री अध्यक्ष–

मैं पुनः प्रश्न उपस्थित किये देता हूं।

(घंटी बजाई गयी और प्रश्न पुनः उपस्थित किये जाने पर)

श्री रियासत हुसैन–

हां की संख्या अधिक है, मान्यवर।

श्री खैरुल बशर–

जो हरिजनों के विरोध में वोट नहीं देना चाहते हैं उनको भागने का मौका दे रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र–

यह हरिजनों के विरोध का वोट नहीं है यह आपकी बुद्धि का वोट है।

एक सदस्य–

हरिजनों का दुरुपयोग न होने देने का विरोध है हरिजनों का नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इन्हीं के सताये हुए हैं हरिजन।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त हो जायं । बोलने वाला कार्य समाप्त हो चुका है, अब हाथ उठाने वाला है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित करने और श्री अध्यक्ष के नहीं की संख्या अधिक है कहने पर तथा श्री ऊदल और श्री रियासत हुसैन के हां की संख्या अधिक है, कहने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र–

इसमें वोटिंग का प्रावीजन नहीं है। 103 में वोटिंग का प्राविजन नहीं है। यह व्यवस्था के विरुद्ध काम हो रहा है मैं इसका विरोध करता हूं, यह नियमावली है....

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र–

आप जो चाहें करायें, है नहीं इसमें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशीनाथ जी, आप बैठ जायं। मैं काशीनाथ मिश्र की इस बात को उचित नहीं समझता हूं। एक मंत्री होकर आप ऐसी बातें कहें कि जो चाहें करायें। मैं जो कुछ करा रहा हूं नियम के अनुकूल करा रहा हूं। मैं इस पर विरोध प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न पुनः उपस्थित करता हूं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:–

पक्ष में 39,

विपक्ष में 114।

(व्यवधान)

(मेजों की थपथपाहट)

प्रश्न उपस्थित करते समय सूचना राज्य मंत्री द्वारा विभाजन कराये जाने पर उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा निर्णय

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्य शान्त रहें।

जब मत विभाजन हो रहा था तो उस समय एक मा0 मंत्री, श्री काशी नाथ मिश्र, ने बीच में एक बात उठायी जब कि विभाजन के समय कोई और बात नहीं उठायी जाती है लेकिन उन्होंने उठायी किन्तु मैं उनका अनुगृहीत हूं कि फिर वह बैठ गये, मेरे कहने पर।

मैं बताना चाहता हूं कि उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के अध्याय 13, जो प्रस्ताव के सम्बन्ध में है, उसमें 103 में प्रस्ताव स्वीकार हुआ है जिसमें लोकहित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा शीर्षक है और इसी अध्याय के नियम 113– विवादान्त – (1) किसी प्रस्ताव के किये जाने के उपरान्त किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि 'अब प्रश्न उपस्थित किया जाय' और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या युक्तियुक्त वाद विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे "कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।" और उसके बाद उसी नियम 113 का उप नियम (2) है इसी संदर्भ में मैंने प्रश्न उपस्थित किया। यह प्रस्ताव के नियम 103 में यह स्वीकृत हुआ और 113 में मैंने इस पर जो मेरी समझ में आया, जो मैंने इसका अर्थ निकाला वह किया।

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशीनाथ मिश्र)–

आपने प्रश्न उपस्थित किया, मान्यवर, प्रस्ताव, दोनों में अंतर है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं।

मैंने वह प्रश्न उपस्थित किया और उसके संदर्भ में यह प्रस्ताव यहां जिस रूप में आया उसको आपने देखा। मैं यह नहीं कहता हूं कि किसी कानूनी मुद्दे पर कोई व्यवस्था अंतिम व्यवस्था हो सकती है क्योंकि किसी कानूनी मुद्दे पर कोई अपने को इतना परिपक्व नहीं कह सकता कि उस पर अन्तिम राय उसी की सही होगी। सदन की इस पीठ पर रहते हुए मैंने उसको जैसा समझा उसको निर्णीत किया और मैं माननीय सदस्य को चाहूंगा कि वह उसको उसी तरह से ग्रहण करें।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें।)

श्री मंजूर अहमद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अध्यक्ष के बोलने के बाद कोई व्यवस्था नहीं होती।

श्री मंजूर अहमद–

अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहता हूं। मैं उससे हटकर बोलना चाहता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री और श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की झांसी न्यायालय द्वारा अवैध कब्जों को हटवाने वगैरह के सम्बन्ध में जो सूचना है उसको मैंने स्वीकार किया है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हैं।

उन्नाव शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर रैलीज केमिकल, मगरवारा के हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

[6 बजकर 40 मिनट]

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, मेसर्स रैलीज इण्डिया, मगरवारा, उन्नाव में उर्वरक का उत्पादन होता है। उक्त प्रतिष्ठान के सेवायोजकों तथा उन्नाव केमिकल इम्पलाइज यूनियन के मध्य एक समझौता दिनांक 22 फरवरी, 1979 को सम्पन्न हुआ था, जो दिनांक 31 दिसम्बर, 1982 तक लागू है। उक्त समझौता पंजीकृत भी किया गया था। उक्त समझौते की शर्त 13 में यह कहा गया है कि श्रमिक कोई अवैधानिक अथवा किसी प्रकार की सीधी कार्यवाही नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी श्रमिकों ने दिनांक 28 नवम्बर, 1981 को सेवायोजकों को हड़ताल का नोटिस दिया, जिसमें 12 मांगें उल्लिखित हैं। मांगों को न मानने की दशा में 15 दिसम्बर, 1981 से हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई थी। उक्त मामले में श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा समझौते का प्रयास किया जा रहा था, किन्तु 15 दिसम्बर, 1981 से हड़ताल पर जाने के बजाय श्रमिकों ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1981 से ही "अन्दर बैठे रहो" हड़ताल आरम्भ कर दी। प्रतिष्ठान में उत्पादित उर्वरक के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने दिनांक 29 दिसम्बर, 1981 को हड़ताल निषिद्ध कर दी थी। इस निषेधाज्ञा से श्रमिकों को सूचित किये जाने पर भी उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे प्रतिष्ठान के भीतर रहकर हड़ताल करते रहे।

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 3 जनवरी, 1982 को रैलीज इण्डिया लिमिटेड के हड़ताली श्रमिकों द्वारा फैक्ट्री गेट के अन्दर उत्तेजनात्मक नारे लगाने तथा फैक्ट्री के अधिकारियों एवं सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किये जाने के संबंध में सूचना पाते ही निरीक्षक प्रभारी कोतवाली, परगनाधिकारी व क्षेत्राधिकारी आवश्यक फोर्स के साथ स्थिति पर नियंत्रण हेतु वहां पहुंच गये। पुलिस को देखकर श्रमिक उत्तेजित होकर सरकार तथा फैक्ट्री प्रबन्धकों के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। इन अधिकारियों ने श्रमिकों को समझा-बुझाकर शान्त करने का प्रयास किया और उनसे कहा कि हड़ताल निषिद्ध है और फैक्ट्री के अन्दर उत्तेजनात्मक कार्यवाही करना उचित नहीं है। इस पर श्रमिक और भी उत्तेजित होकर सरकार व जिला प्रशासन के विरूद्ध अत्यन्त अपशब्द कहने और नारे लगाने लगे और फैक्ट्री की एक कीमती मशीन की तोड़-फोड़ करने लगे। परगनाधिकारी ने उन्हें पुनः समझाने का प्रयास किया। श्रमिकों की भीड़ ने और भी उत्तेजित होकर पथराव शुरू कर दिया। परगनाधिकारी ने भीड़ को विधि विरोधी घोषित कर दिया और श्रमिकों को तत्काल फैक्ट्री के बाहर जाने को कहा। इस चेतावनी का कोई प्रभाव हिंसक भीड़ पर नहीं पड़ा बल्कि उनकी तरफ से और भी अधिक पथराव होने लगा। स्थिति को बिगड़ते देखकर लाठी चार्ज किया गया जो श्रमिकों द्वारा भारी पथराव के कारण निष्प्रभावी रहा। इससे बलबाई और भी उत्तेजित होकर पथराव करने लगे तथा कट्टों से फायर करना शुरू कर दिये। स्थिति को संभालने के लिये अश्रु गैस का प्रयास किया गया परन्तु वह भी प्रभावहीन रहा। बलबाइयों ने इसके साथ ही फैक्ट्री की बिजली बन्द कर दी तथा फैक्ट्री के प्लांट से सल्फर-डाईआक्साइड जहरीली गैस का वाल्व खोल दिया। हिंसक भीड़ ने मुख्य द्वार पर खड़ी पुलिस की एक जीप में आग लगा दी और दो अन्य गाड़ियों में आग लगाने बढ़ी। हिंसा पर उतारू श्रमिकों की इस कार्यवाही से दो कानिस्टेबिल घायल होकर गिर गये तथा अन्य कई पुलिस कर्मियों, क्षेत्राधिकारी व परगनाधिकारी को चोटें आईं। जान का खतरा व सम्पत्ति की क्षति का भय देखकर 5 राउण्ड फायर किये गये। स्थिति

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

की गम्भीरता को देखते हुए परगनाधिकारी ने फायर ब्रिगेड भेजने हेतु अनुरोध करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को स्थिति से अवगत कराया तथा अतिरिक्त फोर्स की मांग की।

फैक्ट्री के अधिकांश श्रमिक आस-पास के गांवों के रहने वाले हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही इन ग्रामों से फैक्ट्री के कर्मचारियों के अन्य साथी कट्टे, सरिया आदि लेकर सैकड़ों की तादाद में गेट के बाहर एकत्र हो गये जहां पी0ए0सी0 की एक बड़ी बस खड़ी थी और कुछ आर्म पुलिस कर्मचारी तैनात थे। बलवाइयों ने इस गाड़ी को जलाने के लिए अपने साथियों को उकसाया तथा बाहर खड़े सिपाहियों पर पथराव व कट्टे से फायर करने लगे। सिपाहियों ने बलवाइयों को चेतावनी दी परन्तु उन लोगों ने पथराव व फायर जारी रखा और बस में आग लगा दी। अतः इन पुलिस कर्मचारियों को आत्मरक्षार्थ 6 राउण्ड फायर करने पड़े। उसी समय वहां पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर भी बलवाइयों ने पथराव कर उसका शीशा तोड़ दिया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स के पहुंचने पर स्थिति को नियंत्रित किया जा सका। घटनास्थल पर ही 24 बलवाई हिरासत में लिये गये जिनमें से कुछ आस-पास के गांव के निवासी हैं। इनके पास से दो कट्टे, 16 जिन्दा कारतूस व लोहे के सरिये डण्डे आदि बरामद किये गये। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गए थे। इस घटना में परगनाधिकारी, क्षेत्राधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित 42 पुलिस कर्मचारी घायल हुए तथा कई लाख रुपए की सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

घटना के संबंध में थाना कोतवाली में धारा 147/148/149/307/332/353/435/436/427 भा0द0वि0 के अन्तर्गत 50 नामजद तथा 3-4 सौ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके पर गिरफ्तार किये गये 24 अभियुक्तों के अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त दिनांक 19 जनवरी, 1982 को गिरफ्तार किया गया इनमें से 9 अभियुक्त घायल पाये गये जिनमें से दो की डाक्टरी जांच जिला चिकित्सालय तथा 7 की जिला जेल उन्नाव में कराई गई। दो गंभीर रूप से घायल अभियुक्तों को कानपुर मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया गया। इसमें से एक घायल की मृत्यु दिनांक 4 जनवरी, 1982 को कानपुर मेडिकल कालेज के चिकित्सालय में हो गई तथा दूसरे अभियुक्त की मृत्यु जो डाक्टरों के परामर्श से लखनऊ मेडिकल कालेज में हो भर्ती कराया गया था, दिनांक 15 जनवरी, 1982 को लखनऊ मेडिकल कालेज में हो गई। अतः यह कहना सही नहीं है कि घटना में 100 से अधिक व्यक्ति घायल हुए और 5 की मृत्यु हो गई। यह कहना भी सही नहीं है कि इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश न होने से असंतोष है। अपितु वहां पूर्ण शान्ति है और आस-पास की फैक्टरियों में सामान्य रूप से उत्पादन कार्य चल रहा है और आशा है शीघ्र ही रैलीज इण्डिया में भी उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। घटना के मजिस्टीरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं जो प्रगति पर है।

श्री मोहन सिंह–

एक निवेदन सुन लें। नियम 52 में दिया गया चर्चा के लिए। इस पर इतना लम्बा माननीय गृह मंत्री ने वक्तव्य भी दिया है। स्पष्टीकरण गृह मंत्री के लिए संभव नहीं होगा, मैं स्वयं वहां गया था। ऐसी घटनाएं आस-पास में भी हुई। 10 लोगों की कम से कम हत्या हुई है। इस पर एक घण्टे की चर्चा नियम 52 में करा दें। मेरा आग्रह है, विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आप स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं, वह पूछिए। मैंने श्री भीखालाल जी को बुलाया था।

श्री भीखालाल–

मैं पहले प्रश्न करता हूं फिर जो प्रस्ताव माननीय मोहन सिंह जी ने रखा है, उस पर विचार करें। यह जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है और जिलाधिकारियों के

विवेकपूर्ण काम न करने की वजह से हत्यायें हुई हैं। 2 की हत्या बतायी गयी, 10 का पता चल चुका है कि हत्या हो चुकी है। मामले को दबाने के लिए मनगढ़न्त वक्तव्य दिया गया है। मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। कहा गया है कि यह हड़ताल निषेध कर दी गयी, जिलाधिकारी मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकालने के लिये वहां गये, समझाया-बुझाया मजदूर नहीं माने। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, मजदूरों ने पथराव किया और फैक्ट्री के अन्दर से बाहर नहीं निकले। यह कार्यवाही फैक्ट्री के अन्दर होती रही। बयान में कहा गया है कि फाटक के बाहर खड़ी हुई जीपें जला दीं मजदूरों ने। नाकेबन्दी फैक्ट्री के अन्दर हो रही है तो जीपें कैसे जला दीं। इससे स्पष्ट है कि यह जीपें मजदूरों ने नहीं जलायीं बल्कि पुलिस ने अपना केस बनाने के लिए स्वयं जलायी हैं।

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)–

जो माननीय सदस्य ने कहा कि मजदूर अन्दर हड़ताल कर रहे थे और पुलिस अन्दर लाठीचार्ज कर रही थी पर स्थिति भिन्न है। जो जलने की बात है उसमें आप पढ़े कि उसमें लिखा हुआ है कि जिस समय पुलिस वहां गयी है, उस समय गांव में भी लोग कुछ आ गये, जहां के ये लोग रहने वाले थे और जितने लोग आ गए उनके द्वारा जलाने की बात हो सकती है। लेकिन यह विचाराणीय प्रश्न बन गया है वह यह है कि एक समझौता उनकी यूनियन ने किया था, उस फैक्ट्री में एक मात्र एक ही यूनियन है उससे यह समझौता हुआ था कि दिसम्बर, 1982 तक कोई सम-झौते में उनकी जो मांगें हैं, उनको माना गया कोई आन्दोलन वे नहीं करेंगे दिसम्बर, 1982 तक। परन्तु इसके विपरीत उन लोगों ने आन्दोलन का नोटिस दिया इसलिए उनका चुनाव हुआ जिसमें श्री के0पी0 सिंह तथा अच्छे लाल कुशवाहा चुने गये, वही करता-धरता हैं। उन्होंने ही फिर आन्दोलन के वक्त कार्यवाहियां की जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके संसाधन अधिकारी के यहां उनके खिलाफ रिपोर्ट की मैनेजमेन्ट उनको निकालना चाहता है।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

मान्यवर, इनसे यह प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर मंत्री जी भाषण दे रहे हैं तो फिर मान्यवर, हमको भी मौका दें।

श्री राम नारायण पाठक–

अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं या फिर आपकी समझ में बात न आवे तो इसका मेरे पास इलाज नहीं है। मैं तो यह बता रहा हूं कि 15 से हड़ताल होनी थी और ये 14 से स्ट्राइक पर चले गये। क्या आप यह जानना नहीं चाहेंगे तो फिर सवाल ही क्यों किया आपने?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, श्रम मंत्री महोदय को आपने जो अनुमति दी तो इन्होंने उस पर जो वक्तव्य दिया है. . .

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने वही कहा है जो मैंने पूछा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कुछ ऐसे प्रश्न खड़े करता हूं और जिसको कि यह कुछ स्पष्ट नहीं कर सके। प्रश्न यह है . . .

श्री अध्यक्ष–

इसको पूछ लीजिए जो आप पूछना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

यह उन्नाव जिले की एक ऐसी घटना है। जिस समय यह घटना हुई तो वहां पर गांव के लोग उपस्थित नहीं थे, घटना को तोड़-मरोड़ कर रखा गया है, इस पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछ रहे हैं या नहीं?

श्री रियासत हुसैन–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस फैक्ट्री में जैसा कि आपने स्वयं कहा है कि एक मात्र यूनियन है उस यूनियन के आफिस बियरर्स से मजदूरों का जो फैसला हुआ था उसको बदल दिया गया और दूसरे नये आफिस बियरर्स से आपने कोई उस संबंध में वार्ता की या नहीं की ? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की?

श्री राम नारायण पाठक–

जो चुने गये श्री के0 पी0 सिंह और अच्छे लाल कुशवाहा उन्होंने ही अपनी नेतागीरी की थी।

श्री रियासत हुसैन–

आपने यह कहा कि उस फैक्ट्री में एक ही यूनियन है उससे उन्होंने समझौता किया कि वे दिसम्बर, 1982 तक हड़ताल नहीं करेंगे यदि वे उनकी मांगों को मानेंगे। आन्दोलन की नोटिस आयी और दूसरी यूनियन का चुनाव हो गया। तो जो नये आफिस वियरर्स आये उनसे आपकी कोई वार्ता हुई या नहीं?

श्री राम नारायण पाठक–

देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। वह कोई एक दिन की घटना नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते हैं पर आपको सुनना चाहिए। इसमें जो नये लोग चुने गए उन्होंने पुराने समझौते को रद्द कर दिया। उसे रद्द करने के बाद उनके साथ नेगोसियेशन की बात हुई। वह सवाल नहीं है कि उनके साथ निगोशियेशन्स नहीं हुआ। सवाल यह है कि जो पुराना समझौता था नये पदाधिकारियों ने उसे मानने से इंकार कर दिया। और नये ढंग से उसे शुरु किया। तब उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही मैनेजमेन्ट ने कर दी। अब इसमें आप पढ़ें, श्रम मंत्री जी के सामने आये हैं, समझौता हुआ और दस्तखत किए जिसमें श्री के0पी0 सिंह और श्री अच्छे लाल कुशवाहा ने दस्तखत किये। एडीशनल लेबर कमिश्नर के दस्तखत हैं और श्रम मंत्री के दस्तखत हैं और उसके बाद ही उन्होंने हड़ताल की कार्यवाही चालू कर दी। जब समझौता किया गया था तो उन्हें उसे मानना चाहिए और दो लोगों ने, जो उन्होंने निकाले वह केस लेबर कोर्ट में चला गया था, तो उन्होंने माना कि वहां के फैसले के बाद कोई कार्यवाही करेंगे। इसी बीच में 15 से हड़ताल करनी थी और 14 से सिट डाउन स्ट्राइक शुरु हो गयी।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

एक तरफा समझौता तो हुआ नहीं होगा। दोनों तरफ से हुआ और उसे भंग किया तो मैं जानना चाहता हूं कि वह समझौता क्या था और किस तारीख को हुआ था और मेरी निश्चित जानकारी है कि मिल मालिकों ने उसे भंग किया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वे उसे रद्द कर दें।

श्री राम नारायण पाठक–

एक समझौता माननीय श्रम मंत्री जी के यहां 12-9-80 को हुआ। उसमें जो शर्तें तय हुई, विवाद का संक्षिप्त विवरण है। मै0 रैलीज इण्डिया लिमिटेड, मगरवारा उन्नाव में कार्यरत सर्वश्री के0 पी0 सिंह तथा अच्छे लाल कुशवाहा के निकाले जाने तथा अन्य मामले के संबंध में जो उन्नाव केमिकल यूनियन के मांग पत्र में उल्लिखित है श्रमिक अशांत उत्पन्न हुई। इस समय समस्याओं पर माननीय श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश के समक्ष

दोनों पक्षों में वार्ता हुई तथा निम्नलिखित समझौता सम्पन्न हुआ। उसमें सर्वश्री के0 पी0 सिंह तथा अच्छे लाल कुशवाहा के निकाले जाने का वाद श्रम न्यायालय पांच के सम्मुख चल रहा है। दोनों पक्ष सहमत हैं कि श्रम न्यायालय से संयुक्त रूप से प्रार्थना करेंगे कि इस वाद की लगातार सुनवाई कर श्रम आयुक्त अपना निर्णय शीघ्र दे दें। दोनों पक्ष वाद को स्थगन करने की प्रार्थना नहीं करेंगे। वर्ष 1978-79 के बोनस का प्रश्न, ठेकेदारी प्रथा समाप्ति का वाद तथा सी0 बी0 वाद संख्या 389/80 से संबंधित ठेकेदार के श्रमिकों की सेवायें समाप्ति के बाद पर दोनों पक्ष श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश की धारा 5(बी) (1) तथा रूल 8, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत पंच निर्णायक मानते हैं। इस समझौते के होने के बाद श्रमिक आश्वासन देते हैं कि वे पूर्ण-रूप से औद्योगिक शांति स्थापित करेंगे तथा श्रमिक बिना व्यवधान के आश्वासन देते रहेंगे। सेवायोजक प्रतिनिधि भी यह आश्वासन देते हैं कि उनकी ओर से कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे श्रमिक उत्पीड़ित किये जायें। दोनों पक्ष यह आश्वासन देते हैं कि ये भविष्य में उत्पन्न हुए किसी वाद को आपस में मिलकर वार्ता द्वारा तय करेंगे और यदि आपस में सहमति नहीं हुई तो उसे तय करने के लिए वैधानिक तरीका अपनायेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे उद्योगों के लिए निर्धारित अनुशासन संहिता का पूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे। श्रमिक प्रतिनिधि हस्ताक्षर के0 पी0 सिंह, हस्ताक्षर ए0 एल0 कुशवाहा। दोनों पक्षों ने और एम्प्लायर की तरफ से आर0 रामचन्द्रन। दोनों पक्षों ने मंत्री जी के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं और हस्ताक्षर की पुष्टि कमलाकान्त पांडे एडीशनल लेबर कमिश्नर कानपुर ने किया है।

श्री हुकम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो समस्या आज हमारे सामने आई उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो श्रमिकों से सम्बन्धित है और दूसरा कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है। एक तो 12-9-80 के समझौते की बात कही गई और दूसरी 22 फरवरी, 1980 के समझौते की बात कही गई वह 22 फरवरी, 1980 का समझौता क्या था और क्या श्रमिकों की ओर से यह नहीं लिखा गया है कि मैनेजमेंट इसको मान नहीं रहा है। ऐसा नोटिस क्या श्रमिकों ने नहीं दिया है और यदि दिया है तो आपने क्या कार्यवाही की?

(श्री खान गुफरान जाहिदी तथा अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न किया गया है, उत्तर देने दें।

श्री राम नारायण पाठक–

मान्यवर, जो समझौता हुआ उसके विपरीत जो नोटिस हड़ताल की दी . .

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक समझौते का हवाला माननीय श्रम मंत्री ने अपने स्पष्टीकरण में दिया और एक समझौते का हवाला माननीय गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि 22 फरवरी, 1980 का क्या समझौता था और इस समझौते के पश्चात् क्या श्रमिकों ने आपको लिखित नोटिस देकर आपको इस बात से अवगत कराया कि वे इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर दिया गया तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री राम नारायण पाठक–

मान्यवर, जब किसी यूनियन ने कोई समझौता किया तो उसी यूनियन की तरफ से उसके विपरीत कोई नोटिस नहीं दे सकते हैं।

श्री जटा शंकर सिंह–

22 फरवरी, 1979 के समझौते का जिक्र वक्तव्य में किया गया। 12-9-80 के समझौते के बाद 22-2-79 के समझौते को श्रमिकों ने नोटिस देकर बताया है कि हम इसको नहीं मानते हैं तब माननीय श्रम मंत्री जी की मौजूदगी में दूसरा समझौता हुआ है। अब विवाद मुख्य यह है कि वह सेवायोजक 22-2-79 के पिछले समझौते पर खड़े हैं और यह दूसरे 12-9-80 के समझौते को मानने के लिए बाध्य कर रहे हैं यही विवाद का मुख्य मुद्दा है। इसकी सूचना शासन को दी गई। माननीय मंत्री जी को भी इसकी सूचना उन्होंने दी है। मान्यवर, इस प्रकार तथ्यों को और सत्य को छिपाया जा रहा है। मान्यवर, इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। कृपया चर्चा निर्धारित करें। मान्यवर, मैं इस पर चर्चा के लिए निवेदन कर रहा हूं। इस पर आप सदन में चर्चा के लिये कोई समय निश्चित कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य प्रश्न करें, विवाद न करें (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष जी, माननीय हुकम सिंह जी ने पहले एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर तो दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

आप उस प्रश्न को दोहरा दें।

श्री राजेन्द्र सिंह–

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि एक समझौता दोनों पक्ष में 12-9-80 को हुआ। उससे पहले माननीया गृह मंत्री के लिखित वक्तव्य में आया है कि 22-2-79 को कोई समझौता हुआ था। अब कहना यह है कि 22-2-79 को जो समझौता होने की बात बतलाई गयी है वह एक पक्षीय था जिस का लोगों ने विरोध किया। 12-9-80 को जो समझौता हुआ था उसकी सेवायोजकों ने मानने से मना कर दिया और इसकी सूचना 27-11-80 को माननीय मंत्री को भी करा दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र सिंह–

मालिकों ने जब उस समझौते को नहीं माना तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की?

श्री हुकम सिंह–

79 के समझौते की शर्तें क्या-क्या थी, उसे भी बतला दें।

श्री राम नारायण पाठक–

दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। जब समझौता सम्पन्न हो गया तो इस समझौते के अनुसार श्री के0 पी0 सिंह और श्री अच्छे लाल कुशवाहा ने आश्वासन दिया कि न्यायालय के निर्णय देने के बाद कोई पक्ष स्थगन करने की प्रार्थना नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं इसलिये इस पर आप सदन में चर्चा करा दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इस पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बात आपने पूछी थी उसका जवाब दे दिया गया है। जो कार्यवाही की गयी उसका सारा डिटेल्स दे दिया गया है। अगर गहराई से आप कोई बात जानना चाहते हैं तो उसके लिये अलग से प्रश्न करें। (व्यवधान) अलग से चर्चा करने के लिये हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गयी।

आपने पूछा था कि समझौते में क्या क्या हुआ वह मैंने वक्तव्य में बतला दिया है। अगर श्रमिक समस्या की पूरी हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं तो उसके लिये अलग से प्रश्न करें।

श्री हुकम सिंह–

मैंने चर्चा की मांग की है, उसे आप करा दें।

श्री अध्यक्ष–

क्या उसका उत्तर आया है, जरा देख तो लेने दीजिये।

(व्यवधान) (शोर)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

आप लाठी, गोली चला रही हैं . .

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 की जो सूचना है। आपकी तरफ से आई है उसमें है मान्यवर, उन्नाव शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर रेलीज केमिकल फैक्ट्री मगरवारा के निर्दोष हड़ताली कर्मचारियों पर विगत 3 जनवरी, 1982 को बड़ी बेरहमी तथा बिना किसी पूर्व सूचना के पुलिस द्वारा गोली वर्षा की गयी। 100 से अधिक मजदूर घायल हुए। पांच की मृत्यु हो गयी। 100 से अधिक मजदूर लापता हैं। फायरिंग के बाद मजदूरों के अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां हो रही हैं। इससे जनता तथा मुख्य रूप से मजदूरों में घोर असंतोष तथा उत्तेजना व्याप्त है। शांति एवं व्यवस्था के लिए संकट है। सरकार द्वारा अभी तक गोली वर्षा के औचित्य के बारे में जांच हेतु न्यायिक जांच के आदेश न जारी करने से असंतोष हो रहा है। अतएव लोकमहत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

इसके संबंध में यह वक्तव्य आया। आपने पूरा वक्तव्य सुना है और उस वक्तव्य के बाद आप कुछ प्रश्नों को कि किस तरह से समझौता हुआ, किस तरह से नहीं हुआ उनको उठाना चाहते हैं . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

यह वक्तव्य में दिया है . . .

श्री मोती लाल दहेलवी–

मरने वालों की लिस्ट है मेरे पास . . .

श्री बलबीर सिंह–

मान्यवर, इसमें दो आदमी मरे हैं, बताया है जब कि वहां 12 आदमी मरे हैं। चर्चा हो जाय बात साफ हो जायगी . .

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

12 आदमी नहीं, 2 आदमी मरे हैं, केवल दो मरे हैं।

श्री बलबीर सिंह–

यह बिल्कुल गलत कह रही हैं . .

श्री मोती लाल दहेलवी–

मरने वाले दो आदमी जिन्दा झोंक दिये गये आग में अकबर अली और रमजान अली . .

श्री अध्यक्ष–

इसके सम्बन्ध में जो उत्तर आया है उसमें निर्दोष हड़ताली कर्मचारियों को शायद ध्यान में रखते हुये आपने अपने उत्तर में कुछ समझौतों का जिक्र किया है। एक 22 फरवरी, 79 को समझौता हुआ और दूसरी समझौता 12-9-80 को हुआ। इसमें आपने यह पूछा है कि 12 फरवरी, 79 का जो समझौता हुआ था उस समझौते के विरोध में कोई सूचना आपके पास आई है। अगर आई है तो उसका जवाब दे दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसकी जानकारी आपको दे दी जायगी। लेकिन जहां तक गृह विभाग का संबंध है और जहां तक उन लोगों के घायल होने की (व्यवधान) जानकारी आपको दे चुकी हूं। इस विषय में कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है अगर आप मुनासिब समझें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं। यह जो नियम 51 की आपकी नोटिस थी उसका उत्तर है। इसमें आपने कुछ प्रश्न उठाये हैं। आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपके प्रश्नों के बारे में मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा। उनका कहना यह है कि इस पर सूचना की आवश्यकता है। इस समय उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैं यह निर्देशित करता हूं कि इसकी पूरी सूचना लेकर आप इसको पुनः सदन के सम्मुख लायें और उसके बाद इस पर विचार हो।

जनपद वाराणसी के थाना मुगलसराय के अन्तर्गत ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, दिनांक 19 जनवरी 1982 को प्रातः 9.00 बजे थानाध्यक्ष मुगलसराय को इस आशय की सूचना मिली कि विरोधी राजनीतिक दलों के नेतृत्व में किये गये भारत बंद के संदर्भ में वाराणसी जनपद के बबूरी बैरियर पर हजारों उपद्रवियों की अवैधानिक भीड़ एकत्रित है जो लाठी, बल्लम आदि शस्त्रों व आग्नेयास्त्रों से लैस होकर वाहनों का आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं, सरकारी व अन्य वाहनों को तोड़फोड़ रहे हैं, यात्रियों को मारपीट रहे हैं व लूट-पाट कर रहे हैं। यह भी ज्ञात हुआ कि इस अवैधानिक कार्य को नियंत्रित करने हेतु आयी बबूरी चौकी की पुलिस को उग्रवादियों ने प्रातः लगभग 7-8 बजे बुरी तरह से मारपीट कर भगा दिया, जिसके कारण घटना-स्थल पर असुरक्षा व अराजकता व्याप्त है। यह सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष मुगल-सराय, पुलिस दल व एक सेक्शन पी0 ए0 सी0 सहित घटनास्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस दल के मौके पर पहुंचने पर लगभग 3-4 हजार उपद्रवियों ने उनके ऊपर हमला बोलकर पथराव व फायरिंग शुरू कर दी, कर्मचारियों को घसीट कर मारने लगे, राइफल आदि छीन ली और बैरियर भवन में लूट-पाट कर आग लगा दी। जन सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु एवं आत्मरक्षार्थ बलवाइयों को तितर बितर हो जाने के निर्देश देने के पश्चात् पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का प्रयास किया गया परन्तु फोर्स अपर्याप्त होने के कारण यह प्रभावहीन रहा। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा उपद्रवियों पर फायर किया गया जिसके फलस्वरूप मौके पर दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई व कुछ घायल हो गये। इस कार्यवाही के पश्चात् स्थिति पर काबू पाया जा सका और घटना-स्थल पर 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के दौरान 23 पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं। इस सम्बन्ध में थाना मुगलराय में धारा 147/148/149/307/395/336/337/341/436/332/188/427 भा0 दं0 वि0 व 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। चूंकि इस अपराध का घटनास्थल जनपद मिर्जापुर का ग्राम डबक है, अतः इसकी विवेचना संबंधित थानाध्यक्ष जमालपुर द्वारा की जा रही है।

आयुक्त वाराणसी मण्डल, पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र तथा मिर्जापुर व वाराणसी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण दिनांक 19-1-82 को ही किया जा चुका है। जनता की सुरक्षा हेतु पुलिस गश्त आदि की प्रभावी व्यवस्था की गयी है। क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है।

श्री भीखा लाल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि

बबुरी बैरियर पर हजारों उपद्रवियों की भीड़ जो लाठी, बल्लम आदि शस्त्रों व आग्नेयास्त्रों से लैस होकर वहां जमा थे और वाहनों को तोड़ फोड़ कर उनको रोक रहे थे। पुलिस उनको हटाना चाहती थी और इस कार्यवाही में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया 23 पुलिस कर्मियों को चोटें आयीं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस उपद्रवी भीड़ ने कितनी बसों और ट्रकों को नुकसान पहुंचाया और जो पांच व्यक्ति पकड़े गये, उनके पास से कोई हथियार भाला, कांता, बल्लम या कोई आग्नेयास्त्र बरामद हुआ? यदि हां, तो वह क्या-क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, बलवाइयों ने जो सामान लूटा है उसमें एक राइफल थी जो कि पी0 ए0 सी0 की थी, पांच कारतूस थीं और एक हजार रुपया . . (व्यवधान) रोडवेज बसों को क्षति पहुंचाई और कंडक्टर के ढाई सौ रुपये छीन ले गये।

श्री भीखा लाल–

जो 5 आदमी पकड़े गये उनके पास कौन से हथियार पकड़े गये।

श्री अध्यक्ष–

जो 5 लोग पकड़े गये उनके पास से क्या निकला यह बता दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इसकी सूचना नहीं है लेकिन वहां पर बलवाइयों के पास काफी सामान था (व्यवधान) बहुत तोड़फोड़ किया। कुछ बलवाई तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गये, पब्लिक प्रापर्टी को रोडवेज की बसों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी और की गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न केवल यह है कि घटनास्थल पर जो 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनके पास से क्या कोई हथियार बरामद हुए इसका उत्तर दे सकें तो दे दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इसकी सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

इस पर चर्चा करा दें। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह–

पूरे इलाके में इस घटना से दहशत है।

श्री वृद्धि नारायण सिंह–

बसों पर तोड़फोड़ कर रहे थे किसी को गोली नहीं मार रहे थे। (व्यवधान)

श्री बलवीर सिंह–

कुछ तो हया करिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यहां पर एक वक्तव्य है जिस पर स्पष्टीकरण केवल हो सकता है उस पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 5 व्यक्ति पकड़े गये। उसके सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा गया कि जो 5 व्यक्ति पकड़े गये उनसे क्या बरामद हुआ उसकी जानकारी आपको नहीं है।

श्री बलवीर सिंह–

स्थगित करा दें।

श्री रियासत हुसैन–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जो पहले वहां फोर्स गयी थी जिसको उन लोगों ने मारपीट कर भगा दिया और वह भाग कर चले गये उनका कुछ मेडिकल हुआ होगा तो उनको क्या चोटें आई हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, पुलिस कर्मी 23 घायल हुए।

श्री रियासत हुसैन–

जो पहले फोर्स गयी थी जिसको मारा पीटा गया और वह विदड्रा करके चले गये और फिर दूसरी फोर्स आई। तो मैं पहले की बात पूछ रहा हूं कि उनको क्या चोटें आईं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यात्रियों से मारपीट कर रहे थे। (व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप बैठें। एक प्रश्न है उसको भी साफ कर लें। आपके वक्तव्य में 7-8 वीं लाइन में है "यह भी ज्ञात हुआ है कि इस अवैधानिक कार्य को नियंत्रित करने हेतु आयी बबूरी चौकी की पुलिस को उग्रवादियों ने प्रातः लगभग 7-8 बजे बुरी तरह से मार पीटकर भगा दिया जिसके कारण घटनास्थल पर असुरक्षा व अराजकता व्याप्त है। "तो इस पर रियासत साहब का प्रश्न है कि बबूरी चैक पोस्ट की पुलिस को जो पहले वहां गयी जिसको मारपीट कर भगा दिया उस पुलिस के लोगों का डाक्टरी मुआयना हुआ है, कोई चोट लगी है, यदि लगी है, तो क्या चोट लगी है?

(मंत्री जी को उत्तर के लिए पुकारा गया लेकिन मंत्री जी के न खड़े होने पर)

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

मान्यवर, यह जवाब नहीं दे रही हैं और न दे पा रही हैं। मान्यवर, यह सूचना एकत्र कर लें, फिर विस्तार से इस पर चर्चा हो जाए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, सूचना एकत्र करके आपको भेज दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में भी आप सारी सूचना एकत्र कर पुनः प्रस्तुत करें। आज हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
28 जनवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 976 पर।)

वर्ष 78-79 में मेहदावल पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 0.57 लाख, मुंडिला पेयजल योजना अनु0 लागत रु0 3.842 लाख तथा शोहरतगढ़ ग्रा0 स0 पेयजल योजना अनु0 लागत रु0 3.917 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। मेंहदावल योजना पर वर्ष 78-79 में रु0 0.57 लाख का व्यय हुआ। मुंडिला पेयजल योजना पर वर्ष 79-80 में रु0 0.451 लाख वर्ष 80-81 में रु0 2.306 लाख तथा वर्ष 81-82 में 30-11-81 तक रु0 0.347 का व्यय किया जा चुका है। शोहरतगढ़ पेयजल योजना पर वर्ष 79-80 में रु0 0.453 लाख, वर्ष 80-81 में 1.490 लाख तथा वर्ष 81-82 में 30-11-81 तक रु0 0.083 लाख का व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों योजनाओं पर दिनांक 30-11-81 तक कुल रु0 5.70 लाख का व्यय किया जा चुका है।

वर्ष 79-80 में कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है।

वर्ष 80-81 में हरैया ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 29.722 लाख, रैथ ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 25.497 लाख, कप्तानगंज ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 20.967 लाख, तुशायत ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 28.907 लाख, कुशमही ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 26.915 लाख, बिसकोहर ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 26.425 लाख तथा राजेडीहा ग्राम समूह पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 28.300 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त योजनायें अभी प्रारम्भिक चरण में ही है इन पर नलकूप के छिद्रता आदि का कार्य प्रगति पर है धनाभाव के कारण इन पर कोई विशेष व्यय नहीं किया जा सका है। इन योजनाओं पर पर वर्ष 81-82 में रु0 5.40 लाख व्यय किये जाने की संभावना है।

वर्ष 81-82 में बस्ती पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 45.396 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित कराने हेतु प्रस्तावित है। अतः इस पर निर्माण कार्य जीवन बीमा निगम से धन प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विक्रमजीत, इगरिया पोखराम गैसपूर, कलवारी तथा धनगवां ग्राम समूह पेयजल योजनायें भी बना ली गई है परन्तु धनाभाव के कारण इन पर कोई भी कार्य नहीं किया जा सका है।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 983 पर)

संलग्नक–1

क्रम-सं0	अधिकारी का नाम	माह	दौरे का स्थान	यात्रा पर रहने का दिन	प्रत्येक माह में दौरों की संख्या	यात्रा पर कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एन0एस0जौहरी	अप्रैल, 79	बरेली	5	3	
		मई	इलाहाबाद	1	2	
			वाराणसी	1		
			श्रीनगर (पौड़ी)	2		
			बद्रीनाथ	1		
			श्रीनगर (पौड़ी)	2		
		जून	बरेली	1	2	
			मेरठ	3		
			दिल्ली	1		
		जुलाई	श्रीनगर (पौड़ी)	3	1	
		अगस्त	देहरादून	1	2	
			टेहरी	3		
			मेरठ	2		
		सितम्बर	दिल्ली	1	1	
			श्रीनगर (पौड़ी)	2		
			बद्रीनाथ	2		
			गोपेश्वर	1		
			श्रीनगर (पौड़ी)	1		
			बरेली	1		
		अक्तूबर	श्रीनगर (पौड़ी)	3	2	
			हरिद्वार	1		
			मेरठ	3		
		नवम्बर	कानपुर	1	3	
			हरिद्वार	3		
			फैजाबाद	2		

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	माह	दौरे का स्थान	यात्रा पर रहने का दिन	प्रत्येक माह में दौरों की संख्या	यात्रा पर कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
		दिसम्बर	दिल्ली	1	1	
			मेरठ्	3		
		जनवरी, 80	टिहरी	2	1	
		फरवरी	इलाहाबाद	1	1	
		मार्च	दिल्ली	1	1	
						रुपया 4525.00
2	श्री जे0 पी0 भार्गव	जून, 79	नई दिल्ली	6	1	
		जुलाई	आगरा	5	3	
			नई दिल्ली			
			झांसी	3		
			नई दिल्ली	3		
		अगस्त	झांसी	3	3	
			गोरखपुर	3		
			आगरा	4		
		सितम्बर	दिल्ली	5	6	
			इलाहाबाद	8		
			आगरा	12		
			वाराणसी			
			नई दिल्ली			
		अक्तूबर	वाराणसी	3	4	
			इलाहबाद	3		
			कानपुर	1		
			झांसी	4		
		नवम्बर	दिल्ली	4	6	
			गोरखपुर	4		
			कानपुर	1		
			आगरा	3		
			इलाहाबाद	2		
			वाराणसी	3		

क्रम-सं0	अधिकारी का नाम	माह	दौरे का स्थान	यात्रा पर रहने का दिन	प्रत्येक माह में दौरों की संख्या	यात्रा पर कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
		दिसम्बर	दिल्ली	3	1	
		जनवरी, 80	दिल्ली	4	2	
			इलाहाबाद	2		
		फरवरी	आगरा	6	3	
			आगरा	4		
			इलाहाबाद	3		
		मार्च	दिल्ली	4	2	
			दिल्ली	3		
						रु0 5918.45
3	श्री बी0एन0सिंह	अप्रैल, 79	झांसी	1	4	
			वाराणसी	2		
			पिपरी	1		
			वाराणसी	1		
			आगरा	1		
		मई	दिल्ली	1	3	
			झांसी	2		
			इलाहाबाद	1		
			गोरखपुर	1		
			दिल्ली	1		
		नवम्बर	कानपुर	2	1	
		दिसम्बर	कानपुर	15	7	
		जनवरी, 80	कानपुर	10	4	
		फरवरी	कानपुर	6	5	
		मार्च	कानपुर	4	3	
						रुपया 2516.45

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 984 पर)

संलग्नक

मुकदमा अपराध संख्या 636 धारा 120 बी/420/466/216 आई0पी0सी0 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 एवं 8 तथा 10 का संक्षिप्त विवरण

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले का नाम व पता	श्री लखपत राम शर्मा, पुत्र श्री लेख राम शर्मा, सिविल लाइन्स, थाना नवाबाद, झांसी ।
अभियुक्तों के नाम	1—श्री प्रेमचन्द बब्बर, पुत्र श्री रामचन्द बब्बर, निवासी 62/1, सिविल लाइन्स, झांसी । 2—श्री सूरज प्रकाश, पुत्र श्री प्रभूदयाल अग्निहोत्री निवासी स्टेशन रोड, उरई, जिला जालौन । 3—श्री कांती प्रकाश, पुत्र प्रभूदयाल अग्निहोत्री, निवासी स्टेशन रोड, उरई रिफ्यूजी कालोनी, उरई । 4—श्री रामचन्द्र बब्बर,पुत्र श्री लक्खूराम बब्बर, निवासी 62/1, सिविल लाइन्स, झांसी । 5—श्रीमती प्रकाश रानी पत्नी श्री प्रेमचन्द्र बब्बर, निवासी 62/1, सिविल लाइन्स, झांसी । 6—श्री राजीव बब्बर, आयु 15 वर्ष पुत्र श्री प्रेमचन्द बब्बर, निवासी 62/1,सिविल लाइन्स, झांसी। 7—श्री संजीव बब्बर आयु लगभग 11 वर्ष पुत्र श्री प्रेमचन्द्र बब्बर, 62/1,सिविल लाइन्स, झांसी। 8—श्रीमती गीता पत्नी श्री सुभाष बब्बर, कैन्ट झांसी । 9—श्री आर0 सी0 बाजपेयी, भूतपूर्व एक्साईज क्लर्क, झांसी । 10—श्री कृपा शंकर द्विवेदी, भूतपूर्व एक्साईज क्लर्क कलेक्ट्रेट, झांसी । 11—श्री मु0 यूसुफ, भूतपूर्व एक्साइज क्लर्क, कलेक्ट्रेट, झांसी । 12—श्री बी0 एस0 भटनागर, भूतपूर्व आबकारी अधीक्षक, झांसी । 13—श्री आर0 डी0 सक्सेना, भूतपूर्व आबकारी अधीक्षक, झांसी ।
घटना का समय	3–10–81 कायमी मुकदमा 25–10–81
घटना स्थल	भिन्न-भिन्न ।

सारांश

यह प्रकरण राजगढ़ बिजौली तहसील व जिला झांसी स्थित पेट्रोल पम्प व डीजल पम्प मेसर्स प्रकाश मोटर्स के विरुद्ध है। शिकायत की प्रति थाना इन्चार्ज, नवाबाद के अतिरिक्त, मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री, गृह सचिव उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी झांसी, कमिश्नर झांसी आदि को सम्बोधित है। आरोपी का कहना है कि यह पम्प पहले सूरज प्रकाश पुत्र प्रभूदयाल अग्निहोत्री निवासी स्टेशन रोड उरई, जिला जालौन व श्री कान्ती प्रकाश पुत्र श्री प्रभूदयाल स्टेशन रोड उरई के नाम से स्वीकृत रहा है तथा आबकारी के सम्बन्धित रजिस्टर में तथा उसके इन्डेक्स में वर्ष 69 से 80 तक सूरज प्रकाश तथा कान्ती प्रकाश के नाम दर्ज है।

श्री प्रेमचन्द बब्बर के विषय में बताया गया कि वह 7 वर्ष पूर्व उरई से झांसी आये थे। पहले वह 150 रुपये प्रति माह के किराये पर रह रहे थे। अब उन्होंने 6 लाख की लागत से सिविल लाईन में मकान बनवा लिया है। और धोखाधड़ी से मेसर्स प्रकाश मोटर्स फर्म के मालिक तथा लाइसेन्स होल्डर बन गये। यह आय आयकर विभाग को मुगालते में रखकर बनाई गयी है। ये अपने नाबालिग पुत्र राजीव बब्बर के नाम भी 62/1 सिविल लाइन, झांसी में मकान बनवा चुके हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि अधिकारियों तथा कर्मचारियों आदि की मिलीभगत से श्री प्रेमचन्द्र बब्बर ने गैर कानूनी आधार पर नाजायज काम किये है तथा उक्त पेट्रोल पम्प के मालिक के संबंध में आपस में कागजातों में हेर-फेर करके स्वयं मालिकाना हक नाजायज एवं गैर कानूनी रूप से प्राप्त किये है। प्रकाश मोटर्स के सेल्समैन श्री रघुवर दयाल के विरुद्ध अपराध संख्या 27/80 थाना प्रेमनगर में दर्ज किया गया है जिसमें धारा 120 बी/420/3/7 क्रमशः आई. पी. सी. तथा झांसी एक्ट के तहत लगाई गयी है। इस अपराध में कालाबाजारी करने आदि की भी घटनायें है। मालिकों के नाम बदलने में एक्साइज कलेक्ट्रेट झांसी के श्री आर0 सी0 बाजपेई तथा एक्साइज अधीक्षक श्री डी0 एस0 भटनागर, श्री कृपा शंकर द्विवेदी, श्री आर0 के0 एक्सेना, एक्साइज अधिकारी, श्री बी0 एस0 भटनागर, तत्कालीन आबकारी अधिकारी, एक्साइज क्लर्क श्री मु0 यूसुफ, कलेक्ट्रेट झांसी के आर0 डी0 सक्सेना आदि की साजिश होना बताया है। रजिटर आदि में काट-पीटी करने के आरोप लगाये गये हैं तथा श्री आर0 डी0 सक्सेना की इसमें साजिश होना बताया गया है।

आरोपी का एक अन्य मुख्य आरोप यह भी है कि आबकारी अनुभाग की साजिसन तथा अभियुक्तों को नाजायज लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बिक्री-कर तथा आय-कर में उक्त फर्म के मालिकों के भिन्न-भिन्न नाम लिखाये गये तथा इनका सैल्समैन निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूल करता रहा और बिक्री कर आय-कर तथा माप व बाट विभाग भी तथ्यों को छिपाता रहा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 985 पर)

संलग्नक

अपराध संख्या 16/40 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का संक्षिप्त विवरण

तारीख घटना	13–10–80	10 बजे सुबह
रिपोर्ट अंकित कराने वाले व्यक्ति का नाम		श्री राम कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गनेश मड़िया, थाना कोतवाली, झांसी।
अभियुक्त का नाम		प्रकाश मोटर्स, डीजल पम्प, हंसारी, थाना प्रेमनगर, झांसी।

सारांश

यह प्रथम सूचना रिपोर्ट एक बस नम्बर यू. एस. जी. 2297 के ड्राइवर श्री राम कुमार द्वारा प्रकाश मोटर्स डीजल पम्प, हंसारी के विरुद्ध डीजल विक्रय में निर्धारित मूल्य से 40.00 रु. अधिक लेने के सम्बन्ध में दर्ज रही है। 40 लीटर डीजल पर 40.00 रुपया अलावा लिया गया बतलाया गया। इस प्रकार 40 लीटर डीजल का दाम रु. 134.40 पैसे वास्तव में पम्प द्वारा लिये जाने और रसीद रु. 94.40 पैसे की ही दी जानी बतायी गयी है। शिकायत कर्ता द्वारा पम्प वाले से यह निवेदन करने पर कि उसे अपने मालिक को इस सम्बन्ध में हिसाब देना है, अतः जो 40/- और अलग से लिया गया है उसे भी रसीद में इंगित कर दें, पम्प द्वारा रु. 40 की वह धनराशि रसीद में न दिखाकर बल्कि रसीद के पीछे अतिरिक्त चार्ज के रूप में रुपया 40.00 लिखकर कुल प्राप्त रकम रु0 134.40 अंकित की गयी बतायी गयी है। शिकायतकर्ता श्री राम कुमार ने अपने आरोप में डीजल रसीद संख्या 29759, दिनांक 13-10-80 की फोटो-स्टेट कापी भी अपनी शिकायत से संलग्न की हुई बताई है।

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 988 पर)

नगरपालिका बदायूं की आक्ट्राय से आय का तुलनात्मक विवरण जनवरी, 80 से दिसम्बर, 80 एवं जनवरी, 81 से दिसम्बर, 81 तक

क्र0स0	नाम माह	वर्ष 1980	वर्ष 1981	वृद्धि	प्रतिशत
		रु0	रु0	रु0	
1	जनवरी	1,03,771	1,75,115	71,344	69 प्रतिशत
2	फरवरी	1,25,001	1,82,207	57,206	46 प्रतिशत
3	मार्च	1,11,580	2,13,642	1,02,062	91 प्रतिशत
4	अप्रैल	1,21,431	1,80,475	59,044	49 प्रतिशत
5	मई	1,12,516	2,13,321	1,00,805	90 प्रतिशत
6	जून	89,153	2,05,092	1,15,939	130 प्रतिशत
7	जुलाई	83,961	1,49,524	65,563	78 प्रतिशत
8	अगस्त	83,453	1,50,314	67,861	82 प्रतिशत
9	सितम्बर	85,977	1,57,363	71,386	83 प्रतिशत
10	अक्तूबर	1,01,248	1,40,880	39,632	39 प्रतिशत
11	नवम्बर	96,414	1,38,970	42,556	44 प्रतिशत
12	दिसम्बर	1,15,463	2,02,135	86,672	75 प्रतिशत
	योग	12,28,968	21,09,038	8,80,070	73 प्रतिशत

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 998 पर)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर में जनवरी, 1972 से मार्च, 1973 तक परिवार नियोजन उपकरणों की स्थिति

सं0	वस्तु का नाम	स्टाक बुक की पृष्ठ संख्या	प्राप्त मात्रा	प्राप्त करने की तिथि	शेष	दशा
1	2	3	4	5	6	7
1	हाट वाटर बाटल	10	6	9–3–72	1	सन्तोषजनक
2	आपरेशन टेबुल	11	2	18–9–72 व 6–1–73	2	तदेव
3	बी0पी0 हैण्डिल	15	6	9–3–72	6	2 मरम्मत के अयोग्य
4	किडनी ट्रे	19	6	9–3–72	6	सन्तोषजनक
5	डिसेक्टिंग फोरसेप्स	21	6	9–3–72	6	3 मरम्मत के लिए अयोग्य
6	आर्टरी फारसेप्स	22	12	9–3–72	12	6 तदेव
7	यूटरस के लिए डाईलेटर	24	8पीस	9–3–73	8पीस	मरम्मत के अयोग्य
8	पी0एल0 सीट	25	10 मीटर	9–3–72		तदेव
9	मेयोस सीजिर्स	44	6	9–3–72	6	3 मरम्मत के अयोग्य
10	सीरिंज 10सी0सी0	133	12	14–2–72		
11	सीरिंज 2सी0सी0	135	12	14–2–72		
12	सचर निडिल	137	72	14–2–72		
13	सीरिंज 5सी0सी0	143	12	14–2–72		
14	ई0आई0 बकेट	147	6	14–2–72	6	मरम्मत के अयोग्य
15	ई0 आई0 जग	147	2	14–2–72	2	1 मरम्मत के अयोग्य
16	ई0आई0 स्पिटकान	147	6	14–2–72	6	3 मरम्मत के अयोग्य
17	बी0पी0 ब्लेड्स	149	12×6	8–3–72		
18	थर्मामीटर	151	5	14–2–72		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
19	ई0 आई0 वास बेसिन	151	8	14-2-72	8	3 मरम्मत के अयोग्य
20	ई0 आई0 बाउल (छोटी)	151	6	14-2-72	6	3 तदेव
21	ई0आई0 बाउल (मध्यम)	153	6	14-2-72	6	तदेव
22	ई0 आई0 बाउल (बड़ी)	153	6	14-2-72	6	4 मरम्मत के अयोग्य
23	हाईपो निडिल	173	72	14-2-72		. .
24	हत्थेदार कुर्सियां	2	14		14	स्वास्थ्य सहायकों एवं उप-केन्द्रों आदि में वितरित की गयी ।
25	लकड़ी की अल्मारी	3	7		7	तदेव
26	रैक	3	8		9	तदेव
27	लकड़ी की मेज	4	9		9	तदेव
28	हत्थेदार बेंच	4	12		12	तदेव
29	लकड़ी का स्टूल	5	16		16	स्वास्थ्य सहायकों एवं उप-केन्द्रों आदि में वितरित की गयी ।
30	कैश चेस्ट	7	1		1	तदेव
31	बिना हत्थे की बेंच	7	12		12	तदेव
32	काटन	17	6 पौंड			
33	बैन्डेज 4"	22	50 दर्जन			
34	प्लास्टर	25	4 आर			
35	बैण्डेज 3"	29	4 दर्जन			
36	गाज थान	65	4 थान			
37	सेट्रीलान	75	6 पौंड			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1022 पर)

लोक लेखा समिति 1981–82 के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 16 तथा उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण

सिफारिश	कृत कार्यवाही
1––इसमें हर एक प्रक्रम में कमी रही है। इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए गये उनकी या तो मृत्यु हो गया है या मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया है या सेवा निवृत्ति के उपरान्त चार वर्ष से अधिक का समय हो गया है इसलिए उनके विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो सका। समिति को इस स्थिति को देखकर क्षोभ हुआ। समिति अपेक्षा करती है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग अपने कार्यसंचालन नियमों में कुछ ऐसा प्राविधान करेगा जिससे कि उत्तरदायित्व अधिकारियों का इस प्रकार की मनमाने ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।	लोक लेखा समिति द्वारा दिए गये निर्देश स्वास्थ्य सेवा निदेशक की जानकारी में ला दिए गये हैं तथा उनसे कहा गया है कि प्रदेश के समस्त चिकित्साधिकारियों के संज्ञान में इस निर्देश को लाया जाय। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को यह भी आदेश दिए गये हैं कि बहुमूल्य संयन्त्रों को निष्क्रिय न रखने के लिए पद्धति इंगित करें।
2––समिति को इस बात से क्षोभ है कि पुलिस द्वारा चोरी गए 0–20 लाख रुपए के माल को बरामद नहीं किया जा सका।	पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को आदेश दिए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों में गहराई एव तत्परता से विवेचना की जाय।

वासुदेव सिंह.

सी0एस0यू0पी0––एल0 402 विधान सभा (362)––1983––813।